

SHARAT
KE
NIYA-
NTRAK
MARA-
LEKHA-
PARIK-
SHAK
KEE
REPORT

PTS. 1-2
1972-73

NAL

राष्ट्रीय अभिलेखागार पुस्तकालय
NATIONAL ARCHIVES LIBRARY

भारत सरकार
Government of India
नई दिल्ली
New Delhi

आवृत्तांक Call No. 336.57/Aw 25
अवाप्ति सं. Acc. No. 102523



भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

की

रिपोर्ट

1972-73

वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)

राजस्व प्राप्तियाँ


खंड I

अप्रत्यक्ष कर

227



सर्वगत गणराज्य



भारत के
नियंत्रक महालेखापरीक्षक
की
रिपोर्ट
1972-73
वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
राजस्व प्राप्तियां

खंड I

अप्रत्यक्ष कर

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1972-73


वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)

राजस्व प्राप्तियां

खंड I

अप्रत्यक्ष-कर



विषय सूची

संदर्भ

पैरा सं० पृष्ठ सं०

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

iii

अध्याय

I सीमाशुल्क प्राप्तियां	1—15	1—13
II संघ उत्पाद-शुल्क]	16—52	14—45
III अन्य राजस्व प्राप्तियां	53—63	46—60

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

गतवर्ष की भाँति 1972-73 वर्ष के लिए संघ सरकार राजस्व प्राप्तियां (सिविल) की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है—जिनमें एक अप्रत्यक्ष करों से संबंधित तथा दूसरा प्रत्यक्ष करों से संबंधित है।

इस खण्ड में अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा के परिणाम दर्शाए गए हैं। इस रिपोर्ट को निम्नलिखित क्रम में रखा गया है :—

अध्याय I में सीमाशुल्क राजस्व के संग्रहण के आंकड़ों, बजट प्रावक्कलनों और वास्तविक आंकड़ों का तथा इन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के दौरान लेखा परीक्षा विभाग के ध्यान में आई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है।

अध्याय II उसी प्रकार से संघ उत्पाद शुल्क की प्राप्तियों से संबंधित है।

अध्याय III संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बिक्री कर और राज्य-उत्पाद शुल्क की प्राप्तियों की लेखा-परीक्षा के परिणाम दर्शाता है।

इस रिपोर्ट में नमूना लेखा-परीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामले शामिल हैं। उनका अभिप्राय संबंधित विभागों के कार्यचालन पर किसी प्रकार का सामान्य आक्षेप करना नहीं है और न ही ऐसा समझा जाए।

खण्ड 1

ग्रन्थाय I

सीमाशुल्क प्राप्तियां

1. 1971-72 और 1972-73 के वर्षों के दौरान मुख्य शीर्ष I सीमाशुल्क के अंतर्गत कुल प्राप्तियां नीचे दर्शाई गई हैं :—

	1971-72	1972-73
	₹०	₹०
सीमाशुल्क-आयात	6,40,36,92,295	6,79,50,19,596
सीमाशुल्क-निर्यात	73,35,86,748	89,43,60,975
अतिरिक्त शुल्क	66,84,253	1,10,67,08,208
निर्यात पर उपकर	2,08,08,632	2,85,12,124
विविध	<u>12,60,83,921</u>	<u>15,03,18,258</u>
सकल राजस्व	7,29,08,55,849	8,97,49,19,161
घटाएं-वापसियां और चुंगी वापसियां	<u>33,41,15,085</u>	<u>40,85,29,222</u>
निवल राजस्व	6,95,67,40,764	8,56,63,89,939

ऐसा देखने में आएगा कि प्राप्तियों में सर्वतोमुखी वृद्धि हुई है। वापसियों और चुंगी वापसी में भी गत वर्ष से 7.44 करोड़ ₹० की वृद्धि हुई। रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के दौरान “अतिरिक्त शुल्कों” के अंतर्गत प्राप्तियां गत वर्ष में दिखाई गई 66.84 लाख ₹० की तुलना में बढ़कर 110.67 करोड़ ₹० हो गई। अतिरिक्त शुल्क में 1970-71 के आंकड़ों की तुलना में भी तीव्र वृद्धि हुई है जिसके कारणों का पता नहीं चला है।

आयात पर सामान्य प्रतिबन्ध लगाने के दृष्टिकोण से दिसम्बर 1971 में लगाए गए “विनियामक शुल्क” के लगाये जाने को पुनर्गठित करने के अतिरिक्त 1972-73 के बजट में सीमा-शुल्क टैरिफ या चुंगी शुल्क में कोई मुख्य परिवर्तन नहीं लाए गए।

वर्ष 1971-72 के लिए 652 करोड़ रु० के संशोधित प्राक्कलन की तुलना में 1972-73 के लिए सीमा-शुल्क के अंतर्गत निवल बजट में 700 करोड़ रु० के निवल राजस्व का अनुमान लगाया गया। वापसियों और चुंगी वापसियों में वृद्धि के होते हुए भी निवल सीमा-शुल्क में बजट आंकड़ों की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है।

2. विभिन्न सीमा-शुल्क केन्द्रों के अभिलेखों की नमूना लेखा-परीक्षा से 31,14 लाख रु० की राशि के अव-निर्धारणों एवं राजस्व की हानियों का पता चला। लेखा-परीक्षा के दौरान 9,02 लाख रु० की राशि के अधि-निर्धारणों का भी पता चला।

(ऊपर) उल्लिखित अनियमितताओं के कुछ उदाहरणों का निम्न पैराओं में वर्णन किया गया है, जैसा कि नीचे वर्णीकृत है:—

- (क) विनियामक शुल्क के लगाए जाने में गलतियाँ/अनियमितताएँ।
- (ख) माल के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम लगाया जाना/शुल्क का न लगाया जाना।
- (ग) अतिरिक्त शुल्क का न लगाया जाना।
- (घ) चुंगी वापसी के दावों की अधिक अदायगी।
- (ङ) लापरवाही के कारण गलतियाँ।
- (च) अधि-निर्धारणों के मामले।
- (छ) अन्य प्रकार के मामले।

सीमा शुल्क कार्यालयों में (प्रलेखों की) शतप्रतिशत आन्तरिक जांच के पश्चात प्रलेख लेखा-परीक्षा के लिए प्राप्त किए जाते हैं। लेखा परीक्षा द्वारा ध्यान में लाई गई गलतियों के आधार पर लोक लेखा-समिति इस संबंध में आन्तरिक लेखा-परीक्षा के स्तर (क्वालिटी) में सुधार और सुधारात्मक उपायों के लागू करने की सिफारिश करती रही है। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क के विभिन्न कलेक्टरों को जारी किए गए अनुदेशों में वांछित (सुधार संबंधी) परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

3. (सीमा) शुल्क के लगाए जाने में गलतियाँ/अनियमितताएँ

- (i) 'यूरिया' और 'म्यूरियेट आॉफ पोटाश' के परेबणों पर जोकि 17 मार्च 1972 के पश्चात एक लघु-पत्तन से आयात किए गए थे सीमा शुल्क संबंधी विनियामक शुल्क 2,5 प्रतिशत यथामूल्य (एड वेलोरम) लगाया जाना था। 17 मार्च 1972 को जारी की गई अविसूचना के अनुसार उद्घात विनियामक शुल्क को बढ़ाकर 5 प्रतिशत यथामूल्य कर दिया गया। जनवरी 1973 में इस और ध्यान आकर्षित किए जाने पर सीमा-शुल्क कार्यालय ने समस्त समान आयातों का पुनरीक्षण किया और सात भासलों में 5, 11, 103 रु० की राशि की सांग जारी की जिनकी वसूली अभी प्रतीक्षित है।

(ii) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अनुसार उस माल का, जिसके आयात पत्र (विल आँफ ऐन्टरी) जहाज की आगम रिपोर्ट (ऐन्टरी इन्वॉर्ड) से पूर्व ही प्रस्तुत किए जाते हैं शुल्क-निर्धारण जहाज की आगम रिपोर्ट की तिथि को प्रचलित दरों पर किया जाना चाहिए।

किसी मुख्य सीमा शुल्क कार्यालय में कुछ माल से सम्बद्ध दो आयात-पत्र 9 मार्च 1972 और 13 मार्च 1972 को दाखिल किए गए थे, और उन पर सीमा-शुल्क सम्बन्धी विनियामक शुल्क उस तिथि को प्रचलित 2.5 प्रतिशत यथामूल्य की दर से लगाया जाना था। किन्तु माल को ले जाने वाले जहाज को आगम-पत्र के बाले 25 मार्च 1972 को प्रदान किया गया था। इस बीच में 17 मार्च 1972 से विनियामक शुल्क में 5 प्रतिशत यथामूल्य की वृद्धि की गई थी। क्योंकि शुल्क दर की वृद्धि की तिथि के पश्चात 'आगम-पत्र' प्रदान किया गया था अतः उगाही 5 प्रतिशत यथामूल्य भ्रष्टिक दर पर की जानी चाहिए थी। इसलिए शुल्क की 2.5 प्रतिशत यथामूल्य पर उगाही किए जाने के कारण 12,584 ₹ की कम वसूली हुई। इस अनियमितता को ध्यान में लाते हुए लेखापरीक्षा विभाग ने बताया कि सीमा-शुल्क कार्यालय को इस जहाज से संबंधित सभी आगम-पत्रों का पुनरीक्षण करना चाहिए। मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि एक 'आगम-पत्र' से संबंधित 11,645 ₹ की वसूली कर ली गई थी और पार्टी के अन्य आगम-पत्र से संबंधित 939 ₹ के विषय में अनुरोध किया कि इस कम वसूली की अदायगी को उनके अन्य वापसी दावों और अदीलों के निपटान होने तक आस्थगित रखा जाए।

4. माल के गलत वर्गीकरण के कारण (सीमा) शुल्क का कम लगाया जाना/न लगाया जाना।

(i) एक मुख्य पत्तन से आयातित मक्कन बनाने के तेल (बटर आँयल) को 'घी' वर्गीकृत करते हुए इस पर भारतीय सीमा-शुल्क टैरिफ की मद 4 के अंतर्गत 50 प्रतिशत यथामूल्य सीमा-शुल्क का निर्धारण किया गया। तकनीकी पुस्तकों में दिए गए विवरण और मक्कन बनाने के तेल के प्रयोग के आधार पर जुलाई 1971 में लेखा-परीक्षा द्वारा सुझाव दिया गया कि यह टैरिफ मद 21(2) या 87 के अंतर्गत शुल्क निर्धार्य था। सीमा-शुल्क कार्यालय ने लेखा-परीक्षा द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को स्वीकार नहीं किया क्योंकि यद्यपि रसायन-परीक्षण रिपोर्ट में केवल यह बताया गया था कि नमूने में घी के वैश्लेषिक नियतांक (एनलिटिकल कान्स्टेन्ट्स) विद्यमान थे किन्तु रसायन-परीक्षक द्वारा इस उत्पाद को घी के रूप में प्रमाणित किया गया था। तथापि इसके पश्चात बोर्ड द्वारा दिसम्बर 1972 में यह निर्णय किया गया कि मक्कन बनाने का तेल मद 21(2) के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकरणीय था और इस पर 100 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क प्रभार्य था। तदनन्तर सीमा-शुल्क कार्यालय द्वारा आपति को स्वीकार कर लिया गया था और दो आगम-पत्रों में 3,26,726 ₹ के कम सीमा-शुल्क लगाए जाने की ऐच्छिक अदायगी पर

वसूली के लिए कार्यवाही आरम्भ की गई। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया है (फरवरी 1974) कि आयातकर्ता (राजकीय क्षेत्र निगम) को कम शुल्क लगाए जाने की स्वेच्छा से अदायगी करने के लिए अनुरोध किया गया है।

कम शुल्क लगाए जाने के सदृश मामले सीमाशुल्क कार्यालय के समीक्षाधीन हैं।

(ii) धात्विक सूत (मैटेलिक यान) के दो परेषणों के आयात संबंधी माल को ऐलुमिनियम के विनिर्माण के रूप में वर्गीकरण करके अगस्त 1965 और फरवरी 1967 में प्रतिलाभ शुल्क को लगाए जाने के बिना उस पर 50 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क का निर्धारण किया गया। जो सीमा शुल्क टैरिफ़ की मद 66(ख) के अंतर्गत अन्यथा निर्दिष्ट नहीं था। लेखा-परीक्षा का विचार था कि माल सीमा-शुल्क टैरिफ़ की मद 47(2) के अंतर्गत कृतिम रेशम के रूप में समूचित प्रकार से वर्गीकरणीय था और केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ़ की तदनुस्पी मद 18 के अंतर्गत प्रतिलाभ शुल्क (कौटरवेलिंग ड्यूटी) भी उगाही योग्य था। यह दृष्टिकोण कि 'धात्विक सूत' 'संश्लिष्ट सूत' के रूप में वर्गीकरणीय था। उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क के बोर्ड द्वारा अप्रैल 1969 में जारी की गई टैरिफ़ सूचना द्वारा भी समर्थित किया गया था।

सीमा-शुल्क कार्यालय द्वारा माल के गलत वर्गीकरण के कारण दो मामलों में 25,732 रु० के शुल्क की हानि हुई।

5. अतिरिक्त शुल्क का न लगाया जाना।

(i) मारतीय टैरिफ़ अधिनियम 1934 की धारा 2-ए के अधीन आयातित माल पर अतिरिक्त शुल्क को लगाया जाता है। यह शुल्क उस दर पर लगाया जाता है जिस दर पर भारत में उसी प्रकार के उत्पादित अथवा विनिर्मित माल पर शुल्क उद्घात होता है।

आयातित ऊनी टोपियों (वूल टौप्स) पर अतिरिक्त सीमा-शुल्क 1 मार्च 1969 से उद्घात है। एक सीमा शुल्क कार्यालय ने जुलाई 1970 में आयातित एक ऊनी टोपियों के परेषण पर यह उगाही नहीं की थी। लेखापरीक्षा द्वारा कम उगाही की 37,529 रु० की राशि 25 नवम्बर 1970 को ध्यान में लाई गई। सीमा-शुल्क कार्यालय द्वारा जारी किए गए एक तदर्थ मांग नोटिस के संदर्भ में 50,000 रु० के प्रेषण के प्रति समायोजन द्वारा उस राशि की वसूली की गई थी और 25 नवम्बर 1970 को इसे आयातकर्ता द्वारा अभिस्वीकृत दिखाया गया है।

(ii) एक अन्य सीमा-शुल्क कार्यालय ने नवम्बर और दिसम्बर 1971 एवं अप्रैल 1972 में आयातित चार परेषणों शाराव (लिपोडर्म लिकर) 2 [सल्फोनेट यूकाणु (स्पर्म) तेल] पर सीमा शुल्क टैरिफ़ की मद 87 के अंतर्गत माल का वर्गीकरण करने के पश्चात प्रतिलाभ शुल्क लगाए बिना सीमा शुल्क निर्धारित किया था। सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा प्रतिलाभ

शुल्क का लगाया न जाना इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया कि शुक्राणु तेल मछली के तेल के समान है जिसके लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट उपलब्ध है। शुक्राणु तेल मछली के तेल से भिन्न है इस दृष्टिकोण का भी विनिर्माताओं के संलेखों में समर्थन था। इसके अतिरिक्त शुक्राणु तिमि (द्वेल) है मछली नहीं। अतः सल्फोनेटेड शुक्राणु तेल पर कार्बनिक पृष्ठसक्रिय कारक (आर्गेनिकसरफेस ऐक्टिव एजेन्ट्स) के रूप में 10 प्रतिशत यथामूल्य प्रतिलाभ शुल्क लगाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा द्वारा यह ध्यान में लाया गया कि इस मामले में 19,562 रु की राशि के प्रतिलाभ शुल्क को कम लगाया गया था। लेखापरीक्षा टिप्पणी के आधार पर सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा 10,930 रु की राशि के प्रतिलाभ शुल्क को लगाया गया और उसकी वसूली की गई। शेष 8,632 रु की राशि के प्रतिलाभ शुल्क की वसूली प्रतीक्षित है (फरवरी 1974)।

6. चुंगी वापसी के दावों की अधिक अदायगी

(i) चुंगी वापसी के दावों के अध्यधीन एक मुख्य पत्तन से 272.49 मीटरी टन भार के ताम्र-संवाहकों (कौपर कन्डक्टरों) के चार परेषणों का अगस्त/सितम्बर 1971, में निर्यात किया गया। सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा इन चुंगी वापसी के दावों को उस समय प्रचलित 1500 रु प्रति मीटरी टन की दर से नवम्बर 1971 में स्वीकार कर लिया गया।

दिसम्बर 1971 में ताम्र संवाहकों पर चुंगी वापसी की दर बढ़ाकर 1 सितम्बर 1971 से पूर्व व्याप्ति सहित प्रतिमीटरी टन 1,500 रु से 3,800 रु कर दी गई थी। निर्यातकों ने जनवरी, 1972 में उपर्युक्त चार परेषणों के संबंध में वापसी चुंगी का अनुपूरक दावा प्रस्तुत किया जो इन दोनों दरों के अंतर पर आधारित था और यह बताया गया कि परेषण लाने वाला जहाज पत्तन से वास्तव में 4 सितम्बर, 1971 को रवाना हुआ था। सीमाशुल्क कार्यालय ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया और 6,26,729 रु के अन्तर की अदायगी कर दी।

लेखापरीक्षा के दौरान ऐसा देखने में आया कि चारों परेषण लाने वाले जहाज को निर्गम-पत्र (एन्टरी इन्वर्ड) 27 अगस्त, 1971 को ही दिया गया था। सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चुंगी वापसी नियमावली के नियम 5(2) के अंतर्गत जहाज के निर्गम-पत्र की तिथि जिस पर माल निर्यात किए जाते हैं चुंगी वापसी की दर को निर्धारण करने की निर्णयिक तिथि होती है। अतः चुंगी वापसी की बड़ी हुई 3,800 रु प्रति मीटरी टन की दर जोकि 1 सितम्बर, 1971 से प्रभावी थी इन मामलों में स्वीकार्य नहीं थी।

जब लेखापरीक्षक द्वारा इस और ध्यान आकर्षित किया गया तब सीमाशुल्क कार्यालय ने इस त्रुटि को स्वीकार कर लिया और 6,26,729 रु की चुंगी वापसी की अधिक राशि को उसी पार्टी के अन्य लम्बित दावे के प्रति जनवरी, 1973 में समायोजित कर दिया।

(ii) 9,222 मीटर माप के और 1,19,912 ₹० के मूल्य के "पोलिस्टर काटन ब्लेंड ऐमब्राइडर्ड फैक्रिस" के एक परेषण का उसी मुद्य पत्तन से जुलाई, 1971 में निर्यात किया गया था। निर्यातिक द्वारा इस (परेषण) के पोलिस्टर और सूती अन्तर्वस्तु के लिए कपड़े के कुल भार के आधार पर चुंगी वापसी का दावा किया गया और सीमाशुल्क कार्यालय ने इस दावे को स्वीकार कर लिया।

लेखापरीका द्वारा मार्च, 1972 में संकेत दिया गया कि सीमाशुल्क कार्यालय ने वस्तु की वजाय गलती से आधारभूत कपड़े के केवल पोलिस्टर सूती (काटन) ऐमब्राइडरी के भार सहित निर्यात किए गए कपड़े के कुल भार के आधार पर चुंगी वापसी की स्वीकृति दी थी। इसके फलस्वरूप चुंगी वापसी की 28,078 ₹० की अधिक अदायगी की गई।

(iii) चुंगी वापसी नियमावली 1960 की प्रथम अनुसूची की मद 95 के अन्तर्गत डीजल इंजन के अतिरिक्त पुर्जों के निर्यात पर जहाज तक निःशुल्क मूल्य की 4.6 प्रतिशत की दर से चुंगी वापसी देय होती है। तथापि मुद्य पत्तन और एक वाह्य पत्तन से निर्यात के संबन्ध में ऐसे इंजनों के पुर्जों पर अनुसूची (उसी नियमावली) की मद 59 के अन्तर्गत उनको मोटरगाड़ी के पुर्जों के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर जहाज तक निःशुल्क मूल्य की 10 प्रतिशत चुंगी वापसी स्वीकृत कर दी गई। बहुत से मामलों में गलत वर्गीकरण के कारण चुंगी वापसी की अधिक अदायगी की गई थी। सूची पत्रों और अन्य प्रलेखों के संदर्भ में ऐसे निर्यातों की जांच-पड़ताल द्वारा समस्त दावों के पुनरीकाण के लिए सी सुझाव दिया गया था।

तदनन्तर सीमाशुल्क के कलक्टर ने उन परेषणों के संबन्ध में जिनको कि एक बाह्यपत्तन से ले जाया गया था निर्यातिकों को 33,504 ₹० का एक मांग नोटिश जारी किया। मुद्य पत्तन से किए गए निर्यातों के संबन्ध में मामले कि पुनरीकाण किया जा रहा है (फरवरी 1974)।

मंत्रालय ने तर्क पूर्वक बताया है कि डीजल इंजन मोटर गाड़ियों के पुर्जे मोटर गाड़ियों से संबन्धित मद 59 के अन्तर्गत ही आते थे और इसलिए अधिक दर पर स्वीकृत की गई चुंगी वापसी न्यायोचित थी। तथापि क्योंकि निर्यात केवल डीजल इंजन के पुर्जों का ही किया गया था, अतः अनुसूची में इनके लिए पृथक् दी गई दरें लागू की जानी चाहिए थीं।

7. लापरवाही सम्बन्धी गलतियाँ

(i) आयातित माल का निर्धारण किए जाने पर सीमाशुल्क नकद या चैक द्वारा अदा किया जाना चाहिए। आयातकर्ताओं का सीमा शुल्क कार्यालय में जमा लेखा खोलकर इन शुल्कों को अदायगी के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। पर्याप्त शेष (राशियां) इन जमा लेखाओं में रखी जाती हैं (व्यक्तिगत जमा लेखा के रूप में प्रवलित) और निर्धारित शुल्कों की वसूली इन जमा लेखाओं को हेबिट करके की जाती है।

एक मुख्य सीमाशुल्क कार्यालय में 28 फरवरी, 1973 को प्रस्तुत किए गए आगम-पत्र पर 9,70,220 रु० की राशि का शुल्क सही रूप से निर्धारित किया गया था किन्तु शुल्क की वसूली करते समय आयातकर्ता के व्यक्तिगत जमा लेखा में समायोजन द्वारा केवल 1,70,220 रु० की राशि को डेबिट किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा अगस्त, 1973 में इस गलती को ध्यान में लाए जाने पर, 8 लाख रु० के कम उद्घरण की राशि को सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा 6 दिसंबर, 1973 को वसूल कर लिया गया।

(ii) उसी सीमाशुल्क कार्यालय में अगस्त, 1972 में निकसित माल के निर्धार्य मूल्य को एक आगम-पत्र में गलती से 58,961 रु० के बजाय 5,896 रु० ले लिया गया। इसके फलस्वरूप 17,246 रु० के शुल्क का कम उद्घरण हुआ। सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा इस कम उद्घरण की फरवरी, 1973 में वसूली की गई।

8. अधिनिर्धारण के भास्मले

(i) जनवरी, 1962 में आयातित विरचित (स्ट्रक्चर) लोहे और इस्पात के ढांचों के परेण्यों पर सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ की मद संख्या 63(36) के साथ पठित मद संख्या 63(9) के अन्तर्गत 5 प्रतिशत यथामूल्य सहित 60 रु० प्रति मीटरी टन की दर से तथा 39.35 रु० प्रति "मीटरी टन सहित 5 प्रतिशत यथामूल्य के प्रतिलाभ शुल्क की दर से शुल्क सही रूप से निर्धारित नहीं किया गया था। यदि मद संख्या 63(9) के अन्तर्गत माल को सही रूप से वर्गीकृत किया जाता तो शुल्क का उद्घरण केवल 59.10 रु० प्रति मीटरी टन की दर पर होता।

लेखा परीक्षा द्वारा अक्टूबर, 1970 में (गलती) ध्यान में लाए जाने पर, सीमाशुल्क कार्यालय ने स्वीकार किया कि 87,758 रु० के शुल्क का अधि-निर्धारण किया गया था और इस राशि को संबंधित पार्टी को मार्च, 1972 में वापस कर दिया।

(ii) अभ्रक (माइका) के निर्यात पर 40 प्रतिशत यथामूल्य की दर से (मूल) निर्यात शुल्क के अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत यथामूल्य की दर से एक उपकर भी उद्घात होता है।

जहां शुल्क या उपकर का उद्घरण यथामूल्य होता है, वहां निर्धार्य मूल्य को संविदागत कीमतों में सम्मिलित शुल्क के किसी भी भाग को घटाकर निर्धारण करना अपेक्षित होता है।

भारत सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27 जून, 1966 में अभ्रक (माइका) की कुछ शेणियों के 1 जुलाई, 1966 से प्रभावी निर्यात मूल्यों को निश्चित किया। सरकार ने सीमाशुल्क के कलकटरों को भी तार द्वारा 1 जुलाई, 1966 को सूचित किया कि इन कीमतों में उद्घात उपकर सम्मिलित है।

तथापि एक पत्तन में अध्रक (माइका) पर मूल नियांत शुल्क उपकर के भाग को बढ़ाए विना सरकार द्वारा नियत मूल्य पर लगाया गया था। परिणामतः निर्धारण के लिए अपनाया गया मूल्य उच्चतर था और इसके फलस्वरूप 97,929 ₹ का अधिनिर्धारण हुआ।

अन्य रुचिकर विषय

9. (क) मांग की गलत वापसी के कारण राजस्व की हानि

नवम्बर, 1969 में आयातित “विटोन बी” जो कि प्रलेखों में ‘प्लूओ कार्बन इलास्टोमर के रूप में’ प्रवर्धित किया गया था, को संशिलिष्ट रबड़ के रूप में वर्गीकृत किया गया जिससे वह भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ़ की मद संख्या 39 के अन्तर्गत आता है और उस पर 27.5 प्रतिशत यथामूल्य के अनुसार सीमा-शुल्क का निर्धारण किया गया था। सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा इस वर्गीकरण पर अपना निर्णय रसायन परीक्षक द्वारा उत्पाद के एक नमूना के परीक्षण करने के पश्चात् लिया गया। रसायन परीक्षक ने अपनी दिसम्बर, 1969 की रिपोर्ट में बताया था कि नमूना एक संशिलिष्ट बहुलक (पालिमर) था और इसके वास्तविक प्रयोग का पता लगाया जाए। उसने इस बात का भी उल्लेख किया कि तकनीकी संबंधी पुस्तकों के संशिलिष्ट रबड़ के अध्याय में इस माल की गणना की गई थी।

सीमाशुल्क कार्यालय के आन्तरिक लेखा परीक्षा (दल) द्वारा आगम-पत्र की लेखा परीक्षा करते समय इस माल का वर्गीकरण टैरिफ़ की मद संख्या 87 के अन्तर्गत करने के लिए अप्रैल, 1970 में सुझाव दिया गया व्योकि परीक्षण रिपोर्ट में नमूने को संशिलिष्ट बहुलक के रूप में दर्शाया गया था। आयातकर्ता को 17,396 ₹ का एक मांग नोटिस मई, 1970 में जारी किया गया था और रसायन परीक्षक का मत पुनः लिया गया। तथापि मांग नोटिस के प्रत्युत्तर में आयातकर्ता ने मांग को आवृत्तित करने के लिए जून, 1970 में अनुरोध किया क्योंकि वह पूर्तिकारों से रक्षा संबंधी व्यौरे प्राप्त करने की व्यवस्था कर रहा था। इसी बीच रसायन परीक्षक ने जुलाई, 1970 में बताया कि माल को संशिलिष्ट रबड़ के रूप में समझा जाना चाहिए।

किन्तु रसायन परीक्षक की द्वितीय अवसर पर रिपोर्ट तकनीकी संलेखों में प्राप्य सूचना पर आधारित थी न कि किसी नए रासायनिक विश्लेषण पर।

सीमाशुल्क कार्यालय ने माल का संशिलिष्ट रबड़ के रूप में वर्गीकरण करने का निर्णय किया और मांग नोटिस की वापसी का सितम्बर, 1970 में आदेश दिया। मांग की वापसी के कारण सरकार को 17,396 ₹ के राजस्व की हानि हुई।

मामले के तथ्यों को स्वीकार करते हुए मन्त्रालय ने बताया है कि ऐसे मामलों में सामान्य क्रियाविधि के अनुसार मांग को वापस लिया गया था। मन्त्रालय ने आगे बताया है कि उत्पाद के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रबड़ उद्योग संस्था (इंडियन रबड़ इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन) से प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, उत्पाद का प्लास्टिक के रूप में वर्गीकरण करने का अन्तिम रूप से निर्णय किया गया है।

(ख) वायु टरबाइन इंधन (एयर टरबाइन फ्लूअल) के लिए सीमाशुल्क और चुंगी वापसी का नियटान न किया जाना

इंडियन एयर लाइन्स के वायुयान विदेशी उड़ानों भी भरते हैं। जब ऐसे वायुयान विदेश की ओर जाते हैं तो उनके भंडार में रखे तेल पर प्रदत्त शुल्क, चुंगी वापसी के रूप में वापस करने योग्य होता है, उसी प्रकार जब वायुयान विदेशी उड़ानों से वापस आते हैं तो उनके पास वचे हुए तेल पर सीमाशुल्क प्रभारित किया जाता है। इस प्रकार के उद्घरण और फिरती वापसियों को सरल करने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल, 1971 में एक क्रियाविधि लागू की जिससे वायुयानों के पास आयातित और निर्यातित तेल को प्रत्येक मात्रा के आधार पर प्रतिसंतुलन किया जा सकता था। समायोजन प्रत्येक पत्तन पर मासिक आधार पर किया जाना अपेक्षित था। अधिक या कम मात्राएं भविष्य की मात्राओं के प्रति समायोजन हेतु अग्रेनीत की जानी थी। इस क्रियाविधि में पूर्व लम्बित मामलों का भी नियटान उन्हीं पद्धतियों पर करने की व्यवस्था की गई थी।

एक हवाई ग्रहे पर सीमाशुल्क कार्यालय ने इस क्रियाविधि को इस कारण से लागू नहीं किया कि यहां से उड़ान भरने वाले वायुयान आयातित तेल का प्रयोग नहीं करते अपितु केवल देशज इंधन का प्रयोग करते हैं यद्यपि देशज इंधन तेल के निर्यात पर भी प्रदत्त उत्पाद शुल्क की वापसी स्वीकार्य है। इसके फलस्वरूप किसी भी प्रतिसंतुलन की अनुसत्ति नहीं दी गई। सीमा प्राधिकारियों ने वायुयानों की विदेशी उड़ानों से उनकी वापसी यात्रा पर अपने साथ लाए गए तेल के लिए मांग भी जारी करनी आरम्भ कर दी। सीमाशुल्क की बकाया राशि मई, 1973 तक 14,72,862 रु० थीं जिसमें से हवाई कम्पनी को अब तक 13,77,666 रु० की मांगें जारी की गई थीं (फरवरी, 1974)। ऐसा बताया गया है कि एयर लाइन्स ने मांग की गई शुल्कों की अदायगी नहीं की है।

10. सवारी प्रभारों की अनियमित अदायगी

समयोपरि भत्ते से संबंधित नियमों के अनुसार समयोपरि कार्य करने वाले किसी भी कर्मचारी को समयोपरि भत्ते के अतिरिक्त किसी भी पारिश्रमिक की अदायगी नहीं की जानी चाहिए। एक पत्तन पर समयोपरि काम (झूटी) पर तैनात किए गए सीमाशुल्क अधिकारियों को नियमों के अनुसार परिकलित समयोपरि भत्ते के अतिरिक्त व्यापारियों से राशि

संग्रहण करके प्रत्येक अवसर पर 6 रु० की एक समान दर सवारी प्रभारों की अदायगी की गई थी। इन राशियों की वसूली और संवितरण को सरकारी लेखाओं में नहीं दर्शया गया था। जब लेखापरीक्षा द्वारा इस अदायगी के लिए आपत्ति की गई तो विभाग ने इस अदायगी को इस आधार पर न्यायोचित बताया कि वित्त मंत्रालय ने जून, 1961 में यह नियम बनाया था कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को उसके निवास स्थान से समयोपरि कार्य करने के लिए बुलाया जाएगा तो उसको वाहन प्रभारों की अदायगी पर कोई आपत्ति नहीं होगी और ध्यान में लाए गए मामलों में सवारी प्रभार उस समय व्यापारियों से संग्रहीत और अधिकारियों को अदा किए गए थे जबकि समयोपरि कार्य कार्यालय-घंटों के क्रम में या अवकाश के दिनों में नहीं किया गया था।

मंत्रालय द्वारा जून, 1961 में जारी किए गए आदेश समयोपरि नियमावली, 1968 के प्रभावी हो जाने पर लागू नहीं होते हैं। इस सम्बन्ध में केवल सवारी प्रभारों के रूप में अतिरिक्त अदायगी को उस समय स्वीकार्य बनाया जा सकता था जब संशोधन आदेश 16 जुलाई, 1972 में जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त 1972 के आदेशों के आधार पर भी इन मामलों में सवारी प्रभारों की स्वीकार्यता कर्मचारियों को उनके निवास स्थान से समयोपरि कार्य करने के लिए बुलाने के अभिलिखित प्रमाण के अभाव में संदेह-पूर्ण है। अधिकतम मामलों में ऐसा देखने में आया कि कार्यालय के बन्द होने के समय और समयोपरि कार्य के प्रारम्भ होने के बीच में केवल 15 मिनट का अन्तराल था।

इस प्रकार अप्रैल, 1968 से मार्च, 1971 की अवधि के दौरान संग्रहीत और अदा किए गए सवारी प्रभारों की राशि लगभग 1,00,534 रु० थी, वाद की अवधि के लिए संग्रहीत और अदा की गई राशियों के विवरणों का पता लगाया जा रहा है।

11. सामान के पुनर्नियति फार्मों का मिलान न किया जाना

पर्यटक सामान नियमावली, 1958 के अन्तर्गत किसी पर्यटक द्वारा अपने साथ अधिक मूल्य की वस्तुओं को निःशुल्क लाए जाने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि वह एक लिखित आश्वासन, देश को छोड़ने पर वह उनका भारत से पुनर्नियति करेगा और उसके ऐसा न करने पर वह उन पर (वस्तुओं पर) उद्ग्राह्य सीमाशुल्क (और अर्थदण्ड) की अदायगी करेगा, नहीं देता है। इस प्रयोजन हेतु अधिक मूल्य की वस्तुओं की सामान पुनर्नियति (टी० बी० आर०) फार्म, जिसकी एक प्रतिलिपि पर्यटक को उसके द्वारा भारत से प्रस्थान के पत्तन पर अध्यर्थित करने के लिए जारी की जाती है, में प्रवृष्टि की जाती है। प्रस्थान करने वाले पर्यटकों से लिए गए इन पुनर्नियति फार्मों का जारी करने वाले पत्तन को मिलान करने के लिए लौटाया जाना अपेक्षित है जिससे यह निश्चित हो सके कि अधिक मूल्य की वस्तुओं का ठीक प्रकार से पुनर्नियति किया गया है और इनका निपटान पर्यटक द्वारा भारत में नहीं किया गया है। यदि इन फार्मों का ऐसा मिलान नहीं किया जाता तो यह प्रयोजन ही विफल हो जाता है।

राजस्व प्राप्तियां (सिविल) की लेखापरीक्षा, रिपोर्ट, 1967 के पैरा 21 में 1964 के मध्य तक प्राप्य सूचना के अनुसार चार सीमाशुल्क कार्यालयों में इन नियमों के असन्तोषजनक कार्यान्वयन संबंधी स्थिति पर टीकाटिप्पणी की गई थी। तब मंत्रालय ने बताया था कि फार्मों की लेखाविधि के सुधार हेतु लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और आशा है कि बाद के वर्षों में पर्याप्त सुधार हो जाएगा।

तथापि, ऐसा देखते में आया कि एक मुख्य हवाई पत्तन पर 1961 से जून, 1973 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए 7,429 पर्यटक सामान पुनर्निर्यात फार्मों का अभी मिलान नहीं किया गया है। 1972 से पूर्व जारी किए गए फार्मों की परिधि में आने वाले सामान का नकदी में मूल्य एवं उद्ग्राह्य शुल्क भी अभिलिखित नहीं था। केवल 1972 में जारी किए गए किन्तु मिलान न किए गए टी० बी० आर० फार्मों के संबंध में अनुमानित मूल्य और शुल्क प्रभाव क्रमशः 16,20,114 ₹ और 17,82,126 ₹ के थे।

12. एक गारंटी का गलत अभित्याग (रिलीज)

कालीमिर्च पर 30 प्रतिशत यथामूल्य की दर से निर्यात शुल्क निर्धार्य है। तथापि मई, 1964 की अविसूचना द्वारा कालीमिर्च को उद्ग्राह्य निर्यात शुल्क से छूट दे दी गई थी। एक कम्पनी द्वारा विकृत की गई (गार्डलड) काली मिर्च की 10 टन भार की 160 बोरियों का जनवरी, 1965 में निर्यात किया गया। पोत लदान के समय मूल संविदाएं उपलब्ध न होने के कारण पार्टी को दो मास के भीतर मूल संविदायें प्रस्तुत करने के लिए सहमत कर लेने पर एक गारंटी निष्पादित करने के लिए कहा गया। इस गारंटी के निष्पादन हो जाने पर निर्यात की अनुमति दे दी गई थी।

इसके पश्चात् संविदाओं की जांच-पड़ताल करने पर, सीमाशुल्क कार्यालय ने अनुभव किया कि माल की अधिक दरें लगाई गई थीं। सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा इस मामले की भारत के रिजर्व बैंक को भी मार्च, 1965 में सूचना दे दी गयी थी। फिर भी, सीमाशुल्क कार्यालय ने गारंटी का इस आधार पर अभित्याग (रिलीज) कर दिया कि गारंटी केवल संविदाओं के प्रस्तुतीकरण के लिए थी न कि मूल्यों को सही करने के लिए। तथापि अधिक बीजक तैयार करने के लिए पार्टी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का पता नहीं लगा है।

13. पुर्तगाल के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध के होते हुए भी उस देश से आयात

भारत सरकार द्वारा समस्त सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्ताद शुल्क कलक्टरों को सम्बोधित किए गए एक पत्र दिनांक 6 दिसम्बर, 1966 में निर्देश दिए गए कि पुर्तगाल के साथ व्यापार का बहिष्कार करने हेतु आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम के अध्यधीन एक ओपनारिक अधिसूचना के जारी होने तक पुर्तगाल के साथ व्यापार को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए।

जहाजों की फाइलों की लेखा-परीक्षा के दौरान ऐसा देखने में आया कि जहाज 'टबोर' एक पत्तन पर दिसम्बर, 1966 में पहुंचा। लिजवन (पुर्तगाल) पर नवम्बर, 1966 में जहाज पर लदान किए गए 78,146 रु० के मूल्य के माल के आयात से संबंधित दो आगम-पत्र सीमा शुल्क कार्यालय में दिए गए और माल की 21 और 23 दिसम्बर, 1966 को निकासी की गई।

भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध के होते हुए भी माल की अनियमित निकासी पर लेखा-परीक्षा द्वारा आपत्ति उठाई गई। किर भी, सीमाशुल्क कार्यालय का यह मत था कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी अनुदेश सरकार द्वारा घोषित एक प्रतिबन्ध के रूप में नहीं माने जा जा सकते हैं और क्योंकि पुर्तगाल के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने का आदेश आयात व्यापार नियंत्रण आदेश 9/67 (सरकारी नोटिस 135/67) जारी करके केवल अगस्त, 1967 में ही जारी किया गया था, अतः इन मामलों में की गई निकासी नियमानुकूल थी। इसके अतिरिक्त सीमाशुल्क कार्यालय ने यह तर्क दिया कि क्योंकि वैध लाइसेंस जारी किए गए थे, अतः भारत के रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषणों का नियंत्रण करने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए थी और सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा भारत के रिजर्व बैंक को सूचना भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मंत्रालय ने प्रत्युत्तर में कहा कि सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निकासी की अनुमति न देना उनके अधिकार बैंक में नहीं है और आयातों को अनुमति न देने का उत्तरदायित्व भारत के रिजर्व बैंक का है न कि सीमाशुल्क कार्यालय का।

14. सीमाशुल्क राजस्व की छूट और परित्याग *

(i) 1972-73 के दौरान माफ की गई, बटे खाते डाली गई या परित्याग की गई सीमाशुल्क राजस्व की कुल राशि 12,19,636 रु० थी।

तीन वर्षों के दौरान तदनुरूपी राशियाँ निम्न प्रकार थीं :—

1

2

रु०

1969-70	25,98,305
1970-71	15,35,045
1971-72	24,76,649

* वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े।

(ii) वर्ष 1972-73 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) के अध्यधीन कुल 315 मामलों में छूट दी गई। जिनमें अंतर्ग्रस्त राजस्व *2,41,69,25,212 रु० था। इनमें से *148 मामलों में जहाँ प्रत्येक मामले में 10,000 रु० से अधिक की छूटें अन्तर्ग्रस्त थीं, कुल *2,41,65,05,019 रु० के राजस्व की हानि हुई।

15. सीमा शुल्क की बकाया राशि ‡

31 मार्च, 1973 तक की अवधि के लिए वसूल न किए गए बकाया उत्पाद शुल्क की कुल राशि 31 अक्टूबर, 1973 को 59.10 लाख रु० थी जबकि यह पिछले वर्ष में तदनुरूपी अवधि के लिए 87.10 लाख रु० थी। इसमें से एक वर्ष से अधिक के 53.39 लाख रु० बकाया है।

इसके अतिरिक्त विभाग ने उन मामलों में जिनमें मांगे कालातीत हो गई हैं, 12.71 लाख रु० की राशि के सीमाशुल्क की स्वेच्छा से अदायगी के लिए अनुरोध किया है। इस राशि की वसूली लंबित है।

‡ वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े।

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

अध्याय II

संघ उत्पाद शुल्क

16. वर्ष 1972-73 के दौरान संघ उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियां 2,324.25 करोड़ रु० की थीं। वस्तुओं की तदनुरूपी संख्या सहित पिछले पांच वर्षों की प्राप्तियां, जिन पर उत्पाद शुल्क उद्घाट्य था, नीचे दर्शाई गई हैं :—

वर्ष	संघ उत्पाद शुल्क वस्तुओं की संख्या के अन्तर्गत होने जिनपर उत्पाद वाली प्राप्तियां शुल्क उद्घाट्य (करोड़ स्पयों में) था	
1968-69	1320.67	76
1969-70	1524.31	81
1970-71	1791.44	91
1971-72	2061.10	116
1972-73	2324.25	120*

1971-72 के तदनुरूपी आंकड़ों सहित 1972-73 की प्राप्तियों का व्योरा नीचे दिया गया है :—

लेखा श्री०	1971-72 के लिए वास्तविक आंकड़े	1972-73 के लिए वास्तविक आंकड़े
सू. ०		रु०
II. संघ उत्पाद शुल्क		
क. प्रभाज्य शुल्क		
मूल उत्पाद		
शुल्क	17,05,09,88,549	19,81,12,34,844
खनिज उत्पादों पर अतिरिक्त		
उत्पाद शुल्क	1,19,81,88,489	1,29,00,753
जोड़ (क)	18,24,91,77,038	21,11,02,82,597

* इसमें संसद में 28 फरवरी 1973, को प्रस्तुत किए गए वित्त विल 1973 में किए गए परिवर्तन सम्मिलित नहीं हैं।

लेखा शीर्ष	1971-72 के लिए वास्तविक आंकड़े	1972-73 के लिए वास्तविक आंकड़े
ख. राज्यों को समनुदेशित शुल्क- विक्री कर के एवज में अति- रिक्त उत्पाद शुल्क	1,05,51,47,611	1,43,47,96,577
ग. अप्रभाज्य शुल्क— विनियामक उत्पाद शुल्क	17,79,16,182	52,56,13,419
विशेष उत्पाद शुल्क	1,16,98,46,522	87,02,287
अन्य शुल्क	76,45,899	9,89,08,520
समाचार-पत्र और अन्य मुद्रित पत्रिकाएं	78,32,917	4,05,41,093
उत्पाद के सहायक शुल्क		8,28,92,527
जोड़ (ग)	1,36,32,41,520	75,66,57,846
घ. वस्तुओं पर उपकर	29,47,78,409	34,12,48,204
इ. विविध	1,75,54,245	4,42,92,530
सकल प्राप्तियां	20,97,98,823	23,68,72,77,754
च. घटाएं—वापसियां और चुंगी वापसियां		
क. प्रभाज्य शुल्क		
1. मूल उत्पाद शुल्क	— 13,97,37,271	— 16,38,39,785
2. खनिज उत्पादों पर अति- रिक्त उत्पाद शुल्क	— 2,52,648	— 10,926
जोड़ (क) (वापसियां इत्यादि)	— 13,99,89,919	— 16,38,50,711

लेखा शीर्ष	1971-72 के लिए वास्तविक आंकड़े	1972-73 के लिए वास्तविक आंकड़े
ख. राज्यों को समनुदेशित शुल्क- बिक्री कर के एवज में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क :	— 26,15,041	— 78,17,185
ग—अप्रभाज्य शुल्क अर्थात् विनियामक उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क	— 43,05,768	— 72,28,380
घ—वस्तुओं पर उपकर	— 5,10,013	— 4,71,980
ड.—विविध	— 22,15,09,176	— 26,53,87,762
कुल वापसियां और चूंगी वापसियां	— 36,89,29,917	— 44,47,56,018
निवल प्राप्तियां	20,61,09,68,906	23,24,25,21,736

120 वस्तुओं में से जिनपर शुल्कों को लगाया गया था निम्न सात वस्तुओं में कुल प्राप्तियों की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक की प्राप्तियां हुईं:—

(करोड़ रु० में)

जोड

1,275,99

17. बजट प्रावकलनों और वास्तविक आंकड़ों में विभिन्नता

वर्ष 1972-73 के लिए बजट के आंकड़े, वास्तविक वसूलियां और विभिन्नताएं पिछले तीन वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों सहित नीचे दर्शाई गई हैं:—

(करोड़ ₹० में)

वर्ष	बजट प्रावकलन	वास्तविक आंकड़े	विभिन्नता	प्रतिशतता
1969-70	1521.27	1524.31	3.04	0.20
1970-71.	1812.75	1758.55	--54.20	--2.99
1971-72.	2071.56	2061.10	--10.46	--0.5
1972-73.	2464.75	2324.25	--140.50	--5.7

18. संग्रहण को लागत

वर्ष 1972-73 के दौरान संघ उत्पाद शुल्क के राजस्व के संग्रहण हेतु किया गया व्यय पिछले तीन वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों सहित नीचे दर्शाया गया है:—

(करोड़ ₹० में)

वर्ष	संग्रहण	संग्रहणों पर किया गया व्यय
1969-70.	1524.31	12.78
1970-71.	1758.55	14.34
1971-72.	2061.80	15.57
1972-73.	2324.32	16.91

उत्पाद देय वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फैक्टरियों और विभाग के प्रलेखों की नमूना लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न वस्तुओं के अन्तर्गत राजस्व के कम निधारिण/हानियों का पता लगा। राजस्व के ऐसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रव-निधारिण/हानियों का नीचे के पैराओं में उल्लेख किया गया है।

चीनी (टैरिफ मद I)

19. चीनी पर छूट योजना—अधिक छूट की अनुमति

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मद संख्या I के अन्तर्गत खांडसारी और पनईताड़ (पैलमाइर) से इतर चीनी उत्पाद शुल्क-देय होती है। 1 मार्च, 1969 तक चीनी के लिए शुल्क की दर, चीनी के भार के संदर्भ में विनिर्दिष्ट थी। इसके पश्चात् यह यथामूल्य के आधार पर परिवर्तित कर दी गई थी। शुल्क की दर (1972) यथामूल्य 30 प्रतिशत (मूल शुल्क) और 7.5 प्रतिशत यथामूल्य (अतिरिक्त शुल्क) है, इस प्रकार से कुल मिलाकर शुल्क की दर 37.5 प्रतिशत है।

तथापि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 8 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने शुल्क की प्रभावी दरों को 24 प्रतिशत यथामूल्य (मूल) और 6 प्रतिशत यथामूल्य (अतिरिक्त) एवं इस प्रकार कुल मिलाकर 30 प्रतिशत यथामूल्य नियत कर दिया था। उद्ग्रहण-चीनी के संबन्ध में यह (दर) (जिनके वितरण और मूल्य आवण्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अध्यधीन विनियमित कर दिए गए थे) 20 प्रतिशत यथामूल्य (मूल शुल्क) और 6 प्रतिशत यथामूल्य (अतिरिक्त शुल्क) एवं इस प्रकार 1 दिसम्बर 1972 से कुल मिलाकर 26 प्रतिशत तक कर दी गई। खुली विक्रीवाली चीनी के संबन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर नियत टैरिफ मूल्यों के आधार पर शुल्क निर्धारण किया जाता है। 1972-73 में प्रचलित टैरिफ मूल्य निम्न प्रकार थे:—

अप्रैल 1972 के लिए 1900 रु० प्रति मीटरी टन, मई 1972 के लिए 2000 रु० प्रति मीटरी टन और जून, 1972 के लिए 2100 रु० प्रति मीटरी टन।

1 जुलाई 1972 से 31 अगस्त, 1972 तक के लिए 2100 रु० प्रति मीटरी टन।

1 सितम्बर 1972 से 30 नवम्बर, 1972 तक के लिए 2350 रु० प्रति मीटरी टन।

1 दिसम्बर, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक के लिए 2750 रु० प्रति मीटरी टन।

जैसा कि ऊपर बताया गया है शुल्क की भानक दर को कम करने के अतिरिक्त सरकार ने चीनी के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट की योजना को भी आरम्भ किया है। सर्वप्रथम यह योजना 25 जून, 1960 में एक अधिसूचना के जारी किए जाने पर 1960 में आरम्भ की गई थी जिसके अनुसार पहली नवम्बर, 1959 से 31 अक्टूबर, 1960 तक की अवधि के दौरान एक फैक्टरी में उत्पादित पिठ्ले दो वर्षों के दौरान चीनी के औसत उत्पादन से अधिक चीनी पर 11.07 रु० प्रति विवर्णित की छूट दी गई थी। वर्ष 1961-62, 1962-63, 1968-69 और 1970-71 को छोड़कर उस समय से उत्पाद शुल्क की छूट योजना प्रचलन में है। उन वर्षों के

संबन्ध में जबकि योजना प्रचलन में थी, छूट देने के लिए अपनाया गया आधार, पिछले वर्षों की तदनुरूपी अवधियों में किए गए उत्पादन से अधिक उत्पादित चीनी को मान लिया गया था। तथापि वर्ष 1967-68 और 1971-72 के लिए छूट पिछले वर्ष के उत्पादन के 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादित चीनी पर स्वीकृत की गई थी।

छूट की योजना का पुनरीक्षण किया गया और इसमें 1972-73 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए :—

	प्रति मीटरी टन छूट की सीमा	देव शुल्क की प्रति- शतता के रूप में
(i) 1971 की तदनुरूपी अवधि के दौरान किए गए उत्पादन के प्रति 1 अक्टूबर, 1972 से 30 नवम्बर 1972 तक के दौरान अधिक उत्पादित चीनी	400	100 प्रतिशत
(ii) 1971-72 की तदनुरूपी अवधि के दौरान किए गए उत्पादन के 115 प्रतिशत से अधिक के उत्पादन के प्रति 1 दिसम्बर, 1972 से 30 अप्रैल, 1973 तक के दौरान उत्पादित चीनी	200	50 प्रतिशत
(iii) 1972 की तदनुरूपी अवधि के दौरान किए गए उत्पादन के प्रति 1 मई, 1973 से 30 जून, 1973 तक के दौरान अधिक उत्पादित चीनी	300	75 प्रतिशत
(iv) 1972 की तदनुरूपी अवधि के दौरान किए गए उत्पादन के प्रति 1 जुलाई, 1973 से 30 सितम्बर, 1973 तक की अवधि के दौरान अधिक उत्पादित चीनी	200	50 प्रतिशत

छूट की विभिन्न राज्यों का मूलाधार (रैशनल) यह प्रतीत होता है कि अक्टूबर और नवम्बर के मासों में गन्ना पेराई (कृषिंग) केवल कुछ ही राज्यों में की जा रही थी और अतः अन्य राज्यों को शीघ्र पेराई आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन देना आवश्यक था। इसी प्रकार मई से सितम्बर तक की अवधि के लिए ऐसा विचार किया गया है कि गन्ने की फसल की कम मात्रा और किस्म को दृष्टिकोण में रखते हुए अतिरिक्त पेराई को प्रोत्साहन देने के लिए अधिक छूट देना आवश्यक होगा। दिसम्बर से अप्रैल तक सामान्य पेराई की वृद्धि होने के कारण ऐसा आवश्यक समझा गया कि जहां पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में उत्पादित चीनी के प्रति 115 प्रतिशत से अधिक चीनी का उत्पादन बढ़ गया हो वहां ऐसा अधिक उत्पादन, देव शुल्क के 50 प्रतिशत की दर से रियायत दिए जाने योग्य होगा।

छूट की मात्रा को उद्ग्रहीत (लेवी) चीनी और खुली विक्री वाली चीनी के मूल्यों की ओसत निकाल कर जिसमें उद्ग्रहीत चीनी 1350 रु० प्रति मीटरी टन और खुली विक्री-वाली चीनी 2350 रु० और 2500 रु० प्रति मीटरी टन के बीच में टैरिफ मूल्यों पर ली गई थी, शुल्क की प्रभावी दर के आधार पर परिकलित किया गया था। खुली विक्री-वाली चीनी का उद्ग्रहीत चीनी से अनुपात 30 : 70 माना गया था।

उद्ग्रहीत चीनी और खुली विक्रीवाली चीनी के मूल्यों की ओसत निकालने से उद्ग्रहीत चीनी के संबन्ध में अधिक उत्पादन पर कुल देय शुल्क से छूट की अधिक अदायगी हुई। यह छूट 1350 रु० प्रति मीटरी टन के ओसत उद्ग्रहीत चीनी मूल्य के आधार 30 नवम्बर 1972 तक 76 रु० प्रति मीटरी टन और 1 दिसम्बर, 1972 से 130 रु० प्रति मीटरी टन निकली। इस प्रकार उद्ग्रहीत चीनी, जो अधिक उत्पादित की गई थी के संबन्ध में, चीनी की फैक्टरियों ने शुल्क अदा करने की बजाय, उपर्युक्त दरों पर निवल आर्थिक सहायता प्राप्त की। नमूना लेखापरीक्षा की गई दो केन्द्रीय उत्पाद फैक्टरियों की 33 फैक्टरियों में एसी अधिक छूट की राशि 76 : 60 लाख रु० थी।

खुली विक्रीवाली चीनी के संबन्ध में भी, समय-समय पर 2350 रु० और 2750 रु० के बीच नियत किया गया टैरिफ मूल्य बदलता रहा जोकि प्रचलित थोक मूल्यों से बहुत कम था और इसके फलस्वरूप टैरिफ मूल्य के आधार पर किए गए शुल्क निर्धारण से शुल्क की कम वसूली हुई।

ऐसा देखने में आएगा कि छूट देने की सम्पूर्ण योजना का उद्देश्य यह था कि फैक्टरियां गन्ना उत्पादकों को राज्य सरकारों द्वारा नियत किए गए मूल्य से अधिक मूल्य दे सके। तथापि ऐसी कोई आधार नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि इस उद्देश्य में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है और गन्ना उत्पादकों को सरकार से प्राप्त छूट का लाभ किस सीमा तक दिया गया है।

20. अधिक छूट का दिया जाना

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित 1971-72 वर्ष के लिए चीनी पर छूट की योजना में अक्टूबर और नवम्बर 1971 में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में उत्पादित मात्रा के 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादित चीनी की मात्रा पर उत्पाद शुल्क में 170 रु० प्रति मीटरी टन की छूट का प्राधिकार दिया गया था। दिसम्बर 1971 से सितम्बर, 1972 तक के शेष वर्ष के लिए शुल्क में दी गई समान छूट 160 रु० प्रति टन थी।

आधार वर्ष की तदनुसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन उस वर्ष के दौरान 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादन पर स्वीकार्य छूट का परिकलन करने को बजाए 15 फरवरी, 1972 से 31 अगस्त, 1972 तक को अवधि के दौरान निकाली गई चीनी के आधार पर दी गई। क्योंकि इस अवधि के दौरान हुई निकासियों में आधार वर्ष में उत्पादित चीनी की कुछ मात्रा सम्मिलित थी अतः छूट देने के इस तरीके के फलस्वरूप फैक्टरी को (छूट की) अधिक राशि मंजूर की गई। पुनः 1 अक्टूबर, 1972 से 23 अक्टूबर, 1972 के दौरान चीनी की निकासियों पर प्रत्येक शुल्क भुगतान प्रलेख [द्वार पत (गेट-पास)] से प्रति विवरण 16 रु० कम करके और अधिक छूट दी गई थी। यह अनियमित था और इसके कारण और अधिक छूट दे दी गई।

मंत्रालय ने बताया है कि फैक्टरी को दी गई अधिक छूट की 1,47,353 रु० की राशि की वसूली करली गई थी। यह अनियमितता अधिसूचना के गलत अर्थ लगाए जाने के कारण हुई बताई गई है।

खनिज तेल (टैरिफ मद 6 से 11 ग)

21. एक तेल कम्पनी हारा प्राप्त किए गए आकस्मिक लाभ

लोक लेखा समिति ने अपनी 72 वीं रिपोर्ट (चौथी लोक सभा) के पैरा 2.29 में बजट पूर्व शुल्क की अनिश्चितता के कारण उत्पाद शुल्क देय माल की निकासी पर नियंत्रण हेतु कुछ सुझाव दिए ताकि बढ़े हुए शुल्क की अदायगी से बचा न जा सके। मंत्रालय ने इस पर कुछ कठिनाइयां व्यक्त की और इन सिकारिशों को केन्द्रीय उत्पाद विल की प्रवर-समिति के समक्ष रखने का बचन दिया।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों में यह सुविधा दी गई है कि तेल के स्वीकृत प्रतिष्ठापनों पर संचित करने के लिए खनिज तेलों को शुल्क अदा करके अंतिम रूप से हटाए जाने तक शुल्क की अदायगी के बिना ने जाया जा सकता है। ऐसे तेल प्रतिष्ठानों पर स्थित टंकियां जिनमें खनिज तेलों को संचित किया जाता है, को इन कार्यों के लिए प्रतिभूत किया जाता है। यदि किसी टंकी में भरे हुए तेल पर पूरे शुल्क की अदायगी कर दी जाती है तो टंकी को प्रतिभूति से मुक्त किया जा सकता है।

एक तेल कम्पनी ने इस आधार पर कि पाइप-लाइनों को पुनः ठीक ढंग से रखने (रिग्लाइनमेंट) के लिए शोध खाली किए जाने की आवश्यकता थी, मोटर स्प्रिट की एक टंकी और भट्ठी तेल की एक टंकी को प्रतिभूति से मुक्त करने की अनुमति नेने के लिए उत्पाद शुल्क के संबंधित कलेक्टर से 25 फरवरी, 1970 को अनुरोध किया। यह अनुमति दे दी गई और शुल्क की अदायगी किए जाने पर टंकी को प्रतिभूति से मुक्त कर दिया गया। किन्तु कम्पनी ने टंकियों को 16 मार्च, 1970 तक खाली नहीं

किया। इसी बीच 1970 के बजट में इन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया और तेल कम्पनी ने उत्पाद शुल्कों में 4,08 लाख रु० का अनभिप्रेत (अनइन्टेंडेड) आकस्मिक लाभ प्राप्त किया।

21 फरवरी, 1973 को उसी तेल कम्पनी ने उत्पाद प्राधिकारियों की स्वीकृति से मोटर स्प्रिट की एक टंकी को पुनः प्रतिभूति से मुक्त कराया और इसके बाद आनेवाले बजट में शुल्क की वृद्धि पर 39,568 रु० का लाभ प्राप्त किया।

22. शुल्क का न लगाया जाना

(क) मई, 1973 में जारी की गई अधिसूचना संख्या 74/63 के अनुसार टैरिफ मद संख्या 11-क के अन्तर्गत आनेवाले और परिष्करणशालाओं में उत्पादित मध्यवर्ती पैट्रोलियम उत्पाद, यदि वे परिष्करणशाला के अन्दर ईंधन के रूप में अन्य उत्पाद शुल्क देय उत्पादों के उत्पादन हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं तो उन्हें समस्त उत्पाद शुल्क से छूट दे दी जाती है।

इस अधिसूचना के आधार पर एक परिष्करणशाला में 'इन्टरमीडिएट विट्रूमैन' नामक एक पैट्रोलियम उत्पाद को जुलाई, 1965 से बिना शुल्क की आदायगी किए ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया गया था। बोर्ड ने मई, 1969 में स्पष्ट किया कि पैट्रोलियम तेलों (मध्यवर्ती उत्पादोंसहित) का वर्गीकरण केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ में निर्धारित विशिष्टियों/विवरणों के आधार पर किया जाना अपेक्षित था। इसके फलस्वरूप उपर्युक्त उत्पाद जोकि पहले टैरिफ मद संख्या 11-क के अन्तर्गत दिए गए विवरण के अनुरूप था, टैरिफ मद संख्या 11 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय था। किन्तु इस पर कोई शुल्क संग्रहीत नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 1 मई 1969 से 16 दिसम्बर 1970 तक 1,40,32,171 रु० के राजस्व की हानि हुई।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा 23 दिसम्बर, 1961 को जारी की गई एक अधिसूचना के आधार पर उर्वरकों के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाने वाला 'कच्चा नैफा', 5 प्रतिशत यथामूल्य की दर से उत्पाद शुल्क लगाने योग्य हो गया। 7 मई, 1971 से शुल्क की दर को परिवर्तित करके 15° सेंटीग्रेड पर 4,15 रु० प्रति किलोनिटर कर दिया गया। एक कलकटरी में एक लाइसेंसधारी द्वारा उर्वरकों के विनिर्माण हेतु दी गई "कच्चे नैफा" की मात्रा उस तेल की अनुसंशोधित भंडारण टंकी की नमन (डिप) नामों के स्थान पर टंकी बैगन नामों के आधार पर निर्धारित की गई जिसके फलस्वरूप नमन नाम के द्वारा सुनिश्चित की गई, अधिक दी गई मात्रा पर शुल्क नहीं लगाया गया। इस प्रकार 337-231 किलोनिटर (तेल) पर लगनेवाले कर से बचे शुल्क की राशि 1 अप्रैल, 1971 से 28 जनवरी, 1972 तक की अवधि के लिए 3,43,807 रु० थी।

लेखा-परीक्षा द्वारा राजस्व की इस हानि को मार्च, 1972 में ध्यान में लाए जाने पर, विभाग ने 30 मार्च, 1971 से 17 जुलाई, 1972 तक की अवधि के लिए 5,62,887 रु० की राशि के शुल्क की मांग का नोटिश लाइसेंसधारी को 9 नवम्बर, 1972 को जारी किया। यद्यपि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबन्धित सहायक कलक्टर द्वारा भंडारण टंकियों को नमन प्रणाली से नापने की बजाए टंकी वैगन माप के आधार पर शुल्क लगाने के मामले को कलक्टर के पास अगस्त 1971 में भेजा गया था किन्तु उसने स्पष्टीकरण केवल फरवरी, 1973 में दिया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च, 1974)।

23. शुल्क की अनियमित वापसी

शुल्क की दर में किसी भी परिवर्तन के फलस्वरूप अधिसूचना की तारीख से या उसके बाद की गई निकासियों के संबन्ध में जिसपर पिछली दर से शुल्क अदा किया गया था, या तो किसी राशि की मांग निकलती है या कोई राशि लौटानी होती है। नियमों के अन्तर्गत फैक्टरी या भांडागार से निकासी किए गए सामान पर उसके हटाए जाने की वास्तविक तारीख को लागू शुल्क ही प्रभार्य है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार (जिसको नियम 9-क के स्पष्टीकरण के रूप में नियमबद्ध किया गया है) वह सामान जिसपर शुल्क अदा कर दिया गया है और जिसका रेल वैगन या अन्य यान में लदान कर दिया गया है, उसको फैक्टरी या भांडागार से निकाला गया सामान समझा जाएगा चाहे उस सामान से लदा हुआ रेल वैगन या अन्य यान फैक्टरी के अहते में ही क्यों न खड़ा रहे। जून 1966, दिसम्बर, 1966, मार्च 1967 और अप्रैल, 1967 में जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा कुछ खनिज तेलों पर लगाए जानेवाले शुल्कों के संबन्ध में यथास्थिति शुल्क की दरों को कम करने या शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। एक कलक्टरी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत दो परिष्करणशालाओं में शुल्क अदा किए जाने के पश्चात् इन तेलों का रेलवे टंकी वैगनों और टंकी लारियों में लदान किया गया था। किन्तु इन वैगनों और लारियों को शुल्क में कमी करने की निर्णायक तागीखों से पहले प्रत्यक्ष रूप से हटाया नहीं गया था। तथापि टंकी वैगनों या लारियों के प्रत्यक्ष रूप से हटाए जाने की वास्तविक तारीख पर प्रबलित शुल्क की दरों को लागू करके इन मामलों में अक्तूबर और दिसम्बर, 1967 के बीच कुल 1,58,335 रु० की वापस अदायगियां संस्थीकृत की गई।

ये वापस अदायगियां अनियमित हैं क्योंकि शुल्क अदा कर दिए गए हैं और तेलों की कम दरों के लागू होने से पूर्व ही फैक्टरी के अहते से बाहर निकाल दिया गया समझा जाना चाहिए था।

24. शुल्क का कम लगाया जाना

दिसम्बर, 1967 में जारी की गई अधिसूचना द्वारा परिष्करणशालाओं से इतर फैक्टरियों में उत्पादित समस्त खनिज तेलों को यदि वे विशिष्ट वस्तुओं उनमें से एक प्लास्टिक्स हैं, के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने थे, शुल्क से पूरी छूट दी गई थी। उसी तारीख की एक अन्य अधिसूचना के द्वारा 'कच्चे नैपथ्य' को उसके परिष्करणशाला (रिफाइनरी) के रूप में घोषित स्थान में पैट्रोकैमिकल्स के विनिर्माण में प्रयोग के लिए 15° सेंटीग्रेड पर 4.15 रु० प्रति किलो लिटर की रियायती दर अनुमत की गई थी।

एक परिष्करणशाला (रिफाइनरी) ने अगस्त और सितम्बर, 1971 के दौरान अन्य लाइसेंस धारी को प्लास्टिक्स के विनिर्माण हेतु शुल्क की अदायगी के बिना कच्चे नैपथ्य की निकासी की। अक्टूबर, 1971 से शुल्क से मुक्त निकासियों को बन्द कर दिया गया। किन्तु 15° सेंटीग्रेड पर 4.15 रु० प्रति किलो लिटर की रियायती दर पर शुल्क अदा किए जाने पर निकासियां की गईं। किन्तु वे अहते जहां पर प्लास्टिक्स का विनिर्माण किया जा रहा था, परिष्करणशाला घोषित नहीं किये गये और इसलिए शुल्क की इस दर का लाभ उठाने की शर्त पूरी नहीं हुई थी। जब इस बात को लेखापरीक्षा द्वारा इधान में लाया गया तो विभाग ने अगस्त, 1971 से नवम्बर, 1971 के दौरान निकासी किए गए 12,83,764 किलो लिटर कच्चे नैपथ्य पर 11,78,133 रु० शुल्क की मांग सितम्बर, 1972 में की। मंत्रालय से इस पैरे के विषय में उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च, 1974)।

सोडा ऐश (ठैरिफ मद 14 क)

25. निम्नतर निर्धार्य मूल्य के अपनाने से अब-निर्धारण

सोडा ऐश पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, यथामूल्य आधार पर निर्धार्य है। भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार यदि कोई वस्तु निकटतम बाजार के लिए उत्पादन के स्थान पर पैकिंग के बिना बिक्री के लिए निकासी योग्य नहीं है तो पैकिंग की लागत निर्धार्य मूल्य में सम्मिलित की जानी चाहिए। किसी कलक्टरी की सोडा ऐश बनाने वाली एक फैक्टरी में लाइसेंस धारी द्वारा निर्धार्य मूल्य 20 दिसम्बर 1970 तक पैकिंग प्रभारों सहित घोषित किया गया था। इसके पश्चात लाइसेंसवारी ने पैकिंग छाप (ट्रेडमार्क) और सिलाई प्रभारों को निकाल दिया और घटाया हुआ मूल्य विभाग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। 21 दिसम्बर 1970 को और इसके पश्चात एक विरले मामले को छोड़कर सब बिक्रियां सोडा ऐश को बोरों में पैकिंग करके ही किया गया था और लाइसेंसधारी इस प्रकार के पैकिंग प्रभारों को ग्राहकों से वसूल कर रहा था। इसके फलस्वरूप निर्धार्य मूल्य से पैकिंग प्रभारों को निकाल देने से (शुल्क

का) अव-निर्धारण हो गया। लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए जाने पर विभाग ने लाइसेंसधारी के विरुद्ध 10,69,453 रु० की मांग जारी की। इसकी वसूली के ब्यौरे अभी तक प्रतीक्षिक हैं।

एकस्व (पेटेन्ट) या स्वामित्व वाली (प्रोप्राइटरी) औषधियां (टैरिफ नं 14ड)

26. गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि

24 अप्रैल, 1962 से सरकार ने “सीरा और टीका-द्रव्यों” (वैक्सिन्स) पर लगाए जाने वाले समस्त उत्पाद शुल्क की छूट दे दी।

एक विनिर्माता ने एक विशेष चिकित्सीय (धेरायूटिक) ‘प्रतिज्ञ’ (एन्टीजन) की टीका-द्रव्य (वैक्सीन) के रूप में शुल्क की अदायगी के बिना निकासी की। विभाग ने 7 वर्षों के बाद जून, 1969 में विनिर्माता से शुल्क की अदायगी के बिना निकासी के लिए उत्पाद की पात्रता के विषय में स्पष्टीकरण मांगा। विभाग ने भारत के औषधि नियन्त्रक को अप्रैल 1970 में पत्र भेजा जिसने नवम्बर, 1970 में परामर्श दिया कि वह उत्पाद टीका-द्रव्य (वैक्सीन) नहीं है। फिर भी विभाग के द्वारा शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्यवाही तब तक नहीं की गई जब तक कि लेखापरीक्षा द्वारा मई, 1971 में इसको ध्यान में नहीं लाया गया। इसके पश्चात् विनिर्माता को जून, 1971 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। क्योंकि लाइसेंसधारी, विभाग और औषधि नियन्त्रक के दृष्टिकोण से सहमत नहीं था अतः विभाग द्वारा मामले को पुनः औषधि नियन्त्रक के पास भेजा गया जिसने अपने पूर्व परामर्श की अक्तूबर, 1971 में पुष्टि की। तदनुसार विभाग ने उत्पाद ‘प्रतिज्ञ’ (एन्टीजन) को टीका-द्रव्य (वैक्सीन) के रूप में छूट देने के अयोग्य घोषित कर दिया। 1 जून, 1968 से 31 मार्च, 1971 तक की अवधि के दौरान की गई निकासियों के सम्बन्ध में 26,755 रु० के मांग नोटिस जनवरी, 1972 और अप्रैल, 1973 में भेजे गए। किन्तु विभाग द्वारा पूर्व अवधियों से सम्बन्धित निकासियों के विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई। दोनों मांगों की अभी तक वसूली नहीं हुई है (मार्च, 1974)।

कृतिम या संश्लिष्ट बैरोजा (रेजिन) और प्लास्टिक की सामग्री और उससे बनी वस्तुएं

(टैरिफ नं 15-क)

27. बैरोजा (रेजिन) पर शुल्क न लगाया जाना

विद्युत-तारों और केबलों का विनिर्माण करने वाले एक लाइसेंसधारी को आन्तरिक खपत हेतु बैरोजा का विनिर्माण करने की स्वीकृति दी गई। इस प्रकार आन्तरिक रूप से खपत किए गए बैरोजा पर 1 मार्च, 1964 से उस अवधि तक के

दीरान कोई शुल्क अदा नहीं किया गया जब तक कि लेखा परीक्षा-द्वारा इसे सितम्बर 1970 में ध्यान में नहीं लाया गया। विभाग ने मामले की जांच-पड़ताल की और 1 मार्च, 1964 से 30 नवम्बर, 1970 तक की अवधि के लिए 2,61,667 रु० की राशि के मांग नोटिस फरवरी, 1973 में जारी किए। फैक्टरी पर 200 रु० का अर्धदंड भी लगाया गया। वसूली के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं।

28. कम मूल्यों को अपनाने के कारण राजस्व की हानि

भारत सरकार द्वारा 1962 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत एक विनिर्माता को, यदि उसके पास उपभोक्ताओं से सामान्यतः लिए जाने वाले मूल्यों को दर्शनी वाली मूल्य-सूची है उसके द्वारा प्रति उत्पादित बैरोजा का 12.5 प्रतिशत की छूट देने के पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारण कराने का विकल्प दिया जाता है। इस अधिसूचना में इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था है कि शुल्क निर्धारण की यह क्रियाविधि जब एक विनिर्माता द्वारा चुन ली जाती है, तो उसके द्वारा निकासी किए गए समस्त बैरोजा पर समान रूप से लागू होगी। तदर्थं छूट देने के पश्चात् उपभोक्ता मूल्य पर शुल्क-निर्धारण की इस क्रिया विधि को केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने यह नियंत्रण करने के लिए कि उपभोक्ता मूल्य में क्या क्या शामिल है कोई मार्ग दर्शक पढ़ति निर्धारित नहीं की थी।

एक कलक्टरी में यह देखने में आया कि एक लाइसेंसधारी ने अपने द्वारा उत्पादित एक विणेप बैरोजा के सम्बन्ध में 200 किलोग्राम एक बड़े पुलिन्डे (पैक) के लिए उपभोक्ता मूल्य घोषित किया था। किन्तु इन पुलिन्डों (पैकेजों) में विक्रिया 31 दिसम्बर, 1970 तक केवल एक पार्टी तक सीमित थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में यह देखने में आया कि इस बड़े पुलिन्डे (पैक) के मूल्य और उसी बैरोजा के दूसरे छोटे पुलिन्डे (पैक) के मूल्य पर यथानुपात परिकलित मूल्य में पर्याप्त अन्तर था। अतः लेखारीका द्वारा यह सूझाव दिया गया कि इस बड़े पुलिन्डे (पैक) के मूल्य का निर्धारण यथानुपात निर्धारण किया जाना चाहिए था जो कि निर्धारण के प्रयोजन हेतु दूसरे छोटे पुलिन्डे (पैक) के सूची मूल्य पर आधारित हो व्योर्किं बड़े पुलिन्डे (पैक) के उपभोक्ता मूल्य के स्वरूप को केवल एक उपभोक्ता को ही विक्रय करके विक्रित कर दिया गया था। विभाग द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया।

यदि पुलिन्डे (पैक) के लिए शुल्क निर्धारण ऐसे यथानुपात मूल्य पर आधारित किया जाता तो जनवरी, 1967 से दिसम्बर 1970 तक की अवधि के लिए 2,24,854 रु० की अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वसूल हो गया होता।

29. वैरोजा (रेजिन) के अव-मूल्यांकन के कारण अव-निर्धारण

वह माल, जिस पर यथा मूल्य शुल्क प्रभार्य होता है और जिसकी खपत उत्पादन या विनिर्माण फैक्टरी में की जाती है, उसका निर्धार्य मूल्य, लाभ सहित लागत आंकड़ों पर काल्पनिक रूप से निश्चित करना होता है।

क्रृतिम और संशिलष्ट वैरोजा का एक विनिर्माता अपने संपूर्ण उत्पाद को संग रोगनों (पेन्टों) के विनिर्माण में अपने आन्तरिक रूप से प्रयुक्त कर रहा था और घोषित "रूपान्तरण लागत" जिसमें लाभ की मात्रा सहित कुछ लागत सम्बन्धी तत्व सम्मिलित नहीं थे, पर शुल्क की आवायगी कर रहा था। इसके फलस्वरूप 1 मार्च, 1964 से 31 दिसम्बर, 1971 की अवधि के दौरान 9,77,203 रु० के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अवमूल्यन तथा परिणामी अवनिर्धारण दुआ।

इस अव-निर्धारण को विभाग के ध्यान में अगस्त, 1966 में लाया गया और लेखापरीका अस्युक्तियां मई 1967 में स्वीकार की गई थीं। किन्तु विनिर्माता द्वारा घोषित की गई रूपान्तरण लागत में 20 प्रतिशत लाभ की मात्रा सम्मिलित करके अब तक केवल 5,80,875 रु० की कुल मांगें प्रस्तुत की गई हैं।

कलवटर द्वारा नवम्बर 1970 में अपील पर दिए गए अपने आदेश में मांगों की पुष्टि की गई थी, किन्तु उनकी अभी तक वसूली नहीं की गई है।

रबड़ उत्पाद

(टैरिक नंद 16)

30. मूल्यों के सत्यापन में विभाव के कारण राजस्व की हानि

रबर उत्पादों के दो विनिर्माताओं का घोषित मूल्यों के आधार पर, जिनका कलषटरी द्वारा निर्धारण के समय विभागीय अनुदेशों के अन्तर्गत अपेक्षित बाजार माव की पूछताछ किए बिना नियमित रूप से शुल्क का निर्धारण किया गया था।

बाद में की गई पूछताछ से थोक नकद मूल्य, घोषित मूल्य से अधिक पाये जाने पर, विभाग ने सम्बन्धित विनिर्माताओं को 26 मई, 1967 से 31 अक्टूबर, 1968 की अवधि के दौरान निकासी किए गए उत्पादों के सम्बन्ध में जनवरी और मार्च, 1969 में मांगें प्रस्तुत की। तथापि 26 मार्च, 1967 से 31 मई, 1968 की अवधि के दौरान निकासी किए गए माल पर 49,776 रु० की राशि के अन्तरीय (डिफरेंशियल) शुल्क की मांगों को कालातीत होने के कारण वसूल नहीं किया जा सका।

विभागीय अनुदेशों तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों में यह व्यवस्था है कि मूल्य की पूछताछ (सत्यापन) में विलम्ब होने पर (शुल्क) निर्धारण अनन्तिम आधार पर किया जाना चाहिए। यदि बाजार सत्यापन होने तक माल का निर्धारण अनन्तिम रूप से किया गया होता तो राजस्व की हानि^{१०} न होती। इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में अनन्तिम निर्धारणों को न किए जाने के कारणों की जांच की जा रही है और उत्तर दायित्व निश्चित किया जाएगा।

सभी प्रकार का कागज

(टैरिफ़ मद 17)

31. गलत वर्गीकरण के कारण अव-निर्धारण

किसी विनिर्माता द्वारा निजी खपत के लिए निकासी की गई दफ्तियों (मिल बोर्ड्स) पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रियायती दर पर उद्ग्राह्य है। इस प्रयोजन के लिए दप्ती की परिभाषा एक अवरंजित (अत ब्लीच्ड) समरूप बोर्ड के रूप में की गई जिसकी मोटाई 0.50 मिली मीटर से अधिक हो और जिसको आवरण (स्क्रीनिंग) युक्त या बिना आवरण के रही कागज और यांत्रिक गूदे से बनाया गया हो परन्तु उसमें कोई रंगीन पदार्थ न मिलाया गया हो। किसी फैक्टरी द्वारा विनिर्मित कागज के गत्ते, उपर्युक्त परिभाषा में नहीं आते किन्तु उनकी निकासी रियायती दर पर शुल्क की अदायगी करके की गई थी। लेखा-परीक्षा द्वारा सितम्बर, 1972 में यह ध्यान में लाया गया कि इन गत्तों का “अन्य प्रकार के गत्तों” के रूप में वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित था और ऐसे गत्तों पर शुल्क की वसूली उस पर लागू ऊंची दर पर की जानी थी। विभाग द्वारा अप्रैल, 1971 से दिसम्बर, 1972 तक की अवधि के लिए इस आधार पर उद्ग्राह्य शुल्क का पुनर्निर्धारण किया गया और 4,25,972 रु की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

32. अनभिप्रेत रियायत देने से राजस्व की हानि

मुख्यतः छोटी यूनिटों में बनाए गए गत्ते (स्ट्रा बोर्ड) और दफ्ती (मिल बोर्ड) पर नवम्बर, 1956 से उत्पाद शुल्क की कुछ रियायतें दी जा रही थीं। 1 मार्च, 1964 को जारी की गई एक अधिसूचना के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में फैक्ट्रियों के द्वारा निकासी किए गए गत्ते और दफ्ती पर प्रथम 125 मीटरी टन को उत्पाद शुल्क से छूट देते हुए आंशिक (स्लैब) छूट स्वीकृत की गई थी। इसके साथ साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कागज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, नई यूनिटों और वर्तमान यूनिटों को जिन्होंने अपनी क्षमता में विस्तार कर लिया था, एक अन्य अधिसूचना दिनांक 1 मार्च, 1965 द्वारा शुल्क में राहत दी गई थी। किन्तु

कुछ फैक्टरियों ने दोनों अधिसूचनाओं के अंतर्गत दी गई रियायतों का एक साथ लाभ उठाया। सरकार ने इस अनिमित्रेत लाभ को 1 मार्च, 1966 के एक अधिसूचना द्वारा गत्ता और दफ्ती तैयार करने वाली फैक्टरियों को एक साथ दोनों रियायतों का लाभ उठाने से रोक दिया।

इसके फलस्वरूप तीन फैक्टरियों ने अप्रैल, 1964 से मार्च 1966 तक इस अनिमित्रेत रियायत का लाभ उठाया, जिससे 155,731 रु. की राजस्व की हानि हुई।

33. छूट के गतव लागू किए जाने के कारण अव-निर्धारण

24 अप्रैल 1971 को जारी की गई सरकारी अधिसूचना के अनुसार मद 17(3) के अंतर्गत आने वाला नालीदार गत्ता (कॉर्लोटिड बोर्ड), जो (उत्पाद) शुल्क प्रदत्त क्राफ्ट कागज से निर्मित किया जाता था, 35 पैसे की टैरिक दर के प्रति, 7 पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक के उद्ग्राह उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया था। 15 जनवरी 1972 को जारी की गई संशोधित अधिसूचना के अनुसार यह रियायत किसी भी प्रकार के उत्पाद शुल्क प्रदत्त कागज से निर्मित नालीदार गत्ते (बोर्ड) के विषय में भी दी जाने लागी थी।

दो कलक्टरियों में 24 अप्रैल 1971 से 14 जनवरी 1972 तक की अवधि के दौरान क्राफ्ट कागज से इतर उत्पाद शुल्क प्रदत्त कागज से निर्मित नालीदार गते पर 7 पैसे प्रति किलोग्राम की रियायती दर लागू की गई थी। इसके परिणामस्वरूप इन दो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरियों में पांच लाइसेंस धारियों से संबंधित 1,00,773 रु. के उत्पाद शुल्क का अव-निर्धारण हुआ, जिसमें से एक कलक्टरी में तीन लाइसेंस-धारियों से केवल 2,651 रु. वसूल किए गए थे।


रेखन तथा कृत्रिम रेशा (सिन्थेटिक फाइबर) एवं सूत (धागा)

(टैरिक मद-18)

34. नाइलोन धागे पर (उत्पाद शुल्क की) वापसी की अनुमति

कृत्रिम धागों (सिन्थेटिक धान) पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उनके भार के आधार पर विशिष्ट दरों पर निर्धारित होता है। तन्तु (फिलामेंट) धागों के सम्बन्ध में (उत्पाद) शुल्क की दर ऐसे धागे को डेनियर माप पर निर्भर होती है, डेनियर माप जितना भी अधिक होगा (उत्पाद) शुल्क उतना ही कम होगा।

विकिन्न डेनियरों के नाइलोन धागे बनाने वाली एक फैक्टरी एसे विनिर्माण से सांचे में दबे (किम्पड) नाइलोन धागे भी बनाती है। दबाव प्रक्रिया किर्णिणा गे आयारभूत इकट्ठे धागे को कसना तथा इसे अन्य ऐसे ही धागे से टेढ़ा-मेढ़ा बनाना और तपाश्चात इसे लपेट देना पड़ता है। फैक्टरी 76/2, 90/2, 100/2 तथा 105/2 डेनियर नामांकनी के अंतर्गत 76, 90, 100



और 105 डैनियर के सांचे में दबे (क्रिप्ट) धारों की निकासी करती रही थी। अतः निर्धारण 76, 90, 100 और 105 डैनियर के आधार पर किया गया था। तथापि पार्टी का यह तर्क था कि निर्धारण क्रमशः 152, 180, 200 और 210 डैनियर के आधार पर किया जाना चाहिए।

फैक्टरी का दावा सहायक कलक्टर द्वारा, तथा अपील करने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सम्बद्ध कलक्टर द्वारा निम्नलिखित आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था :—

- (i) उनकी अपनी ही घोषणा के अनुसार परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों के मामले में डैनियर 76, 90, 100 तथा 105 थे।
- (ii) उत्पाद शुल्क-विनिर्माण के समय लगाया जाता है न कि निकासी के समय।
- (iii) क्योंकि सांचे में दबे (क्रिप्ट) धारे से उच्चतर मूल्य प्राप्त होता है, अतः इसका इकहरे धारे के रूप में निर्धारण किया जाना न्यायसंगत है।
- (iv) रसायन परीक्षक को यह रिपोर्ट है कि कर-निर्वारण इकहरे धारे के आधार पर किया जाना चाहिए।

इसके पश्चात् फैक्टरी ने उक्त मामले को संशोधन हेतु भारत सरकार के समक्ष रखा। भारत सरकार ने निम्न तथ्यों के आधार पर निर्धारिती के दबे को स्वीकार करते हुए पुनर्निर्धारण का आदेश दिया।

- (i) निर्यात एवं चूंगी वापसी संबंधी प्रोत्साहन परिणामी धारे के डैनियर पर आधारित होते हैं।
- (ii) विभाग के मुख्य रसायनज्ञ जिसका मामले की सुनवाई एवं उसके पश्चात् परामर्श लिया गया था, का मत, स्वीकार्य नहीं था।

परिणामतः विभाग ने 1 जनवरी 1970 से 16 जून, 1972 तक की अवधि के लिए 1.37 करोड़ 80 की वापसी की अनुमति दी। इसके फलस्वरूप भी उत्पादकों आकस्मिक लाभ हुआ, क्योंकि उच्चतर दर पर अदा की गई (उत्पाद) शुल्क विनिर्माताओं पहले ही उपभोक्ताओं को अन्तरित कर दी गई थी।

सूती धागे

(टैरिफ मद 18-क)

35. मिश्रत उद्घरण (कंपौन्ड लेवी) का अनियमित रूप से लागू किया जाना।

सूती धागे के लिए उत्पाद शुल्क को भार पर निर्भर विशिष्ट दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। धागे को सूती रेशों के उत्पादन के लिए उसी कारखाने में प्रयुक्त किए जाने की दशा में भारत सरकार ने उत्पाद शुल्क के उद्घरण और वसूली के लिए मिश्रित उद्घरण (कंपौन्ड लेवी) प्रक्रिया विधि प्रारम्भ कर दी है। इस क्रियाविधि की शर्तों के अनुसार सूती धागे एवं कपड़ों के एक विनिर्माता के लिए ऐसी क्रियाविधि का अपनाना एवं अनुसरण करना अपेक्षित होगा जिसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर द्वारा संस्वीकृति दे दी गई हो। यह क्रियाविधि अनुज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के लिए ही व्यावहारिक होती है और तत्पश्चात विनिर्माता को नई संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए कलक्टर को पुनः आवेदन करना पड़ता है। इस क्रियाविधि के अनुसार सूती धागे पर (उत्पाद) शुल्क क्षेत्र और रेशों की कोटि को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट दरों पर लगाया जाता है तथा शुल्क को कपड़ों की निकासी के समय अदा किया जा सकता है।

एक विनिर्माता के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-कलेक्टर द्वारा विशेष क्रियाविधि का अनुसरण किए जाने के लिए दी गई अनुज्ञा मार्च, 1970 में समाप्त हो गई थी, परन्तु लाइसेंसधारी ने नया आवेदन पत्र दिए बिना ही इस क्रियाविधि के अनुसरण को जारी रखा। अक्टूबर, 1971 में जब लेखा परीक्षा द्वारा इस मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया गया तो अप्रैल से अक्टूबर, 1971 तक की अवधि के लिए उत्पादक को 3,24,518 रु० का मांग-नोटिस भेजा गया।

मंत्रालय ने यह बताया है कि विलंब को क्षमा किए जाने के लिए पार्टी का आवेदन पत्र लम्बित पड़ा है। अभी तक (मार्च 1974) मांग की वसूली भी नहीं की गई है।

सभी प्रकार के धागे जो (अन्यत्र निर्दिष्ट न किए गए)

(टैरिफ मद 18-ड)

36. उत्पाद शुल्क का न लगाया जाना।

एक विनिर्माता ने पटसन और रेयन के मिश्रण वाले धागे विनिर्मित किए और कपड़े बनाने के लिए इनका प्रयोग अपनी फैक्टरी में किया। उसने 17 मार्च 1972 से एक नई टैरिफ मद के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाने वाले मिश्रित धागे पर उत्पाद शुल्क अदा नहीं किया। 1 अप्रैल, 1972 से 17 जून, 1972 तक की अवधि के दौरान इस कारण से उत्पाद शुल्क की देयता की राशि 2,31,760 रु० थी।

लेखा परीक्षा द्वारा जून, 1972 में यह मामला उठाए जाने पर भी विभाग ने कोई मांग नहीं भेजी, परन्तु यह बताया कि मामला जांचाधीन है। विभाग ने नवम्बर 1972 में यह सूचित किया कि विनिर्माता के प्रति 2,98,240 रु० का मांग नोटिस दे दिया गया था तथापि मांग और इसकी वसूली के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं। (मार्च 1974)।

सूती कपड़े

(टैरिफ मद-19)

37. केन्द्रीय उत्पाद लाइसेंस के बिना उत्पादन

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि उत्पाद शुल्क देय वस्तुओं का प्रत्येक विनिर्माता अपना व्यवसाय चालू करने से पूर्व एक लाइसेंस प्राप्त करे। लाइसेंस के लिए आवेदन किए बिना ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण उत्पादन अथवा भण्डारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अर्थ दण्ड जो कि ऐसी वस्तुओं के तिगुने मूल्य अथवा 5,000 रु० जो भी उच्चतर हो, से अधिक नहीं होगा का भागी होगा तथा उसे उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा निर्धारित उत्पाद शुल्क भी अदा करना होगा।

एक फैक्ट्री द्वारा जनवरी, 1968 से उत्पाद शुल्क देय होते हुए भी बिना लाइसेंस प्राप्त किए प्लास्टिक लेपित (कोटिड) सूती कपड़ा का विनिर्माण किया गया। इस विनिर्माता के प्रति मार्च 1969 में एक अपराध मामला दर्ज किया गया तथा उसे मार्च 1970 में 150 रु० के लिए प्रशमन (कम्पाउंडिंग) किया गया था। सितम्बर 1969 में पार्टी ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया जो उसे अक्टूबर, 1969 में दे दिया गया था तथा विनिर्माता ने अपनी वस्तुओं पर “संसाधित सूती कपड़े” के रूप में उत्पाद शुल्क अदा किया। तथापि फरवरी 1970 में विभाग ने इस उत्पाद को किसी अन्य विधि से “संसाधित सूती कपड़े” के रूप में वर्गीकृत किया और विनिर्माता ने दिसम्बर, 1969 से इस उत्पाद पर तदनुसार उत्पाद शुल्क अदा किया। अप्रैल, 1972 में विभाग द्वारा इस उत्पाद को टैरिफ मद 19-III के अंतर्गत आने वाले छिंद्रोज (सेलुलोज) संज्ञात वस्तुओं से लेपित अथवा संसिक्त सूती कपड़े या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया और 9 जून, 1971 से 30 अप्रैल, 1972 तक की अवधि के लिए 1,07,957 रु० की मांग जून, 1972 में भेजी। इस प्रकार के पुनः वर्गीकरण के कारण 23 जनवरी, 1968 से 8 जून 1971 तक की अवधि के लिए बेची गई वस्तुओं की मात्रा पर अवकल उत्पाद शुल्क के लिए कोई मांग नहीं भेजी गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इस चूक की ओर सितम्बर, 1972 में ध्यान आकर्षित किए जाने पर विभाग ने 23 जनवरी, 1968 से 8 जून 1971 तक की अवधि के लिए 1,78,259 रु० की अतिरिक्त मांग जनवरी, 1973 में भेजी। मांगों की वसूली लम्बित है।

(च) एक सहकारी समिति ने सूती कपड़े का निर्माण करने के लिए दिसम्बर, 1960 में लाइसेंस प्राप्त किया था। इस समिति ने 1971 तथा 1972 के लिए लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराया परन्तु इसके बावजूद भी यह सूती कपड़े का निर्माण करती रही तथा इन दो वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क की अदायगी किए जिन्हें देशीय खपत के लिए बेचती रही।

लेखापरीक्षा द्वारा जब जनवरी, 1972 में इस अनियमितता की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया तो विभाग ने सितम्बर, 1972 में यह उत्तर दिया कि अपराध के प्रशमन के पश्चात् 1971 तथा 1972 के लिए लाइसेंस का नवीकरण कर दिया गया था। 1 दिसम्बर, 1969, से 31 जनवरी, 1972 तक की अवधि के लिए 1,53,839 रु० की मांग भी जून, 1972 में जारी कर दी गई थी।

मंत्रालय ने यह उत्तर दिया है कि लाइसेंस धारी ने मांग की राशि तो अदा नहीं की है परन्तु इस बात की पुष्टि की है कि इस राशि की वसूली करने के लिए पहले ही कार्य वाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

38. गलत घोषणा के कारण राजस्व की हानि।

मार्च, 1965 और मई 1968 की अवधि के दौरान एक कपड़ा कारखाने ने विभिन्न प्रकार के सूती कपड़े की बिक्री की और उस कपड़े को नियंत्रित कपड़े के रूप में घोषित करके रियायती दरों पर उत्पाद शुल्क अदा किया। विभाग ने इस घोषणा की सत्यता का सत्यापन नहीं किया परन्तु अक्तूबर 1964 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए उन अनुदेशों, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ यह वर्णित था कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को कपड़े पर लगाए जाने वाले अपेक्षित चिन्हों की ही जांच करनी चाहिए, के आधार पर शुल्क की रियायती दरों की अनुमति दे दी। अप्रैल, 1968 में क्लेक्टरी के एक आन्तरिक लेखा-परीक्षा दल को यह जात हुआ कि ये निकासियां नियंत्रित कपड़े की न होने के कारण शुल्क की रियायती दर पर निर्धार्य नहीं थीं। तथापि सहायक क्लेक्टर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा नवम्बर 1968 और सितम्बर, 1969 में 90,013 रु० की राशि के अवकल शुल्क की मांगें जारी की गई थीं परन्तु निर्धारिती द्वारा अपील किए जाने पर ये मांगें क्लेक्टर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा सीमित कालावधि के कारण वर्जित विनिश्चित कर दी गई थीं।

1964 के ये अनुदेश उस समय जारी किए गए थे जब नियंत्रित और अन्य कपड़े के बीच उत्पाद शुल्क की दरों में कोई मन्त्र नहीं था। जिस समय ये निकासियां हुई तब विभाग का इन वस्तुओं पर वस्तुरात नियंत्रण था। अप्रैल, 1967 में वित्त मंत्रालय ने ये अनुदेश जारी किए कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को इन संभावनाओं के विषय में सतर्क कर दिया जाय तथा गत निर्धारणों का पुनरीक्षण किया जाय और तत्संबंधी

रिपोर्ट उनको भेजी जाय। इसके अतिरिक्त प्रकाश में लाई गई अनिवारितताओं को भी कपड़ा आयुक्त को तुरन्त रिपोर्ट की जानी अपेक्षित थी। तथापि कलेक्टरी ने अगस्त, 1967 में उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड को “शून्य” रिपोर्ट भेजी।

अतः जबसे नियंत्रित कपड़े के लिए उत्पाद शुल्क की रियायती दर निर्धारित की गई थीं तबसे निकासियों पर वस्तुगत नियंत्रण नहीं रखा गया था। जिस समय विभाग को इन अनिवारित निकासियों के विषय में ज्ञान हुआ उस समय कालातीत हो जाने के कारण अवकल उत्पाद शुल्क की मांग का समर्थन नहीं किया जा सका। इस कारण से इस अवधि के लिए 90,013 रु० के उत्पाद शुल्क की हाति हुई।

39. मांग जारी करने में विलम्ब

ऐसे विजली करवे जो किसी सहकारी समिति के स्वामित्व में होते हैं अथवा समिति के सदस्यों के स्वामित्व में अथवा उन्हें आवंटित होते हैं उन पर केन्द्रीय उत्पाद भारत सरकार के दिनांक 28 फरवरी, 1965 की अधिसूचना में निर्धारित रियायती दरों पर आहूय होता है। ये दरों कुछ शर्तों की पूर्ति पर निर्भर होती हैं। ऐसी एक शर्त यह है कि सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को अपनी सदस्यता की प्रामाणिकता तथा उसके अपने स्वामित्व में, अथवा आवंटित विजली करवों की संचया की प्रामाणिकता के संबंध में राज्य सरकार से अथवा किसी ऐसे अधिकारी से जो राज्य सरकार द्वारा नियत हो, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

एक कलेक्टरी में कुछ सहकारी समितियाँ यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी। तथापि इन्हें उत्पाद शुल्क की रियायती दरों का लाभ इस शर्त के अध्यधीन दे दिया गया था कि वे आवश्यक प्रमाण-पत्र बाद में प्रस्तुत कर दें। तथापि कलेक्टर ने अगस्त 1969 में बोर्ड से यह स्पष्टीकरण मांगा कि क्या ऐसे मामलों में उत्पाद शुल्क की रियायती दरों का लाभ पूर्वव्यापी प्रभाव से दिया जा सकता है। बोर्ड ने विविध मंत्रालय के साथ परामर्श करके, दिसंबर 1969 में यह स्पष्टीकरण दिया कि रियायती दरों के बजाए प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण की तिथि से ही स्वीकार्य है। फलस्वरूप जून, 1965 से फरवरी, 1970 की अवधि के लिए सात उत्पाद शुल्क कलेक्टरियों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 2,04, 764 रु० की राशि वसूली योग्य हो गई। वसूली के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं।

एल्यूमिनियम (टैरिक ल-27)

40. अव-निर्धारण

(क) ऐल्यूमिनियम विनिर्मणों पर उत्पाद शुल्क यथा मूल्य आधार पर निर्धार्य होता है और इसके लिए ऐल्यूमिनियम (नियंत्रण), आदेश 1970 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य ही मात्र होता है। नियंत्रित मूल्यों में (उत्पाद) शुल्क शामिल होता है अतः निर्धारण उद्देश्य हेतु निर्धार्य मूल्य का परिकलन शुल्क को घटा कर किया जाता है।

13 दिसम्बर, 1971 से एल्यूमिनियम उत्पादों पर मूल शुल्क का 25 प्रतिशत विनियामी (रेगुलेटरी) शुल्क लगाया गया था। इस्पात तथा खान मंत्रालय (खान विभाग) ने विनिर्माताओं को इस शुल्क के उस समय तक नियंत्रित मूल्यों में जोड़े जाने की अनुमति दे दी थी जब तक कि विनियामी शुल्क को शामिल करके मूल्य निर्धारण करने वाली संशोधित अधिसूचना जारी न कर दी जाए। संशोधित अधिसूचना 21 जनवरी, 1972 को जारी की गई थी। इसी प्रकार जब 17 मार्च, 1972 को बजट संबंधी परिवर्तन प्रभावी किए गए तो विशेष उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया और फलस्वरूप मूल शुल्क को बढ़ा दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप विनियामी शुल्क की मात्रा में वृद्धि हो गई। पुनः इस्पात तथा खान मंत्रालय के दिनांक 30 मार्च 1972 के पत्र के अंतर्गत विनिर्माताओं को नियंत्रित मूल्यों में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जोड़ने की स्वीकृति दे दी गई थी। परिवर्तनों के फलस्वरूप संशोधित मूल्य नियत करने वाला ग्राहेश 2 मई, 1972 को जारी किया गया था।

ऐसा देखने में आया था कि एक कलेक्टरी में एक लाइसेंसधारी ने 13 दिसम्बर, 1971 से 20 जनवरी, 1972 तक तथा 17 मार्च 1972 से 1 मई 1972 तक की अवधि के दौरान क्रमशः 989.154 दशमिक टन तथा 752.949 दशमिक टन एल्यूमिनियम छड़ों की निकासी की थी और उनके बिक्री (नियंत्रित) मूल्यों में विनियामी शुल्क शामिल किए बिना ही उत्पाद शुल्क अदा किया था। तथापि निर्धार्य मूल्य निकालने के लिए विभाग ने संपूर्ण (उत्पाद) शुल्क को घटाने की स्वीकृति इस आधार पर दे दी थी कि ऐसे संशोधित मूल्यों में विनियामी शुल्क को पूर्णतः शामिल कर लिया गया था। इसके फलस्वरूप देयराशि की तुलना में शुल्क कटौती उच्चतर थी तथा निर्धार्य मूल्य, जितना होना चाहिए था, उसकी तुलना में निम्नतर था, परिणामतः (उत्पाद) शुल्क का अवनिर्धारण हुआ। उपरोक्त अवधि के दौरान ऐसी गलत कटौती अथवा विनियामी शुल्क के कारण 1,10,158⁰⁰ का अवनिर्धारण हुआ।

(ब) टैरिक मद 27 (क) के अंतर्गत आने वाले एल्यूमिनियम तार छड़ों का जो कि एक विनिर्माता द्वारा बाहर से लाए गए शुल्क प्रदत्त एल्यूमिनियम पिण्डों (इंगट) से तैयार की गई थी, 1 मार्च 1968 को जारी की गई, अधिसूचना के अंतर्गत वर्ष 1968-69 के दौरान 950 रु० प्रति दशमिक टन के मूल उत्पाद शुल्क तथा 70 रु० प्रति दशमिक टन के विशेष उत्पाद शुल्क की रियायती दरों के आधार पर निर्धारण किया गया। ऐसा देखने में आया था कि विनिर्माता ने इसके साथ साथ ही अपनी फैक्टरी में बैकसाइड कच्ची धातु से विनिर्मित अपरिष्कृत एल्यूमिनियम के लिए उसी तिथि को जारी की गई एक अन्य अधिसूचना के अंतर्गत मिलने वाली आंशिक छूट का लाभ भी प्राप्त किया यद्यपि परवर्ती अधिसूचना में यह शर्त थी कि यह लाभ किसी ऐसे विनिर्माता को प्राप्य नहीं होगा जिसने पूर्ववती अधिसूचना के अंतर्गत मिलने वाली छूट का लाभ उठाया हो।

नेखापरीजा द्वारा इस मामले के उडाए जाने पर विभाग ने इस आपत्ति को स्वीकार कर लिया और इस विनिर्माता द्वारा 1968-69 के दौरान बेची गई ऐसी तार छड़ों के 636.204 दशमिक टन पर 76,344 रु० के शुल्क की कम उदग्रहण के लिए मांग जारी कर दी। वसूली के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं :

41. राजस्व की हानि

(क) कृषि संबंधी सिचाई कार्यों के लिए छिड़काव उपस्कर्तों में प्रयुक्त किए गए 0.050 इंच से 0.058 इंच तक की मोटाई वाले विशेष परिमाप के ऐल्यूमिनियम पाइपों के लिए 6 जुलाई 1968 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार शुल्क की रियायती दरें स्वीकृत की गई थीं। मोटाई के परिमाप के दशमिक यूनिट में संशोधन करने के लिए 1 मार्च 1970 को एक संशोधित अधिसूचना जारी की गई थी। ऐसा करते समय इंचों को मिली-मीटरों में बदलने के स्थान पर परिमापों (इंचों में) को केवल मिलीमीटरों में ही दिखाया गया था। तथापि इसे 1 अप्रैल, 1972 की अधिसूचना में परिशोधित कर दिया गया था। 1 मार्च, 1970 से 31 मार्च 1972 तक की अवधि के दौरान 6 जुलाई 1968 की पहले की अधिसूचना द्वारा व्यवस्थित मोटाई (के अनुकूल) के कुछ पाइपों की उत्पाद शुल्क की यथा मूल्य 10 प्रतिशत की रियायती दर पर निकासी की गई थी। 1 मार्च, 1970 को संशोधित विनिर्देश अधिसूचित किए जाने के पश्चात् ऐसे मामलों में रियायती दर स्वीकार्य नहीं थी।

1970-71 और 1971-72 के दौरान तो कलेक्टरियों में दो यूनिटों के संबंध में दी गई गलत रियायत के कारण 10,56,173 रु० की राशि की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की हानि हुई।

(ख) 1 मार्च 1968 को जारी की गई अधिसूचना (13 मई 1969 को जारी की गई एक अन्य अधिसूचना द्वारा अतिक्रमणित) के अनुसार टैरिफ मद 27 (क) के अंतर्गत आने वाले बौक्साइट से विनिर्मित कच्चे रूप में ऐल्यूमिनियम का बिना किसी विशेष उत्पाद शुल्क के 870 रु० प्रति दशमिक टन की शुल्क के रियायती दर पर मूल उत्पाद शुल्क के लिए 950 रु० तथा विशेष उत्पाद शुल्क के लिए 190 रु० की टैरिफ दर की तुलना में निवारण किया जा सकता था, बशर्ते कि एक विनिर्माता द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ऐल्यूमिनियम की किसी भी रूप में निकासी 12,500 दशमिक टन से अधिक न की गई हो। तथापि 19 मार्च 1968 और 9 जनवरी 1969 को सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ अविशासी अनुदेशों के अंतर्गत 12,500 दशमिक टन की अधिकतम सीमा सुनिश्चित करने के लिए खंगीदे गए पिण्डो (इनगाट) से विनिर्मित ऐल्यूमिनियम की मात्रा को निकाल दिया गया था। फलस्वरूप 1969-70

के दौरान एक विनिर्माता को 870 रु० प्रति दशमिक टन के शुल्क की रियायती दर का लाभ दे दिया गया था यद्यपि 1968-69 के दौरान ऐल्यूमिनियम की सभी रूपों में कुल निकासियां 12,500 दशमिक टन से अधिक थीं।

तथापि ये अधिशासी अनुदेश जो कानून की सीमा में नहीं आते थे, परन्तु वे इस अधिसूचना की मूल धाराओं को तत्त्वतः बदलने का कारण बन गए जिससे कि विनिर्माता को अनभिप्रेत लाभ प्राप्त हो गया।

अप्रैल 1969 से फरवरी, 1970 के दौरान केवल एक फैक्टरी के संबंध में ही सरकार के इन अधिशासी अनुदेशों द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त वैधिक रियायत के कारण 19,89,433 रु० के राजस्व की हानि हुई।

42. विनियामक/पूरक (आक्सीलियरी) शुल्क का अव-निर्धारण

ऐल्यूमिनियम के नियंत्रित मूल्यों पर विनियामक शुल्क लगाए जाने और अनुबर्ती बृद्धि होने के प्रभाव का उल्लेख उपरोक्त पैरा 40 (क) में किया गया है तथापि 1 मार्च 1973 से विनियामक शुल्क बंद कर दिया गया था और उसके स्थान पर उसी दर पर और उसी आधार पर पूरक शुल्क लगा दिया गया था।

एक फैक्टरी के मामले में एक विनिर्माता उसके द्वारा उत्पादित ऐल्यूमिनियम के मूल उत्पाद शुल्क के संबंध में अक्टूबर 1971 में जानी की गई अधिसूचना के कारण 290.08 रु० प्रति दशमिक टन की रियायत का लाभ उठा रहा था। अधिसूचना में यह भी व्यवस्था थी कि यह मान लिया जाना चाहिए कि विनिर्माताओं ने नियंत्रण आदेश के अंतर्गत नियत किए गए बिक्री मूल्य के आधार पर परिकलित निर्धारित मूल्य पर संपूर्ण शुल्क की आदायगी संबंधी देयता का निपटान कर दिया है। मन्त्रालय द्वारा यह बताया गया था कि यह छूट ऐल्यूमिनियम के छोटे-छोटे उत्पादकों की सहायता के उद्देश्य से चालू की गई थी।

जिस समय विनियामक/सहायक (आक्सीलियरी) शुल्क लगाया/संशोधित किया गया था तो इन शुल्कों के सम्बन्ध में कोई ऐसा अनुबन्ध नहीं किया गया था। तदनुसार विनिर्माताओं को कुल आधारभूत शुल्क पर परिकलित संपूर्ण विनियामक/सहायक शुल्क बहन करना चाहिए जैसे कोई छूट मिलती ही न हो। तथापि विनिर्माता पर विनियामक/सहायक शुल्क आधारभूत शुल्क की बटी हुई दर पर निर्धारण किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अव-निर्धारण हुआ। 13 दिसम्बर, 1971 से जनवरी, 1974 तक की अवधि के दौरान परिणामी अव-निर्धारण की राशि 28,97,899 रु० थी।

अन्य फैक्टरियों की अव-निर्धारण सम्बन्धी सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 1974)।

सब प्रकार की विजली मोटरों तथा उनके पुर्जे

(टैरिफ़ मद-30)

43. शुल्क की अदायगी किए बिना सामान की निकासी

एक रेलवे उत्पादन यूनिट द्वारा विद्युत कर्पण मोटरों का विनिर्माण किया जाता है, इन (मोटरों) पर 5 प्रतिशत यथा मूल्य केन्द्रीय उत्पादक शुल्क लगता है। ये मोटरों इस यूनिट में विनिर्मित विद्युत लोकोमोटिव में लगाई जाती हैं। 1968 में आठ मोटरों की निकासी बिना किसी उत्पाद-शुल्क लाइसेंस के कर दी गई थी। यद्यपि अनुवर्ती वर्षों में विनिर्माण हेतु लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था तथापि यूनिट ने वर्गीकरण तथा मूल्य-सूची प्रस्तुत करना, वैयक्तिक खाता (लेजर) लेखा खोलना, निर्धारित उत्पादन लेखाओं का अनुरक्षण, आदि जैसी आधारभूत क्रिया विधि सम्बन्धी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया। मोटरों बिना किसी वैध द्वार-पवर (गेट पास) के ही निकाल ली गई थी और लागत सम्बन्धी निर्णय होने तक शुल्क की अदायगी स्थगित कर दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप पहले से निकासी किए गए और रेल इंजनों में प्रयुक्त 355 मोटरों में से, सितम्बर, 1972 तक केवल 160 मोटरों पर शुल्क अदा किया गया था। इसके अतिरिक्त शुल्क की अदायगी करते समय यूनिट ने विनिर्माण में प्रयुक्त ऐसे देशज संघटकों और आयातित कच्चे माल पर जिनके लिए उत्पाद शुल्क से कोई छूट प्राप्त नहीं है, पूर्व प्रदत्त शुल्क के बदले में देश शुल्क के 25 प्रतिशत के समतुल्य छूट का लाभ प्राप्त किया। 1 अक्टूबर, 1970 से 30 सितम्बर, 1972 तक की अवधि के दौरान इस प्रकार सरकार को शुल्क की राशि के रूप में 24,73,707 रु की हानि हुई।

ग्रामोफोन और पुर्जे

(टैरिफ़ मद 37-क)

44. गलत छूट के कारण उत्पाद शुल्क का कम लगाया जाना

रिकार्ड प्लेयर सहित ग्रामोफोन तथा रिकार्ड प्लेइंग डेक पर यथा मूल्य 20 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है जो कि संसद द्वारा स्वीकृत है। अगस्त, 1963 में सरकार ने उन ग्रामोफोन और एम्पिलिग्रामों को जो शुल्क प्रदत्त संघटक पुर्जों से सजित अथवा विनिर्मित किए गए हों, शुल्क की सम्पूर्ण अदायगी से मुक्त कर दिया था। तथापि एक व्लवटरी में एक विनिर्माता के मामले में विभाग ने रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड प्लेइंग डेक और रिकार्ड प्रतिलिपियों (रिप्रोडक्ट) के उरोवनि (स्टेरिओोसाउण्ड) तंत्र के निर्धारण में शुल्क की पूरी छूट दे दी थी। ये वाणिज्यिक रूप से ग्रामोफोन अथवा एम्पिलिग्राम नहीं कहलाते हैं। इस अस्वीकार्य छूट दिए जाने के कारण, फरवरी, 1971 से फरवरी, 1973 की अवधि के दौरान दो विनिर्माताओं पर कुल 20,73,737 रु का कम शुल्क लगाया गया।

मार्च 1972 में लेखापरीक्षा द्वारा शुल्क की इस कम उगाही की ओर ध्यान आकृषित किया गया था। नवम्बर 1972 में सरकार ने ये अनुदेश जारी किए कि रिकार्ड प्लेयर/रिकार्ड चेंजर/रिकार्ड प्रतिलिपक के लिए छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। कम लगाए गए शुल्क की राशि अभी तक वसूल नहीं की गई है (मार्च 1974)।

धातु के डिब्बे जिन्हें अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं किया गया

(टैरिफ़ मद-46)

45. गत भूल्य के स्वीकार किए जाने के कारण अब-निर्धारण

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए यथाभूल्य आवार पर निर्धार्य वस्तुओं का भूल्य केन्द्रीय उत्पाद तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 के अनुसार निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। इसके अनुसार, निर्धार्य भूल्य, वस्तुओं का वह थोक भूल्य होता चाहिए जो भूल्य उन वस्तुओं की विनिर्माण के स्थान पर तथा उनके निष्कासन के समय प्रचलित हो। सितम्बर, 1963 में केन्द्रीय बोर्ड के उत्पाद तथा सीमा शुल्क विभाग ने ये अनुदेश जारी किए कि जहां विनिर्मित वस्तुओं को विनिर्माता द्वारा स्वयं अपने आंतरिक प्रयोग में लाया जाता है और इस प्रकार उनका कोई थोक विक्रय भूल्य नहीं होता, तो उस दिशा में लागत भूल्य में लाभ के सीमांत को जोड़ कर उसे निर्धारणार्थ अपना लेना चाहिए।

एक कलेक्टरी में एक फैक्टरी जो संघनित (कनडेस्ड) दूध का उत्पादन करती थी, उस संघनित दूध का भराई (पैकिंग) करने के लिए स्वयं ही धातु के डिब्बों का विनिर्माण करती थी। धातु के डिब्बे 1 मार्च, 1970 से शुल्क के लिए 10 प्रतिशत यथाभूल्य पर निर्धार्य हैं। विभाग द्वारा स्वीकृत निर्धार्य भूल्य में धातु के डिब्बों से सम्बन्धित लाभ के सीमांत को सम्मिलित नहीं किया गया। नवम्बर 1971 में लेखापरीक्षा द्वारा इस चूक की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। 1 मार्च, 1970 से 31 मई, 1972 तक के लिए देय 78,603 रु० के अवकल-शुल्क की वसूली के लिए जून, 1972 में एक 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया था। नवम्बर, 1972 में पुनः यह सूचित किया गया कि निर्धारण लागत जमा लाभ-तत्व के आवार पर सही रूप में नहीं किया जा रहा था। 31 दिसम्बर 1972 तक देय 1,51,520 रु० (पूर्व मांग सहित) के अवकल उत्पाद शुल्क की मांग के लिए एक अन्य 'कारण बताओ' नोटिस अप्रैल 1973 में जारी किया गया। मई, 1973 में फर्म ने 1972 के दीरान, विनिर्मित डिब्बों के लिए, लागत संरचना प्रस्तुत की। इसके अनुसार, डिब्बों का निर्धार्य भूल्य 26 पैसे प्रति डिब्बा से बढ़कर 35 पैसे प्रति डिब्बा हो गया, तथा 31 जुलाई, 1973 तक अवकल उत्पाद शुल्क की राशि 3,80,201 रु० परिकलित की गई।

(ख) एक फैक्टरी द्वारा विनिर्मित द्रवित (लिक्वीफाइड) पैट्रोलियम गैस सिलिंडर का निर्धार्य मूल्य निश्चित करते समय बाल्डों और विनियामकों की लागत को ध्यान में नहीं रखा गया था, यद्यपि ये मदें द्रवित पैट्रोलियम गैस सिलिंडर का एक अभिन्न अंग होती है जिसके बिना न तो गैस भरी जा सकती है और न ही उपभोक्ताओं को उसकी पूर्ति की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, फैक्टरी द्वारा सिलिंडर के बिक्री मूल्य में इन मदों का मूल्य भी सम्मिलित कर लिया गया था और इसलिए इसे निर्धार्य मूल्य में भी शामिल किया जाना चाहिए था।

अप्रैल, 1972 में जब इस ओर ध्यान आर्कार्पित किया गया तो विभाग द्वारा इस आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया और 1 मार्च, 1970 से 30 जून 1972 तक (जबसे गैस सिलिंडरों को शुल्क योग्य माना गया है) की अवधि के लिए 9,57,571 रु० की मांग जुलाई, 1972 में जारी की गई। वसूली से सम्बद्ध रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ग) ऐत्यूमिनियम की बोतलों का विनिर्माण करने वाली एक फैक्टरी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944 की धारा 4 के अन्तर्गत निर्धार्य मूल्य में डिव्हों के साथ पूर्ति किए गए ढक्कनों (केप्स) की लागत शामिल नहीं करती थी। क्योंकि ढक्कन के बिना कोई डिव्हा सम्पूर्ण नहीं होता अतः लेखापरीक्षा द्वारा जनवरी, 1972 में यह निर्देश दिया गया कि बोतलों के निर्धार्य मूल्य में ढक्कनों के मूल्य को भी शामिल किया जाना चाहिए।

इसे विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा नवम्बर, 1971 से दिसम्बर, 1972 तक की अवधि के लिए 65,383 रु० की राशि के अवकल शुल्क की मांग जनवरी 1973 में प्रस्तुत की गई। विभाग द्वारा पूर्व अवधियों के लिए किए गए निर्धारण का भी पुनरीक्षण किया जा रहा है। पार्टी ने अभी तक मांग से सम्बद्ध अदायगी नहीं की है।

कावले, छिवरी तथा पेच

(टैरिफ मद-52)

46. आंतरिक दहन (इन्टरनल कम्बुशन)

इंजनों का विनिर्माण करने वाले एक लाइसेंसधारी को कावले, छिवरी और पेचों का विनिर्माण करने के लिए भी लाइसेंस दे दिया गया था। छिवरी, कावले और पेचों की निकासी पर कोई उत्पाद शुल्क इस आधार पर अदा नहीं किया गया था क्योंकि जुलाई 1971 की अधिसूचना में निर्दिष्ट निकासियों का मूल्य 5 लाख रु० की छूट सीमा के भीतर ही था।

दिसम्बर, 1972 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा यह देखने में आया था कि आंतरिक प्रयोग में लाए गए छिवरी और कावलों का मूल्यांकन केवल लागत आधार पर किया गया था और यह मूल्य, फैक्टरी द्वारा जिस मूल्य पर यह मदें बाहरी व्यक्तियों को बेची

गई थी, उससे बहुत कम था। लेखापरीक्षा ने यह भी संकेत दिया कि क्योंकि इस माल के लिए फैक्टरी मूल्य के साथ साथ थोक विक्री मूल्य भी था अतः आंतरिक प्रयोग में लाए गए छिवरी और काबलों की निकासी का मूल्य ऐसे प्रचलित थोक विक्री मूल्य के आधार पर ही परिकलित किया जाना चाहिए न कि 'लागत' आधार पर। लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए विभाग ने 1972-73 के दौरान हुई सभी निकासियों के मूल्य को पुनः परिकलित किया एवं उस समय उसे यह ज्ञात हुआ कि छूट पांच लाख ८० की निर्धारित सीमा से अधिक हो गई थी। परिणामतः इस छूट के अन्तर्गत दिए गए लाभ को वापस लेते हुए विभाग ने जुलाई, 1973 में इस अवधि के दौरान की गई निकासियों से सम्बद्ध ८७,५७२ रु० के उत्पाद शुल्क की मांग की और लाइसेंसधारियों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया।

अन्य उचिकर विषय

47. उपकर की वसूली में अनियमितताएं

(क) उत्पादन उपकर अधिनियम 1966 के अन्तर्गत 1 अप्रैल 1966 से भारत में किसी कारखाने (मिल) में पीसे हुए तेल बीजों से निष्कापित तेल पर उपकर 17 पैसे प्रति किंवद्दल से बढ़ाकर 60 पैसे प्रति किंवद्दल कर दिया गया था।

एक कलेक्टरी में एक छोटे संघटन को इस अधिनियम की प्रति एक वर्ष से भी अधिक समय के पश्चात् परिचालित की गई थी। फलस्वरूप प्रभावी तिथि से बड़ी हुई दर पर उपकर न तो लगाया जा सका और न ही वसूल किया जा सका। तथापि विभाग ने उपकर सम्बन्धी अवकल राशि की वसूली के लिए तदनन्तर 19 लाइसेंसधारियों को मांगे भेजी। इन लाइसेंसधारियों में से दो ने मांग की राशि अदा कर दी है उनमें से पांच ने मांगों को अभी तक स्वीकार ही नहीं किया है तथा ये 12 लाइसेंसधारियों ने इन मांगों के प्रति परिसीमन आधार पर कलक्टर को अपील कर दी है। इन 17 लाइसेंसधारियों के प्रति विना वसूली की गई मांगों की कुल राशि 49,239 रु० होती है। अपील मामलों के विषय में यह बताया गया है कि वे अभी तक विभाग के पास विचाराधीन हैं (मार्च 1974)।

(ख) उत्पादन उपकर अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्राह्य उपकर की राशि प्रतिमास निष्कापित तेल की मात्रा को ध्यान में रख कर नियत की जाती है जिसके लिए बीज पेराई (क्रांशिंग), कारखाने द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कलक्टर को मासिक विवरणी प्रस्तुत करनी पड़ती है। मूंगफली के बीजों से तेल निकालने वाले एक कारखाने ने अपेक्षित मासिक विवरणी नहीं भेजी जिसके परिणामस्वरूप उद्ग्राह्य उपकर विभाग के ध्यान में नहीं आया। लेखापरीक्षा द्वारा इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग द्वारा अप्रैल 1971 से दिसम्बर 1972 तक की अवधि के दौरान निष्कर्षित 48,79,118 किंवद्दल तेल पर

देय 29,275 रु० की उपकर सम्बन्धी मांग जारी कर दी गई। इस राशि की वसूली बकाया है (मार्च 1974)। पूर्ववर्ती अवधि के लिए देय उपकर तथा तत्सम्बन्धी वसूली के लिए की गई कार्यवाही के ब्योरे अभी तक प्रतीक्षित है। भन्नालय ने पहले फरवरी 1970 में बताया था कि अगस्त 1969 में विभाग ने तेल उपकर के लिए पृथक स्टाफ संस्थीकृत कर दिया था और वसूली में सुधार होने की संभावना थी।

48. चालू बन्ध-पत्र लेखाओं में त्रुटियाँ

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों में उत्पाद शुल्क की अदायगी किए जिन उत्पाद शुल्क योग्य माल के नियांति किए जाने की व्यवस्था है परन्तु नियांति का प्रमाण निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। यह देखने के लिए कि इस प्रकार निष्कासित माल वस्तुतः नियांति किया गया समुद्रवर्ती कलेक्टरी में चालू बन्ध-पत्र लेखे तैयार किए जाते हैं। लोक लेखा समिति ने अपनी 44 वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोक सभा) के पैरा 1.145 से 1.148 में चल बन्ध-पत्र लेखाओं के तैयार किए जाने के सम्बन्ध में टिप्पणी की थी।

एक कलेक्टरी में एक मामले में एक विनिर्माता द्वारा उत्पाद शुल्क की बिना अदायगी किए 1967-68 में नियांति के लिए निष्कासित “लोहा और इस्पात उत्पाद” और “इस्पात कतरन” का वस्तुतः नियांति नहीं किया गया था अपितु उन्हें देशीय खपत के लिए अपवर्तित कर लिया गया था। विभाग ने नियांति सम्बन्धी प्रमाण को प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी इस प्रकार अपवर्तित माला पर देय उत्पाद शुल्क की राशि की वसूली के लिए कोई मांग नहीं भेजी। इस प्रकार उत्पाद शुल्क से बच निकली कुल राशि 1,97,684 रु० थी, जिसमें से अब तक 46,068 रु० वसूल हो चुके हैं।

(ख) एक कलेक्टरी में चालू बन्ध-पत्र लेखाओं के तैयार किए जाने की स्थिति के पुनरीक्षण करने पर निम्नलिखित त्रुटियाँ प्रकाश में आईः—

- (i) 760 मामलों में नियांति प्रमाण अपेक्षित थे, जिनमें 56,96,636 रु० का उत्पाद शुल्क अन्तर्गत था।
- (ii) 937 मामलों में, बन्ध-पत्र के अन्तर्गत हुई नियांति के लिए, आवश्यक उत्पाद शुल्क की राशि लेखाओं में डेविट नहीं की गई थी (66,30,434 रु०)।
- (iii) 56 मामलों में लेखाओं में डेविट की गई राशियाँ बन्ध-पत्रों की राशि से अधिक थीं।

कलेक्टरी ने इन त्रुटियों के लिए निम्नलिखित कारण बताएः—

- (i) अन्य संघटनों से सम्बद्ध प्रलेखों की देर से प्राप्ति, और
- (ii) स्टाफ की कमी।

49. कालातीत (धारा के लागू) होने के कारण राजस्व की हानि*

1972-73 के दौरान कर निर्धारण के सम्बन्ध में निर्धारित कालावधि से पूर्व मांगों के जारी न किए जाने के कारण सरकार द्वारा छोड़े गए राजस्व की राशि 6,02,963 रु० थी जिसका व्यौरा नीचे दिया गया है :—

मामलों की संख्या	अन्तर्गत राजस्व हानि रु०
(क) कालातीत होने के कारण जारी न की गई मांगे	1 9,094
(ब) कालातीत होने के कारण वापस ली गई मांगे	42 5,93,869

50. संघ उत्पाद शुल्क की बकाया राशियाँ*

वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए संघ उत्पाद शुल्कों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1973 को विना वसूली की गई मांगों की बकाया कुल राशि 5,259.04 लाख रु० थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

पदार्थ	राशि (लाख रु० में)
गैर-विनिर्मित तम्बाकू	371.85
मोटर स्प्रिट	287.68
परिष्कृत डीजल तेल और वाष्प (वैपराइजिंग) तेल	238.54
कागज	70.65
रेयन सूत (यानं)	22.80
सूती कपड़ा	581.15
लोहा अथवा इस्पात उत्पाद	1180.45
ठिन की चढ़रे	12.62
प्रसीतन और वातानुकूलन मशीनें	70.57
सभी अन्य पदार्थ	2,422.73

51. राजस्व के दावों की छूट एवं परित्याग*

1972-73 के दौरान माफ की गई, परित्याग की गई अथवा बढ़े खाते डाली गई कुल राशि 3,45,473 रु० थी ।

* वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े ।

माफ करने और बटे खाते डालने के कारण निम्नलिखित है :—

I. निम्नलिखित से हुई हानि के कारण राजस्व की छूट :—

	मामलों की संख्या	राशि ₹०
(क) आग	27	1,11,372
(ख) बाढ़	10	22,777
(ग) चोरी	4	1,186
(घ) अन्य कारण	4	25,380

II. निम्नलिखित कारणों से परित्याग करना अथवा बटे खाते डालना :—

	मामलों की संख्या	राशि ₹०
(क) करदाताओं की मृत्यु के पश्चात्, किसी परिसंपत्ति का न होना	70	11,433
(ख) करदाताओं का लापता होना	100	35,065
(ग) करदाताओं द्वारा भारत छोड़ देना	4	654
(घ) करदाताओं के जीवित होने पर भी उनकी शुल्क की अदायगी के लिए असमर्थता	224	1,08,763
(ङ) अन्य कारण	13	28,872

52. धोखाधड़ी और अपवंचन (इवेजन)*

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अन्तर्गत धोखाधड़ी और अपवंचन सम्बन्धी अपराधों के लिए अधियोजित मुकदमों की संख्या लगाए गए अर्थदण्ड की राशि तथा अधिग्रहण किए गए माल के मूल्य की स्थिति को निम्नलिखित विवरण में दर्शाया गया है :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अन्तर्गत उन अपराधों की कुल संख्या जिन पर न्यायालयों में मुकदमें अधियोजित किए गए	33
(2) दोष सिद्ध होने वाले मामलों की कुल संख्या	17

* वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ग्रांकड़े।

	रुपये
(3) पकड़े गए माल का कुल मूल्य	4,13,09,611
(4) जब्त किए गए माल का कुल मूल्य	75,72,558
(5) लगाए गए अर्थदण्ड की कुल राशि	18,30,746
(6) जब्त किए गए माल के सम्बन्ध में आदा किए जाने वाले शुल्क की कुल राशि	42,37,475
(7) जब्ती के बदले में निर्धारित जुमनि की कुल राशि	13,44,700
(8) निपटारे में तय की गई कुल राशि	45,229
(9) जब्त किए जाने के पश्चात् नष्ट किए गए माल का कुल मूल्य	1,47,469
(10) जब्त किए जाने के पश्चात् बेचे गए माल का कुल मूल्य	96,563

अध्याय III
 अन्य राजस्व प्राप्तियां
 पूर्ह मंत्रालय
 संघ राज्य क्षेत्र विली को विक्री-कर प्राप्तियां
 53. बजट अनुमानतथा वास्तविक आंकड़ों में विभिन्नता

वर्ष 1972-73 का बजट अनुमान जबकि 29.76 करोड़ ₹ ० था, वास्तविक प्राप्तियां 34.21 करोड़ ₹ ० हुई जो 4.45 करोड़ ₹ ० की वृद्धि की सूचक हैं। वर्ष 1971-72 में भी वास्तविक आंकड़े, बजट अनुमानों से 1.23 करोड़ ₹ ० बढ़ गये थे।

विभिन्नता का विश्लेषण नीचे दिया गया है :—

	1971-72			1972-73		
	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	विभिन्नता +वृद्धि —कमी	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	विभिन्नता +वृद्धि —कमी
1. स्थानीय विक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां	1910.00	2031.02	+ 121.02	2050.00	2345.28	+ 295.28
2. केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां	850.00	850.78	+ 0.78	900.00	1039.62	+ 139.62
3. विविध	—	—	—	0.20	0.06	0.14
4. विक्री कर पर अधिभार [बंगला देश उगाही (लेवी)]	—	—	—	36.00	42.10	+ 6.10
5. घटाएं-वापसियां	10.20	8.50 (—)	1.70	10.20	5.57 (—)	4.63
	2749.80	2873.30	+ 123.50	2976.00	3421.49	+ 445.49

जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, वास्तविक आंकड़ों में वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुई जिनकी 1972-73 के बजट अनुमान तैयार करते समय कल्पना नहीं की जा सकी थी ।

(i) वित्त अधिनियम 1972 के माध्यम से बंगाल वित्त (विक्री-कर) अधिनियम, 1941 की धारा 5(2)(क) (ii) को संशोधित कर दिया गया था जिसके अंतर्गत विनिर्माण यूनिटों को 28-5-1972 से कुछ मामलों में बिना कर दिए कच्ची सामग्रियों की खरीद वर्जित कर दी गई थी । अनुमान है कि इस प्रकार 150 लाख ₹ (अतिरिक्त) वसूल किए गए हैं ।

(ii) विघटित फर्मों, परिसमापनाधीन कम्पनियों के मामलों में देयता के लिए व्यवस्था करने के लिए वित्त अधिनियम, 1972 के माध्यम से (जो 28-5-72 से लागू हुआ) बंगाल वित्त (विक्री-कर) अधिनियम, 1941 में धारा 12-क से 12-च तक, सन्निविष्ट कर दिए गए थे । इसके फलस्वरूप भी अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हुई है ।

(iii) 18 नवम्बर, 1971 को विभाग के पक्ष में फैसला हुए अपील मामलों में, निर्णय के बल पर बकाया के रूप में वसूल किए गए अतिरिक्त राजस्व का अनुमान 200 लाख ₹ लगाया गया है ।

(iv) राजस्व वसूलियों को बढ़ाने के लिए विभागीय प्रयास ।

54. नमूना नेखापरीक्षा के सामान्य परिणाम

बंगाल वित्त (विक्री कर) अधिनियम, 1941 जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर भी लागू होता है के अन्तर्गत तथा केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किए गए निर्धारणों की 1 जुलाई, 1972 से 30 जून 1973 तक की अवधि के दौरान की गई नमूना जांच से 91 मामलों में 30,687 ₹ के राजस्व के अवनिर्धारण तथा 9 मामलों में 7,181 ₹ के अधिनिर्धारण का पता चला ।

नमूना जांच में ध्यान में आई अनियमितताओं का उल्लेख निम्नलिखित पैरा में किया गया है :—

55 (1) केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम के अंतर्गत अनियमित रियायत

केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों तथा अन्य राज्यों के किसी सरकारी विभाग को की गई अन्तर्राज्य विक्रियां 10 प्रतिशत (कर) के स्थान पर 3 प्रतिशत की रियायती दर पर कर-देय होती है बशर्ते कि ऐसी विक्रियां क्रय करने वाली पार्टी द्वारा 'सी' एवं 'डी' फार्मों पर भरी गई तथा हस्ताक्षर की गई वैध घोषणा द्वारा समर्थित हों । परन्तु ऐसा देखने में आया कि दो व्यापारियों के मामले में विक्रियों के समर्थन में कोई वैध घोषणा न होते हुए भी 4,11,392 ₹ की अन्तर्राज्य विक्रियों पर केन्द्रीय विक्री कर 3 प्रतिशत की रियायती दर पर लगाया गया ।

बैच घोषणा कामों के अभाव में ऐसी अन्तर्राज्य विक्रियों को 10 प्रतिशत की सामान्य दर पर निर्धारित किया जाना चाहिए था। निम्नतर दर पर किए गए अनियमित निर्धारण के कारण 34,394 रु० के कर का अव-निर्धारण हुआ।

(ii) गलत निर्धारण के कारण राजस्व की हानि।

बंगाल वित्त (विक्री कर) अधिनियम 1941 जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर भी लागू होता है के अन्तर्गत प्रशीतकों, बातानुकूलन संयंत्रों, और उनके पुर्जों की विक्री पर 10 प्रतिशत की दर पर कर लगाया जाता है। प्रशीतकों और बातानुकूलन संयंत्रों के पुर्जों के विनिर्माण और विक्री करने वाले व्यापारी के प्रति, स्व-विनिर्मित धातु चढ़रों की विक्री करने पर 5 प्रतिशत की दर से कर-निर्धारण किया गया था। धातु चढ़र इन संयंत्रों का ही बाहरी ढांचा होने के कारण एक संघटक (कम्पोनेट) भाग है, और इस मद की विक्री पर कर 5 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की दर पर लगाता है। अतः 1964-65 से 1970-71 की अवधि के दौरान लगभग 29,794 रु० तक के कर का अव-निर्धारण हुआ था। विभाग स्वयं ही निर्धारण आदेशों को संशोधित करने पर सहमत हो गया है।

(iii) विभाग द्वारा विलम्बित कार्यवाही के कारण राजस्व की हानि।

एक व्यापारी को जो अपने निवास-स्थान से ही व्यापार कर रहा था, 1 अक्टूबर, 1959 से केवल शिक्षा संबंधी वस्तुओं के व्यापारी के रूप में पंजीकृत किये जाने की अनुमति दे दी गई। परन्तु इस व्यापारी ने विक्री कर अधिनियम की व्यवस्थाओं के प्रतिकूल इस पंजीयन-प्रमाण-पत्र के आधार पर कानिवर्द्धक (कोस्मेटिक्स) तथा अन्य वस्तुएं खरीदी। 5 दिसम्बर, 1968 को समाप्त हुए वर्ष 1964-65 के निर्धारण आदेश में विभाग द्वारा यह देखने में आया कि उक्त व्यापारी विवरणी प्रस्तुत करने, देय कर अदा करने तथा मांग (कॉल) ज्ञापनों के प्रति कार्यवाही करने में सदैव चूक करता रहा था। अन्ततः व्यापारी ने सितम्बर 1971 में अपना कारोबार बद्द कर दिया था। 7 फरवरी 1972 तथा 28 फरवरी, 1973 को वर्ष 1967-68 और 1968-69 के लिए निर्धारणों की एक पक्षीय पूरा किया गया। जिसके अनुसार व्यापारी के भूति पहने से बकाया 6754 रु० के अतिरिक्त 32,306 रु० की मांग और उद्भूत हो गई। इस प्रकार 1 मार्च, 1973 को व्यापारी। 1968-69 तक निर्धारित किए गए कर के प्रति 39,060 रु० का देनदार था, और वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के लिए निर्धारण अभी पूरे किए जाने हैं। पंजीयन प्रमाण-पत्र को रद्द किए जाने के संबंध में भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। ऐसा बताया गया है कि व्यापारी लापता है।

*56. विक्री कर निर्धारणों की बकाया राशि:

वर्ष 1971-72 के अंत में 77,134 मामलों और 1970-71 के अंत में 74,350 के मामलों की तुलना में 31 मार्च, 1973 को निर्धारण के लिए 95,974 मामले लम्बित थे।

*ये आंकड़े विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

31 मार्च, 1973 को समाप्त तीन वर्षों के अंत में निर्धारणों के बकाया मामलों से संबंधित स्थिति नीचे दर्शाइ गई है:—

वर्ष	31 मार्च, 1971 को			31 मार्च, 1972 को			31 मार्च, 1973 को		
	स्थानीय	केन्द्रीय	कुल	स्थानीय	केन्द्रीय	कुल	स्थानीय	केन्द्रीय	कुल
1967-68 .	4,994	4,254	9,248	—	—	—	—	—	—
1968-69 .	11,691	9,806	21,497	5,185	4,756	9,941	—	—	—
1969-70 .	23,707	19,898	43,605	11,114	9,820	20,934	6,226	5,441	11,667
1970-71 .	—	—	—	24,984	21,275	46,259	14,010	12,127	26,137
1971-72 .	—	—	—	—	—	—	31,376	26,794	58,170
	40,392	33,958	74,350	41,283	35,851	77,134	51,612	44,362	95,974

31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान वकाया और चालू मामलों में से पूरे किये गए निधारणों की संख्या नीचे दी गई है।

निपटान के लिये निधारणों की कुल संख्या पूरे किये गए निधारणों की संख्या प्रतिशतता	वर्ष के अन्त में वकाया	निधारणों की कुल संख्या
---	------------------------	------------------------

	वकाया	चालू	जोड़	वकाया में से	चालू में से	जोड़	
1970-71--							₹
स्थानीय	38,465	37,393	75,858	12,657	22,809	35,466	46.8%
केन्द्रीय	32,044	29,655	61,699	9,083	18,658	27,741	45.0%
1971-72--							
स्थानीय	40,392	38,230	78,622	13,246	24,093	37,339	47.5%
केन्द्रीय	33,958	30,992	64,950	9,717	19,382	29,099	44.8%
1972-73--							
स्थानीय	41,283	44,055	85,338	21,047	12,679	33,726	39.50%
केन्द्रीय	35,851	35,109	70,960	18,283	8,315	26,598	37.48%
							44,362

* 57. विक्री कर की बकाया मार्गे।

(क) 31 मार्च 1973 को समाप्त होने वाले चार वर्षों के अंत में वसूली योग्य बकाया विक्री कर मार्गे के और नीचे दिए गए हैं:—

कर की बकाया राशि

(लाख रु० में)

31-3-1970 को	482.41
31-3-1971	564.17
31-3-1972	603.46
31-3-1973	817.81

(ख) 31 मार्च, 1973 को कर की बकाया राशि का वर्षवार व्यौरा :

स्थानीय अधिनियम के अंतर्गत	केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत
-------------------------------------	---------------------------------------

(1)	(2)	(3)
(लाख रु० में)		
1952-53 से 1961-62 तक	32.60	1.83
1962-63	2.44	0.73
1963-64	4.36	1.21
1964-65	4.78	2.05
1965-66	4.92	3.40
1966-67	6.36	5.24
1967-68	18.06	13.57
1968-69	38.76	21.17
1969-70	40.01	20.88
1970-71	57.33	32.22
1971-72	126.02	53.97
1972-73	215.71	110.19
जोड़		551.35 266.46

*ये आंकड़े विभाग द्वारा दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त 817.81 लाख रु० के कर की कुल बकाया राशि में से 287.46 लाख रु० (35.2 प्रतिशत) केवल 153 मामलों से संबंधित है (प्रत्येक मामले में 50,000 रु० या उससे अधिक का कर अंतर्ग्रहित है) जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:—

	मामलों की संख्या	राशि (लाख रु० में)	
	(1)	(2)	(3)
(1) प्रत्येक मामले में 50,000 रु० से अधिक परन्तु 1,00,000 रु० से कम	.	71	51.76
(2) प्रत्येक मामले में 1,00,000 रु० से अधिक	.	82	235.70
		153	287.46

(घ) विभाग ने बताया है कि 31 मार्च, 1973 को वसूली योग्य प्रभावी बकाया राशि 458.13 लाख रु० (स्थानीय 306.82 लाख रु० तथा केन्द्रीय 151.31 लाख रु०) थी। शेष 359.68 लाख रु० निम्नलिखित के परिचायक हैं:—

(लाख रु० में)

	स्थानीय	केन्द्रीय	
	(1)	(2)	(3)
(i) राशि जिसकी बट्टे खाते डाले जाने की संभावना है	.	98.62	39.29
(ii) उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई राशि	.	26.77	9.30
(iii) अपर जिला न्यायाधीश द्वारा रोक दी गई राशि	.	1.00	1.99
(iv) अपीलीय / पुनरीकाक प्राधिकारियों द्वारा रोक दी गई राशि	.	25.81	16.43
(v) अपीलीय/पुनरीकाक प्राधिकारियों द्वारा अनुदत्त किए गए के कारण हकी हुई राशि	.	4.94	1.83

(1)	(2)	(3)
(vi) व्यापारियों के दिवालिया हो जाने के कारण रुकी हुई राशि	30.80	9.51
(vii) राशि जिसके समायोज की प्रतीक्षा है	0.26	0.23
(viii) परिशोधन / पुनरीक्षण आवेदन पत्रों के कारण रुकी हुई राशि	56.32	36.58
जोड़	244.52	115.16

* 58. 31 मार्च 1973 को बकाया बिक्री कर संबंधी वसूली प्रमाण पत्र

(i) 31 मार्च, 1973 को विभाग के पास बकाया वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है : —

(1)	(2)	(3)
1-4-1972 को बकाया मामलों की संख्या	3,097	82.78
1-4-1972 से 31 मार्च, 1973 की अवधि के दौरान प्राप्त	6,848	216.03
1972-73 के दौरान वसूली के पश्चात् वापस किए गए प्रमाण-पत्र	3,813	46.53
बिना वसूली किए वापस किए गए प्रमाणपत्र	3,967	188.06
31 मार्च, 1973 को बकाया मामलों की संख्या	2,165	64.22

*ये आंकड़े विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

(ii) 31 मार्च, 1973 को वसूली योग्य बकाया 2,165 मामलों में से 248 मामलों में, प्रत्येक मामले में 10,000 रु अथवा उससे अधिक राशि अन्तर्गत थी। इन मामलों का वर्षवार व्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष जिसमें वसूली प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ था	मामलों की संख्या
1964-65	1
1966-67	1
1967-68	2
1968-69	5
1969-70	17
1970-71	19
1971-72	51
1972-73	152
जोड़	248

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1974) कि 248 मामलों में से 180 मामलों का निपटान दिसम्बर 1973 के अन्त तक कर दिया गया था, शेष 68 मामलों में आगे कार्यवाही की जा रही थी।

* 59. 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1973 के दौरान विकी कर संबंधी छोड़ा और अपवंचन।

प्राप्ति के अन्तर्गत		जोड़
11(2)	11(क)	

(क) 31 मार्च, 1972 को बकाया मामलों की संख्या	2,110	41	2,151
(ख) 1972-73 के दौरान पकड़े गए मामलों की संख्या	2,532	14	2,546
जोड़	4,642	55	4,697

*ये आंकड़े विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

(ग) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्वाचन पूरे कर लिए गए थे:—

(i)	1 अप्रैल, 1972 से पूर्व पकड़े गए मामलों में से	.	.	971	41	1,012
(ii)	1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1973 के दौरान पकड़े गए मामलों में से	.	.	460	11	471
	जोड़	.	.	1,431	52	1,483

छिपाई गई विक्री की पता लगाई गई राशि तथा ऊपर (ग) में उल्लिखित मामलों में उद्भूत कर मांगों की राशि :—

मामलों की संख्या	.	.	.	899
छिपाई गई विक्री	.	.	.	3,33,36,307 ₹०
उद्भूत कर-मांग	.	.	.	9,12,955 ₹०

(घ) 31 मार्च, 1973 को बकाया मामलों की संख्या

(i)	1 अप्रैल, 1973 से पूर्व पकड़े गये मामलों में से	.	.	1,139	—	1,139
(ii)	1972-73 के दौरान पकड़े गए मामलों में से	.	.	2,072	3	2,075
	जोड़	.	.	3,211	3	3,214

(ङ) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें:—

(i)	मुकदमे चलाने के बजाए अर्थ-दंड लगाए गए अथवा	.	.	591	शून्य	591 (1,20,763 ₹०)
(ii)	पंजीकरण न कराने के कारण मुकदमे चलाए गए अथवा	.	.	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	अपराधों का प्रशमन किया गया था	.	.	6	..	6 (1,850 ₹०)

* 60. 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1973 के दौरान तत्त्वशियां और खबितियाँ।

(क) 31 मार्च, 1972 को बकाया मामलों की संख्या

400

(ख) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें 1972-73 के दौरान खाते जब्त किए गए

175

(ग) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण पूरे किए गए थे:—

(i) 1 अप्रैल, 1972 से पूर्व पकड़े गए मामलों में से	151
(ii) 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च 1973 के दौरान पकड़े गए मामलों में से	12
	$\}$ 163

(घ) 31 मार्च, 1973 को बकाया मामलों की संख्या

412

(ङ) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें—

2

(i) मुकदमे चलाए गए अथवा अपराधों का प्रशमन किया गया	(100 ₹)
(ii) अचं-दण्ड लगाए गए	47 (27,345 ₹)

(च) छिपाई गई बिक्री की पता लगाई गई राशि तथा ऊपर (ग) में उल्लिखित मामलों में कर के लिए उद्भूत मांग की राशि—

(i) मामलों की संख्या	123
(ii) निर्धारित सकल बिक्री	1,21,89,790 ₹
(iii) उद्भूत कर मांग	5,60,738 ₹

*ये आंकड़े विभाग हारा प्रस्तुत किए गए हैं।

61. 31 मार्च, 1973 को बकाया विक्री कर अपीलें।

(i) विक्री-कर (अधिनियम) के अन्तर्गत 31 मार्च, 1973 को बकाया अपीलों, पुनरीक्षण आवेदन पत्रों तथा संशोधन याचिकाओं की संख्या निम्न सारणी में दी गई हैः—

सहायक आयुक्त	आयुक्त/उपा-
के पास अपीलें,	युक्त के पास
पुनरीक्षण आवेदन	संशोधन याचिका
पत्र तथा संशोधन	पुनरीक्षण आवेदन
याचिकाएं	पत्र

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान दायर की गई अपीलों, पुनरीक्षण आवेदन-पत्रों, संशोधन याचिकाओं में से	2,011	686
(ख) इससे पिछले वर्षों में दायर की गई अपीलों, पुनरीक्षण आवेदन-पत्र, संशोधन याचिकाओं में से	67	247
जोड़	2,078	933

बकाया अपीलों, पुनरीक्षण आवेदन-पत्रों तथा संशोधन याचिकाओं का वर्षवार व्यौरा नीचे दिया गया हैः—

सहायक आयुक्त	आयुक्त/उपायुक्त
के पास अपीलें,	के पास संशोधन
पुनरीक्षण आवेदन	याचिकाएं, पुन-
पत्र, तथा संशोधन	रीक्षण आवेदन-
याचिकाएं	पत्र

1	2	3
1963-64	—	1
1964-65	—	2
1965-66	--	7
1966-67	--	—
1967-68	—	—
1968-69	11	1

1	2	3
1969-70	५ .	17 5
1970-71	० .	6 36
1971-72	० .	33 195
1972-73	० .	2,011 686
<hr/>		
जोड़	.	2,078 933
<hr/>		

(ii) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें 1972-73 के दौरान कर मांगों को कम कर दिया गया था, अथवा उन्हें फिर से निर्धारण के लिए वापस भेज दिया गया था, नीचे दी गई है:—

निपटाए गए मामलों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मांगें कम कर दी गई	ऐसे मामलों की संख्या जो कर निर्धारण के लिए वापस भेजे गये
(क) सहायक आयुक्त द्वारा	5,298	1,623
(ख) आयुक्त / उपायुक्त द्वारा	1,217	375

राज्य उत्पाद-शुल्क

62. बजट प्राक्कलन और वास्तविक आंकड़ों के बीच विभिन्नता

वर्ष 1972-73 के लिए 6.36 करोड़ रु० के बजट प्राक्कलन के प्रति वास्तविक आंकड़े 8.05 करोड़ रु० थे जो 1.69 करोड़ रु० की वृद्धि दर्शाते हैं। 31 मार्च,

1973 को समाप्त होने वाले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान वसूल किए गए राज्य उत्पाद-शुल्क की तत्संबन्धी बजट अनुमानों के साथ तुलना नीचे दी गई सारणी में की गई हैः—

31 मार्च को समाप्त वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	विभिन्नताएं
	प्राप्तियां	(+)	वृद्धि
		(-)	कमी
<hr/>			
		(लाख रु० में)	
1971	381.30	423.81	+ 42.51
1972	380.80	455.02	+ 74.22
1973	636.21	805.00	+ 168.79

प्रत्येक वर्ष में वसूल किया गया राजस्व पूर्वानुमानों से अधिक रहा और यह अन्तर वर्षान्वर्ष बढ़ता जा रहा है।

63. विमुणिता (डिनेचडे) स्प्रिट पर निर्धारित अनुज्ञा पत (परमिट) शुल्क न लगाए जाने के कारण राज्य उत्पाद शुल्क संबंधी राजस्व की हानि ।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-पुस्तिका में संघ राज्य क्षेत्र में विगुणित स्प्रिट की आयात का अनुज्ञा-पत्र जारी करते समय विगुणित स्प्रिट की विक्री पर अग्रिम रूप में नियत दर पर निर्धारित शुल्क/अनुज्ञा-शुल्क की उगाही और वसूली करने की व्यवस्था है। 8 जून, 1972 से निर्धारित शुल्क की दर 70 पैसे प्रति खुला (बल्क) लिटर से बढ़ा कर 1.50 प्रति खुला लिटर कर दी गई थी और 1 अप्रैल, 1973 से इसे पुनः 1.50 रु० से 2.00 रु० (प्रति खुला लिटर) कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप दरों में विभिन्नता के आधार पर अतिरिक्त निर्धारित शुल्क, आयात कर्ताओं के क्रमशः 8 जून, 1972 और 1 अप्रैल, 1973 को हस्तस्थ स्टाक शेषों पर लगाया तथा वसूल किया जाना चाहिए था। परन्तु शुल्क में वृद्धि किए जाने की तारीखों पर आयात-कर्ताओं द्वारा रखे गए स्टाक पर देय अतिरिक्त निर्धारित शुल्क की उगाही और वसूली करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे 2,14,367 रु० के निर्धारित शुल्क का अवनिर्धारण हुआ। तथापि लेखापरीक्षा के संकेत पर, 1 अप्रैल, 1973 को आयातकर्ताओं के पास रखे स्टाक पर शुल्क की दर में अन्तर की परिचायक 96,042 रु० की राशि वसूल कर ली गई थी परन्तु 8 जून, 1972 को स्टाक शेषों पर देय 1,18,325 रु०

की शेष राशि को जून 1972 में जारी की गई अधिसूचना में तत्संबन्धी विशिष्ट व्यवस्था क
अभाव में वसूल नहीं किया जा सका। सरकार को इस मामले की रिपोर्ट फरवरी 1974
में भेज दी गई थी, उत्तर प्रतीक्षित है।

पी. गोरी शंकर

नई दिल्ली

1974

(पी० गोरी शंकर)

निदेशक, प्राप्ति लेखापरीक्षा

प्रतिहस्ताक्षरित


अधेन्दु बक्सी

नई दिल्ली

1974

(अधेन्दु बक्सी)

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक



भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

1972-73

वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिवल)

राजस्व प्राप्तियां

खण्ड II

प्रत्यक्ष कर

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1972-73

वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)

राजस्व प्राप्तियां

खण्ड-II

प्रत्यक्ष कर

विषय सूची

संदर्भ

	पेरा संख्या	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी	iii	
पहला अध्याय—सामान्य	1-11	1-32
दूसरा अध्याय—निगम कर	12-28	33-62
तीसरा अध्याय—आयन्कर	29-49	63-83
चौथा अध्याय—घन-कर, दान-कर और सम्पदा शुल्क	50-73	84-112

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

जैसा कि संघ सरकार की प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के खण्ड-॥ की प्रस्तावनात्मक टिप्पणी में उल्लिखित है, प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम एक पृथक खण्ड में प्रस्तुत किए गए हैं। इस खण्ड में निगम कर, आय-कर और अन्य प्रत्यक्ष कर जैसे कि धन-कर, दान-कर, और सम्पदा शुल्क की लेखापरीक्षा से उत्पन्न विषयों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया गया है:—

- (i) पहले अध्याय में, प्रत्यक्ष करों से सम्बद्ध आंकड़े और अन्य सूचनाएं निर्दिष्ट की गई हैं। इसमें सामान्य रूप में नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम भी दिए गए हैं।
- (ii) दूसरे अध्याय में निगम कर की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख है।
- (iii) इसी प्रकार, तीसरे अध्याय में आय-कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के समय उठाए गए प्रश्नों पर विचार किया गया है।
- (iv) चौथे अध्याय में धन-कर, दान-कर और सम्पदा कर का उल्लेख किया गया है।

इस रिपोर्ट में जिन बातों का उल्लेख किया गया है वे नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई हैं। उनका आशय यह नहीं है और न ही यह अर्थ लगाया जाय कि उनके द्वारा सम्बन्धित विभाग के कार्यचालन पर किसी प्रकार का सामान्य आक्षेप व्यक्त किया गया है।

ਖਣਡ II

अध्याय 1

सामान्य

वर्ष 1972-73 के लिए प्रत्यक्ष करों से 1233.07 करोड़ रु० की कुल प्राप्तियां हुईं, जिसमें से 495.11 करोड़ रु० की राशि राज्यों को समनुदेशित की गयी थीं। 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के तीन वर्षों के लिए आंकड़े निम्नलिखित हैं—

(करोड़ रु० में)

	1970-71	1971-72	1972-73
(iii) निगम कर	370.52	472.08	557.86
(iv) निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	473.17	534.39	625.47
(v) सम्पदा शुल्क	7.86	9.03	9.78
(vi) धन पर कर	15.31	25.14	35.94
(vii) व्यय कर	(—) 0.01	(—) 0.01	—
(viii) दान कर	2.45	3.52	4.02
 कुल जोड़	 869.30	 1044.15	 1233.07

घटाएं—राज्यों को समनुदेशित निवल
प्राप्तियों का भाग

आय कर	359.09	459.86	487.92
सम्पदा शुल्क	6.30	7.64	7.19
 निवल प्राप्तियां	 503.91	 576.65	 737.96

1972-73 के दौरान प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत हुई सकल प्राप्तियां 1971-72 के दौरान हुई प्राप्तियों की तुलना में 188.92 करोड़ रु० अधिक थीं। उसी अवधि के दौरान निगम कर संग्रहण में 85.78 करोड़ रु० की वृद्धि हुई।

1972-73 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए निगम कर और निगम कर के प्रतिरक्त आय पर कर के कुल संग्रहण के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(करोड़ रु० में)

1972-73 के दौरान कर का पूर्व-कर निर्धारण व पश्च-कर निर्धारण संग्रहण :—

(क) स्रोत पर कटौती	249.95
(ख) अग्रिम कर (निवल)	644.95
(ग) स्व-कर निर्धारण	120.48
(घ) नियमित कर निर्धारण	157.40
	1,172.78

(ख) अग्रिम कर — मांग और संग्रहण* :

1972-73 के दौरान अग्रिम कर के रूप में भेजी गई (अर्थात् नोटिस जारी किए गए) व संग्रहीत की गई मांग :—

(i) मामलों की सं०	56,22,46
राशि	725.12 करोड़ रु०
(ii) (i) में से संग्रहीत की गई मांग	मामलों की सं०
	उपलब्ध नहीं है।
	राशि
	699.48 करोड़ रु०
(iii) 31-3-1973 को अग्रिम कर के अन्तर्गत बकाया—	
	मामलों की सं०]
	उपलब्ध नहीं है।
	राशि
	25.64 करोड़ रु०

(ग) *वितरित लाभांशों पर कम्पनियों द्वारा खोत पर कर की कटौती—

1. 1-4-1972 को कम्पनी निर्धारितियों की संख्या	29,619
1-4-1973 को कम्पनी निर्धारितियों की संख्या	30,072
2. ऐसी कम्पनियों की संख्या जिन्होंने भारत के भीतर लाभांशों की घोषणा व अदायगी के लिए विहित प्रबन्ध कर रखा था :	
1-4-1972 को	18,456
1-4-1973 को	18,017
3. ऐसी कम्पनियों की संख्या जिन्होंने 1972-73 के दौरान लाभांशों का वितरण किया है	4,517

*वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े।

4. ऊपर (3) में अन्तर्गत राशि (००० में)	16,63,708 रु०
5. (3) में से ऐसे मामलों की संख्या जिनमें नियम 37(2) में विहित विवरण प्राप्त हुआ था	4,328
6. (5) में आए विवरण में दर्शाई गई कटौती की राशि ('०००) में	3,95,133 रु०
7. (5) में से ऐसे मामलों की संख्या जिनमें काटा गया कर बैंक को प्रेषित कर दिया गया था ।	4,314
8. ऊपर (7) में अन्तर्गत राशि ('०००) में	3,94,953 रु०
9. (7) में से ऐसे मामलों की संख्या जिनमें काटा गया कर कटौती की तिथि या चालान की प्राप्ति के सम्बन्ध में पश्चात् प्रेषित किया गया था ।	118
10. ऊपर (5) में से ऐसे मामलों की संख्या जिनमें, जब कम्पनी के मामले में दिया गया लाभांश 1 रु० और दूसरों के मामलों में 5,000 रु० अधिक होता है, अनुभाग 286 में विहित विवरण प्राप्त नहीं हुए थे	156
11. ऊपर (3) में से ऐसे कम्पनियों की संख्या जिन्होंने न तो स्रोत पर कर काटा है और न ही नियम 37(2) में विहित विवरण प्रस्तुत किया है ।	8
2. बजट प्रावक्कलनों और वास्तविक आंकड़ों में विभिन्नता	

(i) वर्ष 1972-73 के लिए मुख्य शीर्षों 'III-निगम कर' "IV निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर" "V—सम्पदा शुल्क" और "VIII—दान कर" के अन्तर्गत वास्तविक आंकड़े बजट प्रावक्कलनों से अधिक थे, जब कि मुख्य शीर्षों "VI—धन पर कर" के अन्तर्गत वास्तविक आंकड़े बजट प्रावक्कलनों से कम थे। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत 1968-69 से 1972-73 तक की अवधि के लिए आंकड़े नीचे दिए गए हैं:—

(क) III—निगम कर और IV आय आदि पर कर (करोड़ रु० में)

वर्ष	बजट प्रावक्कलन	वास्तविक आंकड़े	विभिन्नता	विभिन्नता की प्रतिशतता
------	-------------------	--------------------	-----------	---------------------------

III—निगम कर

1968-69	320.35	299.77	(-) 20.58	(-) 6.42
1969-70	326.20	353.39	27.19	8.34
1970-71	342.00	370.52	28.52	8.34

1971-72	411.00	472.08	61.08	14.86
1972-73	493.50	557.86	64.36	13.04

IV आय आदि पर कर*

1968-69	319.65	378.47	58.82	18.40
1969-70	362.30	448.45	86.15	23.78
1970-71	436.75	473.17	36.42	8.34
1971-72	491.00	534.39	43.39	8.84
1972-73	583.00	625.47	42.47	7.28

(ब) V संपदा शुल्क VI धन पर कर, और VIII दान-कर

संपदा शुल्क*

1968-69	7.50	6.74	(-) 0.76	(-) 10.13
1969-70	7.50	6.94	(-) 0.56	(-) 7.47
1970-71	7.50	7.86	0.36	4.80
1971-72	7.00	9.03	2.03	29.00
1972-73	8.00	9.78	1.78	22.25

धन कर

1968-69	11.00	11.11	0.11	1.00
1969-70	12.00	15.62	3.62	30.17
1970-71	18.00	15.31	(-) 2.69	(-) 14.94
1971-72	30.00	25.14	(-) 4.86	(-) 16.20
1972-73	43.00	35.94	(-) 7.06	(-) 16.42

दान कर

1968-69	1.75	1.51	(-) 0.24	(-) 13.71
1969-70	1.50	2.02	0.52	34.67
1970-71	1.50	2.45	0.95	63.33
1971-72	2.00	3.52	1.52	76.00
1972-73	2.50	4.02	1.52	60.80

* सकल आंकड़े लिए गए हैं।

(ii) वर्ष 1972-73 के लिए मुख्य शीर्ष III और IV के लघु शीर्षों के अन्तर्गत विभिन्नता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(लाख ₹० में)

	बजट प्रावकलन	वास्तविक आंकड़े	वृद्धि (+) कमी (-)	विभिन्नता की प्रतिशतता
III. निगम कर				
(i) साधारण संग्रहण	4,73,50	5,43,21	69,71	14.72
(ii) अति लाभकर	—	(-) 01	(-) 01	—
(iii) अधिलाभ कर	—	64	64	—
(iv) व्यवसाय लाभ कर	—	01	01	—
(v) अधिकर	18,50	13,79	(-) 4,71	(-) 25.46
(vi) विविध	1,50	22	(-) 1,28	(-) 85.33
जोड़	4,93,50	5,57,86	64,36	13.04

IV. निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर—

(i)	साधारण संग्रहण %	5,44,00	5,81,78	37,78	6.94
(ii)	अधिभार (संघ)	25,00	28,96	3.96	15.84
(iii)	अधिभार (विशेष)	7,00	3,82	(-) 3,18	(-) 45.43
(iv)	अतिरिक्त अधि- भार (संघ)	50	18	(-) 32	(-) 64.00
(v)	अति लाभ कर	10	(-) 1	(-) 11	(-) 110.00
(vi)	व्यवसाय लाभ कर	—	5	5	—
(vii)	अधिकर	—	6,21	6,21	—
(viii)	विविध @	6,40	4,48	(-) 1,92	(-) 30.00
घटाएँ: राज्यों को समनुदेशित					
निवल आय का भाग	4,62,52	4,87,92	25,40	5.49	
जोड़	1,20,48	1,37,55	17.07	13.17	

% के अन्तर्गत वास्तविक आंकड़ों में लघु शीर्ष “इंगलैंड में प्राप्तियां” के अन्तर्गत प्राप्तियां शामिल हैं।

@ इसमें कृषि आय पर कर शामिल है।

३. संग्रहण पर व्यय

1972-73 वर्ष के दौरान निगम कर और निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर को संग्रहीत करने के लिए किया गया व्यय, पूर्ववर्ती तीन वर्षों के तदनुस्पी आंकड़ों सहित नीचे दिखाया गया है :—

(करोड़ ₹० में)

सकल	संग्रहण पर
संहण	व्यय

III निगम कर

1969-70	353. 39	3. 15
1970-71	370. 52	2. 36
1971-72	472. 08	2. 59
1972-73	557. 86	2. 82

IV आय आदि पर कर

1969-70	448. 45	12. 62
1970-71	473. 17	16. 53
1971-72	534. 39	18. 12
1972-73	625. 47	19. 72

4. (i) 31 मार्च 1973 को विभाग की पुस्तकों में कुल करदाता निवारितियों (कम्पनियों सहित) की संख्या 33,88,259 थी। 31 मार्च 1972 को समाप्त होने वाले गत वर्ष की तुलना में 1,79,743 मामले अधिक थे। प्रत्येक श्रेणी से संग्रहीत किए गए कर की राशि दर्शाने वाले हैसियतवार आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

संग्रहीत किए गए कर की राशि

निवारितियों की संख्या	(करोड़ ₹० में)
-----------------------	----------------

	31 मार्च 1972 को]	31 मार्च 1973 को]	31 मार्च, 1972 को	31 मार्च 1973 को
ब्यक्ति	25,68,937	26,92,169	398. 45	490. 85
हिन्दू अविभाजित परिवार	1,65,340	1,84,373	36. 22	39. 14
कमेंट	4,21,412	4,55,558	107. 24	86. 07
कम्पनियाँ	30,128	30,805	515. 70	635. 53
अन्य	22,699	25,354	12. 64	9. 82
जोड़	32,08,516	33,88,259	1,070. 25	1,261. 41*

*वेरा 1 में दर्शाई गई राशि से भिन्न है। मंत्रालय समाधान हेतु अनुरोध किया गया है।

(ii) प्रत्येक श्रेणी से संग्रहीत किए गए कर की राशि सहित आय कर दाता निर्धारितियों की श्रणीवार संख्या निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है:—

	निर्धारितियों की संख्या		1971-72	1972-73	के
	31 मार्च 1972 को	31 मार्च 1973 को]	दौरान संग्रहीत किया गया कर	दौरान संग्रहीत किया गया कर	के दौरान संग्रहीत किया गया कर
(क)	25,000 रु० से अधिक आय वाले व्यवसाय के मामले	2,18,065	2,42,553	710.37	809.76 (करोड़ रु० में)
(ख)	15,000 रु० से माध्यक परन्तु 25,000 रु० से अनधिक आय वाले व्यवसाय के मामले	2,26,569	2,66,284	114.25	125.09
(ग)	7,500 रु० से अधिक परन्तु 15,000 रु० से अनधिक आय वाले व्यवसाय के मामले	5,00,769	6,22,084	68.56	74.72
(घ)	अधोलिखित श्रे- णी के मामलों और वापसी के मामलों को छोड़- कर अन्य सभी मामले	14,27,952	14,67,955	124.63	145.91
(ङ)	18,000 रु० से कम सरकारी बेतन के मामले और गैर-सरकारी बेतन के मामले	8,35,161	7,89,383	52.44	105.93
	जोड़	32,08,516	33,88,259	1,070.25	1,261.41

पैरा 4 से 10 में आने वाले आंकड़े वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं।

(iii) 31 मार्च 1972 और 31 मार्च 1973 को विभाग की पुस्तकों में दान कर निर्धारितियों की कुल संख्या निम्नलिखित थी :—

	31 मार्च 1972 को]	31 मार्च 1973 को
व्यक्ति	1,77,870	1,83,168
हिन्दू अविभाजित परिवार	25,750	27,700
अन्य	35	310
जोड़	2,03,655	2,11,178

(iv) 31 मार्च 1972 और 31 मार्च 1973 को विभाग की पुस्तकों में दान कर निर्धारितियों की कुल संख्या निम्नलिखित थी :—

	31 मार्च 1972 को	31 मार्च 1973 को
व्यक्ति	53,978	62,199
हिन्दू अविभाजित परिवार	761	1,112
अन्य	102	131
जोड़	54,841	63,442

(v) 31 मार्च 1972 और 31 मार्च 1973 को विभाग की पुस्तकों में सम्पदा शुल्क निर्धारण के कुल मामलों की संख्या निम्नलिखित थी :—

31 मार्च 1972 को	27,341
31 मार्च 1973 को	29,456

(vi) 1972-73 के दौरान पूरे किए गए सम्पदा शुल्क निधारणों की संख्या निम्न-लिखित थी :-

सम्पत्ति का मूल मूल्य	पूरे किए गए शुल्क निधारणों की संख्या
(i) 20 लाख रु० से अधिक	18
(ii) 10 लाख रु० और 20 लाख रु० के बीच	30
(iii) 5 लाख रु० और 10 लाख रु० के बीच	246
(iv) 1 लाख रु० और 5 लाख रु० के बीच	4,475
(v) 50,000 रु० और 1 लाख रु० के बीच	4,272
	9,041

5. कर मांगों की वकाया राशियाँ

(क) निगम कर और आय कर

(i) 31 मार्च 1973 को लगाए गए परन्तु अप्राप्त कर की कुल मांग की राशि 630.14 करोड़ रु० थी जैसा कि मंत्रालय ने बताया था। इसमें 159.88 करोड़ रु० की वह राशि शामिल नहीं है जिसका संग्रहण उस तिथि को देय नहीं था।

(ii) 790.02 करोड़ रु० के सकल वकायों के अन्तर्गत निगम कर, आयकर, व्याज व अर्थ दण्ड के आंकड़े व उनसे सम्बन्धित वर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है :—
(करोड़ रु० में)

	निगम कर	आयकर	व्याज	अर्थ दण्ड	जोड़
1961-62 व उससे पहले के वर्षों के वकाये	10.64	42.13	2.77	3.05	58.59
1962-63 से					
1969-70 तक	34.93	140.88	22.81	25.35	223.97
1970-71	13.69	49.42	12.90	11.63	87.64
1971-72	26.33	103.12	24.13	17.44	171.02
1972-73	61.75	134.62	35.42	17.01	248.80
जोड़	147.34	470.17	98.03	74.48	790.02

(iii) उन निर्धारितियों की संख्या को जिनसे 790.02 करोड़ रु० की सकल बकाया राशियां प्राप्य हैं, निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:—

बकाया मांगे	निर्धारितियों की संख्या	कर की कुल बकाया राशि (करोड़ रु० में)
प्रत्येक मामले में एक लाख रु० तक	17,17,085	414.05
प्रत्येक मामले में एक लाख रु० से अधिक और 5 लाख रु० तक	4,434	106.15
प्रत्येक मामले में 5 लाख रु० से अधिक और 10 लाख रु० तक	823	60.03
प्रत्येक मामले में 10 लाख रु० से अधिक और 25 लाख रु० तक	500	83.82
प्रत्येक मामले में 25 लाख रु० से अधिक	213	125.97
जोड़	17,23,055	790.02

(iv) 1972-73 के अंत तक कर वसूली अधिकारियों और वसूली के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को भेजी गयी कर मांग (की राशि) व इसके वर्ष-वार विवरण निम्नलिखित है:—

वर्ष	प्रमाणित राशि	वसूल की गई राशि	शेष
1966-67	62,60,04,000	7,58,27,000	55,01,77,000
1967-68	84,45,31,000	12,08,39,000	72,36,92,000
1968-69	1,43,00,75,000	17,66,91,000	1,25,33,84,000
1969-70	1,11,49,70,580	34,63,75,274	76,85,95,306
1970-71	1,88,42,38,797	1,13,96,68,395	74,45,70,402
1971-72	4,07,89,35,252	1,02,25,56,206	2,05,63,79,046
1972-73	7,83,68,31,000	1,18,08,16,000	6,65,60,15,000

(v) 31 मार्च 1973 को अप्राप्त अधिकर मांगों की बकाया राशि निम्नलिखित हैः—

प्रस्तुत मांगों से संबंधित वर्ष

बकाया राशि

(लाख ₹० में)

1965-66	0.74
1966-67	--
1967-68	1.17
1968-69	6.74
1969-70	26.00
1970-71	68.27
1971-72	112.99
1972-73	348.17

जोड़ 564.08

(वे मांगे जो, 31 मार्च 1973 को देय नहीं हुई हैं, जोड़ दी गई हैं)

(x) अन्य प्रत्यक्ष कर (अर्थात् धन-कर, दान-कर और सम्पदा शुल्क)

31 मार्च 1973 को मांगों के वर्षावार बकाये तथा प्रत्यक्ष] करों—धन-कर, दान कर और सम्पदा शुल्क तीनों के अन्तर्गत उनसे संबंधित मामलों की संख्या को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया हैः—॥

(राशि लाख ₹० में)

धन कर	दान कर	सम्पदा शुल्क
भामलों	मामलों	भामलों
की संख्या	की संख्या	की संख्या

₹० ₹० ₹०

1970-71

और उससे

पहले के वर्ष	20,028	496.47	5,632	108.17	3,925	583.04
1971-72	19,051	496.40	3,683	54,18	2,177	204.07
1972-73	62,221	1,553.41	13,819	199.02	3,826	742.81

जोड़ 1,01,300 2,546.28 23,134 361.37 9,928 1,529.92

6. कर निर्धारणों की वकाया राशियां

(क) (i) निगम कर सहित आयकर

31 मार्च 1973 को अंतिम रूप दिये जाने वाले कर निर्धारणों की संख्या में पिछले वर्ष के अन्त में अन्तिम रूप दिये जाने वाले कर निर्धारण के मामलों की तुलना में वृद्धि हुई है। 31-3-1973 को अनिर्णीत कर निर्धारणों की स्थिति (संख्या) 13.93 लाख थी जबकि 31-3-1972 को यह संख्या 11.24 लाख और 31-3-1971 को 12.39 लाख थी। 13.93 लाख अनिर्णीत मामलों में से 6.39 लाख मामले संक्षिप्त कर निर्धारणों से संबंधित हैं।

(ii) गत पांच वर्षों के दौरान वकाया कर निर्धारणों और चालू कर-निर्धारणों में से पूरे किये गये कर निर्धारणों की संख्या अगले पृष्ठ पर दी गई है :—

५६

५७

५८

कर-निर्धारण

निर्धारण

	३१-३-१९७१	३१-३-१९७२	३१-३-१९७३	३१-३-१९७४	३१-३-१९७५	३१-३-१९७६
कर-निर्धारण	११,२४,१३	१३,९३	१३,९३	६,३९	१३,९३	१३,९३
निर्धारण	८८,८८,१३	८८,८८	८८,८८	१००,०१	८८,८८	८८,८८
विभिन्न	८८,८८,१३	८८,८८	८८,८८	११,८८,१३	८८,८८	८८,८८
कर-निर्धारण	८८,८८,१३	८८,८८	८८,८८	११,८८,१३	८८,८८	८८,८८
निर्धारण	८८,८८,१३	८८,८८	८८,८८	१००,०१	८८,८८	८८,८८
विभिन्न	८८,८८,१३	८८,८८	८८,८८	११,८८,१३	८८,८८	८८,८८
कर-निर्धारण	८८,८८,१३	८८,८८	८८,८८	१००,०१	८८,८८	८८,८८
निर्धारण	८८,८८,१३	८८,८८	८८,८८	११,८८,१३	८८,८८	८८,८८
विभिन्न	८८,८८,१३	८८,८८	८८,८८	१००,०१	८८,८८	८८,८८

पूरे किये गये कर निर्धारणों की संख्या

वित्तीय वर्ष	निपटान के लिए चालू में से कर निर्धारणों की संख्या	बकाया में से	जोड़	प्रतिशतता	वर्ष के अंत में अनिर्णीत कर निर्धारणों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
1968-69	49,99,237	16,73,474	17,47,808	34,21,282	68.4	15,77,955
1969-70	48,79,697	21,34,814	14,23,076	35,57,890	72.9	13,21,807
1970-71	47,30,992	22,48,534	12,43,629	34,92,163	73.8	12,38,829
1971-72	49,67,924	23,56,949	14,87,270	38,44,219	77.4	11,23,705
1972-73	49,90,722	25,07,241	10,90,816	35,98,057	72.1	13,92,665

यह दृष्टव्य होगा कि 1972-73 में कर निर्धारणों को निपटाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति धीमी हो गयी है एवं इस वर्ष निपटानों में 1971-72 के निष्पादन की तुलना में 2,46,162 की कमी हो गई है।

(iii) पिछले तीन वर्षों में अनिर्णीत आयकर निर्धारणों की स्थिति निम्नलिखित है :—

वर्ष	31-3-1971 को	31-3-1972 को	31-3-1973 को
1968-69 और उससे पहले के			
वर्ष	2,46,340	27,745	20,070
1969-70	2,65,296	20,988	16,543
1970-71	7,27,193	2,82,131	32,674
1971-72	—	7,92,841	3,35,410
1972-73	—	—	9,87,968
जोड़	12,38,829	11,23,705	13,92,665

(iv) 31-3-1972 और 31-3-1973 को अनिर्णीत आयकर निर्धारणों के श्रेणीवार और निम्नलिखित हैं :—

	31-3-1972 को	31-3-1973 को
(क) 25,000 रु से अधिक आय वाले व्यवसाय के मामले]	1,24,149	1,45,773
(ख) 15,000 रु से अधिक परन्तु 25,000 से अनधिक आय वाले व्यवसाय के मामले	81,750	98,438
(ग) 7,500 रु से अधिक परन्तु 15,000 रु से अनधिक आय वाले व्यवसाय के मामले	1,32,474	1,46,767
(घ) अधोलिखित श्रेणी (ड) के मामलों और वापसी के मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामले	3,00,946	3,14,954
(ड) 18,000 रु से कम अल्प आय योजना के मामले, सरकारी वेतन के मामले और गैर-सरकारी वेतन के मामले	43,245	47,867
(च) संक्षिप्त कर निर्धारण	4,41,141	6,38,866
जोड़	11,23,705	13,92,665

(v) 31-3-1973 को अनिर्णीत आयकर निर्धारणों के हैसियत-वार वर्ष-वार व्यौरे:—

हैसियत उससे पहले के वर्ष	1968-69 व 1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7
व्यक्ति	13,814	13,212	26,005	2,57,085	7,80,069	10,90,185
हिन्दू अविभाजित परिवार	1,664	1,639	2,438	18,047	52,535	76,323
कम्पनियां	1,802	284	282	5,850	12,366	20,584
फर्म	2,387	1,289	3,363	49,608	1,32,635	1,89,282
व्यक्तियों का संघ	403	119	586	4,820	10,363	16,291
जोड़	20,070	16,543	32,674	3,35,410	9,87,968	13,92,665

(vi) 1971-72 और 1972-73 के दौरान महीने-वार पूरे किये गये निर्धारणों की संख्या और की गई मांगें निम्नलिखित हैं :—

मास	1971-72	1972-73		
	परे किये गये कर-निर्धारणों की संख्या	की गई मांगें (करोड़ रु० में)	पूरे किये गये कर-निर्धारणों की संख्या	की गयी मांगें (करोड़ रु० में)
अप्रैल	57,408	13.78	47,876	13.32
मई	75,737	13.66	57,536	16.67
जून	1,23,129	22.12	81,454	13.08
जुलाई	2,78,207	37.61	1,59,201	21.89
ग्रगस्त	3,56,852	53.94	2,76,159	36.12
सितम्बर	3,81,693	53.86	3,49,981	43.57
अक्टूबर	3,79,267	68.41	3,49,573	63.26
नवम्बर	4,13,938	91.21	3,69,681	83.92
दिसम्बर	4,28,061	158.91	4,85,231	95.68
जनवरी	4,28,075	139.25	4,41,391	113.00
फरवरी	4,27,741	185.64	4,55,613	119.65
मार्च	4,94,111	329.00	5,24,361	239.73
जोड़	38,44,219	1,167.39	35,98,057	859.89

उपर्युक्त आंकड़ों से ज्ञात होगा कि (i) पिछले वर्ष की तुलना में की गई मांग में 307.50 रु० की एकाएक कमी हो गई है (ii) वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान कर निर्धारणों का आधिक्य अनियमित रूप से बना हुआ है (iii) अधिकांश मांग अंतिम तिमाही में की जाती है जिसके कारण संग्रहीत न की गई मांगें आगे ले जाई जाती हैं।

(vii) पुनः चालू किए गए मामले और रद्द किए गए मामले जो अनिर्णीत हैं :

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 146 के अधीन (या पुराने अधिनियम के तदनुरूपी उपबन्धों के अधीन) रद्द किये गये कर निर्धारणों, जो 31-3-1973 को अंतिम रूप दिये जाने के लिए अनिर्णीत हैं, के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

कर निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या
1966-67 और उससे पहले के वर्ष—	1,819
1967-68	697
1968-69	773
1969-70	1,125
1970-71	1,224
1971-72	741
1972-73	691
	7,070
जोड़	

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 263 के अधीन (या पुराने अधिनियम के तदनुरूपी उपबन्धों के अधीन) रद्द किये गये कर निर्धारणों, जो 31-3-1973 को अंतिम रूप दिये जाने के लिए अनिर्णीत हैं, के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

कर-निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या
1966-67 और उससे पहले के वर्ष	222
1967-68	60
1968-69	63
1969-70	51
1970-71	30
1971-72	32
1972-73	24
	487
जोड़	

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 251 के अधीन (या पुराने अधिनियम के तदनरूपी उपबन्धों के अधीन), अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 254 के अधीन (या पुराने अधिनियम के तदनरूपी उपबन्धों के अधीन) अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा रह किये गये कर-निर्धारणों जिनमें 31-3-1973 को नये कर-निर्धारण पूरे नहीं किये गए हैं, के वर्षावार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

कर निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या
1966-67 और उससे पहले के वर्ष . . .	5,434	1966-67 और उससे पहले के वर्ष . . .	636
1967-68 . . .	966	1967-68 . . .	77
1968-69 . . .	1,090	1968-69 . . .	71
1969-70 . . .	1,284	1969-70 . . .	76
1970-71 . . .	834	1970-71 . . .	50
1971-72 . . .	604	1971-72 . . .	43
1972-73 . . .	561	1972-73 . . .	47
जोड़ . . .	10,773	जोड़ . . .	1,000

(ख) अधिलाभ कर एवं अधिकर के अनिर्णीत निर्धारण

31 मार्च 1973 को अनिर्णीत निर्धारणों की मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई रिति नीचे दो गई हैं :—

अधिलाभ कर अधिकर

- | | | |
|---|----|-------|
| (i) 1972-73 के दौरान निपटान के लिए मामलों की कुल संख्या | 55 | 3,856 |
| (ii) ऐसे मामलों की संख्या जो अनन्तिम रूप से नियटाये गये | — | 278 |

लाख रु० लाख रु०

(iii) अन्तिम रूप से निपटाये गये मामलों की संख्या	28	1,904
(iv) अनन्तिम कर निर्धारणों पर की गयी मांग की राशि	—	1407.32
(v) अनन्तिम कर निर्धारणों पर संग्रहीत की गई मांग की राशि	—	1147.50
(vi) अन्तिम कर निर्धारण पर की गई मांग की राशि	105.01	2445.11
(vii) अन्तिम कर निर्धारण पर संग्रहीत की गई मांग की राशि	92.56	2014.17
(viii) 31 मार्च, 1973 को अनिर्णीत मामलों की संख्या	27	1952
(ix) (viii) में अन्तर्ग्रस्त कर की अनुमानित राशि	2.44	1235.12

अधिकर अधिनियम के अधीन 31-3-1973 को अनिर्णीत कर निर्धारणों के वर्ष-वार व्यौरे :—

वर्ष	कर निर्धारणों की संख्या
1964-65 व उससे पहले के वर्ष	1
1965-66	4
1966-67	54
1967-68	56
1968-69	79
1969-70	105
1970-71	260
1971-72	493
1972-73	900

जोड़ 1952

(ग) 31 मार्च 1973 को धनकर, दान कर तथा सम्पदा शुल्क के अंतिम रूप न दिये जाने के कारण अनिर्णीत निर्धारणों और उनमें अन्तर्ग्रस्त कर/शुल्क की अनुमानित राशि के वर्षवार व्यौरे नीचे दी गई सारणी में दिये गये हैं :—

वर्ष

अनिर्णीत निधारणों की संख्या

अन्तग्रहस्त कर की अनुमानित राशि

(लाख रु० में)

धनकर

दानकर

सम्पदा शुल्क

धनकर

दानकर

सम्पदा शुल्क

1

2

3

4

5

6

7

1967-68 और इससे पहले

के वर्ष	13077	576	1300	235.88	7.91	53.08
1968-69	8443	354	444	133.46	1.57	58.01
1969-70	13057	696	801	174.55	6.49	62.37
1970-71	24526	1788	1413	353.52	13.28	184.02
1971-72	44373	3618	2406	632.73	31.63	108.88
1972-73	95201	9954	7044	1210.83	63.24	555.91

जोड़

198677

16986

13408

2740.97

124.12

1022.27

7. वर्ष 1972-73 के दौरान विभाग द्वारा बटे खाते डाली गई राजस्व मांग

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान राजस्व विभाग द्वारा 13,636 मामलों में 266.76 लाख रु० की मांग बटे खाते डाली गई। इसमें से 9.31 लाख रु० की राशि 39 कम्पनी निर्धारितियों से संबंधित है और 257.45 लाख रु० की राशि 13,597 कम्पनी से इतर निर्धारितियों से संबंध रखती है।

(लाख रु० में)

कम्पनियां	कंपनियों से इतर		कुल	
	सं०	राशि	सं०	राशि
	रु०		रु०	
1	2	3	4	5
7				
1. ऐसे निर्धारिती				
जिन्हें मृत्यु				
के उपरान्त				
कोई परि-				
सम्पत्ति नहीं				
छोड़ी या जिन				
का परिसमा-				
पन हो गया				
अथवा जो दि-				
वालिया हो				
हो गये :—				
(क) जिन				
निर्धारितियों				
ने मृत्यु के				
उपरान्त कोई				
परिसम्पत्ति				
नहीं छोड़ी	—	—	172	143.45
(ख) जिन				
निर्धारितियों				
का परिसमापन				
हो गया	25	7.43	—	25
				7.43

	1	2	3	4	5	6	7
(ग) जो निर्धारिती दिवालिया हो गये	—	—	33	20. 14	33	20. 14	
(घ) ऐसी कम्पनियां जो अपरिचलित हो गई परन्तु जिनका परिसमापन नहीं हुआ	2	0. 23	—	—	2	0. 23	
जोड़	27	7. 66	205	163. 59	232	171. 25	
II ऐसे निर्धारिती जो लापता है	3	0. 10	4245	29. 15	4248	29. 25	
III ऐसे निर्धारिती जो भारत छोड़ गये	1	0. 01	170	35. 90	171	35. 91	
IV अन्य कारणों से:—							
(i) ऐसे निर्धारिती जो जीवित है परन्तु जिनके पास कुर्की योग्य परिसम्पत्तियां नहीं हैं।	6	1. 08	632	15. 67	638	16. 75	
(ii) राशि बहुत कम है आदि	—	—	8230	2. 11	8230	2. 11	
(iii) निर्धारितियों के साथ समझौता हो जाने के परिणाम स्वरूप बटटे खाते डाली गई राशि	2	0. 46	2	7. 52	4	7. 98	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

(iv) ऐसी

मांगे जो वाद
की परिस्थि-
तियों जैसे
दुवारा की गई
मांगों, गलत की
गई मांगों, संर-
क्षात्मक मांगों
आदि के कारण
लागू होने योग्य
नहीं रही

—	—	16	3. 45	16	3. 45
---	---	----	-------	----	-------

जोड़	8	1. 54	8880	28. 75	8888	30. 29
------	---	-------	------	--------	------	--------

V समानता
या अन्तर्भूतीय
शिष्टाचार के
नाते अथवा
ऐसा समझने
के कारण कि
वसूली के
लिए कानूनी
उपायों पर
अन्तर्गत समय,
श्रम और धन,
वसूली की
अपेक्षा अधिक
होगा, बट्टे
खाते डाली
गई राशि

--	--	97	0. 06	97	0. 06
----	----	----	-------	----	-------

कुल जोड़	39	9. 31	13597	257. 45	13636	266. 76
----------	----	-------	-------	---------	-------	---------

(ख) राजस्व विभाग द्वारा 1972-73 के दौरान धन-कर, दान कर और सम्पदा शुल्क की बट्टे खाते में ढाली गई मार्गे :—

	धन-कर		दान-कर		सम्पदा शुल्क		
	संख्या रु०	राशि रु०	संख्या रु०	राशि रु०	संख्या रु०	राशि रु०	
	1	2	3	4	5	6	7
I ऐसे निर्धा- रिती जिन्होंने मृत्यु के उप- रान्त को इपरि- संपत्ति नहीं छोड़ी या जिन- का परिसमा- पन हो गया अथवा जो दिवालिया हो गये :—							
(क) जिन निर्धारितियों ने मृत्यु के उपरान्त कोई परिसम्पत्ति नहीं छोड़ी	—	—	—	—	—	—	—
(ख) जिन निर्धारितियों का परिसमापन हो गया	1	9,000	—	—	—	—	—
(ग) जो नि- र्धारिती दि- वालिया हो गये	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	1	9,000	—	—	—	—	—

	1	2	3	4	5	6	7
II. ऐसे निर्धारिती जो लापता हैं	—	—	1	698	—	—	—
III. ऐसे निर्धारिती जो भारत छोड़ गए	—	—	—	—	—	—	—
IV. अन्य करणों से :—							
(क) ऐसे निर्धारिती जो जीवित हैं परन्तु जिनके पास कुकीं योग्य परिसम्पत्ति नहीं है	1	1,012	—	—	—	—	—
(ख) राशि बहुत कम है आदि	—	—	1	66	—	—	—
(ग) निर्धारितियों के साथ समझौता हो जाने के परिणाम स्वरूप बट्टे खाते डाली गई राशि	—	—	—	—	—	—	—
(घ) ऐसी मांगें जो बाद की परिस्थितियों जैसे दुबारा की गई मांगों, गलत को गई मांगों, संरक्षात्मक मांगों आदि के कारण लागू होने योग्य नहीं रहीं	—	—	—	—	—	—	—

1 2 3 4 5 6 7

V. समानता
या अन्तर्राष्ट्रीय
शिष्टाचार के
नाते अथवा
ऐसा समझने
के कारण
कि वसूली
के लिए का-
नूनी उपायों
पर अन्तर्गत
समय, श्रम और
धन वसूली
की अपेक्षा
अत्यधिक होगा,
ऐसी बटटे-
खाते डाली गई
राशि

जोड़	2 10,012	2	764
------	----------	---	-----

8. धोखेबाजी तथा अपवंचन

(क) आयकर

(i) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें धारा 28(i) (ग)/271 (i) (ग) के अधीन 1972-73 में अर्थदण्ड लगाया गया ।	12,544
(ii) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें आय छिपाने पर मुकदमे चलाये गये ।	30
(iii) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मुकदमा चलाये बिना प्रशमन हो गया ।	3
(iv) (i) में अन्तर्गत छिपाई गई आय ।	25,48,27,000
(v) (i) के मामले में लगाये गये अर्थदण्ड की कुलराशि ।	12,18,73,000

(vi) मद (iv) में छिपाई गई आय पर मांगा गया अतिरिक्त कर	12,42,61,000
(vii) (ii) में से ऐसे मामले जिनमें दोष सिद्ध किया गया	
(viii) (iii) के सम्बन्ध में प्रशमन के रूप में उगाही गई राशि	73,000
(ix) (vii) से संबंधित मामलों में लगाये गए दण्ड का स्वरूप :—	
(क) अदालत के उठने तक कारागार के लिए दोषी ठहराये गए साझीदार	एक मामला
(ख) अदालत के उठने तक कारागार के लिए दोषी ठहराये गये एवं 1000 रु० अर्थदण्ड लगाये गये	एक मामला

(ख) धन-कर और दान-कर :

धन-कर	दान-कर
रु०	रु०
(i) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें धारा 18 (1)ग/17 (1) (ग) के अधीन अर्थदण्ड लगाये गए —	368
(ii) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें आय छिपाने के लिए मुकदमे दायर किये गए	कुछ नहीं
(iii) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मुकदमे चलाये विना प्रशमन हो गया	कुछ नहीं
(iv) छिपाया गया निवल धन/ (i) में अन्तर्ग्रस्त दान का मूल्य (v) लगाये गये अर्थदण्ड की कुल राशि	3,64,67,000 2,41,000 1,69,23,000 1,38,000
(vi) छिपाने पर मांगा गया अतिरिक्त कर	6,78,000 2,34,000
(vii) (ii) में से ऐसे मामले जिनमें दोष सिद्ध हुए	कुछ नहीं
(viii) (iii) से संबंधित मामलों में लगाया गया प्रशमन शुल्क	कुछ नहीं
(ix) (vii) के विषय में दण्ड का स्वरूप	कुछ नहीं

9. धारा 271 (4-क) के अन्तर्गत अधोषित आय को स्वेच्छा से घोषित करना।

अधोषित आय को स्वेच्छा से घोषित करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम, 1961 में आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1965 द्वारा धारा 271 (4-क) को निर्दिष्ट किया गया। यह उप-धारा उन व्यक्तियों पर लगाये जाने वाले न्यूनतम अर्थदण्ड की राशि का अधिकार देती है, जिन्होंने अपनी छिपाई गई आय के पूर्ण और सही आंकड़े स्वेच्छा और सद्भावना से बता दिये हैं। निम्नलिखित सारणी 1972-73 के दौरान स्वेच्छा से अपनी छिपाई गई आय को घोषित करने वाले व्यक्तियों की संख्या, वर्ष के दौरान पूरे किये गये कर-निर्धारणों और 31 मार्च, 1973 को अंतिम रूप दिये बिना पड़े बकाया मामलों की कुल संख्या को दिखाती है:—

(i)	1-4-1972 को बकाया मामलों की संख्या	2,941
(ii)	1972-73 के दौरान स्वेच्छा से आय बताने वाले व्यक्तियों की संख्या	3,691
(iii)	घोषित की गई आय की राशि	2700 लाख रु०
	मद (i) के सम्बन्ध में 18,61 लाख रु०	
	मद (ii) के सम्बन्ध में 8,39 लाख रु०	
(iv)	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें घोषित आय का पहले ही पता लग गया था	225
(v)	उपरोक्त (iv) में अन्तर्ग्रस्त आय	301 लाख रु०
(vi)	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण पूरा हो गया	1,378
(vii)	उपरोक्त (vi) के मामले में अन्तर्ग्रस्त आय की राशि	6,12 लाख रु०
(viii)	उपरोक्त (vii) के मामले में लगाये गए कर की राशि	2,12 लाख रु०
(ix)	उपरोक्त (viii) में से वसूल की गई राशि	92 लाख रु०
(x)	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अर्थदण्ड लगाने में छूट या कमी की गई थी।	906
(xi)	उपरोक्त (x) में अन्तर्ग्रस्त आय की राशि	67 लाख रु०
(xii)	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अर्थदण्ड की पूरी राशि लगाई गई।	157
(xiii)	उपरोक्त (xii) के मामलों में अन्तर्ग्रस्त राशि	6 लाख रु०
(xiv)	31-3-1973 को अंतिम रूप दिये बिना बकाया पड़े हुए मामलों की संख्या	5,029

(xv) उपरोक्त (xiv) के वर्षवार व्यौरे :—

1965-66	.	.	164
1966-67	.	.	182
1967-68	.	.	149
1968-69	.	.	123
1969-70	.	.	174
1970-71	.	.	351
1971-72	.	.	974
1972-73	.	.	2912
		जोड़	5029

टिप्पणी :— 31-3-1972 के अन्तर्शेष (2974) और 1-4-1972 के अन्तर्शेष (2941) के बीच 33 के अन्तर का कारण यह है कि दायर की गई वे याचिकायें, जिन्हें अस्वीकृत कर दिया गया, इसमें शामिल नहीं है।

10. अर्थदण्ड कार्यवाही को बकाया राशि

अभी भी (31-3-1973 को) 656 ऐसे मामले हैं जिनमें आयकर अधिनियम, 1922 के अन्तर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही विचाराधीन है। विस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत इन विचाराधीन मामलों का वर्षवार विश्लेषण निम्नलिखित है :—

कर-निर्धारण वर्ष	1	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रहित की अर्थदण्ड की अनुमानित राशि	
			2	3 (हजार रु० में)
1952-53 और इससे पहले के वर्ष	.	.	263	6,384
1953-54	.	.	35	2,679
1954-55	.	.	42	2,491
1955-56	.	.	48	1,402
1956-57	.	.	67	1,110
1957-58	.	.	72	5,488
1958-59	.	.	51	151
1959-60	.	.	37	137
1960-61	.	.	25	107
1961-62	.	.	16	36
			656	19,985

1. नमूना लेखा-परीक्षा के सामान्य परिणाम

(i) निगम कर और आयकर

1 सितम्बर, 1972 से 31 अगस्त, 1973 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा में आयकर कार्यालय के प्रेसेखों से 15,291 मामलों में 1296.96 लाख रु० के करों के अवनिधारण और 4,617 मामलों में 188 लाख रु० के करों के अधिक निधारण का पता लगा। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा विभाग के ध्यान में निर्धारित कार्यविधि का पालन करने में हुई बहुत सी त्रुटियाँ भी आईं।

अवनिधारण के कुल 15,291 मामलों में से केवल 1,094 मामलों में ही 1112.64 लाख रु० के कम कर लगाए जाने का पता लगा। शेष 14,197 मामलों में 184.32 लाख रु० के करों का अवनिधारण हुआ।

जिन भूलों के कारण 1296.96 लाख रु० के करों का अवनिधारण हुआ उनका विस्तृत वर्गीकरण निम्नलिखित शीर्षों में किया गया है:—

मदों की संख्या	राशि (लाख रु० में)	
1	2	3
1.	परिहार्य भूलों जिनके कारण यथेष्ट राजस्व की हानि हुई	2193 36.43
2.	वित्त अविनियमों के उपबन्धों का अनुपालन न किया जाना	144 21.70
3.	कर निधारणों में गलत हैसियत का अपनाया जाना	101 78.52
4.	बेतन के रूप में आय की गलत संगणना	266 4.34
5.	गृह सम्पत्ति से आय की गलत संगणना	556 13.06
6.	लाभांश के रूप में आय की गलत संगणना	95 4.03
7.	व्यापार से आय की गलत संगणना	1853 157.25
8.	मूल्य ह्रास और विकास छूट देने में अनियमितता एं	866 457.80
9.	अनियमित छूट या अधिक राहत दिया जाना	761 71.90
10.	निर्यात प्रोत्साहन के सम्बन्ध में अनियमितता एं	9 11.64
11.	पूंजीगत लाभ की अनियमित संगणना	123 10.36
12.	फर्मों व साझेदारों के निधारण में भूल	280 16.35
13.	पति-पत्नी/नाबालिग बच्चों की आय शामिल करने में चूक	30 3.11
14.	हानियों का अनियमित प्रतिसंतुलन	73 14.29

1	2	3
15. अपील आदेशों को लागू करते समय कर निर्धारणों में भूल	86	12.74
16. कर-निर्धारण में छोड़ दी गई आय	1387	25.01
17. विवरणी प्रस्तुत करने में विलम्ब, कर इत्यादि की अदायगी में विलम्ब के लिए ब्याज का न लगाया जाना/ गलत लगाया जाना।	2527	63.43
18. सरकार द्वारा परिहार्य या गलत ब्याज की अदायगी	49	42.24
19. अर्थदण्ड की चूक/कम लगाया जाना	79	32.59
20. अधिक या अनियमित वापसियां	388	4.96
21. गलत क्रियाविधि अपनाने के कारण कम कर- निर्धारण	43	14.53
22. अन्य रचिकर विषय/विविध	3230	70.16
23. अतिकर/अधिक लाभ कर का कम निर्धारण	152	130.52
	15,291	1296.96

(ii) धन-कर

धन-कर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत निर्धारणों की नमूना नेखापरीक्षा के दौरान 2652 मामलों में 46.57 लाख रु का कम कर लगाए जाने का पता चला। जिन मामलों में अधिक कर निर्धारण देखने में आया उनकी संख्या 861 थी और अन्तर्गत कर की राशि 10,97 लाख रु थी।

46.57 लाख रु के करों का अव-निर्धारण जिन भूलों के कारण हुआ उनका विस्तृत वर्गीकरण निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत किया गया है:—

1	2	3
मदों की संख्या (लाख रु में)		
1. कर के परिकलन, धन की संगणना में भूल	750	5.67
2. कर निर्धारण में छोड़ दिया गया धन	400	4.92
3. परिसम्पत्तियों का गलत मूल्यांकन	200	2.94

1	2	3
4. गलत (राहते) और कूटे	632	9.50
5. अतिरिक्त धन-कर की चूक या उसका गलत लगाया जाना	50	2.57
6 अर्थदण्ड का न लगाया जाना या गलत लगाया जाना	350	16.22
7. अन्य खुले	270	4.75
	<hr/> जोड़	<hr/> 2652
		46.57

(iii) दान-कर

दान-कर निर्धारणों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान यह देखने में आया कि 436 मामलों में 12.64 लाख ₹० का कर कम लगाया गया था तथा 152 मामलों में 0.96 लाख ₹० अधिक कर लिया गया था।

(iv) संपदा शुल्क

सम्पदा शुल्क निर्धारणों की नमूना लेखापरीक्षा में यह देखने में आया कि 351 मामलों में 16.06 लाख ₹० का सम्पदा शुल्क कम लगाया गया था तथा 113 मामलों में 1.55 लाख ₹० अधिक लिया गया था।

अध्याय II

निगम कर

12. 30 सितम्बर, 1972 को भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 4,998 करोड़ रु० की प्रदत्त पूँजी के शेयरों द्वारा सीमित 33,768 संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ थीं। इन 33,768 कम्पनियों में 368 सरकारी कम्पनियाँ और 33,400 गैर-सरकारी कम्पनियाँ शामिल थीं जिनकी प्रदत्त पूँजी क्रमशः 2680 करोड़ रु० व 2318 करोड़ रु० थीं। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियाँ* थीं।

‘कम्पनी’ में अब (1-4-1971 से) ऐसी विदेशी कम्पनी एवं संस्थान या संस्था शामिल होगी जिन पर कर-निवारण वर्ष 1970-71 को लिलाकर 1970-71 तक किसी भी कर-निवारण वर्ष में एक कम्पनी के रूप में कर निवारित किया गया था। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को किसी भी पिछले कर-निवारण वर्ष के सम्बन्ध में किसी संस्था को कम्पनी घोषित करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। आयकर अधिनियम में “भारतीय कम्पनी” की परिभाषा को संशोधित कर दिया गया है ताकि केन्द्रीय, राज्य, या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम और कोई अन्य संस्थान संघ या संस्था को, जिसे बोर्ड ने एक कम्पनी के रूप में घोषित किया है, इनमें शामिल किए जा सके। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि जिन संघों को कम्पनी घोषित कर दिया गया है उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	उन संघों की संख्या जिन्हें कम्पनी घोषित किया गया है
1971-72	33
1972-73	2

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1-4-1972 और 1-4-1973 को कम्पनी निवारितियों की संख्या क्रमशः 28,675 और 28,924 थी।

* आंकड़े, विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली की 1972-73 की रिपोर्ट से लिए गए हैं।

वर्ष 1972-73 के अन्त तक पूरे किए गए कम्पनी कर-निधारणों व अनिर्णीत कर-निधारणों की संख्या नीचे दी गई है :—

(i) वर्ष 1972-73 के आरम्भ में अर्थात् 1-4-1972 को अनिर्णीत कम्पनी निधारितियों की कुल संख्या	22,817
(ii) (i) में से 1972-73 के दौरान पूरे किए गए कर-निधारणों की संख्या	14,437
(iii) चालू निधारणों की कुल संख्या जिनका 1972-73 के दौरान पूरा किया जाना अपेक्षित था।	1 29,820
(iv) (iii) में से 1972-73 के दौरान पूरे किए गए कर-निधारणों की संख्या	17,609
(v) 31-3-1973 को अनिर्णीत कर-निधारणों की संख्या	20,591

कम्पनियों के कर निधारण के सम्बन्ध में देरा 11(i) में उल्लिखित शीर्षों के अन्तर्गत भूलों के कुछ दृष्टान्त निम्नलिखित पैराग्रामों में दिए गए हैं।

13. भूलें जिनमें यथेष्ट राजस्व अन्तर्गत हैं

(क) कर-निधारण वर्ष 1968-69 के लिए एक कम्पनी की व्यापार से आय का परिकलन करने में विभाग ने “मूल्यहास” के सम्बन्ध में लाभ हानि लेखे को वास्तव में डेविट किए गए 22,93,532 रु के स्थान पर 20,93,532 रु की राशि को निवल भाग में पुनः जोड़ दिया जिसके कारण 2,00,000 रु की आय का कम निधारण हुआ। इसके अतिरिक्त लाभ-हानि लेखे को डेविट किया गया “वैज्ञानिक अनुसंधान” पर 98,946 रु का व्यव निवल लाभ में पुनः नहीं जोड़ा गया। परन्तु उतनी राशि को निवल लाभ से घटा देने की अनुमति दे दी गई थी जिसके कारण 98,946 रु की आय का कम निधारण हुआ। 2,98,946 रु की आय के कम निधारण के परिणाम स्वरूप निधारण वर्ष 1968-69 के लिए 1,64,420 रु का कर कम प्रभारित किया गया।

(ब) कर-निधारण वर्ष 1968-69 के लिए अपनी विवरणी में एक कम्पनी ने नए औद्योगिक उपकरणों के लाभ से छूट के कारण अपनी कुल आय में से 1,36,680 रु घटा दिए। कर-निधारण करते समय आयकर अधिकारी ने एक बार पुनः 1,36,680 रु की छूट दे दी जिसके कारण 1,36,680 रु का अवनिधारण हुआ और इसके परिणाम स्वरूप 86,220 रु का कर कम लगाया गया।

14. वित्त अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन न किया जाना

(क) वित्त अधिनियम 1964 से 1968 तक के अन्तर्गत कुछ ब्रेणियों की कम्पनियों को जो सम्बद्ध पिछले वर्ष के पहले दिन इक्विटी शेयरों पर अपनी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी की विहित प्रतिशतता से अधिक लाभांश घोषित करती हैं या वितरित करती हैं, इन अधिक लाभांशों पर विहित दर पर अतिरिक्त कर देना होता है।

(i) एक ऐसी कम्पनी ने जिसकी प्रदत्त इक्विटी पूँजी कर निर्धारण वर्ष 1967-68 से सम्बद्ध पिछले वर्ष के प्रथम दिन 8 करोड़ रु० थी, पिछले वर्ष के अन्त में 2 करोड़ रु० के मूल्य के बोनस शेयर जारी किए। पिछले वर्ष के दौरान इसने 1.4 करोड़ रु० की राशि का इक्विटी लाभांश वितरित किया था। विभाग ने अधिक लाभांशों पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त कर का परिकलन पिछले वर्ष के पहले दिन कम्पनी की 8 करोड़ रु० की पूँजी के बजाय उसके अन्त में 10 करोड़ रु० की इक्विटी पूँजी के संदर्भ में किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए 1.5 लाख रु० का कर कम लगाया गया। उसी कम्पनी ने कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 से संबद्ध निलेवर्ष के दौरान 1.75 करोड़ रु० की राशि का इक्विटी लाभांश घोषित/वितरित किया जिसके लिए 5,62,500 रु० का अतिरिक्त कर विभाग द्वारा नहीं लगाया गया था।

(ii) एक और कम्पनी (एक बैंक संस्था) ने कर निर्धारण वर्ष 1964-65 से सम्बद्ध पिछले वर्ष के दौरान अपनी प्रदत्त इक्विटी पूँजी पर 24,56,062 रु० का लाभांश घोषित व वितरित किया। तथापि, विभाग ने उस पर अतिरिक्त कर नहीं लगाया। इसके अतिरिक्त, यद्यपि कम्पनी ने कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 से सम्बद्ध पिछले वर्ष के दौरान अपनी प्रदत्त इक्विटी पूँजी पर 53,20,000 रु० का लाभांश घोषित व वितरित किया, विभाग ने अतिरिक्त आयकर 36,40,000 रु० पर लगाया। इन भूलों के कारण कर-निर्धारण वर्षों 1964-65 और 1967-68 के लिए 3,10,205 रु० का कर कम प्रभारित किया गया।

उपरोक्त (i) और (ii) पर उल्लिखित मामलों में मंत्रालय ने बताया है कि विवादास्पद कर निर्धारण का सुधार कर दिया गया है और कमशः 7,12,500 रु० एवं 3,10,205 रु० की अतिरिक्त मांगों की गई हैं। इन मांगों की संग्रहण सम्बन्धी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ख) वित्त अधिनियम, 1970 के अनुसार एक देशीय कम्पनी जिसमें सरकार के पर्याप्त शेयर नहीं हैं और जो मुख्यतः आद्योगिक क्रियाकलाप में लगी है, की कुल आय के उस भाग पर जो 10 लाख से अधिक नहीं है 55 प्रतिशत व शेष पर 60 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।

कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए एक औद्योगिक कम्पनी जिसमें सरकार के पर्याप्त शेयर नहीं थे, की कुल आय 18,67,594 रु० परिकलित की गई थी जिस पर वित्त अधिनियम 1970 के उपबंधों के अनुसार 10,70,557 रु० का कर उद्याहृ था परन्तु विभाग ने सम्पूर्ण आय पर 55 प्रतिशत की दर पर परिकलित किया गया कुल 10,27,177 रु० का कर प्रभारित किया। इसके कारण कर निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए 43,380 रु० का कर कम प्रभारित किया गया।

एक दूसरी कम्पनी के मामले में जिसका कर-निर्धारण एक अन्य आयुक्त के कार्यभार में हुआ था उसी प्रकार की भूल पायी गयी थी जिसमें 68,013 रु० के कर का अव-निर्धारण अन्तर्ग्रहित था।

मंत्रालय ने इन तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और दताया है कि पहले मामले में 30,210 रु० और दूसरे मामले में 68,013 रु० की मांग करके कर-निर्धारणों में सुधार कर दिया गया है।

15. कर-निर्धारणों में गलत हैसियत (स्टेट्स) का अपनाया जाना

(क) आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत एक भारतीय कम्पनी, जिसे अनुमोदित करार के अन्तर्गत तकनीकी जानकारी या, तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के कारण विदेशी कम्पनी से फीस के रूप में कोई आय प्राप्त होती है, अपनी कर-योग्य आय के परिकलन में इस फीस की कटौती का अधिकारी है। आयकर अधिनियम के सम्बद्ध उपबंधों के अनुसार यदि भारतीय कम्पनी द्वारा यह रियायत प्राप्त की जानी है तो विदेशी कम्पनी को बोर्ड के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा "कम्पनी" घोषित किया जाना चाहिए। कर निर्धारण वर्ष 1969-70 में एक भारतीय कम्पनी ने 1,70,394 रु० की राशि की ऐसी फीस अपनी विदेशी उप-कम्पनी से प्राप्त की थी जिसके लिए कटौती अनुमत की गई थी। चूंकि विदेशी उप-कम्पनी बोर्ड द्वारा 'कम्पनी' घोषित नहीं की गई थी, कानून में यह कटौती स्वीकार्य नहीं है। इस कारण से कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 में कर की कम उगाही की राशि 93,716 रु० थी।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि उपचारी कार्यवाही की जा रही है।

(ख) आयकर लगाने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक कम्पनियों और अन्य कम्पनियों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कर की भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित की गई हैं। एक औद्योगिक कम्पनी की कुल आय पर 55 प्रतिशत की रियायती दर लगायी जाती है जबकि गैर-औद्योगिक कम्पनी के लिए यह दर 65 प्रतिशत है।

एक गैर-ओद्योगिक कम्पनी के मामले में जिसका कर-निर्धारण केन्द्रीय परिमण्डल में किया गया, आयकर अधिकारी ने कम्पनी का वर्गीकरण एक ओद्योगिक कम्पनी के रूप में किया और कर 55 प्रतिशत की रियायती दर से लगाया। उसी मामले में 22,325 रु. की अतिथं संकार पर व्यय के रूप में छूट दी गयी थी, जबकि केवल 5,000 रु. की छूट स्वीकार्य है। इन दोनों मूलों के कारण 97,190 रु. का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने उत्तर दिया है (फरवरी 1974) कि विवादास्पद कर-निर्धारण का सुवार कर दिया गया है और 1,04,265 रु. की अतिरिक्त मांग कर दी गई है व समायोजन द्वारा संग्रहीत कर ली गई है।

16. गृह सम्पत्ति से हुई आय का गलत परिकलन

(i) आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन शीर्ष “गृह सम्पत्ति” के अन्तर्गत आय का परिकलन करने में सम्पत्ति के वार्षिक किराए के मूल्य के $\frac{1}{6}$ के बराबर की सांविधिक कटौती सामान्यतः अनुमत होगी, सिवाय इसके कि जहाँ कि राएदार ने गृह सम्पत्ति की मरम्मत की लागत (व्यय) उठाना स्वीकार कर लिया हो। जहाँ किराएदार मरम्मत की लागत उठाना है वहाँ वार्षिक किराए के मूल्य का अनुमान इस प्रकार किए गए व्यय को प्राप्त वार्षिक किराए में जोड़ कर लगाया जाता है। ऐसे मामलों में निर्धारिती वार्षिक किराए के मूल्य के $\frac{1}{6}$ की कटौती का अधिकारी न होकर केवल उस राशि के बराबर की कटौती का अधिकारी होगा जिसे किराएदार ने व्यय किया है और जो वार्षिक मूल्य में शामिल की गई है।

एक कम्पनी ने, जिसने आनी गृह सम्पत्ति तीन व्यक्तियों को किराए पर दी थी, बहुत समय तक कोई मरम्मत नहीं कराई। चूंकि इमारत टूटी-फूटी दशा में थी, निर्धारिती चाहना था कि किराएदार उसे खाली कर दें ताकि वह बड़ी मात्रा में मरम्मत कर सके। तथापि, खाली करने की स्थिति में न होने के कारण किराएदारों ने आवश्यक मरम्मत व परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया जिससे इमारत अक्षुण्ण बनी रहेगी और वे उसमें किराएदार के रूप में बने रह सकेंगे। चार वर्ष की अवधि में ऐसी मरम्मत की लागत 10,18,000 रु. थी। पिछले वर्षों से संवधित इस कम्पनी के कर निर्धारण में, जिनके दौरान ये बड़ी मरम्मत आरम्भ व समाप्त की गयी थीं, गृह सम्पत्ति से आय का परिकलन करने में वार्षिक किराए के मूल्य के $\frac{1}{6}$ के बराबर की सांविधिक कटौती भी अनुमत की गई थी। कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 से 1972-73 तक 4,00,883 रु. की राशि की इस गलत कटौती के कारण, इन कर-निर्धारण वर्षों में 2,61,733 रु. का कर कम लगाया गया।

(ii) आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत गृह सम्पत्ति से आय का निर्धारण सम्पत्ति से होने वाली वार्षिक आय पर किया जाता है, यह आय वह राशि समझी जाएगी जिस पर वर्ष प्रति वर्ष सम्पत्ति उचित रूप से किराए पर ही जानी अपेक्षित

हो सकती है तथा इसमें से किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति पर लगाये गये करों की राशि घटायी जाती है। इसलिए किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी विशेष वर्ष के लिए लगाए गए कर ही उस वर्ष के लिए निर्धारित गृह सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य में से घटाए जाने चाहिए। अतः पिछले वर्षों या बाद के किसी वर्ष के लिए दिए गए कर किसी विशेष वर्ष के वार्षिक मूल्य निर्धारण में कटौती योग्य नहीं हैं।

एक कम्पनी के मामले में कर निर्धारण वर्ष 1965-66 और 1966-67 (कर-निर्धारण मई 1969 और दिसंबर 1969 में पूरे किये गये थे और फरवरी 1972 में संशोधित किये गये थे) के लिए सम्पत्ति से हुई आय का निर्धारण करते समय कर-निर्धारण अधिकारी ने 97,518 रु० और 1,13,367 रु० के नगरपालिका करों की कटौती की अनुमति दी जिनमें पिछले वर्षों के लिए उद्घाट्य 80,000 रु० की राशि के कर भी शामिल थे। चूंकि सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के निर्धारण में पिछले वर्षों के नगरपालिका कर कटौती योग्य नहीं हैं, इसलिए 80,000 रु० के बकाया करों की कटौती के कारण गृह सम्पत्ति से होने वाली आय का 64,892 रु० अव-निर्धारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप कर निर्धारण वर्षों 1965-66 एवं 1966-67 के लिए 41,019 रु० का कर कम प्रभारित किया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि अब कोई भी सुधारक कार्यवाही संभव नहीं है वयोंकि आयकर अधिनियम की धारा 154/147 के अधीन कार्यवाही करने का समय बीत चुका है।

17. कम्पनियों की व्यावसायिक आय का गलत परिकलन

(क) आयकर अधिनियम 1961 की छठी अनुसूची में दी गई वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली कम्पनियों को उन की कुल आय का परिकलन करने में ऐसे उद्योग से होने वाले लाभ और लविधियों के संबंध में उसके 8 प्रतिशत के बराबर की राशि की कटौती अनुमत की जाती है।

1970-71 की राजस्व की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 50 (ख) में तथा 1971-72 की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 19 (i) (ख) में यह बताया गया था कि विभाग ने रेडियो संग्राहकों (रिसीवरों) लाउडस्पीकरों और रेडियो के पुर्जों के संबंध में उन्हें गलत रूप से आयकर अधिनियम की अनुसूची VI में उल्लिखित “विद्युत संचार उपस्कर” की श्रेणी के अन्तर्गत मानकर अग्रता धेत्र में स्थापित उद्योगों को दी जाने वाली कर रियायत दे दी। निम्नलिखित मामलों में उसी प्रकार की भूल पाई गई थी।

(i) एक कम्पनी को जो “रेडियो संग्राहकों” (रिसीवरों) का निर्माण करती थी, विभाग द्वारा ऐसे प्राथमिकता प्राप्त उद्योग में लगी हुई कम्पनी समझा गया और उसे कर

निर्धारण वर्ष 1967-68 और 1970-71 में हुए लाभ और लव्हियों के संबंध में आठ प्रतिशत की कटौती अनुमति की गई। कम्पनी की कुल आय के परिकलन में अनुमति की गई इस गलत कटौती से कर निर्धारण वर्ष 1967-68 से 1970-71 तक के लिए 10,28,716 रु० का आय कर कम प्रभारित किया गया।

उसी कम्पनी को 20 प्रतिशत के बजाय 35 प्रतिशत की उच्चतर दर पर विकास छूट दी गयी थी। इसके कारण कर निर्धारण वर्ष 1967-68 से 1970-71 तक के लिए 3,06,947 रु० के आयकर का अवनिर्धारण हुआ।

(ii) एक अन्य कम्पनी के मामले में जिसे रेडियो संग्राहकों के निर्माण से आय होती थी कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 और 1969-70 के लिए प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को प्राप्त होने वाली कर की छूट गलती से दी गई जिसके कारण 6,30,262 रु० का कर कम लगाया गया।

उसी कम्पनी को 20 प्रतिशत की बजाय 35 प्रतिशत की उच्चतर दर पर विकास छूट भी दी गयी। इसके परिणामस्वरूप कर निर्धारण वर्ष 1968-69 और 1969-70 के लिए 1,09,922 रु० के कर का अव निर्धारण हुआ।

कुल आय के परिकलन में उपरोक्त (i) और (ii) में उल्लिखित भूलों के कारण प्रभार्य लाभ का कम परिकलन हुआ जिसके परिणामस्वरूप कमशः 2,74,516 रु० और 1,94,925 रु० का अधिकर कम लगाया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर 25,45,288 रु० की राशि के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने बताया है कि दोनों मामलों में कर निर्धारणों में सुधार किया जा रहा है (जनवरी 1974)। आगे की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1974)।

(x) कर निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए एक विदेशी कम्पनी की भारतीय उप-कम्पनी के कर निर्धारण में आयकर अधिकारी ने नियंत्रक कम्पनी के खर्चे में उप-कम्पनी का भाग होने से कटौती की अनुमति दे दी। यह अनुमति व्यय को अवमूल्यन पूर्व और अवमूल्योत्तर अवधियों में प्रभाजन करके और तब अलग अलग अवधियों के लिए प्रचलित विनियम दर लगाकर देने के बजाए संपूर्ण कैलेन्डर वर्ष 1966 के लिए अवमूल्यनोत्तर दर पर डालर व्यय को परिवर्तित करके दी गयी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय उप-कम्पनी के कर निर्धारण में 7,46,282 रु० की राशि के व्यय की अधिक छूट दी गई जिससे कर निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए 5,22,402 रु० का कर कम लगाया गया।

मंत्रालय ने उपरोक्त सहमत न होते हुए बताया है : "वर्तमान मामले में प्रधान कार्यालय द्वारा किये गए ऊपरी खर्चों के कारण देयता प्रति वर्ष लेखा अवधि के अन्त में निश्चित की जा सकती है न कि लेखा अवधि के दौरान भिन्न-भिन्न तारीखों

पर और इसलिए कटौती की अनुमति लेखा अवधि के अन्त में प्रचलित दरों पर परिकलित राशि के लिए देनी पड़ी थी। तथापि, ऐसा पता लगता है कि प्रधान कार्यालय के ऊपरी व्यय के समायोजन (एक विदेशी कम्पनी और इसकी भारतीय शाखा के बीच) आवधिक रूप से परिशोधित किए जाते हैं न कि लेखा वर्ष के अन्त में।

(ग) एक अनिवासी बैंकिंग कम्पनी के कर निर्धारण में विभाग ने 2,81,132 रु० और 680 रु० की राशि की छूट दी जो लाभांश आय और प्रतिभूतियों पर व्याज से आय उपार्जित करने के लिये आनुपातिक व्यय और व्याज की अदायगियां के रूप में थी। परन्तु व्यवसाय से हुई आय का परिकलन करते समय विभाग ने इसे पुनः नहीं जोड़ा। ऐसा न करने के परिणामस्वरूप कर निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए 1,97,750 रु० अव-निर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी, 1974) कि विवादास्पद कर निर्धारण का सुधार कर दिया गया है और 1,97,750 रु० की अतिरिक्त मांग की गई है। मांग की वसूली के संबंध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च, 1974)।

(घ) आयकर अधिनियम 1961 के अधीन कोई भी व्यय जो पूर्णतया व केवल व्यवसाय के प्रयोजनार्थ किया जाता है, छूट योग्य एक मद है वशर्ते कि यह सुनिश्चित दायित्व हो न कि धन व्यवस्था मात्र।

एक निवासी बैंकिंग कम्पनी ने कुछ विवादग्रस्त विदेशी मुद्रा संविदाओं को रद्द करने के लिए 14,80,670 रु० की धन व्यवस्था की और इस राशि को उसके द्वारा प्राप्त अवमूल्यन लाभ के प्रति प्रभारित किया और अवमूल्यन लाभ की निवल राशि पर कर निर्धारण किया गया। चूंकि 14,80,670 रु० की राशि विवाद-ग्रस्त संविदा में हानि के निमित्त एक धन-व्यवस्था मात्र थी इसे सुनिश्चित दायित्व की मद नहीं माना जा सकता था। इसलिए इस धन-व्यवस्था को पुनः जोड़ने में कूक होने के परिणामस्वरूप कर निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए 14,80,670 रु० की आय का अव निर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने बताया है कि (जनवरी 1974) लेखापरीक्षा आयस्ति प्राप्त होने पर तुरन्त ही आयकर अधिकारी ने कर निर्धारण के संशोधन के लिए आयकर अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिया। निर्धारिती ने पत्र दिनांक 7-12-1973 में स्पष्ट किया “कि धन-व्यवस्था शब्द जिसका प्रयोग मद 3,15,000 पौंड के संबंध में हमारे पत्र संख्या 21726 दिनांक 26 नवम्बर 1971 के अनुलग्नक में किया गया है गलती से किया गया था।” मंत्रालय ने यह भी बताया है कि यद्यपि कर निर्धारिती रिजर्व बैंक के दावे के सम्बन्ध में विवाद कर रहा था तथापि किसी विदेशी मुद्रा संविदा को रद्द करने के लिये बैंक का 14,80,670 रु० की राशि का भुगतान करने का दायित्व अभी दायित्व के रूप में समाप्त नहीं हुआ था।

(इ) एक कम्पनी ने कर निर्धारण वर्ष 1966-67 से संबद्ध पिछले वर्ष में 3 लाख ८० का अंशदान राष्ट्रीय रक्षा कोष को दिया। उसके लाभ-हानि खाते में इस राशि का आधा भाग “राष्ट्रीय रक्षा कोष को अंशदान” के अन्तर्गत दिखाया गया था और 1.5 लाख ८० की शेष राशि “विविध” शीर्ष के अन्तर्गत २,८४,८९८ ८० की एक मुश्त राशि के भाग के रूप में दर्ज की गई थी। आयकर अधिकारी ने २,८४,८९८ ८० की राशि को पुनः जोड़ दिया और तदनुसार अंशदान पर छूट की अनुमति दे दी। तथापि, १.५ लाख ८० का दूसरा भाग जो “राष्ट्रीय रक्षा कोष को अंशदान” के अन्तर्गत दर्ज किया गया था कम्पनी के निवल लाभ में पुनः नहीं जोड़ा गया था। इसके फलस्वरूप ४१,२५० ८० का कर कम प्रभारित किया गया।]

मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि कर-निर्धारण संशोधित कर दिया गया है और अतिरिक्त मांग कर दी गई है। अतिरिक्त कर की वसूली के संबंध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी, 1974)।

(च) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत उस व्यय को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कर्मचारी के लिए किसी लाभ या सुख-सुविधा या परिलक्षित चाहे वह धन-राशि में परिवर्तनीय हो या न हो, जैसी धन-व्यवस्था के रूप में है, उस सीमा तक जहाँ तक कि ऐसा व्यय या भत्ता कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन के १/५ से अधिक हो, मालिक के व्यवसाय से होने वाली आय से कटौती के रूप में अनुमत नहीं किया जाना चाहिए। बहुत से मामलों में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी इस संबंध में कानून के उपबंधों का पालन नहीं कर रहे हैं। तीन उदाहरण नीचे दिए गए हैं:—

(i) कर निर्धारण वर्ष 1965-66 से 1971-72 तक के लिए एक कम्पनी की आय का निर्धारण करते में विभाग ने इन प्रत्येक वर्षों में एक कर्मचारी को वेतन के १/५ की सीमा से अधिक दिए गए कमीशन की संपूर्ण राशि अनुमत कर दी। इस के परिणाम स्वरूप होने वाली २,१२,५३२ ८० के (आय के) अब निर्धारण के कारण इन वर्षों में कुल १,२४,२०६ ८० का कर कम प्रभारित हुआ।

(ii) एक दूसरे मामले में कर निर्धारण वर्ष 1966-67 के लिए एक निर्धारिती द्वारा कर्मचारी के वेतन के १/५ से अधिक किया गया व्यय अस्वीकृत नहीं किया गया जिसके कारण ८४,३०८ ८० का कर कम प्रभारित किया गया।

उपरोक्त मामला (i) में, मंत्रालय ने बताया है (जनवरी 1974) कि कर्मचारी को कमीशन उसके वेतन के अंश के रूप में दिया गया था न कि आनुतोषिक के रूप में जिस पर नियम का उपबंध लागू होता है और नौकरी की ऐसी शर्तों को सेना संविदा के नवीकरण के समय ३१-१-१९७२ को एक करारनामे द्वारा लिखित रूप भी दे दिया गया था। उपरोक्त (ii) में उल्लिखित मामले के संबंध में मंत्रालय ने बताया है (मार्च 1974) कि वह भूल अंजतः स्वीकार्य है और इससे आगे की रिपोर्ट भेजी जाएगी।

(iii) वित्त अधिनियम 1971 में व्यवसाय के व्यय पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। परिणामतः निर्धारिती के स्वामित्व वाली परिसंपत्ति जिसका उपयोग निर्धारिती के एक कर्मचारी द्वारा अपने प्रयोजनों या लाभ के हेतु किया गया है, के संबंध में किया गया व्यय और दी गई छूट की राशि (जैसे मूल्य ह्रास की छूट) को उस सीमा तक जहाँ तक कि ऐसा व्यय आयकर अधिनियम में विहित सीमा से अधिक है, व्यवसाय के लाभ का परिकलन करने में कटौती के रूप में अनुमत नहीं है।

एक कम्पनी के कर-निर्धारण में कर्मचारी के निवास स्थान में व्यवस्थित साधारण साज-सामान के पुस्तक मूल्य को बटे खाते डालने से संबंधित 82,142 रु० की राशि की छूट की अनुमति आयकर अधिकारी द्वारा स्पष्टतया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 (i) (iii), के उपबंधों के अधीन दी गई जोकि इस बात का ध्यान किए बिना दी गयी कि यह छूट वर्ष 1972-73 के कर-निर्धारण वर्ष के लिए धारा 40 (क) (5) के उपबंधों के अधीन 'परिलिंग्व' के रूप में मानी जानी थी। चूंकि कर्मचारी पहले ही विहित सीमा से अधिक अतिरिक्त परिलिंग्वां प्राप्त कर रहा था, इसलिए 82,142 रु० की राशि की यह छूट अनुमत नहीं थी। ऐसी भूल होने के कारण कम्पनी की आय 82,142 रु० कम निर्धारित हुई जिसमें 46,306 रु० का कर कम लगाया गया था।

मंत्रालय ने उपरोक्त स्थिति को स्वीकार कर लिया है (फरवरी, 1974)। कर निर्धारण के संशोधन के संबंध में और उत्तर प्रतीक्षित है।

(छ) उन तकनीकी प्रलेखों जो पेटेन्ट या ट्रेडमार्क की तरह के नहीं हैं, को खरीदने के लिए किए गए खर्चों का परिशोधन अनुमत करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 में कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल अप्रैल, 1971 से "व्यवहार्यता रिपोर्टों" और "परियोजना रिपोर्टों" से संबंधित व्यय के परिशोधन को अनुमत करने की व्यवस्था की गई थी।

एक कम्पनी ने कर निर्धारण वर्ष 1961-62 से 1965-66 से संबद्ध पिछले वर्षों के दौरान 11,06,166 रु० के मूल्य के तकनीकी प्रलेख खरीदे और विभाग द्वारा, खरीद मूल्य के 1/14 की दर पर, परिशोधन अनुमत किया गया। चूंकि ये व्यय पेटेन्ट और ट्रेड मार्क के स्वल्प के नहीं हैं और क्योंकि मूल्य ह्रास के विकल्प के रूप में परिशोधन अनुमत नहीं किया जा सकता है, अतः विभाग द्वारा की गई कटौती विधि के अनुसार गलत है और इसके कारण कर निर्धारण वर्ष 1964-65 व 1965-66 में क्रमशः 73,212 रु० और 79,012 रु० की राशि की आय का अव निर्धारण हुआ जिसमें 76,112 रु० का कर प्रभाव अन्तर्गत था।

मंत्रालय ने उपरोक्त स्थिति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया है कि मंत्रालय द्वारा पामले की जांच की जा रही है और अगली रिपोर्ट भेजी जाएगी (मार्च 1974)।

18. विकास छूट और मूल्यहास की गलत अनुमति के कारण कर का अव-निर्धारण

(क) एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी नाइलोन धागे का विनिर्माण व उसका विक्रय कर रही थी। नाइलोन धागे का निर्माण 'कैप्रोलेक्टम' से किया जाता था जो विदेश से आयात होता था। कर निर्धारण वर्ष 1969-70 तक कम्पनी यह दावा करती रही कि नाइलोन धागे का विनिर्माण (पेट्रोकेमिकल) उद्योग था और इस आधार पर उसने 35 प्रतिशत की उच्चतर दर पर विकास छूट का दावा किया था तथा प्राथमिकता प्राप्त उद्योग को स्वीकार्य कर-राहत का भी दावा किया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्हें (विकास छूट/राहत) कर निर्धारण वर्ष 1967-68 से 1969-70 के लिए अनुमति किया गया था।

तथापि कर निर्धारण वर्ष 1970-71 के कर निर्धारण आदेश में कर निर्धारण अधिकारी ने निर्णय किया कि कम्पनी द्वारा निर्मित नाइलोन धागे को या कैप्रोलेक्टम को जिससे इसका विनिर्माण किया जाता था। पेट्रोकेमिकल्स के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था और इसलिए यह एक प्राथमिकता प्राप्त उद्योग नहीं था जिसको उपरोक्त उच्चतर विकास छूट या राहत का लाभ मिल सके। तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 1970-71 में इन लाभों और राहतों को जिनका दावा कम्पनी द्वारा किया गया था सही रूप से अस्वीकार किया गया था। पिछले वर्षों में अनियमित छूट के परिणामस्वरूप इन वर्षों के लिए 96,69,008 रु० की गलत विकास छूट और वर्ष 1967-68 व 1968-69 के लिए 37,07,636 रु० की गलत राहत अनुमति की गई थी। इसके कारण तीन कर निर्धारण वर्षों के लिए 73,57,151 रु० का कर कम प्रभारित किया गया।

इस कम्पनी ने कर निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए अपनी आय की विवरणी 22-11-1968 को प्रस्तुत की अर्थात् 53 दिन बाद जिसके लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 के अन्तर्गत वह 1,55,192 रु० की राशि का व्याज देने के लिए दायरी थी। तथापि, विभाग ने केवल 1,04,874 रु० का व्याज लगाया जिससे 50,318 रु० का व्याज कम लगाया गया।

(ख) भारत सरकार ने अपने लिए असैनिक तेल पोत प्राप्त करने के लिए 31-10-1967 को एक जहाजी कम्पनी के साथ करार किया। करार की शर्तों के अनुसार सरकार ने मध्यस्थ जहाजी कम्पनी को जहाज के निर्माण की पूरी लागत को पूरा करने व उनके द्वारा इस संबंध में कर्जों व दायित्वों की अदायगी करने के योग्य बनाने के लिए व्याज मुक्त व्युत्पत्ति के रूप में देना था। तेल पोत की लागत व वित्तीय प्रभार इत्यादि के कारण निर्माताओं (एक विदेशी कम्पनी) को भुगतान 20 अर्धवार्षिक किस्तों में किया जाना था। मध्यस्थ जहाजी कम्पनी को उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए 7.5 लाख रु० की राशि 75,000-75,000 रु० की दस वार्षिक किस्तों में दी जानी थी। जहाजी को जहाज 20-11-1967 को दिया गया था और उसे सरकार द्वारा उसी दिन अधिकृत कर लिया

गया था। जहाज की सुपुर्दंगी की तारीख से 10 वर्ष के पश्चात् तेल पोत को सरकार द्वारा कम्पनी को पेशी के रूप में दिए गए व्याज मुक्त क्रृण की कुल राशि के बराबर मूल्य पर भारतीय जल सेना को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव था।

कम्पनी के प्रबंध निदेशक द्वारा उसके पत्र दिनांक 22-6-1966 में दिए गए सुझाव के अनुसार जहाजी कम्पनी को भुगतान के लिए व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार से थी :—

(1) सरकार कम्पनी को फालतू पुर्जे, व्याज, भंडार इत्यादि सहित मूल्य की कुल लागत के बराबर व्याज-मुक्त क्रृण पेशी के रूप में देगी।

(2) जहाजी कम्पनी अपने तेल पोत के संबंध में किसी विकास छूट का दावा नहीं करेगी और न ही कोई मूल्यहास का दावा करेगी।

उपरोक्त शर्तों पर सरकार से क्रृण प्राप्त करने के पश्चात् जहाजी कम्पनी ने तेल-पोत के संबंध में मूल्यहास/विकास छूट के लिए दावा किया और आयकर विभाग द्वारा इसे अनुमत कर दिया गया। इस छूट से प्राप्त कर लाभ 74.42 लाख रु० था। इस छूट का दावा करने में कम्पनी की यह कार्यवाही व्याज मुक्त क्रृण के लिए बात-चीत करते समय सरकार को दिए गए आश्वासन के विरुद्ध थी। इसके अतिरिक्त सौदे का वास्तविक अर्थ यह है कि तेल पोत का वास्तविक मालिक सरकार है न कि जहाजी कम्पनी और इसलिए कम्पनी को तेल पोत पर मूल्यहास छूट और विकास छूट का दावा करने का अधिकार नहीं है।

(ग) एक अनिवासी कम्पनी जो भारत में अपना व्यवसाय चला रही थी तथा जिस की भारत स्थित परिसंपत्तियां थीं ने अपना लेखा पाउण्डों में प्रस्तुत किया जिसमें तदनुरूपी आंकड़े रु० में भी दर्शाए गए थे। कम्पनी द्वारा प्रस्तुत स्थायी परिसंपत्तियों की मूल्यहास सूची पूर्ण रूपेण स्टर्लिंग में थी। वद्यपि कम्पनी ने 6 जून, 1966 को रूपये के और 18 नवम्बर, 1967 को "पाउण्ड स्टर्लिंग" के अवमूल्यन को लागू करने के लिये अपनी लेखा पुस्तकों में स्थायी परिसंपत्तियों के स्टर्लिंग मूल्य को वास्तविक रूप में कम कर दिया, तथापि आयकर के प्रयोजनार्थ वैसी ही कमी मूल्यहास अनुसूची में स्टर्लिंग में लिखित मूल्य में नहीं की गई थी। कर निर्धारण अधिकारी ने इस चूक की ओर ध्यान नहीं दिया और कर निर्धारण वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के लिए तदनुसार मूल्यहास अनुमत कर दिया। इस प्रकार 2.19 करोड़ रु० के मूल्यहास की अधिक छूट दी गयी जिसके कारण इन वर्षों के लिए (लगभग) 1,53,31,000 रु० का कर अव-निर्धारित हुआ। इन तीन कर निर्धारण वर्षों के लिए 48,56,849 रु० के व्याज की तदनुरूपी अविक अदायगी की गयी।

मंत्रालय ने उपरोक्त स्थिति को स्वीकार कर लिया (फरवरी, 1974) और सूचित किया है कि कर निर्धारणों में सुधार किया जाएगा व मांग के संग्रहण के संबंध में अंगली स्प्रिंट भेजी जायेगी।

(व) आय कर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कार्यालयों में स्थापित कार्यालय के उपकरणों व मामलों पर विकास छूट स्वीकार्य नहीं है।

पैरा 17 (घ) में उल्लिखित एक वैकिंग कम्पनी के मामले में कर निर्धारण वर्ष 1968-69 में विभाग ने टाइपराइटरों पर 10,58,362 रु० की विकास छूट अनुमत कर दी यद्यपि कानून के अन्तर्गत यह स्वीकार्य नहीं थी। इसलिए आय का 10,58,362 रु० और अवनिर्धारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप कर निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए कुल 13,96,471 रु० का कर कम प्रभारित हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि उपरोक्त भूल को सुधार दिया गया है और 5,82,099 रु० की अतिरिक्त मांग की गई है। मांग की वसूली के संबंध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ड) आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन यदि संबंद्ध पिछले वर्ष में विनियम दर में परिवर्तन के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा में दिए जाने वाले किसी परिसंपत्ति के मूल्य का भुगतान करने के लिए या विशेष रूप से परिसंपत्ति को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ विदेशी मुद्रा में उधार ली गयी राशि की वापस अदायगी के लिए किसी निर्धारिती के दायित्व में भारतीय मुद्रा में कोई वृद्धि हो गई हो तो इस प्रकार स्पये में वही हुई दायित्व की राशि को मूल्यहास छूट के परिकलन के प्रयोजन के लिए परिसंपत्ति की वास्तविक लागत में वृद्धि समझा जायेगा।

तीन कम्पनियों के मामलों में कर निर्धारण वर्ष 1970-71 और 1971-72 के लिए परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, उनकी वास्तविक लागत को मार्च, 1961 में विदेशी मुद्रा की दर में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्धारितियों द्वारा स्पये में उठाये गए अतिरिक्त दायित्व की राशि से बढ़ाकर, अनुमत किया गया था। परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत का ऐसा समायोजन नियमानुसार नहीं था क्योंकि विदेशी मुद्रा के संबंध में स्पये का अवमूल्यन बहुत पहले के वर्षों में हुआ था त कि कर निर्धारण वर्ष 1970-71 या 1971-72 से संबंद्ध पिछले वर्षों में। अतः इन कर निर्धारण वर्षों में विचार करने के लिए निर्धारितियों को ऐसे अतिरिक्त दायित्व का भार नहीं उठाना था। अतिरिक्त दायित्व को गलत रूप से पुनः जोड़ने के कारण मूल्यहास में अधिक छूट मिल गई जिससे 3,29,641 रु० का कम आयकर लगाया गया।

मंत्रालय ने बताया है कि तीन कम्पनियों के विवादास्पद कर निर्धारणों में सुधार कर दिया गया है और अतिरिक्त मांग संग्रहीत कर ली गई है।

(च) आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत आयकर अधिनियम की संबंद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग में प्रतिष्ठापित संघर्ष व मशीनों की लागत पर विकास छूट 35 प्रतिशत की दर पर और अन्य मामलों में 20 प्रतिशत की दर पर स्वीकार्य है। एक कम्पनी के मामले में कर निर्धारण वर्ष 1971-72 के लिए हैलीकाप्टरों

और हवाई जहाजों के उपस्कर पर विकास छूट 35 प्रतिशत की उच्चतर दर पर अनुमति की गयी थी यद्यपि मशीनों की ये मद्दें संबद्ध अनुसूची में विहित किसी भी सामान के निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन के लिए उपयोग में नहीं लाई गई थीं। इसके परिणामस्वरूप 1,45,141 रु० की अधिक विकास छूट दी गयी जिसमें 79,827 रु० का आयकर कम लगाया गया था।

(छ) एक निर्धारिति द्वारा वर्ष 1957-58 के लिए व्यवसाय की आय का विवरण 15,97,699 रु० दिया गया था जिसका परिकलन मूल्यहास छूट (2,20,981 रु०) और विकास छूट (56,782 रु०) के कारण 2,77,763 रु० की राशि लाभ को डेबिट करने के पश्चात् किया गया था। आयकर अधिकारी ने कर योग्य आय के परिकलन के प्रयोजन के लिए विवरण में दी गयी 15,97,699 रु० की आय को आधार के रूप में अपनाया और उसमें से मूल्यहास छूट (1,83,464 रु०) और विकास छूट (56,310 रु०) की वास्तव में स्वीकार्य 2,39,774 रु० की राशि घटा दी। परन्तु आय कर अधिकारी ने 2,77,763 रु० की राशि पुनः नहीं जोड़ी। इस भूल के कारण 1,38,380 रु० के कर का अव-निर्धारण हुआ। यह भूल उस समय भी संशोधित नहीं की गई जब कि मूल्यहास छूट और विकास छूट की प्रमाणाव बढ़ाने के अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों को लागू करने के लिए कर निर्धारण का मामला 12-2-1968 को पुनः खोला गया।

मन्त्रालय ने बताया है (फरवरी, 1974) कि जिस समय लेखापरीक्षा ने इस चूक की और ध्यान दिलाया था उस समय भी कोई सुधारक कार्यवाही संभव नहीं थी और यह भी बताया कि विभाग 1957-58 के कर निर्धारण में मशीनों के लिखित मूल्य को अनुमति किए गए अधिक मूल्यहास से कम करने एवं जहां भी संभव हो परवर्ती वर्षों के कर निर्धारणों को सुधारने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

19. अनियमित छूटें अथवा अतिरिक्त राहतें

(क) एक निवासी वैकिंग कम्पनी का उसकी 37,81,160 रु० की विदेशी आय पर भारत में कर निर्धारण किया गया था जिसमें स्पष्टे के अवमूल्यन से होने वाले लाभ के कारण 28,56,666 रु० की राशि शामिल थी। तथापि अवमूल्यन से होने वाले लाभ पर विदेश में आयकर प्राधिकारियों द्वारा जिन्होंने कुल आय 14,98,034 रु० ली थी कर नहीं लगाया गया। इसलिए दोहरी-कर राहत के प्रयोजनार्थ वह आय जिस पर दोनों देशों में कर लगाया गया था 9,24,494 रु० है अर्थात् 37,81,160 रु० की विदेशी आय जिस पर भारत में कर निर्धारण किया गया था, में से अवमूल्यन लाभ जिस पर दूसरे देश में कर नहीं लगाया गया है के 28,56,666 रु० घटा दिए गए हैं। तथापि विभाग ने 14,98,034 रु० की संपूर्ण आय पर जिस पर दूसरे देश में कर निर्धारण हुआ था दोहरी कर राहत अनुमत कर दी। इसके कारण कर निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए 2,49,031 रु० की अतिरिक्त राहत दे दी गई।¹

मंत्रालय ने बताया (जनवरी, 1974) कि कर निर्धारण में सुधार कर दिया गया है और 2,49,031 रु० की अतिरिक्त मांग की गई है। मांग के संग्रहण के सबध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ख) ग्रौद्योगिक विकास को सहायता देने के लिए ऐसे निर्धारितियों को जो प्राथ-मिकता प्राप्त क्षेत्र में माल के उत्पादन में लगे हैं व्यवसाय से होने वाली आय में से उनसे होने वाले लाभ व लब्धियों के 8 प्रतिशत के बराबर कटौती की अनुमति दी जाती है।

एक मिश्रित रसायन विनिर्माण कम्पनी में अन्तर्गत प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग लेखाओं के अभाव में आयकर अधिकारी ने यह निर्धारित किया कि निर्धारिती का 91.07 प्रतिशत व्यवसाय जो अनुसूचित वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले "प्राथमिकता प्राप्त उद्योग" से संबंधित था पूर्वोक्त कटौती पाने योग्य था, तथापि कर निर्धारण वर्ष 1967-68 से 1971-72 के लिए आय का परिकलन करने में आयकर अधिकारी ने वही प्रति-शतता दूसरी आय, जैसे विविध प्राप्तियां, अवमूल्यन प्राप्तियां और विद्युत पूर्ति की प्राप्तियों पर लागू की। इसके परिणामस्वरूप आय में से अधिक कटौती हो गई जिस के कारण आय का अव-निर्धारण हुआ और इन सभी वर्षों में 5,09,873 रु० का कुल कर कम लगाया गया।

मंत्रालय ने बताया है कि भूल को अंशतः स्वीकार कर लिया गया है और अगली रिपोर्ट भेज दी जाएगी (जनवरी, 1974)।

(ग) आय कर अधिनियम के अन्तर्गत नये ग्रौद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए दिए गए प्रोत्साहनों में से एक प्रोत्साहन नए ग्रौद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ पर उसमें लगाई गई पूँजी के 6 प्रतिशत तक कर के छूट की व्यवस्था है।

तथापि, अधिनियम ऐसे ग्रौद्योगिक उपक्रम को यह छूट देने का निषेध करता है जो पहले से ही वर्तमान किसी व्यवसाय को विभाजित करके या उसके पुनर्निर्माण द्वारा बनाया गया है। यह देखा गया था कि यह छूट एक कम्पनी को कर निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए दी गई थी व्यवस्था ग्रौद्योगिक उपक्रम पहले से ही वर्तमान व्यवसाय के पुनर्निर्माण से स्थापित किया गया था। इस गलत छूट के कारण 60,62,832 रु० की आय का अव-निर्धारण हुआ।

(घ) एक नवस्थापित ग्रौद्योगिक उपक्रम द्वारा प्राप्त लाभ के संबंध में उपरोक्त पैरा (ग) में निर्दिष्ट छूट केवल उस वर्ष के लिए जिसमें उपक्रम विनिर्माण आरम्भ करता है और परवर्ती चार वर्षों के लिए ही उपलब्ध है।

तथापि एक कम्पनी को जिसने कर निर्धारण वर्ष 1964-65 से संबंद्ध पिछले वर्ष में विनिर्माण कार्य आरम्भ किया था पांच वर्ष के बाद कर निर्धारण वर्ष 1969-70 में 4,78,359

रु० की कटौती की अनुमति दी गई थी। कुछ अन्य छोटे मोटे श्री कर निर्धारणों के प्रति संतुलन के पश्चात् कटौती की [गलत अनुमति के कारण 4,75,801 रु० की व्यवसायिक आय का अब-निर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप 12,61,691 रु० की सीमा तक का कर कम प्रभारित किया गया।

(ड) छूट के रूप में राहतें, जिन्हें प्रतिभूतियों पर व्याज, अन्तर्निगम लाभांश इत्यादि के सम्बन्ध में निर्धारिती को पहले ही दिया जाना था, अब सकल आय से सम्बद्ध मदों की आय की कुछ प्रतिशतता की सीधी कटौती के रूप में उपलब्ध हैं। परन्तु आयकर अधिनियम में यह विशेष रूप से उल्लिखित है कि कटौती की कुल राशि सकल आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका यह तात्पर्य है कि यदि किसी निर्धारिती की 'सकल आय' घाटे में है तो और कटौती का प्रश्न नहीं उठता।

एक कम्पनी के मामले में वर्ष 1971-72 और 1972-73 के कर निर्धारण के फलस्वरूप घाटा निकला। विधि के विशिष्ट उपबंधों के बावजूद भी कम्पनी को व्याज लेखे आदि की राशि पर गलत रूप से राहत अनुमत की गई जिससे हानि की राशि को 1971-72 में 31,746 रु० और 1972-73 में 41,020 रु० बढ़ा दिया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि 1971-72 के लिए इस कर निर्धारण का संशोधन किया जा रहा है (जनवरी 1974)। मंत्रालय से अगली रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1974)।

20. कर ट्रेडिट प्रमाण-पत्रों और निर्यात प्रोत्साहन का गलत प्रदान किया जाना

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 280 यख के अधीन कोई भी ऐसी कम्पनी, जो उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन में लगी है, वह ऐसे विनिर्माण या उत्पादन से होने वाले लाभ व लब्धियों पर दिए जाने वाले कर के सम्बन्ध में कर ट्रेडिट प्रमाण-पत्र पाने योग्य है। सेल्यूलोस फिल्म बनाने वाली एक कम्पनी ने ऐसी फिल्म पर उसे उक्त अनुसूची की मद (24) के अन्तर्गत आने वाला 'कागज' दिखाकर, 8,61,870 रु० के कर ट्रेडिट प्रमाण-पत्रों का दावा किया व उन्हें प्राप्त किया। तथापि, उसी कम्पनी ने आयकर के प्रयोजनार्थी कागज मशीनों के लिए 10 प्रतिशत के स्थान पर सेल्यूलोस फिल्म संयंत्र पर लागू होने वाले 15 प्रतिशत की उच्चतर दर पर मूल्यहास छूट का दावा किया। चंकि सेल्यूलोस फिल्म कागज नहीं है, अतः कर ट्रेडिट प्रमाण-पत्र गलत दिया गया था।

(ख) निर्यात प्रोत्साहन के रूप में आयकर अधिनियम में निर्यात बाजार के विकास पर किए गये व्यय के 1½ के बराबर राशि की व्यवसायिक आय से भारित कटौती अनुमत करने की व्यवस्था है। दो कम्पनियों के मामले में जो इंजीनियरी का सामान व सूती वस्त्र के निर्यात में लगी है, कर निर्धारण वर्ष 1971-72 में ऐसे निर्यात पर विदेशी एजेंटों को दिए गए 1,74,661 रु० और 18,41,080 रु० के कमीशन के सम्बन्ध में इस

प्रकार की कटौती अनुमत की गई थी, यद्यपि इस व्यय को निर्यात बाज़ार के विकास पर किया गया व्यय नहीं माना जा सकता बल्कि उसे व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में किया गया व्यय मान समझा जा सकता है। इस गलत छूट के कारण आय का अवनिधारण हुआ जिसमें 3,72,462 रु० का कम कर लगाया गया था।

मंत्रालय ने बताया है कि विदेशी एजेन्टों को किए गए भुगतान निर्यात विक्री पर कमी-शन के कारण किया गया था और यह व्यय आयकर अधिनियम के उपबन्धों के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

21. व्याज का न लगाना

(क) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत जहाँ कोई निर्धारिती विभाग द्वारा जारी की गई मांग की अपेक्षा अपने अनुमान के अनुसार अग्रिम-कर अदा करता है और इस प्रकार अदा किया गया अग्रिम कर नियमित कर-निर्धारण के आधार पर निर्धारित किए गए कर के 75 प्रतिशत से कम होता है तो उससे अग्रिम-कर की उस राशि पर जो कर निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारित से कम होती है, विहित दर पर सांविधिक व्याज लिया जायेगा।

एक कम्पनी के मामले में 5,45,688 रु० के अग्रिम कर की अदायगी के लिए सूचना जारी की गई थी। निर्धारिती ने शून्य राशि का अनुमान प्रस्तुत किया और कोई भी अग्रिम कर अदा नहीं किया। नियमित कर-निर्धारण पर निर्धारित किए गए कर की राशि 7,86,778 रु० थी। अतः निर्धारिती 1,95,680 रु० की राशि का व्याज देने के लिए दायी था जो कि कर निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए नहीं लगाया गया था।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत प्रत्येक निर्धारिती से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि वह यह समझता है कि उसके अपने अनुमान के आधार पर उसके द्वारा दिया जाने वाला अग्रिम कर विभाग द्वारा उससे मांगे गए अग्रिम कर की राशि से 33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत अधिक है, तो वह अपना अनुमान प्रस्तुत करे और अग्रिम कर प्रदान करे। ऐसा न करने से वह विहित दर पर व्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा, जोकि नियमित कर निर्धारण पर निर्धारित किए गए कर और निर्धारण वर्ष की 1 अप्रैल से नियमित कर निर्धारण की तिथि तक दिए गए अग्रिम कर के बीच अन्तर पर परिकलित किया जाएगा।

एक गैर-सरकारी कम्पनी के मामले में यद्यपि वित्त वर्ष 1969-70 के दौरान इसके द्वारा दिया जाने वाला अग्रिम कर इससे मांगे गए अग्रिम कर से 33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत अधिक था तथापि अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित कोई व्याज नहीं लगाया गया था।

मंत्रालय ने बताया है (जनवरी, 1974) की भूल का सुधार कर दिया गया है और 55,364 रु० की अतिरिक्त मांग संग्रहीत कर ली गई है।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत मांग की किसी सूचना में अदा की जाने वाली निर्दिष्ट राशि 35 दिन के भीतर अदा की जानी चाहिए जिसके अदा न करने पर कर के भुगतान में विलम्ब के लिए विहित दर पर व्याज लगाना होता है। कर निर्धारण वर्ष 1967-68 और 1969-70 के लिए विभाग ने भारतीय कम्पनी के अनन्तिम कर निर्धारण के पूरा होने पर मांग भेजी। निर्धारिती ने अनुबंध अवधि के भीतर मांग का भुगतान नहीं किया और इस कारण 1,03,724 रु० के व्याज देने के लिए दायी हो गया। यह व्याज नहीं लगाया गया।

22. सरकार द्वारा व्याज को परिहार्य या गलत अदायगी

बोर्ड ने अप्रैल, 1966 में अनुदेश जारी किये जिसमें आयकर अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे विवरणियां प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र नियमित कर निर्धारण पूरा करें ताकि अधिक दिया गया अग्रिम कर या तो मांग के प्रति समायोजित किया जा सके या निर्धारिती को वापस कर दिया जाय। 1968 में अधिनियम संशोधित कर दिया गया है जिसमें दिए गए अग्रिम कर की वापसी देने के लिए अनन्तिम कर निर्धारण की व्यवस्था की गई है। निर्देश एवं संशोधन का अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों का परिहार करना है जिनमें सरकार को निर्धारिती को व्याज देना पड़े।

(क) एक कम्पनी ने कर निर्धारण वर्ष 1967-68 और 1968-69 के लिए अपनी आय विवरणियां क्रमशः 15 नवम्बर, 1967 और 26 सितम्बर, 1968 को प्रस्तुत की जिनमें उनसे सम्बद्ध पिछले वर्षों के लिए आय के रूप में क्रमशः 1,74,24,840 रु० और 42,04,722 रु० दर्शाएँ गए थे। कम्पनी ने इन कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में 2,12,08,655 रु० और 80,00,000 रु० का अग्रिम कर अदा किया था और इस प्रकार अदा किए गए अग्रिम कर की राशि विवरणी में सूचित आय के आधार पर दिए जाने वाले कर से अधिक थी। कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए पहली पेशी 24 जनवरी, 1972 को हुई थी और कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए पेशी 2 फरवरी, 1972 को हुई थी, अर्थात् विवरणी प्रस्तुत करने की तिथियों से लगभग 4 वर्ष की अवधि के पश्चात्। नियमित कर-निर्धारणों के समापन पर अग्रिम कर की अधिक अदायगी के कारण 18,74,837 रु० और 21,55,053 रु० के व्याज का भुगतान किया गया था। यदि विभाग ने विवरणी प्राप्त होने के पश्चात् अग्रिम कर की अधिक अदायगी के वापसी के लिए नियमित/अनन्तिम कर-निर्धारण शीघ्र ही कर लिया होता तो अदा किए गए अधिक अग्रिम कर पर व्याज के भुगतान का परिहार किया जा सकता था।

जहां तक कर निर्धारण वर्ष 1968-69 का सम्बन्ध है, मंत्रालय ने अपने उत्तर में (फरवरी 1974) इस चूक को स्वीकार कर लिया है और कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए उन्होंने बताया है कि चूंकि अनन्तिम कर निर्धारण से सम्बन्धित

धारा 141 क 1-4-1968 से लागू की गई थी, अतः यह कर-निधारण वर्ष 1967-68 के लिए लागू नहीं की जा सकती थी। तथापि बोर्ड के 1966 के अनुदेशों के अन्तर्गत नियमित कर निधारण अविलम्ब पूरा किया जाना चाहिए था।

(ख) एक दूसरे मामले में (एक बैंकिंग कम्पनी) विभाग ने कर-निधारण वर्ष 1969-70 के लिए अनन्तिम कर निधारण 21 अगस्त, 1969 को पूरा किया और 35,50,583 रु० की वापसी का निधारण किया जिसमें से 27,66,810 रु० की राशि पिछले वर्षों के लिए बकाया मांग के प्रति समायोजित की गई थी। तथा 7,83,773 रु० की शेष राशि का नकद भुगतान करने की अनुमति दी गई तदनुसार इस राशि का नकद वापसी आदेश तैयार किया गया परन्तु वह आदेश जारी नहीं किया गया। मार्च, 1972 में नियमित कर-निधारण के समापन पर सरकार को 7,83,773 रु० की वापसी जो अनन्तिम कर-निधारण के समापन पर निधारिती को नहीं की गई थी, के एक भाग पर 1,15,391 रु० का व्याज देना पड़ा। इसलिए वापसी आदेश को समय पर जारी न करने से कर-निधारण वर्ष 1969-70 के लिए 1,15,391 रु० के परिवार्य व्याज का भुगतान करना पड़ा।

(ग) एक कम्पनी ने कर-निधारण वर्ष 1969-70 के लिए प्रारम्भ में 'शून्य' आय का अनुमान 25-5-1968 को प्रस्तुत किया जो कि 10,27,144 रु० का अग्रिम कर अदा करने के लिए 23-5-1968 को विभाग द्वारा जारी किए गए मांग के नोटिस के उत्तर में था। परन्तु 13-3-1969 को इसने 10,27,144 रु० की राशि अदा कर दी जैसा कि मांग नोटिस में दर्शाया गया था। उसके पश्चात् 28-3-1969 को 3,00,000 रु० और जमा कर दिए गए। नियमित कर-निधारण के समापन पर कुल 13,27,144 रु० की राशि को अग्रिम कर के रूप में अदा की गई राशि मान कर निधारिती को 1,20,385 रु० व्याज दिया गया। यह उपयुक्त नहीं था क्योंकि 28-3-1969 को जमा की गई बाद के 3,00,000 रु० की अनुवर्ती राशि पर 70,950 रु० का व्याज स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह अधिनियम के अन्तर्गत अनुमान प्रस्तुत करने व अग्रिम कर जमा करने के लिए विहित की गई अन्तिम तिथि के बीत जाने के पश्चात् किया गया था। विभाग द्वारा गलत क्रिया-विवि अपनाए जाने के परिणामस्वरूप 70,950 रु० के व्याज की गलत अदायगी की गई।

23. अपीलीय आदेशों को लागू करते समय की गई मूले

(क) कर-निधारण वर्ष 1966-67 के लिए एक कम्पनी का नियमित कर-निधारण 21-7-1967 को समाप्त हुआ था और मूल कर निधारण पर पुनर्विचार करने के पश्चात् पुनः कर-निधारण 20-8-1971 को किया गया था। पुनः कर-निधारण के विश्वद निधारिती द्वारा दायर की गई एक अपील पर अपीलीय सहायक आयुक्त ने आयकर अधिकारी के पुनः कर-निधारण के आदेश को रद्द कर दिया और पुनः कर-निधारण करने के लिए कुछ निदेश दिए।

अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश को कार्यान्वित करते समय करने के लिए अधिकारी ने अपीलीय सहायक आयुक्त के निर्णयानुसार केवल 62,341 रु० वापस करने की बजाए मूल करने के लिए अनुसार अदा किए गए 4,05,678 रु० के कर की सम्पूर्ण राशि वापस कर दी। इसके परिणामस्वरूप 343,337 रु० की अनियमित वापसी की गई।

मंत्रालय ने बताया है (जनवरी, 1974) कि इस भूल को सुधार लिया गया है और 3,43,259 रु० की अतिरिक्त मांग प्रस्तुत की गई है। मांग की संग्रहण से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी, 1974)।

(ख) करने के लिए एक बैंकिंग कम्पनी द्वारा दायर की गई अपील के मामले में अपीलीय प्राधिकारी ने 6,47,854 रु० की राशि के कुछ अप्राप्य ऋण स्वीकार करने का निर्णय किया। परन्तु चूंकि उसमें शामिल 40,000 रु० का अप्राप्य ऋण करने के लिए 1967-68 में पहले ही अनुमत कर दिया गया था, अपीलीय प्राधिकारी ने अगस्त 1972 में निदेश दिया कि राहत में से 40,000 रु० कम कर देने चाहिए। आयकर अधिकारी ने अक्टूबर 1972 में अपीलीय आदेश को लागू करते समय 6,47,854 रु० की राशि से 40,000 रु० घटाने के बजाय उसमें जोड़ दिए। इस प्रकार 80,000 रु० की आय का कम निर्धारण हुआ जिसके कारण करने के लिए 40,147 रु० का कर कम प्रभारित किया गया।

(ग) करने के लिए एक कम्पनी के मूल करने की गई अपील 3-1-1969 को समाप्त हुआ था। 1,31,811 रु० की कटौती अनुमत की गई थी। परन्तु यह कटौती वापस ले ली गई और उसे परवर्ती पुनः करने के लिए 15 नवम्बर, 1971 को किया गया था, कुल आय में जोड़ दिया गया था। पुनः करने के लिए वृद्धि की पुष्टि कर दी गई। इसी बीच दिनांक 3-1-1969 के मूल करने के लिए वृद्धि की पुष्टि करने के लिए अन्य कारणों से अपील करने पर न्यायाधिकरण ने दिनांक 25-10-1972 के अपने आदेश में कुल आय में कुछ कटौती अनुमत कर दी। न्यायाधिकरण के आदेशों को लागू करते समय आयकर अधिकारी ने दिनांक 15-11-1971 के पुनः करने के लिए अनुमत करने के बजाय दिनांक 3-1-1969 के अपने मूल आदेश में निर्धारित कुल आय पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित कटौती अनुमत करने के कुल संशोधित आय का निर्धारण कर दिया। इस प्रकार परवर्ती आदेश में की गई 1,31,811 रु० की वृद्धि ध्यान से निकल गई, जिसके परिणामस्वरूप 1,21,287 रु० की आय का कम निर्धारण हुआ (80-डॉ की कटौती को ध्यान में रख कर) जिससे 66,710 रु० के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने बताया है कि (जनवरी 1974) इस भूल को सुधार लिया गया है और 66,709 रु की अतिरिक्त मांग की गई है। मांग के संग्रहण के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

24. गलत क्रिया-दिविधि अपनाए जाने के कारण कर का अव-प्रभार

ग्रायकर अधिनियम 1961, जो कर निर्धारण वर्ष 1966-67 के लिए लागू था के अंतर्गत एक भारतीय कम्पनी से किसी कम्पनी द्वारा प्राप्त लाभांश आय पर रियायती कर की दर लग सकती है। अधिनियम के अनुसार इसकी क्रियाविधि यह थी कि लाभांश आय सहित कुल आय पर कर लगाया जाए और तत्पश्चात् कर में छूट दी जाए जो कि लाभांश आय पर कर की राशि के बराबर हो जिसका परिकलन कर की ओसत दर और उसके 25 प्रतिशत के बीच अन्तर के बराबर दर पर किया गया हो।

कर निर्धारण वर्ष 1966-67 के लिए एक कम्पनी की कुल आय 38,68,534 रु निर्धारित की गई थी जिस पर लगाए जाने वाली ओसत कर की दर 62.4 प्रतिशत बनती थी। उसकी कुल आय में एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त 24,02,250 रु की लाभांश-आय शामिल थी। अतः सकल कर से 24,02,250 रु की लाभांश आय पर 37.4 प्रतिशत (अर्थात् 62.4 प्रतिशत घटाएं 25 प्रतिशत) की दर पर कर छूट दी जानी चाहिए थी। इसकी बजाय विभाग ने लाभांश आय पर सीधे 25 प्रतिशत की दर से कर लगाया है और कुल आय की शेष राशि पर विहित दर पर कर लगाया। इस गलत क्रियाविधि के अपनाए जाने के कारण कर निर्धारण वर्ष 1966-67 के लिए 1,82,571 रु का कम कर लगाया गया।

मंत्रालय ने बताया है (मार्च, 1974) कि कर निर्धारण संशोधित कर दिया गया है और 1,82,571 रु की अतिरिक्त मांग की गई है।

25. अधिकर

वे सभी कम्पनियां जो नियोजित पूँजी के अनुपात की अपेक्षा अत्यधिक लाभ प्राप्त करती हैं, अधिकर उद्घारण किए जाने के लिए दायी होतीं हैं। यह कर अत्यधिक लाभ के निरुत्साहन के रूप में एवं मूल्यों को कम करने के उद्देश्य से 1964 में लगाया गया था। लोक लेखा समिति ने यह अनुभव किया है कि यदि स्थायी उपाय के रूप में अधिकार लगाया जाना है तो यह विभाग व निर्धारिती दोनों के लिए लाभ कर होगा यदि इसे सामान्य कर-डांचों में मिला दिया जाये। तदनुसार उन्होंने सरल व तर्क संगत बनाने की दिशा में एक उपाय के रूप में अपनी पचासवीं रिपोर्ट (1972-73) के पैरा 1.2 में सिफारिश की कि एक पृथक निगमित कर अधिनियम बनाया जा सकता है जिसमें अधिकर से सम्बन्धित उपबंध समाविष्ट हों। इस सिफारिश के संदर्भ में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही प्रतीक्षित है।

26. प्रभार्य लाभ सांविधिक कटौती से जितना अधिक होता है उतनी राशि पर अधिकर कर लगाया जाता है जिसकी राशि कम्पनी पूँजी के 10 प्रतिशत के बराबर या 2 लाख ८० दोनों में से जो भी अधिक हो, होती है।

राजस्व प्राप्तियों पर वर्ष 1970-71 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 68(i) में यह उल्लेख किया गया था कि अधिकर उद्ग्रहण के प्रयोजनार्थ प्रभार्य लाभ का परिकलन करते समय नए औद्योगिक उपकरणों से प्राप्त लाभ वलिधियों की उस राशि को जिस पर कोई भी आयकर नहीं दिया जाता है, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत परिकलित कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा और अधिकर अधिनियम के अनुसार जहां कम्पनी की आय का एक भाग आयकर अधिनियम के अन्तर्गत परिकलित की गई उसकी कुल आय में शामिल करने योग्य नहीं होता है वहां उसकी पूँजी को अनुपाततः कम कर दिया जाना चाहिए। यद्यपि आरम्भ में वित्त मंत्रालय इस विचार से सहमत नहीं हुआ था परन्तु बाद में कानूनी राय प्राप्त करने के पश्चात् उसने इसे मान लिया।

सभीक्षाधीन अवधि के दौरान कानून के उपरोक्त अनुबन्धों का पालन न करने के कारण तथा अन्य चूंकों के कारण 152 मामलों में 1,31 करोड़ ८० के अधिकर का कम निर्धारण किया गया था। अधिकर के कम निर्धारण के कुछ मामलों का उल्लेख निम्न-लिखित पैराओं में किया गया है :—

27.(क) (i) वर्ष 1966-67, 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के लिए एक कम्पनी के आयकर के निर्धारण में सम्बन्धित कुल आय में से कटौती के रूप में 5,25,582 रु०, 11,79,990 रु०, 1,61,47,836 रु० और 1,26,93,891 रु० अनुमत कर दिए गए थे जिसके परिणामस्वरूप उन कर निर्धारण वर्षों में आय पर प्रभार्य कर में राहत मिल गई थी। परन्तु उपरोक्त कर निर्धारण वर्षों के लिए अधिकर अधिनियम के अन्तर्गत परिकलित पूँजी अनुपाततः कम नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप पूँजी 10,66,33,049 रु० अधिक परिकलित हुई जिसके कारण कर निर्धारण वर्ष 1966-67, 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के लिए 26,88,138 रु० के अधिकर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है (जनवरी, 1974) कि कर निर्धारण वर्ष 1970-71 से 1972-73 के लिए इन कर निर्धारणों को संशोधित किया जा रहा है परन्तु कर निर्धारण वर्ष 1966-67 के लिए कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है क्योंकि वह पहले ही कालातीत हो चुकी है। इसके आगे की रिपोर्ट मंत्रालय से प्रतीक्षित है (मार्च, 1974)।

(ii) एक दूसरे मामले में एक कम्पनी को कर-निर्धारण वर्ष 1966-67 और 1967-68 के लिए आयकर के हेतु कुल प्रभार्य आय का परिकलन करने के लिए उसकी सकल आय में से क्रमशः 12,43,584 रु० और 11,63,759 रु० की कटौती अनुमत कर

दी गई थी। इन कर निर्धारण वर्षों के लिए अधिकर के हेतु प्रभार्य लाभ का निर्धारण करने के लिए कम्पनी की पूँजी अनुपाततः कम कर दी जानी चाहिए थी। विभाग द्वारा ऐसा न किए जाने के कारण कर निर्धारण वर्ष 1966-67 और 1967-68 के लिए 3,26,328 रु० का अधिकर कम लगाया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है (अक्टूबर, 1973) कि कम्पनी के कर निर्धारण संशोधित किए जा रहे हैं। अगली रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी, 1974)।

(iii) कर निर्धारण वर्ष 1966-67 के लिए आयकर के हेतु कुल प्रभार्य आय का परिकलन करने के लिए एक कम्पनी को उसकी सकल आय में से 9,79,740 रु० की कटौती अनुमत कर दी गई। इस कर निर्धारण वर्ष के लिये अधिकर के हेतु प्रभार्य लाभ का निर्धारण करने के लिये कम्पनी की पूँजी अनुपाततः घटा दी जानी चाहिए थी। विभाग द्वारा ऐसा न किये जाने के कारण कर-निर्धारण वर्ष 1966-67 के लिए 1,19,910 रु० का कम अधिकर लगाया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है (जनवरी, 1974) कि यह कर निर्धारण संशोधित कर दिया गया है और 1,19,910 रु० की अतिरिक्त मांग की गई है। मांग के संग्रहण के संबंध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च, 1974)।

(iv) कर निर्धारण वर्ष 1966-67 और 1967-68 के लिए एक कम्पनी के आय-कर निर्धारण में कुल आय में से 12,43,584 रु० और 11,70,756 रु० की कटौती अनुमत कर दी गई थी जिससे उद्ग्रहित आयकर में उचित राहत दे दी गई थी। परन्तु उपरोक्त कर-निर्धारण वर्षों के लिए अधिकर अधिनियम के अन्तर्गत परिकलित कम्पनी की पूँजी अनुपाततः कम नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप कर निर्धारण वर्ष 1966-67 और 1967-68 के लिए पूँजी का परिकलन 41,53,690 रु० और 43,84,100 रु० अधिक हुआ जिसके कारण क्रमशः 1,45,379 रु० और 1,53,444 रु० के अधिकर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है (फरवरी, 1974) कि उपरोक्त कर निर्धारण संशोधित कर दिए गए हैं और 4,79,151 रु० की अतिरिक्त मांग की गई है। मांग के संग्रह के संबंध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी, 1974)।

(v) एक भारतीय कम्पनी की कुछ आय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग से थी जो कर निर्धारण वर्ष 1966-67 से 1969-70 में आयकर के प्रयोजनार्थ परिकलित उसकी कुल आय में शामिल नहीं की गई थी। सम्बद्ध कर-निर्धारण वर्षों में अधिकर के लिए कम्पनी की पूँजी निर्धारित करते समय विभाग ने कुल आय में इस प्रकार शामिल न की गई आय के अनुसार पूँजी में से अनुपातिक राशि नहीं घटाई। इसके परिणामस्वरूप इन कर-निर्धारण वर्षों में कुल 3,10,335 रु० का अधिकर कम लगाया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है (जनवरी, 1974) कि ये कर निर्धारण संशोधित किए जा रहे हैं। अगली रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी, 1974)।

(vi) कर निर्धारण वर्ष 1967-68 से 1971-72 के लिए दो अन्य कम्पनियों के अधिकर निर्धारणों में यद्यपि प्राथमिकता प्राप्त उद्योग से होने वाली आय, कर अवकाश लाभ और लाभांश से प्राप्त कुछ आय प्रभार्य लाभ से ठीक प्रकार से कमकर दी गई थी परन्तु कम्पनियों की पूँजी अनुपाततः कम नहीं की गई थी। इसके कारण कुल 3,49,578 रु० के अधिकर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी, 1974) कि एक कम्पनी के संबंध में कर निर्धारण संशोधित कर दिये गये हैं और 1,31,237 रु० की मांग कर दी गई है और दूसरी कम्पनी के संबंध में सम्बन्धित कर निर्धारणों का संशोधन किया जा रहा है। अगली रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी, 1974)।

(vii) कर निर्धारण वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के लिए एक कम्पनी के अधिकर निर्धारण में यद्यपि एक कम्पनी द्वारा नए औद्योगिक उपक्रम से प्राप्त “कर-अवकाश लाभ” प्रभार्य लाभ में शामिल नहीं किया गया था तथापि पूँजी में अनुपातिक कमी नहीं की गई थी जिससे 61,504 रु० के अधिकर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है (जनवरी, 1974) कि इस अवस्था में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है क्योंकि अधिकर अधिनियम की धारा 8(ख) और 13 के अन्तर्गत सभी तीन वर्षों के लिए कार्यवाही पहले ही कालातीत हो चुकी है।

(viii) कर निर्धारण वर्ष 1966-67 से 1970-71 के लिए दो कम्पनियों के अधिकर निर्धारण में यद्यपि प्राथमिकता प्राप्त नये उद्योगों से होने वाला लाभ प्रभार्य लाभ में शामिल नहीं किया गया था, पूँजी में आनुपातिक कमी नहीं की गई थी जिससे 7,48,110 रु० के अधिकर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है (जनवरी, 1974) कि एक कम्पनी के सम्बन्ध में दो वर्षों 1968-69 और 1969-70 के लिए कर निर्धारण संशोधित कर दिए गए हैं और दूसरी कम्पनी के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर निर्धारणों का संशोधन किया जा रहा है। अगली रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी, 1974)।

(ख) कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 और उसके अन्तर्गत नियमों में यह व्यवस्था है कि जहां खाता परिसम्पत्ति बनाकर या उसमें वृद्धि करके (पुनर्मूल्यांकन से या अन्य किसी प्रकार) प्रदत्त पूँजी या आरक्षित निधि की संरचना की जाती है वहां ब्रदत्त पूँजी या, आरक्षित निधि के इस भाग को अधिकर उद्ग्रहण के प्रयोजनार्थ पूँजी परिकलन में शामिल नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त निर्धारण वर्ष के तदनुरूपी पिछले वर्ष के प्रथम दिन को आरक्षित निधि की राशि के आधार पर निर्धारण करना होता है।

(i) कर निर्धारण वर्ष 1969-70 से सम्बद्ध पिछले वर्ष के दौरान एक कम्पनी ने परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से 15,15,505 ₹ अन्तरित करके अपनी सामान्य आरक्षित निधि को बढ़ा लिया था। सामान्य आरक्षित निधि में यह बढ़ी हुई राशि पूँजी परिकलन में शामिल करने योग्य नहीं थी। चूंकि परिसम्पत्ति के पुनर्मूल्यांकन से होने वाली 15,15,505 ₹ की उपरोक्त राशि पूँजी आधार से अलग नहीं की गई थी, अतः प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के लिये, 1,51,550 ₹ की अधिक सांविधिक छूट हो गई थी। इसके कारण कर निर्धारण वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1973-74 के लिये कुल 1,13,663 ₹ का अधिकर कम लगाया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है (जनवरी, 1974) कि इन कर निर्धारणों का संशोधन किया जा रहा है। अगली स्पॉर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी, 1974)।

(ii) एक मामले में विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 1964-65 से 1966-67 में पिछले वर्षों के प्रथम दिन के बजाय अन्तिम दिन को जो “विकास छूट आरक्षित” निधि थी उसे लेकर पूँजी का परिकलन किया। इस भूल के कारण क्रमशः 69,187 ₹, 70,000 ₹ और 85,000 ₹ की अधिक सांविधिक कटौती की छूट दे दी गई जिसके परिणामस्वरूप 85,425 ₹ का अधिकर कम लिया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि इन कर निर्धारणों को संशोधित कर दिया गया है और 85,425 ₹ की अतिरिक्त मांग कम्पनी को देय वापसी के प्रति समायोजित कर दी गई है।

(ग) किसी कम्पनी के खाते में किसी लेखे के क्रेडिट में पड़ी हुई राशियों को जो देयता या प्रावधान के प्रकार की हो, आरक्षित निधि के रूप में नहीं ली जानी चाहिये और वे पूँजी के परिकलन में नहीं की जा सकती हैं। एक मामले में कम्पनी कर के लिये कोई अलग धन व्यवस्था नहीं कर रही थी बल्कि कर का भुगतान “आकस्मिकता आरक्षित निधि” में से करती थी। इसलिये यह आरक्षित निधि एक प्रावधान मात्र थी जिसे परिकलन में शामिल नहीं करना चाहिये था। इसी प्रकार कम्पनी “लाभांश आरक्षित निधि” में से लाभांश की अदायगी किया करती थी जिसे उसी प्रकार शामिल नहीं करना चाहिये। परन्तु विभाग ने इन दोनों आरक्षित निधियों को 1966-67 व 1967-68 के अधिकर निर्धारण में शामिल कर लिया जिसके परिणामस्वरूप कुल 37,451 ₹ का अधिकर कम लगाया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि इस भूल का सुधार करने के लिये कार्यवाही कालातीत हो गई है।

(ब) जब सामान्य आरक्षित निधि का एक भाग बोनस शेयर जारी करने के लिए उपयोग में लाया जाता है तो प्रदत्त शेयर पूँजी में वृद्धि करने से पूर्व उतनी ही कमी आरक्षित निधि में की जाती है। दूसरे शब्दों में, सामान्य आरक्षित निधि के पूँजीकरण का तात्पर्य केवल इन दो अवयवों के बीच पुनर्समायोजनों का आपस में पूरा किया जाना है जो कि कम्पनी के पूँजी के भाग ही हैं। इससे अधिकर निर्धारण के प्रयोजनार्थ कम्पनी की पूँजी में वृद्धि नहीं होती है।

एक मामले में, कम्पनी ने कर निर्धारण वर्ष 1967-68 से सम्बद्ध पिछले वर्ष के दौरान अपनी सामान्य आरक्षित निधि के संचित राशि के एक भाग (1,50,68,493 रु०) का उपयोग करके 2.50 करोड़ रु० के बोनस शेयर जारी किए। तथापि 1967-68 के लिए कम्पनी के अधिकर निर्धारण में स्वीकार्य सांविधिक कटौती का परिकलन करते समय कंपनी की पिछले वर्ष के पहले दिन की पूँजी में 1,50,68,493 रु० जोड़ दिए गए। इसके परिणामस्वरूप सांविधिक कटौती की राशि 15,06,849 रु० अधिक परिकलित की गई जिससे 5,27,397 रु० के अधिकर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(ड) लंका के रु० के लिए सही विनिमय दर अपनाने के लिए कर निर्धारण वर्ष 1967-68 से 1969-70 के लिए एक कम्पनी के आयकर निर्धारणों का संशोधन दिसम्बर, 1971 में किया गया था परन्तु इन वर्षों के लिए तदनुरूपी अधिकर निर्धारणों के संशोधन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, यद्यपि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने जनवरी, 1971 के परिपत्र में आदेश जारी किए थे कि जब कभी आयकर निर्धारणों का संशोधन किया जाता है तो तदनुरूपी अधिकर निर्धारणों को भी साथ-साथ संशोधित किया जाना चाहिए। यदि अधिकर निर्धारणों को संशोधित किया गया होता तो 3,33,513 रु० का अतिरिक्त कर प्राप्त हो सकता था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है (जनवरी, 1974) कि कर निर्धारण संशोधित कर दिए गए हैं और 3,33,513 रु० की अतिरिक्त मांग की गई है। मांग के संग्रहण के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी, 1974)।

अधिक कर निर्धारण

28. (क) वित्त अधिनियम, 1967 के अनुसार एक ऐसी कम्पनी पर जिसमें सरकार के पर्याप्त शेयर न हों, लागू होने वाली दर पूर्णतया अधिकृत कम्पनी पर लागू होने वाली दर की अपेक्षा कम होती है जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 में दिया गया है। कम्पनी की स्थिति निर्धारित करने के मापदण्डों में से एक मापदण्ड यह है कि यदि किसी कम्पनी में सरकार के पास 40 प्रतिशत से अधिक शेयर हों तो वह ऐसी कम्पनी समझी जानी चाहिए जिसमें सरकार के पर्याप्त शेयर हैं। यद्यपि एक नियम के (जिसे कम्पनी माना गया था) 50 प्रतिशत शेयर सरकार के पास थे, फिर भी विभाग

ने उसे ऐसी कम्पनी माना जिसमें सरकार के पर्याप्त शेयर नहीं थे, और तदनुसार इस प्रकार व्यापक रूप से अधिकृत कम्पनी को लागू होने वाले खियायती कर दर से उसे बंचित कर दिया। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों से लाए गए 55,615 रु० की स्वीकार्य हानि की बजाए विभाग ने 74,273 रु० की हानि को कर निर्धारण वर्ष 1967-68 की आय के प्रति प्रतिसंतुलित करने की अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप 18,658 रु० की आय का कम निर्धारण हुआ जिससे कर निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए 42,449 रु० का निवल कर अधिक लिया गया। इसके अतिरिक्त इस मामले में आय विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए व्याज का सही रूप से परिकलन नहीं किया गया था। अधिक कर वसूली का विचार करने पर, आय विवरणीं प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण 15,589 रु० का व्याज अधिक उद्घटीत किया गया। पुनः, यद्यपि कि निर्धारिती ने अग्रिम कर का कोई प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया था, विभाग ने अनुमानित अग्रिम कर की गैर-अदायगी के लिए 60,600 रु० का व्याज उद्घटीत किया जिसके परिणामस्वरूप कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए 60,600 रु० का व्याज अधिक उद्घटीत किया गया। इस का निवल परिणाम यह हुआ कि 1,18,638 रु० का कर व व्याज अधिक वसूल किया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है (फरवरी, 1974) कि कर निर्धारण संशोधित कर दिया गया है और अधिक कर की राशि को निर्धारिती के नाम अन्य मांगों के प्रति समायोजित कर दिया गया है।

(ख) आयकर अधिनियम में यह व्यवस्था है कि यदि वापसी (अदायगी) उस तारीख से छः मास के पश्चात् जारी की जाती है जिस तारीख को वापसी का दावा किया जाता है तो निर्धारिती छः मास समाप्त होने के बाद की तारीख से वापसी की तारीख तक विहित दर पर व्याज पाने का अधिकारी है। एक कम्पनी ने 3,46,013 रु० और 8,45,669 रु० के दो कर क्रेडिट प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में वापसी के लिए विहित फार्म में 21 सितम्बर, 1970 को दावा प्रस्तुत किया। कर क्रेडिट प्रमाण पत्र पर लागू होने वाले उपबंधों के अनुसार कर क्रेडिट प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने की तिथि को व्यक्तियों को देय वापसी समझी जायेगी यदि उस तिथि को आय कर की कोई अन्य देयता न हो परन्तु उपरोक्त कर क्रेडिट प्रमाण-पत्र में शामिल राशियों को वास्तव में 19 अक्टूबर, 1971 को वापस किया गया। राशियों को वापस करते समय 21 मार्च 1971 से 19 अक्टूबर, 1971 तक की अवधि के लिए वापसी की राशि पर स्वीकार्य 62,560 रु० के व्याज का ध्यान नहीं रखा गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है (जनवरी, 1974) कि निर्धारिती को व्याज अनुमत कर दिया गया है।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित "व्यापार या व्यवसाय के लाभ व लब्धियां" (सट्टा व्यापार को छोड़कर) शीर्ष के अन्तर्गत होने वाली निवल हानि को परवर्ती वर्ष में निर्धारित द्वारा किए जाने वाले व्यापार या व्यवसाय के लाभ व लब्धियों, जो उस कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धार्य हो, के प्रति प्रतिसंतुलित करने के लिए आगे ले जाया जा सकता है।

कर निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए एक कम्पनी के कर निर्धारण में कर निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए निर्धारित व अप्रेनीत की गई 2,07,387 रु० की व्यावसायिक हानि के सम्बन्ध में प्रति-संतुलित किए जाने में चूक हो गई। इसके परिणाम-स्वरूप कर निर्धारण वर्ष 1969-70 में, 1,14,063 रु० का आयकर अधिक निर्धारित किया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है (जनवरी, 1974) कि कर निर्धारण संशोधित कर दिया गया है और 1,04,533 रु० की राशि वापस कर दी गई है (कर परिणाम में अन्तर का कारण अपीलीय आदेश को लागू करने में संशोधन बताया गया है)।

(घ) कर निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए एक कम्पनी द्वारा अधिकृत फैक्टरी में संयंत्र व मशीनरी का अवलेखित मूल्य 87,75,320 रु० था। कर निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए अनुमत 17,55,064 रु० के मूल्यहास को घटाकर कर निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए अवलेखित मूल्य का परिकलन 70,20,256 रु० के बजाय 60,20,256 रु० किया गया था। इस भूल का परिणाम यह हुआ कि कर निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए मूल्यहास एवं अतिरिक्त पारी छूट 2,00,000 रु० कम दिया गया (मूल्यहास की दर 20 प्रतिशत)। इसके कारण 1,10,000 रु० के कर का अधिक उद्घग्हण हुआ।

(इ) वित्त अधिनियम, 1971 के अनुसार एक स्वदेशी कम्पनी, जिसमें सरकार के पर्याप्त शेयर न हों और जो मुख्यतया विनिर्माण या औद्योगिक क्रियाकलाप में लगी हो, अपनी कुल आय पर जो 10 लाख रु० से अधिक न हो निम्न दर पर कर देने के लिए दायी है जो ऐसे गैर-औद्योगिक स्वदेशी कम्पनी पर भी लागू है जिसमें सरकार के पर्याप्त शेयर हों और जिसकी कुल आय 50,000 रु० से अधिक हो।

कर निर्धारण वर्ष 1971-72 के दौरान एक स्वदेशी विनिर्माण कम्पनी की 3,90,734 रु० की कुल आय पर वित्त अधिनियम के अनुसार प्रभार्य 55 प्रतिशत के स्थान पर विभाग द्वारा 65 प्रतिशत की दर पर कर लगाया गया। कर दर के गलत लगाने का परिणाम यह हुआ कि कर निर्धारण वर्ष 1971-72 के लिए 30,973 रु० का कर अधिक लिया गया।

(च) आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत यदि एक कम्पनी के सामले में, एक निर्धारिती की सकल कुल आय में, एक स्वदेशी कम्पनी से लाभांश के रूप में प्राप्त आय शामिल हो तो कुल आय का परिकलन करते समय ऐसी आय में से विहित दर पर परिकलित राशि की कटौती अनुमत की जा सकती है।

कर निर्धारण वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 से संबद्ध पिछले वर्षों के दौरान एक निर्धारिती की भारतीय कम्पनियों से लाभांश के रूप में कमशः 95,822 रु., 76,595 रु. और 2,20,844 रु. की आय हुई। परन्तु कुल आय परिकलित करते समय ऐसी लाभांश आय के कारण विभाग द्वारा कोई छूट अनुमत नहीं की गई थी जिसके कारण तीन कर-निर्धारण वर्षों, 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के दौरान कुल 1,30,105 रु. के कर का अधिप्रभार हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है (जनवरी 1974) कि गलती का सुधार कर दिया गया है और 1,30,105 रु. की राशि को वापस/समायोजित किया जा रहा है।

(छ) एक देशी कम्पनी, जो एक ऐसी कम्पनी नहीं थी जिसमें सरकार के पर्याप्त शेयर हों अथवा जो ऐसी कम्पनी की एक सहायक कम्पनी हो, पिछले वर्षों के दौरान, जो 1966-67 से 1972-73 तक के वर्षों में प्रत्येक के लिये उसके निर्धारणों से सम्बद्ध हैं, कोयला खनन का व्यवसाय कर रही थी और इसलिये वह अपनी सकल कुल आय से, 1972-73 के लिये, निर्धारित ऐसी आय का 5 प्रतिशत और अन्य वर्षों में प्रत्येक के लिये निर्धारित ऐसी आय का 8 प्रतिशत, निर्धारणों में से घटाने की हकदार थी। क्योंकि इन कटौतियों की अनुमति नहीं दी गई, इसलिये इन निर्धारणों में इसकी कुल आय का 75,299 रु. की कुल राशि तक अधिनिर्धारण किया गया जिसके फलस्वरूप 40,389 रु. की राशि का कुल अधिक कर लगाया गया। इसके परिणाम-स्वरूप, 1966-67 से 1969-70 के वर्षों के निर्धारण वर्षों के संबंध में धारा 215 के अन्तर्गत निर्धारिती द्वारा देय व्याज भी 6,214 रु. अधिक लगाया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है (फरवरी 1974) कि कर निर्धारणों में गलती का सुधार कर दिया गया है और 14,125 रु. की राशि निर्धारिती को वापसी योग्य पाई गई है। कर देयता में अन्तर, अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के परिणामस्वरूप निर्धारिती की आय में किये गये एक संशोधन के कारण हुआ, बताया गया है।

(ज) वित्त अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत, ऐसी स्वदेशी कम्पनियां हैं जिनमें सरकार के पर्याप्त शेयर नहीं हैं परन्तु जो मुख्यतः विनिर्माण अथवा माल के संसाधन अथवा किसी औद्योगिक गतिविधि संबंधी कार्य कर रही है, उन पर कुल आय के प्रथम 10 लाख पर 55 प्रतिशत की दर से और शेष आय पर 60 प्रतिशत की दर से कर

लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी कम्पनियाँ, सम्बद्ध पिछले वर्ष के दौरान इकिवटी शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक लाभांश की घोषणा अथवा वितरण के संबंध में 7½ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर की दायी हैं।

निर्धारण वर्ष 1967-68 के दौरान एक ऐसी कम्पनी पर, औद्योगिक गतिविधि से प्राप्त 6,65,547 रु० की व्यापारिक आय सहित 6,93,771 रु० की उसकी कुल आय पर 65 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया और इकिवटी लाभांश के अधिक वितरण के संबंध में कोई कर नहीं लगाया गया। इसके परिणामवस्थ्य निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिये 57,609 रु० के कर का अधिप्रभार किया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है (जनवरी 1974) कि निर्धारण में गलती का सुधार कर दिया गया है और 62,941 रु० की राशि वापसी योग्य पाई गई है (कर देयता में अन्तर, अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय के आधार पर किये गये एक संशोधन के कारण हुआ, बताया गया है)।

अध्याय III

आय-कर

29. कम्पनियों को छोड़कर व्यक्तियों से संग्रहीत आय-कर, संविधान के अनुच्छेद 270 के अन्तर्गत “IV—निगम कर को छोड़कर आय पर कर” मुख्य शीर्ष के अधीन दर्ज किया जाता है। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये, संघ परिलक्षियाँ, संघ राज्य क्षेत्रों और संघ अधिभारों पर आरोप्य कर को छोड़कर इन करों की निवल प्राप्तियों का 75 प्रतिशत 1973-74 की समाप्ति तक राज्यों को समनुदेशित किया गया था।

कम्पनियों को छोड़कर व्यक्तियों के निर्धारणों से सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना-जांच से पैराग्राफ 10(i) में निर्दिष्ट करके अवनिर्धारण संबंधी गलतियों का पता चला है। इन विभिन्न प्रकार की गलतियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित पैराग्राफों (30 से 49) में दिये गये हैं।

30. गलतियां जिनमें बथेष्ट राजस्व अंतर्गत हैं

(क) निर्धारण वर्ष 1963-64 के लिये एक व्यक्ति की 2,39,443 रु की कुल आय पर कर निर्धारण किया गया। इस मामले में देय कर, वित्त अधिनियम, 1963 द्वारा विहित कर की खण्ड दरों (स्लेव रेट्स) के अनुसार परिकलित किया जाना है। तथापि, विभाग ने ऐसी आय के केवल 1 लाख रु तक ऐसी स्तर दरों (स्लेव रेट्स) लगाई और इस प्रकार परिकलित कर की राशि को दो से गुणा किया और गुणनफल को 2 लाख रु के लिये कर देयता के रूप में ले लिया जिसके परिणामस्वरूप कर निर्धारण वर्ष 1963-64 के लिये 52,952 रु का कर कम प्रभारित किया गया। इसके फलस्वरूप निर्धारिती द्वारा आय विवरणी को विलम्ब से प्रस्तुत करने और आय के अनुभान को प्रस्तुत न करने के लिये क्रमशः 51,566 और 14,286 रु का ब्याज कम लगाया गया।

मंत्रालय ने बताया है कि संबंधित कर निर्धारण में सुधार कर दिया गया है और 1,18,804 रु की अतिरिक्त मांग की गई है। अतिरिक्त मांग के संग्रहण के संबंध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ख) कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिये एक व्यक्ति (फिल्मी सितारा) की 13,18,890 रु की निवल निर्धारित आय पर, परिकलन में एक गलती के कारण,

टीक रूप से प्रभार्य 10,49,595 रु० के कर की तुलना में 10,11,107 रु० का आयकर लगाया गया जिसके परिणाम-स्वरूप कर निर्धारण वर्ष 1970-71 में 38,488 रु० का आय कर कम लगाया गया और 4,158 रु० का ब्याज कम लिया गया ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है (जनवरी 1974) कि अपीलीय सहायक आयुक्त ने 14-10-1973 के अपने आदेश द्वारा निर्धारिती की कुल आय को घटा कर 2,01,140 रु० कर दिया है और इसलिये उक्त गलती के परिणामस्वरूप किसी अतिरिक्त मांग के संग्रहण का प्रश्न दी नहीं उठता है ।

(ग) एक निर्धारिती के मामले में कुल आय के परिकलन तथा देय कर में निम्न-लिखित गलतियों के कारण कर निर्धारण वर्ष 1967-68 और 1968-69 के संबंध में 90,715 रु० के आय कर का अवनिर्वारण हुआ ।

(i) कुल आय में 61,531 रु० की राशि को शामिल नहीं किया गया यद्यपि निर्धारिती ने अपने पत्र दिनांक 12-2-1972 में इस राशि को सम्मिलित करने का अनुरोध किया था ।

(ii) समायोजित कुल आय को, प्राप्य वार्षिकी घटाए बिना, परिकलित किया गया ।

(iii) सरकारी प्रतिभूति पर ब्याज को गलत रूप से अर्जित आय लिया गया ।

मंत्रालय ने इन गलतियों को स्वीकार करते हुए, उत्तर दिया है (फरवरी 1974) कि अपीलीय सहायक आयुक्त ने विवादास्पद कर निर्धारणों को रद्द कर दिया है ।

31. कर निर्धारण के लिए ली गई गलत हैसियत (स्टेट्स)

(क) एक व्यक्ति ने, 31 मार्च 1965 तक एकमात्र स्वामी के रूप में विज्ञापन कार्य में व्यवसाय किया । उसकी पत्नी जो तब तक उसी व्यवसाय में एक वैतनिक कर्मचारी थी, को एक साझेदार के रूप में ले लिया गया और 1-4-65 से उस कारोबार को एक साझेदारी कर्म के रूप में परिवर्तित कर दिया गया । उस निर्धारिती की 2 सितम्बर 1965 को मृत्यु हो गयी और वह एक वसीयत कर गया जिसके अनुसार अपनी सम्पदा का प्रबन्धक अपनी पत्नी को बना गया ।

कर-निर्धारण वर्ष 1966-67 के लिये कर्म की आय निर्धारित करते समय आयकर अधिकारी ने 2 सितम्बर 1965 तक कर्म का कर निर्धारण किया । 2-9-1965 के बाद की अवधि के लिये उसने इस व्यवसाय को 2 सदस्यों वाली 'व्यक्तियों की संस्था' की सम्पत्ति के रूप में माना है जिसमें उत्तर जीवी साझेदार दोहरे रूप में अर्थात् एक व्यक्ति रूप में और साथ में मृतक की सम्पदा के प्रबन्धक के रूप में भी, कार्य करता है । इसके फलस्वरूप उत्तरजीवी साझेदार के अधिकार में होने वाले केवल 50 प्रतिशत लाभों का कर निर्धारण किया गया, अन्य 50 प्रतिशत लाभों का मृतक की सम्पदा की आय के रूप में कर निर्धारण किया गया । बाद के वर्षों के लिये भी कर निर्धारण इसी प्रकार किए गए ।

2 सितम्बर 1965 को उक्त व्यक्ति की मृत्यु पर एकमात्र उत्तर-जीवी साक्षेदार उस व्यवसाय का व्यक्तिगत रूप से उत्तराधिकारी बना और 'व्यक्ति' को 'व्यक्तियों की संस्था' मानना गलत था। दो पृथक अस्तित्वों के अधिकार में होने वाली राशि के कर निर्धारण के लिये व्यवसाय की आय को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करने के परिणामस्वरूप कर निर्धारण वर्षों 1966-67 से 1971-72 तक के लिये, 1,45,533 रु० के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने बताया है (जनवरी 1974) कि चूंकि निर्धारिति ने आदेश के विरुद्ध द्वारा 263 के अधीन एक अपील दायर कर दी है इसलिये विवादाप्रस्त कर निर्धारणों को अभी तक संशोधित नहीं किया गया है।

(ब) "व्यक्तियों का निकाय" की श्रेणी में एक निर्धारिति के 1968-69 और 1969-70 के कर निर्धारण 'कोई कर निवार्य नहीं' के रूप में संबूत करके कुल आय उस के छः सदस्यों में प्रभाजित की गई। चूंकि आय कर अधिनियम 1961 के अधीन 'व्यक्तियों का निकाय' निवार्य अस्तित्व के रूप में है और सम्बद्ध वर्षों के लिये वित्त अधिनियमों में 'व्यक्तियों के निकाय' के लिए उद्घाह्‌य कर की पृथक-पृथक दरों की व्यवस्था है, इसलिए स्वयं 'व्यक्तियों के निकाय' के अधिकार में होने वाली आय पर समुचित दरों के हिसाब से कर उद्घाह्‌य था। ऐसा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1,00,290 रु० के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने बताया है (जनवरी 1974) कि कर निर्धारणों में गलती का सुधार कर दिया गया है और 1,00,290 रु० की अतिरिक्त मांग की गई है।

3.2. वेतन आय की गलत संगणना

जिन मामलों में कर मुक्त आय प्राप्त की जाती है वहाँ कर की राशि को ऐसी आय का अंश समझा जाना चाहिए और सकल आय को प्राप्तकर्ता की कुल आय में शामिल किया जाना चाहिए अथवा अंतिम कर 'कर पर कर' के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि कर निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए लगभग एक सौ विदेशी निर्धारितियों के वेतन को विभाग द्वारा ठीक रूप से संकलित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1,19,601 रु० तक का कर कम प्रभारित हुआ।

मंत्रालय ने बताया है (फरवरी 1974) कि विवादास्पद कर निर्धारणों में गलती का सुधार कर दिया गया है और 1,19,601 रु० की अतिरिक्त मांग की गई है। इस अतिरिक्त मांग की वसूली संबंधी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

33. गृह सम्पत्ति से आय का गलत परिकलन

किसी गृह सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य जो गृह सम्पत्ति से आय के अंतर्गत कर के लिए निर्धार्य है, वह राशि है जिस पर वह सम्पत्ति वर्ष प्रति वर्ष यथोचित रूप से किराये पर दी जा सकती है। एक निर्धारिती के मामले में वर्ष 1957-58 में स्वयं के कब्जे में मकान से आय 1,000 रु. निर्धारित की गई जब कि धन-कर प्रयोजनों के लिए इसका मूल्य 21,500 रु. लगाया गया था। बड़े पैमाने पर सम्पत्ति में किए गए परिवर्द्धनों और ऐसी परिसम्पत्तियों के मूल्य में सामान्य वृद्धि के कारण स्वयं के कब्जे में सम्पत्ति का मूल्य 1957-58 के बाद के वर्षों के लिए निर्धारिती के धन-कर निर्धारणों में प्रति वर्ष बढ़ा दिया गया और वर्ष 1966-67 में यह 6,03,844 रु. लिया गया। यह मूल्य 1968-69 में और बढ़ाकर 6,09,389 रु. कर दिया गया। परन्तु आयकर के लिए निर्धार्य गृह सम्पत्ति आय जिसमें यथानुपात वृद्धि की जानी चाहिए थी, 1967-68 तक 1000 रु. ही ली जाती रही और उसके पश्चात् उसमें नाम मात्र की वृद्धि करके उसे 2000 रु. तक कर दिया गया। गृह सम्पत्ति आय, जिसका 1962-63 से 1972-73 तक के 11 वर्षों के दौरान कर निर्धारण नहीं किया गया था, यदि आय का चूनतम मूल्य सम्पत्ति के 6 प्रतिशत के बराबर ली जाए तो 2,19,200 रु. बनती है। इसमें अंतर्गत कर प्रभाव 1,85,670 रु. है।

उक्त गलती को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने उत्तर दिया है (फरवरी 1974) की आगे भी रिपोर्ट बाद में भेजी जाएगी।

34. व्यापार से आय की गलत संगणना

एक पंजीकृत फर्म के व्यापार तथा लाभ-हानि लेखे में कर निर्धारण वर्षों 1968-69 और 1969-70 से सम्बद्ध पिछले वर्षों के लिए 64,788 रु. और 1,07,818 रु. की कुल विक्रय-कर वापसियां जिन्हें प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया था को इस आधार पर आय नहीं माना कि जून 1969 में लागू किए गए केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम के एक संशोधन के अनुसरण में वे राशियां राज्य सरकार को प्रतिदेय थीं। तथापि, यह देखने में आया कि कर निर्धारण वर्ष 1968-69 से सम्बद्ध केवल 10,688 रु. ही केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम के अंतर्गत, वापसी से सम्बन्धित थे। शेष राशियां राज्य विक्रय-कर अधिनियम के अधीन प्राप्त की गई क्रय-कर की वापसियां थीं और वे केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम में किए गए संशोधन से प्रभावित नहीं होती थीं। इसके फलस्वरूप कर निर्धारण वर्षों 1968-69 और 1969-70 के लिए क्रमशः 54,100 रु. और 1,07,818 रु. की आय का अवनिर्धारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप 96,873 रु. का कर कम लगाया गया (आयकर अधिनियम की धारा 214 के अंतर्गत फर्म को की गई कुल 3,480 रु. की व्याज अदायगियों को छोड़कर)।

मंत्रालय ने बताया है (जनवरी 1974) कि कर निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए सुधारात्मक कार्यवाही के लिए समय-अवधि 31-3-1973 को समाप्त हो गई थी। मंत्रालय ने और आगे बताया है (मार्च, 1974) कि कर निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए पुनर्निर्धारण कार्यवाही पूरी कर ली गई है और 23,499 रु० की अतिरिक्त मांग फर्म को भेजी गई है। आगे की रिपोर्ट मंत्रालय से प्रतीक्षित है।

(ख) एक निर्धारित ने एक टेकेदार के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1969-70 के तदनुरूपी वर्ष के दौरान व्यापार से आय प्राप्त की। कर योग्य-आय परिकलित करने समय विभाग ने निवल आय का अनुमान अदायगी प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अदायगी प्रमाणपत्रों के आधार पर सकल विक्री के 11 प्रतिशत के हिसाब से लगाया। तथापि, अनुमानित आय तदनन्तर अपील पर संशोधित करके सकल विक्री का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी गई। जबकि लेखाओं के आधार पर सकल विक्री 31,54,776 रु० पाई गई। विभाग ने उसे गलती से 25,59,776 रु० लिया। कुल आय 44,625 रु० तक कम परिकलित की गई जिसके परिणामस्वरूप कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए 11,671 रु० का कर कम प्रभारित किया गया।

मंत्रालय ने बताया है कि गलती को सुधार दिया गया है और 11,671 रु० की एक अतिरिक्त मांग की गई है। इस मांग के संग्रहण से संबंधित आगे की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 1974)।

35. विकास छूट और मूल्यह्रास की अनुमति देने में अनियमितताएं

आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई निर्धारिती 31-3-1954 के बाद प्राप्त किए गए और उसके द्वारा किए जाने वाले व्यापार के प्रयोजनों के लिए पूर्णतया प्रयोग किए जाने वाले नए जहाजों पर विकास छूट का हकदार है। यदि जहाज 1-1-1958 से पूर्व प्राप्त किया जाता है तो विकास छूट की दर जहाज की वास्तविक लागत का 25 प्रतिशत होती है और उस तारीख को या उससे बाद प्राप्त किया गया जहाज 40 प्रतिशत की दर से विकास छूट का हकदार है। नौवहन उद्योग के लिए और अधिक रियायत प्रदान करने की दृष्टि से विकास छूट की दर को 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 प्रतिशत किया गया। नौवहन को छोड़कर अन्य उद्योगों में लगे हुए जलपोत, नौकाएं आदि 25 प्रतिशत विकास छूट की निम्न दर की हकदार हैं जिसे तदनन्तर कम करके 20 प्रतिशत कर दिया गया।

गहरे समुद्र में मछली पक ने और समुद्री खाद्यों के निर्यात का व्यापार करने वाली एक फर्म समुद्री नौकाएं प्राप्त कर रही थी और उनका अनुरक्षण कर रही थी। निर्धारिती ने, कर-निर्धारण वर्षों 1965-66 से 1970-71 (निर्धारण वर्ष 1968-69 को छोड़कर) के लिए मत्स्य उद्योग में लगी समुद्री नौकाओं के संबंध में 40 प्रतिशत की दर से विकास छूट का दावा किया और इस छूट की अनुमति विभाग द्वारा पांच कर निर्धारणों में दी गई। क्योंकि ये नौकाएं मत्स्य उद्योग में लगी हुई थीं, इसलिए वे केवल 20 प्रतिशत की

घटी हुई दर के दिसाव से विकास छूट की हकदार हैं। पांच वर्षों के लिए बड़ी हुई दर से विकास छूट के गलत देने के परिणामस्वरूप फर्म और उसके साझेदारों पर 1,78,617 रु० का कुल कर कम लगाया गया।

36. लाभांश आय की गलत परिणामना

आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अधीन किसी कम्पनी, जिसमें सरकार के पर्याप्त शेयर नहीं हैं, के द्वारा किसी शेयरधारी को, जिसके पास 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक मताधिकार वाले शेयर हैं, कर्जे अथवा उधार के रूप में की गयी किसी अदायगी को कुछ शर्तों के अध्यधीन आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लाभांश समझा जाता है।

यह देखा गया कि दो कम्पनियों में, जिनमें सरकार के पर्याप्त शेयर नहीं हैं, पर्याप्त हिस्सा रखने वाले एक निर्धारिति ने कर निर्धारण वर्षों 1968-69 और 1969-70 के दौरान त्रयम्: 92,710 रु० और 75,215 रु० के कर्जे लिए। वर्षोंकि कम्पनी ने इतना लाभ संचित कर लिया था जो निर्धारितियों को उधार दी गई राशि से अधिक है, इसलिए इन कर्जों को लाभांश के रूप में लिया जाना था और उन पर आयकर लगाया जाना था, परन्तु विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस नूक के परिणामस्वरूप 1,40,770 रु० (लगभग) की राशि का कर कम लगाया गया।

मंत्रालय ने बताया है (फरवरी 1974) कि विवादस्पद कर निर्धारितों में गलती का सुधार किया जा रहा है। मंत्रालय से आगे कार्यवाही प्रतीक्षित है।

37. अनियमित छूटें अथवा दी गई अधिक राहत

(क) आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अधीन पूर्णतया धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए न्यायाधीन रखी गई सम्पत्ति से आय, उस सीमा तक छूट योग्य है जहाँ तक कि वह आय भारत में ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग में लायी जाती है। 1963 में जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों के अंतर्गत (जिन्हें अधिनियम लागू होने की तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संविधि में पहले ही उपबन्धित कर लिया गया है) किसी धर्मार्थ न्यास परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर उपचित होने वाले पूंजीगत लाभ धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त आय के रूप में कर से छूट योग्य तब तक नहीं होंगे जब तक ऐसे पूंजीगत लाभ किसी नई पूंजीगत परिसम्पत्ति को अधिप्राप्त करने के लिए उपयोग में नहीं लाए जाते। इस प्रकार उपयोग में लाए गए पूंजीगत लाभों की राशि धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त राशि के रूप में मानी जानी चाहिए।

एक धर्मार्थ न्यास के मामले में कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए न्याय की परिसम्पत्तियों की विकी पर प्राप्त 5,81,921 रु० के पूंजीगत लाभ किसी नई पूंजीगत परिसम्पत्ति को अधिप्राप्त करने में नहीं लगाए गए परन्तु उन्हें एक बैंक के पास

मियादी जमा के रूप में रखा गया। फिर भी आयकर अधिकारी द्वारा पूँजीगत लाभों की राशि पर कोई कर नहीं लगाया गया। कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमत गलत छूट के परिणामस्वरूप 1,51,978 रु० का आय कर कम लगाया गया।

मंत्रालय ने बताया है (फरवरी 1974) कि यह मामला मंत्रालय के विचाराधीन है। आगे की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ख) 1968 में आयकर अधिनियम में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार ऐसी स्वदेशी कम्पनियां जो भारत से बाहर अपने माल की विक्री में वृद्धि के लिए कुछ विशिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत 29-2-1968 के बाद भारत से बाहर कोई व्यव करती हैं तो उन्हें व्यावसायिक आय से ऐसे व्यव की राशि के $1\frac{1}{2}$ के बराबर की राशि, की कटौती की अनुमति दी जाती है। कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए मार्च 1972 में किए गए एक कर-निर्धारण में एक पंजीकृत फर्म को, भारत में स्थित तीन पार्टियों को रूपयों में अदा की गई विक्रय कमिशन के रूप में 2,01,657 रु० की निर्यात बाजार विकास छूट प्रदान की गई। यह छूट स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि यह व्यव भारत में किया गया था और इसके परिणामस्वरूप 58,000 रु० के आयकर का अवनिर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने बताया है (जनवरी 1974) कि फर्म के कर निर्धारण को संशोधित कर दिया गया है और 17,746 रु० की अतिरिक्त मांग की गई है। कर-प्रभाव में अंतर इस तथ्य के कारण है कि साझेदारों के मामले में अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा और अधिक राहतें पहले ही दी जा चुकी हैं।

(ग) निर्धारण वर्षों 1966-67 और 1967-68 के लिए लागू आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत यदि कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर स्थित किसी अधिसूचित विश्वविद्यालय शिक्षा संस्था अथवा ऐसे किसी अन्य संघ से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो वह 'कर-राहत' के रूप में, ऐसे पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत की कटौती का हकदार है। कर-निर्धारण वर्ष 1966-67 और 1967-68 से सम्बद्ध पिछले वर्षों के दौरान एक भारतीय नागरिक ने, एक विदेशी सांस्कृतिक संगठन से, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं था, क्रमशः 25,000 रु० और 63,750 रु० की राशि का पारिश्रमिक प्राप्त किया। इसलिए उसकी कुल आय की संगणना में (उस पारिश्रमिक के) 50 प्रतिशत की कटौती स्वीकार्य नहीं थी। तथापि, विभाग द्वारा इस कटौती की अनुमति प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप दो कर-निर्धारण वर्षों के लिए 26,730 रु० का कर कम लगाया गया।

मंत्रालय ने बताया है कि यह स्थिति उन्हें स्वीकार्य नहीं है और आगे की रिपोर्ट बाद में भेजी जाएगी (मार्च 1974)।

38. फर्मों और उनके साझेदारों के कर-निधारण करने में गलतियाँ

(क) एक अपंजीकृत फर्म का, कर-निधारण वर्ष 1963-64 के लिए कर निधारण आयकर आयुक्त द्वारा 24-9-1965 को आयकर अधिनियम 1961 की द्वारा 263 (1) के अधीन रद्द कर दिया गया और आयकर अधिकारी को पुनर्निधारण करने के लिए निदेश दिया गया। आयकर अधिकारी ने 12-10-1966 को मूल कर निधारण रद्द कर दिया और फर्म से प्रारम्भ में वसूल किया गया 48,494 रु० का कर वापस कर दिया। परन्तु जुलाई, 1972 तक पुनर्निधारण नहीं किया गया। यह ज्ञात हुआ है कि फर्म 7-1-1967 को परिसमाप्त हो गई थी।

मंत्रालय ने बताया है (मार्च 1974) कि इस गलती से 64,822 रु० के राजस्व की हानि अंतर्गत थी और आगे की रिपोर्ट बाद में भेजी जाएगी।

(ख) आयकर अधिनियम में यह निर्धारित है कि “व्यापार की लाभ और लबिधय” शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय परिकलित करते समय किसी फर्म द्वारा उस फर्म के किसी साझेदार को व्याज की कोई आदयगी व्यावसायिक व्यय के रूप में कटौती योग्य नहीं है। जहां तक फर्म का संबंध है, यह तथ्य कि क्या साझेदार अपनी व्यक्तिगत हैसियत से साझेदार है अथवा वह कर्ता के रूप में हिन्दू अविभाजित परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि यह (फर्म) अपने साझेदार को उसकी व्यक्तिगत हैसियत में व्याज देती है और इसलिए किसी फर्म द्वारा अपने साझेदारों को अदा किया गया व्याज व्यावसायिक व्यय के रूप में कटौती योग्य नहीं है।

(i) एक मामले में कर-निधारण वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक के लिए एक फर्म की आय परिकलित करते समय उस फर्म द्वारा अपने एक साझेदार को अदा किया गया 60,388 रु० का व्याज इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया कि अपने कर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाला हिन्दू अविभाजित परिवार इसमें साझेदार था और उस साझेदार को उसकी व्यक्तिगत हैसियत में व्याज नहीं दिया गया था। इस व्याज को स्वीकार न करने की चूक के परिणामस्वरूप उक्त तीन कर-निधारण वर्षों के लिए 11,624 रु० कर कर कम लगाया गया।

मंत्रालय ने बताया है (फरवरी 1974) कि विवादास्पद कर-निधारणों में गलती को सुधार दिया गया और 11,624 रु० की अतिरिक्त मांग की गई है।

(ii) एक अन्य मामले में कर-निधारण वर्ष 1968-69 से 1971-72 तक के लिए एक फर्म ने अपने दो साझेदारों को व्याज के रूप में 60,076 रु० अदा किए और इस व्याज को इस तर्क पर अस्वीकार नहीं किया कि व्याज हिन्दू अविभाजित परिवारों को अदा किया गया जिनके कर्ता दो साझेदार थे और वे साझेदार अपने व्यक्तिगत रूप में इसमें साझेदार थे। गलत छूट के परिणामस्वरूप 14,700 रु० का कर कम लगाया गया।

39. पति/पत्नी की आय शामिल करने में चूक

आयकर अधिनियम की धारा 64(1) के अंतर्गत एक निर्धारिती को कर-योग्य आय परिकलित करते समय एक फर्म, जिसमें निर्धारिती भी समझेदार था, में उसकी पत्नियों की शेयरों से प्राप्त आय निर्धारिती की आय में सम्मिलित की गई। धारा 64(1) के नीचे दी गई व्याख्या के अनुसार पति/पत्नी की शेयरों से आय, पति अथवा पत्नी की आय में, दोनों में से जिसकी भी कुल आय (उस फर्म जिसमें वे दोनों समझेदार हैं से प्राप्त आय को छोड़कर) अधिक हो, उसमें सम्मिलित की जायगी। कर-निर्धारण वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के लिए, उस फर्म, जिसमें उसकी पत्नियां भी समझेदार थीं, से प्राप्त उसकी शेयर आय को छोड़कर उस निर्धारिती की कुल आय हानि के रूप में थी। क्योंकि उपर्युक्त तीन कर-निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारिती की आय उसकी पत्नियों की आय से कम थी, इसलिए उसकी शेयर आय का कर-निर्धारण उस पत्नी की आय में मिला कर होना चाहिए था जिसकी अन्य आय अधिक थी। इन तीन कर-निर्धारण वर्षों के लिए जिस आय का कर-निर्धारण नहीं हुआ वह 3,85,668 रु० है और उसके परिणाम-स्वरूप 2,22,000 रु० के कर की कम मांग की गई है।

मंत्रालय ने उपर्युक्त स्थिति को स्वीकार नहीं किया है और यह तर्क दिया है कि धारा 64 केवल उस मामले में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति की केवल एक पत्नी हो। लेखा-परीक्षा के विचार में धारा 64 का आशय केवल उन मामलों तक ही सीमित नहीं हैं जहां निर्धारिती की केवल एक पत्नी हो।

40. हानियों का अनियमित प्रतिसंतुलन

आयकर अधिनियम के अधीन, "व्यवसाय की लाभ और लब्धियां" शीर्ष के अन्तर्गत होने वाली हानियों को आगे ले जाया जा सकता है और उन्हें उत्तरवर्ती वर्ष में उसी शीर्ष के अधीन आय के प्रति प्रतिसंतुलित किया जा सकता है और यदि उत्तरवर्ती वर्ष में इस शीर्ष के अंतर्गत पर्याप्त आय के अभाव के कारण हानि पूर्णतया प्रतिसंतुलित नहीं की जा सकती तो इस प्रकार प्रतिसंतुलित न की गई हानि की राशि को उत्तरवर्ती वर्ष में उस वर्ष की व्यावसायिक आय के प्रति समायोजन के लिए और आगे ले जाया जा सकता है और इस प्रकार आठ वर्षों तक ऐसा हो सकता है।

एक फर्म के दो समझेदारों के मामले में यह देखा गया कि उपर्युक्त सांविधिक उपबन्धों का पालन नहीं किया गया और कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 से सम्बद्ध व्यावसायिक हानि का उनका हिस्सा जिसकी कुल राशि 3,20,707 रु० थी और जिसे आगे ले जाया गया था, कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 में निर्धार्य व्यावसायिक लाभों के अभाव में, व्यवसाय से छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के प्रति गलती से प्रतिसंतुलित किया गया। इसके परिणामस्वरूप कर निर्धारण वर्ष 1968-69 में 2,74,491 रु० के कर का अव-निर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने बताया है (जनवरी 1974) कि विवादास्पद कर-निर्धारण परिशोधित कर दिए गए हैं और उन दोनों साक्षेदारों के नाम 2,74,491 रु० की कुल मांग की गई है। इस मांग के प्रति 1,75,525 रु० की राशि वसूल कर ली गई है और आगे की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

41. अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करते समय कर-निर्धारणों में की गई गलतियाँ

(क) कर-निर्धारण वर्ष 1965-66 से 1968-69 से सम्बद्ध पिछले वर्षों में, एक कम्पनी के संबंध निदेशक, जो एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता था, द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक और बैठक शुल्क (सिटिंग फीस) को उसके कर-निर्धारणों में दोनों रूप में अर्थात् 'व्यक्तिगत' तथा 'हिन्दू अविभाजित परिवार' के रूप में, संरक्षण कर-निर्धारणों की भांति लिया गया। निर्धारिती द्वारा की गई एक अपील पर अपीलीय सहायक आयुक्त ने निदेश दिया कि पारिश्रमिक और बैठक शुल्क का कर-निर्धारण 'हिन्दू अविभाजित परिवार' द्वारा प्राप्त आय पर नहीं किया जाना चाहिए।

अपीलीय सहायक आयुक्त के दिनांक 1-8-1972 के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए 'हिन्दू अविभाजित परिवार' के मामले में दिए गए कर-निर्धारण आदेशों को संशोधित करते समय आयकर अधिकारी ने सम्बद्ध कर-निर्धारण वर्षों में पारिश्रमिक और बैठक शुल्क के संबंध में किए गए परिवर्धनों को तो निकाल दिया परन्तु पारिश्रमिक पर स्रोत से काटे गए कर के संबंध में कर-निर्धारण वर्ष 1965-66 से 1968-69 तक के लिए मूल कर-निर्धारणों में अनुमत 48,449 रु० की कुल राशि के कर क्रेडिट वापस लेने में वह चूक कर गया, जिसके परिणामस्वरूप 48,449 रु० का अधिक कर क्रेडिट दिया गया। इसके अतिरिक्त 27-9-1972 को कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए कर-निर्धारण संशोधित करते समय, यद्यपि निर्धारिती ने केवल 21,761 रु० की राशि का अग्रिम कर तथा स्वतः निर्धारण कर अदा किया हुआ था, तथापि अदा किए गए कर के लिए 48,205 रु० के उधार की अनुमति प्रदान की गई जिसके फलस्वरूप कर के लिए 26,444 रु० की अधिक क्रेडिट छूट प्रदान की गई।

इन गलतियों के परिणामस्वरूप 72,059 रु० का कुल कर कम लंगाया गया।

मंत्रालय ने बताया है (फरवरी 1974) कि विवादास्पद कर-निर्धारणों को संशोधित कर दिया गया है और 72,059 रु० की एक अतिरिक्त मांग की गई है।

(ब) 1968-69 से पूर्व किसी नए श्रीचौमिक उपक्रम से आय को पहले कुल आय में सम्मिलित किया जाता है और बाद में ऐसी आय पर कर की श्रीसत दरों के हिसाब से आयकर और अधिकर के लिए राहत दी जाती है।

एक फर्म के संशोधित कर निर्धारण में जो अपीलीय सहायक आयुक्त के मई 1968 के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए कर-निर्धारण वर्ष 1962-63 के लिए अगस्त 1968 में किया गया, आयकर अधिकारी ने कर की ओसत दरों के हिसाब से नए औद्योगिक उपक्रम के कारण 2,70,530 रु० की आय पर राहत प्रदान करने की बजाए फर्म की आय से पूर्णरूप से कटीती कर दी। इसके परिणामस्वरूप फर्म और उसके दो साझेदारों द्वारा प्राप्त 2,70,530 रु० की आय का अव-निर्धारण हुआ। फर्म और उसके दो साझेदारों के कर-निर्धारणों में कम प्रभारित किया गया कर 1,57,530 रु० था।

मंत्रालय ने बताया है (फरवरी 1974) कि विवादास्पद गलती को सुधार दिया गया है और दो साझेदारों के मामले में 56,944 रु० की अतिरिक्त मांग प्रस्तुत की गई है। फर्म से अतिरिक्त मांग के संग्रहण के संबंध में आगे की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

42. आय-विवरणियां देर से प्रस्तुत करने, कर की अदायगी में विलम्ब, आदि के कारण व्याज का न लगाया जाना / गलत लगाया जाना

आयकर अधिनियम के अधीन प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आय कर योग्य सीमा से अधिक है, विहित ढंग से सत्यापित विहित फार्म में और जिससे यथाविहित अन्य विवरण दिए जाए हों, एक आय विवरणी प्रस्तुत करनी पड़ती है। व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आय-विवरणियों के मामले में यह निर्धारित है कि यदि निर्धारिती द्वारा लेखे व्यापारिक लेखा विधि प्रणाली के अनुसार रखे जाते हैं तो विनिर्माण लेखे अथवा व्यापार लेखे, लाभ हानि लेखे और तुलन पत्र अथवा शेष परीक्षण पत्रों की एक प्रति उक्त विवरणी के साथ अवश्यमेव संलग्न की जानी चाहिए। यदि लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाती है तो लेखापरीक्षित लेखाओं की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट/विवरण की एक प्रति भी उस विवरणी के साथ भेजी जानी चाहिए। यदि विहित व्यारे नहीं दिए जाते हैं तो उस विवरणी को अपूर्ण और अविविमान्य समझा जाएगा। आय विवरणियों के देर से प्रस्तुत करने के लिए व्याज का सांविधिक उद्घारण उन मामलों में जिनमें अपूर्ण और अविविमान्य विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं, उस तिथि तक जब पूर्ण व्यारे उपलब्ध किए जाते हैं और न कि उस तिथि तक जब ऐसी आय-विवरणियां वास्तव में प्रस्तुत की गईं, प्रभार्य हो जाता है। नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि निम्नलिखित तीन ऐसे मामलों में व्याज जिसकी राशि 4,16,312 रु० थी, नहीं लगाया गया। इन मामलों के व्यारे नीचे दिए गए हैं:—

- (i) एक पंजीकृत फर्म ने कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए अपनी आय-विवरणी 10 मार्च 1968 को प्रस्तुत की जिसमें 1,90,000 रु० की आय दर्शाई गई थी और जिसके समर्थन में लेखाओं के विवरण नहीं थे। आयकर अधिकारी

ने इस विवरणी को उचित फार्म में भरा हुआ न मानते हुए 20 अगस्त 1968 को निर्धारिती से कहा कि उचित फार्म में आय विवरणी प्रस्तुत की जाए। व्यापार और लाभ-हानि लेखा, आदि जैसे लेखाओं के विवरण और समायोजित आय का विवरण जिसमें 2,06,870 ₹ की कुल आय दिखाई गई थी, निर्धारिती से केवल 15 अक्टूबर, 1970 को प्राप्त हुए। आयकर अधिकारी द्वारा यह कर-निर्धारण, 2,17,320 ₹ की कुल आय पर दिसम्बर 1970 में पूरा किया गया। आय-विवरणी देर से प्रस्तुत करने के लिए 15-10-1970 तक की अवधि के लिए 35,144 ₹ के व्याज की बजाय विभाय द्वारा केवल 10 मार्च 1968 तक की अवधि के लिए 3,082 ₹ का व्याज लगाया गया। इस प्रकार 32,062 ₹ का कर कम लगाया गया।

- (ii) एक निर्धारिती ने कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए व्यापार, लाभ-हानि आदि जैसे समर्थक प्रलेखों के बिना अपनी आय-विवरणी, जिसमें 14,17,210 ₹ की आय दिखाई गई थी, 14 अक्टूबर, 1968 को प्रस्तुत की। निर्धारिती द्वारा समर्थक विवरण 13 सितम्बर, 1971 को प्रस्तुत किए गए। आय-कर अधिकारी ने 39,86,276 ₹ की आय पर कर-निर्धारण मार्च, 1972 में पूरा किया और सांविधिक व्याज नहीं लगाया। क्योंकि समर्थक प्रलेख केवल सितम्बर, 1971 में प्राप्त हुए, इसलिए सितम्बर, 1971 तक की अवधि के लिए 3,72,000 ₹ का सांविधिक व्याज उद्घाहृय था।
- (iii) एक पंजीकृत फर्म ने कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए एक आय-विवरणी, जिसमें 66,000 ₹ की आय दर्शाई गई थी, 3 जनवरी, 1970 को प्रस्तुत की। इस विवरणी के साथ व्यापार और लाभ हानि लेखे नहीं भेजे गए थे। 9 दिसम्बर 1971 को निर्धारिती ने अपेक्षित समर्थक प्रलेखों सहित एक संशोधित विवरणी प्रस्तुत की जिसमें 33,935 ₹ की आय दिखाई गई थी। 9 दिसम्बर 1971 को प्रस्तुत आय-विवरणी के आधार पर 1,23,430 ₹ की कुल आय पर कर-निर्धारण मार्च, 1972 में पूरा किया गया। कर-निर्धारण अधिकारी ने, आय-विवरणी देर से प्रस्तुत करने के लिए पहली जनवरी, 1970 से लेकर 8 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के लिए व्याज लगाने की बजाए केवल दो दिनों के लिए व्याज लगाया। व्याज का अव-प्रभार 12,250 ₹ था।

मन्त्रालय ने बताया है (मार्च 1974) कि दो निर्धारितियों के मामले में कर-निर्धारणों में सुधार कर दिया गया है और अतिरिक्त मांगे प्रस्तुत की गई हैं। इन मामलों में मांगों से संग्रहण के संबंध में और तीसरी मामले में कर-निर्धारण में सुधार करने के संबंध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

43. सरकार द्वारा व्याज की अदायगी

आयकर अधिनियम 1961 के अधीन जिन मामलों में किसी निर्धारिती द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अदा किया गया अप्रिम कर, नियमित कर-निर्धारण पर निर्धारित देय कर की राशि से अधिक होता है, वहां वित्तीय वर्ष के उत्तरवर्ती वर्ष की अगली पहली अप्रैल से नियमित कर-निर्धारण की तिथि तक की अवधि के लिए अधिक अदा किए गए अप्रिम कर की राशि पर विहित दर के हिसाब से व्याज अदा करने के लिए सरकार दायी है, वशर्तों कि अनन्तिम कर निर्धारण पर वापस की गई किसी भी राशि के सम्बन्ध में ऐसे कर निर्धारण की तारीख के बाद किसी भी अवधि के लिए कोई व्याज नहीं दिया जाएगा।

(क) पांच निर्धारितियों के मामले में, निर्धारितियों द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद आयकर अधिकारियों द्वारा अनन्तिम कर निर्धारण पूरे नहीं किए गए और नियमित कर निर्धारणों के पूरा करने में अत्यधिक देरी हुई। इसके फलस्वरूप कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 और 1969-70 के लिए पांच निर्धारितियों को 24,633 रु० के परिवार्य व्याज की अदायगी हुई।

(ख) एक अन्य निर्धारिती के मामले में, नियमित कर निर्धारणों के पूरा होने पर निर्धारिती द्वारा देय करों की अपेक्षा उसके द्वारा अदा किए गए अप्रिम करों की अधिक राशि कर-निर्धारण वर्ष 1964-65 से 1969-70 के लिए विभाग ने 6,25,687 रु० का व्याज अदा किया। इन सभी कर-निर्धारणों को, ऐसे कर निर्धारणों को पूरा करने के लिए अनुमत सांबंधिक समय-अवधि की समाप्ति पर अन्तिम रूप दिया गया। यदि ये कर-निर्धारण बोड़ के अप्रैल, 1966 के परिपत्र में उल्लिखित अनुदेशों को दृष्टि में रखते हुए पहले ही पूरे किए गए होते तो व्याज की अदायगी का परिवार हो सकता था अथवा व्याज देयता में कमी हो सकती थी।

मंत्रालय ने बताया है (फरवरी 1974) कि यह मामला जटिल होने के कारण इसकी कई बार सुनवाई होने के पश्चात् ही सभी कर-निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारण आदेश दिए गए थे और उसके फलस्वरूप कर निर्धारणों को पूरा करने में अधिक समय लगा।

44. आय विवरणियों के देव से प्रस्तुत न करने के लिये अर्थ बण्ड न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना

आयकर अधिनियम 1961 के अधीन, बोड़ निर्धारिती जो बिना किसी योग्यता कारण के विहित तिथि के भीतर आयकर-विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा हो तो

बहु चूक के प्रत्येक मास के लिए विहित दर के हिसाब से अर्थ दण्ड देने का दायी है। वह राशि उसके द्वारा देय कर के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कर निर्धारण वर्ष 1963-64 के लिए एक व्यक्ति का मूल कर-निर्धारण, आय-विवरणी के प्रस्तुत न किए जाने के कारण एक पक्षीय आधार पर पूरा किया गया था, उस पर रादनन्तर पुनः कार्यवाई की गई और उस आय सहित जो प्रारम्भ में कर-निर्धारण से छूट गई थी, 1,61,748 रु० की कुल आय पर पुनः कर-निर्धारण किया गया। यद्यपि आयकर-विवरणी प्रस्तुत न करने के लिए अर्थ दण्ड लगाने के लिए कार्यवाही आरम्भ की गई थी तथापि इस मामले में आगे कोई कार्यवाई नहीं की गई। इस मामले में उद्ग्राह्य अर्थदण्ड की न्यूनतम राशि 53,484 रु० थी।

मन्त्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 1974) में अर्थ दण्ड कार्यवाही को पूरा न करने से संबंधित आयकर अधिकारी की चूक को स्वीकार कर लिया है।

45. कर की अधिक अथवा अनियमित वापसी

एक निर्धारिती (फिल्म सितारा) के मामले में आयकर अधिकारी ने 21-7-1969 को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अदा किए गए 26,512 रु० के स्वतः निर्धारण कर को निर्धारिती द्वारा स्वयं अदा किये गये कर के रूप में समझा जिसके परिणामस्वरूप फर निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए 26,512 रु० के कर की अधिक वापसी हुई।

मन्त्रालय ने बताया है (जनवरी 1974) कि विवादास्पद कर निर्धारण का सुधार कर दिया गया है और 26,512 रु० की प्रस्तुत की गयी मांग समायोजन द्वारा संग्रहीत कर ली गई है।

46. राजस्व लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई गलतियों के संबंध में शोधक कार्यवाही करने में परिहार्य विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

आयकर अधिनियम 1961 की धाराओं 147(ख) और 154 के उपबंधों के अनुसार उसमें (अधिनियम में) निर्धारित समय-अवधियों की समाप्ति के पश्चात् कोई भी पुनर्कर्तनिर्धारण अथवा किसी कर-निर्धारण का सुधार नहीं किया जाएगा।

10 आयुक्तों के कार्य भारों में 31-8-1971 तक लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए 1732 मामलों के संबंध में, जिनमें ग्रननिर्धारण था, विभाग द्वारा विहित अवधि के भीतर शोधक कार्यवाही नहीं की गई। इसके फलस्वरूप सुधारात्मक कार्यवही कालातीत हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप लगभग 115 लाख रु० के राजस्व की हानि हुई।

47 अधिनिर्धारण

(क) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने 26-11-1972 के अपने आदेशों में कहा निर्धारण वर्ष 1964-65 के लिए एक निर्धारिति को 59,255 रु० की राहत की अनुमति प्रदान की। अधिनियम की धारा 255 के अधीन 29-3-1973 को इन आदेशों को कार्यान्वित करते समय इस अधिनियम की धारा 250 के अधीन 22-12-1970 को की गई पिछली निर्धारित आय 3,16,982 रु० ली गई यद्यपि वास्तव में यह आय 2,71,976 रु० थी जो अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत 29-7-1972 को निर्धारित की गई थी। इस गलती के कारण 29-3-1973 को दिए गए आदेशों में निर्धारिति की आय 45,006 रु० अधिक निर्धारित को गई जिसके परिणामस्वरूप 43,990 रु० का कर अधिक लगाया गया।

मंत्रालय ने बताया है (जनवरी 1974) कि कर निर्धारण में सुधार कर दिया गया है।

(ख) आयकर (छठा संशोधन) नियमावली, 1962 द्वारा पहली अप्रैल, 1970 से कार्यान्वित की गई आयकर नियमावली 1962 के नियम 5 के संशोधन से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:—

(i) व्यापार अथवा व्यवसाय में उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास छूट की मात्रा को उनके उपयोग की अवधि से अलग कर दिया और इस छूट को, पिछले वर्ष में उनके (परिसंपत्तियों के) उपयोग की अवधि का ध्यान किए बिना सभी परिसंपत्तियों पर पूर्ण दर के हिसाब से, उपलब्ध कर दिया;

(ii) मोटर ट्रकों पर मूल्यहास छूट की दर को बढ़ा कर उनके लिखित मूल्य का 30 प्रतिशत कर दिया।

दो निर्धारितियों (पंजीकृत फर्मों) की कर-योग्य आय के कर निर्धारण करते समय उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखा गया और ट्रकों पर मूल्यहास छूट गलत रूप से 25 प्रतिशत की पूर्व संशोधित दर के आधे के हिसाब से इस आधार पर अनुमति की कि उपयोग की अवधि 180 दिनों से कम थी। इसके परिणामस्वरूप एक निर्धारिति को 68,375 रु० और दूसरे को 15,422 रु० की मूल्यहास छूट अस्वीकृत हो गई। इस प्रकार निर्धारितियों की कर-योग्य आय 83,797 रु० अधिनिर्धारित की गई जिसमें 41,210 रु० (29,930 रु० जमा 11,280 रु०) का कर अधिक लगाया गया।

मंत्रालय ने बताया है (फरवरी 1974) कि फर्मों के कर निर्धारणों में सुधार कर दिया गया है और अधिप्रभार की राशि को बकाया मांगों के प्रति समायोजित कर दिया गया है।

(ग) आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार निर्धारिती के स्वामित्व बाली और उसके कब्जे में गृह संपत्ति से आय को निर्धारिती की अन्य आय के 10 प्रतिशत तक सीमित किया जाना है। एक निर्धारिती के मामले में स्वयं के कब्जे में गृह संपत्ति से आय को कर निर्धारण वर्षों 1969-70 से 1971-72 तक के लिए इस प्रकार सीमित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 47,561 रु० की आय का अधिक-निर्धारण हुआ। इसके फलस्वरूप इन तीन वर्षों के लिए 36,549 रु० का आयकर अधिक लगाया गया।

मंत्रालय ने बताया है (जनवरी, 1974) कि विवादास्पद कर निर्धारणों में सुधार कर दिया गया है और 22,731 रु० की राशि वापस कर दी गई है।

(घ) आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन जिन मामलों में आय-विवरणी प्रस्तुत की गई है और पहले अदा किए गए किसी कर को घटा कर उस विवरणी के आधार पर देय कर 5 सौ रु० से अधिक बनता है तो निर्धारिती इस प्रकार देय कर स्वयं निर्धारण आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर अदा करेगा। कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए एक व्यक्ति ने स्वयं कर-निर्धारण आधार पर 16,475 रु० का कर अदा किया। कर-निर्धारण पूरा करने के समय उपर्युक्त अदायगी के लिए क्रेडिट को ध्यान में नहीं लिया गया और उपरोक्त प्रेषण को घटाए बिना विभाग द्वारा कर की शेष राशि की मांग की गई और यह मांग भी निर्धारिती द्वारा पूरी कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप 16,475 रु० का कर अधिक लगाया गया।

मंत्रालय ने बताया है कि यह कर निर्धारण संशोधित कर दिया गया है और ली गई अधिक राशि निर्धारिती को वापस कर दी गई है।

(इ) एक निर्धारिती के मामले में कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए वापसी योग्य राशि 33,037 रु० थी। परन्तु परिकलन में एक गलती के कारण विभाग ने निर्धारिती को वास्तव में केवल 23,037 रु० वापस किए जिसके परिणामस्वरूप 10,000 रु० की कम वापसी हुई।

एक अन्य व्यक्ति के मामले में कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए कर-निर्धारण 25-9-71 को संशोधित किया गया जिसके परिणामस्वरूप 39,451 रु० की वापसी की गई। निर्धारिती द्वारा पिछले वर्षों के लिए देय कर को इस वापसी के प्रति समायोजित करने के पश्चात् वापसी योग्य कर की शेष राशि 19,199 रु० थी जिसे गलत रूप से 9,199 रु० लिया गया।

मंत्रालय ने बताया है कि इन दोनों मामलों में कर-निर्धारणों को संशोधित कर दिया गया है और निर्धारितियों को देय शेष राशियां या तो वापिस कर दी गई हैं या उन्हें मांगों के प्रति समायोजित कर दिया गया है।

48 अन्य रूचिकर विषय

(क) विलीन राज्य (कराधान रियायते) आदेश, 1949 और भाग II व राज्य (कराधान रियायत) आदेश 1950 के अनुसार भारतीय रियासतों के भूतपूर्व नरेशों के महलों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे भूतपूर्व नरेशों के सरकारी निवास घोषित किए गए थे, का असली वार्षिक मूल्य आयकर से मुक्त था। जब कोई महल सरकारी निवास नहीं रहता था तो यह छूट वापस ले ली जाती थी और ऐसे भवन से प्राप्त सम्पत्ति आय पर कर प्रभारित किया जाता था।

एक भूतपूर्व नरेश के कर-निर्धारण अधिलेखों से पता चला कि उसने अपना महल (केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके पदावास के रूप में घोषित) 1-12-1958 से भारत सरकार के सर्वेक्षण विभाग को किराये पर दे रखा था। चूंकि यह सरकारी निवास मैरिहायशी प्रयोजनों के लिए किराये पर दिया गया था इसलिए सरकार द्वारा उक्त छूट को वापस ले लेना चाहिए था और इस सम्पत्ति से प्राप्त आय पर कर लगाया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप कर-निर्धारण प्राधिकारी इस आय को कराधान से छूट प्रदान करता रहा। छूट के वापस न लेने के परिणामस्वरूप कर-निर्धारण वर्षों 1959-60 से 1970-71 के लिए 10,735 रुपये की हानि हुई।

(ज) मांग के बिना कर का संग्रहण और तदुपरान्त तुरन्त वापसी

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 1967 के पैरा 55 (घ) पर विचार करते समय लोक लेखा समिति ने आयकर अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली उस कार्य-प्रणाली को गंभीरता पूर्वक लिया जिसमें (कर) संग्रहण के बजट अनुमानों में कमी को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बिना मांग के 'कर' संग्रहीत किया जाता है और तुरन्त आगामी वर्ष के आरम्भ में उसे वापस कर दिया जाता है—देखिए लोक लेखा समिति (1967-68) की 29वीं रिपोर्ट के पैरा 2.145 से 2.147 में लोक लेखा समिति की सिफारिश। वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने भी दिसम्बर, 1967 में अनुदेश जारी किए हैं कि ऐसे अनियमित संग्रहण नहीं किए जाने चाहिए।

(i) नई-जून 1973 में को गई स्थानीय लेखा परीक्षा के दोरान यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की समाप्ति पर बिना विधिमान्य मांगों के 12 निर्धारितियों से कुल 1,47,530 रुपये का कर संग्रहीत किया गया। इस प्रकार संग्रहीत की गई राशियों को संग्रहण के कुछ ही दिनों के पश्चात् निर्धारितियों को वापस कर दिया गया।

(ii) 1971-72 के लिए अनन्तिम आधार पर कर की अदायगी के लिए एक निर्धारिती को 28-3-1972 को 25,000 रुपये का एक चालान जारी किया गया यद्यपि इस वर्ष के लिए नियमित कर-निर्धारण 23-12-1971 को पूरा किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 3,183 रुपये की राशि निर्धारिती को वापसी योग्य हो गई। एक अन्य मामले में एक चालान जारी किया गया (मार्च 1972 में) जिसमें निर्धारिती से अधिनियम की

धारा 140-क के अंतर्गत वर्ष 1971-72 के लिए 50,000 रुपये का कर अदा करने की मांग की गई थी यद्यपि उसने (निर्धारिती ने) विवरणी में निर्दिष्ट 3,06,596 रुपये की आय (विवरणी 21-11-1971 को प्रस्तुत की गई थी) पर देय 65,234 रुपये के कर के प्रति 70,620 रुपये का अधिकरण कर अदा कर दिया था। इन दोनों मामलों में 75,000 रुपये की कुल राशि के कर 29-3-1972 को अदा किए गए। पहले मामले में आयकर अधिकारी ने यह राशि छः दिनों के बाद (4-4-1972 को) और दूसरे मामले में बारह दिनों के बाद (10-4-1972 को) वापस की।

येंकोंकि राजस्व के ये संग्रहण और उनकी वापसी जो केवल कुछ दिनों के अंतर से अलग-अलग हुए, विभिन्न वित्तीय वर्षों में हुई। अतः यह प्रत्यक्ष है कि निर्धारितियों से जो कर अदा करने के लिए कहा गया था वह केवल बजट में किए गए अनुमानों को प्राप्त करने की दृष्टि से राजस्व आंकड़ों में वृद्धि करने के लिए किया गया था।

म्यायालय ने इस सभी मामलों के संबंध में स्थिति को स्वीकार कर लिया है।

(ग) कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलम्ब और इसके फलस्वरूप एक व्यक्ति से 50 लाख रुपये से भी अधिक का आयकर बसूल न किया जाना

एक निर्धारिती (व्यक्ति) का कर निर्धारण 1947-48 तक किसी आयुक्त विशेष के कार्य-भार के अधीन होता रहा था। उस निर्धारिती ने कर-निर्धारण वर्षों 1948-49 से 1950-51 तक की अपनी आय-विवरणियां क्रमशः 6-1-1949, 28-12-1949 और 22-2-1951 को प्रस्तुत कीं। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के एक आदेश द्वारा (दिनांक 18-8-1952 की अधिसूचना) इस निर्धारिती की आयकर संबंधी फाइलें एक अन्य कार्य-भार के अंतर्गत अंतरित कर दी गईं। जिस आयकर अधिकारी को ये फाइलें अंतरित की गई थीं उसने इन तीन कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में क्रमशः 16-3-1953 17-12-1953 और 24-3-1955 को एक पक्षीय आधार पर कर-निर्धारण किए और लगभग 44 लाख रुपये की कुल मांग की। ये कर-निर्धारण उच्चतम न्यायालय के आदेश (अगस्त 1962 में दिया गया) द्वारा अवैध घोषित कर दिए गए येंकोंकि क्षेत्राधिकार में परिवर्तन किया जाना निर्धारिती के मूल अधिकारों का अतिलंघन माना गया। तदनुसार आयकर अधिकारी, जिसने 1947-48 तक कर-निर्धारणों को अंतिम रूप दिया था, द्वारा इन तीन वर्षों के कर-निर्धारणों पर 20-9-1962 को पुनः कार्यवाई की गई और 58 लाख रुपये से भी अधिक राशि की एक अतिरिक्त मांग की गई। उक्त निर्धारिती ने कर अदा नहीं किया और उस धारा के (उस पर) लागू होने पर आपत्ति की जिसके अधीन पुनर्निर्धारण किए गए थे, और अन्ततः उन कर-निर्धारणों को रद्द करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया (दिनांक 10-10-1963 का निर्णय) कि आयकर

अधिकारी द्वारा परिसीमा अवधि के भीतर ही पुनर्निर्धारण किए जाने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने इसके अतिरिक्त इस प्रकार निदेश दिया :—

“और यह न्यायालय आगे यह आदेश देता है कि इस आदेश का ठीक समय पर पालन किया जाए और सभी संबंध अधिकारियों द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाए।”

तथापि, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाबजूद नए सिरे से कर-निर्धारण करने का नोटिस 1-5-1968 को जारी किया गया अर्थात् उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों की तिथि से लगभग 4½ वर्ष बाद। नोटिस प्राप्त करने पर निर्धारिति ने नए सिरे से कार्यवाही करने के प्रस्ताव को मुसिफ के न्यायालय में चुनौती दी कि यह कार्यवाही कालातीत है, यह मामला अभी अनिर्णीत है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपना आदेश 10-10-1963 को दिया था और उच्चतम न्यायालय का यह आदेश सूचित करने के लिए पठना उच्च न्यायालय ने लगभग एक वर्ष का समय लिया। यह आदेश संबंद्ध आयकर अधिकारी को 8-12-1964 को सूचित किया गया जिसको इसमें अंतर्ग्रस्त कुछ कानूनी वाद-विषयों पर संदेह हुआ। तदनुसार उसने आयुक्त को एक पत्र लिखा जिसने यह मामला 8-11-1965 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उनकी राय जानने के लिए भेज दिया। ध्यानपूर्वक विचार के पश्चात् बोर्ड ने अपनी यह राय दी कि आयकर अधिकारी द्वारा यह कार्यवाही पूरी की जानी चाहिए और तदनुसार 20-11-1967 को आयकर अधिकारी को सूचित किया गया कि इस मामले पर कार्यवाही की जाए। तदुपरान्त आयकर अधिकारी ने 1-5-1968 को एक पत्र जारी किया जिसमें निर्धारिति से कहा गया कि वह कर-निर्धारण वर्ष 1948-49 से संबंधित आवश्यक कागज-पत्रों और प्रलेखों सहित 15-5-1968 को उपस्थित हो और निर्धारिति ने उस प्रक्रम में मुनसिफ के न्यायालय में दायर करके उस प्रयत्न को विफल कर दिया।

उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए तत्काल कार्यवाही न करने तथा निर्धारिति द्वारा अपनाई गई विलम्बकारी युक्तियों के कारण विभाग ने अपने आप को कठिनाईयों में डाल लिया था और यह अत्यंत सन्देहजनक है कि क्या विभाग निर्धारिति द्वारा देय 50 लाख रु० से भी अधिक के कर की राशि को वसूल कर सकेगा?

(घ) रद्द किए गए कर निर्धारण को पूरा न करना

एक निर्धारिति के मामले में आयकर अधिकारी ने कर निर्धारण वर्ष 1955-56 के लिए अन्य वातों के साथ-साथ साहूकारिता व्यवसाय से प्राप्त आय के रूप में 31,40,715 रु० की राशि पर कर लगाया। अपीलीय सहायक आयुक्त ने 28 मार्च, 1959 के अपने आदेशों के अधीन उक्त कर-निर्धारण रद्द कर दिया और आयकर अधिकारी को

निदेश दिया कि कर-निर्धारण विधि अनुमार और निर्धारिती के सभी निवेदनों पर विचार करने के पश्चात् नए सिरे से किया जाए। इस आदेश की प्राप्ति पर निर्धारिती के विवृद्ध की गई 30,65,740 रु० की मांग वापस ले ली गई और 91,000 रु० की राशि, जो इस बीच निर्धारिती द्वारा अदा की जा चुकी थी, मई 1959 में उसे वापस कर दिया गया। जून 1973 में लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि रट कर निर्धारण का पुनः निर्धारण अभी किया जाना था।

(इ) वेतन आय से कर का न काटा जाना

एस० के० दत्ता और अन्य बनाम इंगटी के एक मामले में 7-11-1967 के अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आयकर अधिनियम 1922 की धारा 4(3)(xii) और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (26) के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों से भिन्न अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में दी गई छूट भेदभूलक थी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ने उपरोक्त निर्णय के परिणाम पर विचार किया और जून 1968 में निर्णय किया कि आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दी जाने वाली छूट लाभांश और प्रतिसूतियों पर व्याज को छोड़कर केवल उन मामलों में उपलब्ध होती है जहां आय का स्रोत अधिनियम में निर्दिष्ट ज्ञातों में आता है।

खजाना अधिकारी शिलांग द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी, जिसमें अनुसूचित जनजातियों से संबंध दस अधिकारियों के संबंध में 'वेतन' शीर्ष के अंतर्गत प्रभाय आय और स्रोत से काटा गया कर दिखाया गया था, से पता चला कि कर-निर्धारण वर्षों 1969-70 से 1971-72 के लिए नी अधिकारियों और कर-निर्धारण वर्षों 1964-65 से 1967-68 के लिए एक अधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्दिष्ट ज्ञातों से बाहर अर्जित की गई आय पर कोई कर नहीं अदा किया गया और न ही विभाग द्वारा 50,000 रु० (अनुमानित) के कर के लिए कोई मांग की गई। इस राशि में से वर्ष 1969-70 तक के इन मामलों के आयकर संबंधी कर-निर्धारण कालातीत हो गये जिसके परिणामस्वरूप 20,000 रु० (अनुमानित) के राजस्व की हानि हुई।

49. बट्टे-खाते डालना

(क) लेन्वीय बट्टा-खाता समिति की सिफारिश पर, एक आयकर आयुक्त द्वारा कर-निर्धारण वर्षों 1944-45 और 1949-50 के लिए एक निर्धारिती के नाम बकाया क्रमशः 16,615 रु० और 80 रु० के बकाया कर, मार्च 1971 में बट्टे-खाते डाले गए। समिति का यह विचार था कि संबंध अभिलेखों (जो गुम हो गए बताए गए थे) की अनुपलब्धता और निर्धारिती, जिसका पता मानूष नहीं था और जिसने कोई परिसंरक्षित नहीं छोड़ी थी द्वारा देव कर की कोई वसूली होने की संभावना नहीं थी अतः बकाया कर वसूल न हो सकने योग्य राशियों के रूप में बट्टे-खाते डाल दिए जाने चाहिए।

(ख) एक निर्धारिती फर्म जिसके नाम कर-निर्धारण वर्ष 1952-53 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए 66,906 रुपये की राशि का आयकर और अन्य कर बकाया थे, 1953 में दिवालिया घोषित कर दी गई। 17 वर्षों के बीत जाने के बाद विभाग ने राशि की वसूली के लिए दावा दाखिल किया। फरवरी 1970 में सरकारी समनुदेशित द्वारा विभाग को यह सूचित करने पर कि दावेदारों में वितरण के लिए कोई परिसंपत्तियां उपलब्ध नहीं थीं, आयकर आयुक्त ने फरवरी 1971 में 66,906 रुपये की कर की बकाया राशियों को बटे खाते डालने की संस्वीकृति प्रदान कर दी।

(ग) कर-निर्धारण वर्ष 1954-55 के लिए एक निर्धारिती के नाम बकाया 53,635 रुपये आयकर की एक मांग 16-1-1971 को इस आधार पर बटे खाते ढाली गई कि निर्धारिती किसी ऐसी संपत्ति का मालिक नहीं था जिससे कर की वसूली की जा सकती थी। मांग की अदायगी के लिए संबद्ध नोटिस 30-3-1959 को (46,835 रुपये के लिए), 30-6-1959 को (300 रुपये के लिए) और 28-3-1962 को (6,500 रुपये के लिए) जारी किए गए। प्रथम नोटिस की प्राप्ति के एक मास के भीतर निर्धारिती ने अपना मकान एक आयकर वकील को 43,000 रुपये में बेच दिया (23-4-1959)। निर्धारिती ने दूसरे नोटिस की प्राप्ति के कुछ दिनों के भीतर ही एक भूमि खंड का भी 2,000 रुपये में निपटान कर दिया। निर्धारिती द्वारा स्वयं अपनी विदित अचल संपत्ति के अधिकार से वंचित करने की ऐसी साहसपूर्ण और तात्कालिक कार्यवाही का विरोध करने के लिए विभाग ने (22-4-1965 तक) कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की यद्यपि आयकर अधिकारी ने एक बार मई, 1959 में और पुनः जून, 1964 में अपनी यह आशंका प्रकट की थी कि संपत्तियों को बेचना वसूली की कार्यवाही को विफल करना था।

आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी परामर्शदाता (काउन्सल) जिसे यह मामला अप्रैल, 1970 में भेजा गया, ने यह मन्तव्य प्रकट किया कि उक्त लेने-देन (संपत्तियों का वित्रय) सन्देहजनक थे और वे आयकर की वसूली को विफल करने के विचार से किए गए प्रतीत होते थे, परन्तु उपचारी कार्यवाही 23-4-1965 को कालातीत हो गई थी।

अध्याय IV

अन्य प्रत्यक्ष कर

धन कर

50. धन-कर हिन्दू अविभाजित परिवारों और व्यक्तियों के निवल धन पर लगाया जाता है, इस अभिव्यक्ति में एक यूनिट के रूप में कार्य कर रहा व्यक्तियों का वर्ग, जैसे पंजीकृत समितियाँ, शामिल हैं (सहकारी समितियों को वित्त अधिनियम 1972 द्वारा 1957-58 से पूर्वव्यापी प्रभाव सहित छूट प्रदान की गई है)। कर-निर्धारण वर्ष 1960-61 से कम्पनियों पर धन-कर का लगाया जाना वापस ले लिया गया है। कर निर्धारण वर्ष 1969-70 तक कृषि भूमि को धन-कर अधिनियम में “परिसंपत्तियों” की परिभाषा के अंतर्गत विशेष तौर पर शामिल नहीं किया गया था और इसलिए उसे कर सहन नहीं करना था। तथापि 1970-71 से इस परिभाषा को इस प्रकार संशोधित किया गया कि कृषि भूमि को उद्ग्रहण के क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सके। इस उद्ग्रहण की निवल प्राप्तियों को सहायक अनुदानों के रूप में राज्यों को अंतरित किया जाना था और 1970-71 के लिए बजट में इस कारण 4 करोड़ ८० का प्रावधान किया गया था। तथापि, क्योंकि उस वर्ष में कोई भी संग्रहण प्रत्याशित नहीं था, इसलिए उक्त प्रावधान को संशोधित अनुमानों से निकाल दिया गया। इसी प्रकार, 1971-72 के बजट में 7.25 करोड़ ८० का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित अनुमानों में घटा कर 3.50 करोड़ रुपये कर दिया गया। 1972-73 के लिए प्रावधान 9.25 करोड़ ८० था, परन्तु थोड़े संग्रहणों को देखते हुए उसे संशोधित अनुमानों से निकाल दिया गया। 1973-74 के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि 1971-72 में किए गए संवितरणों से 1972-73 और 1973-74 के दौरान राज्यों की हकदारी को पूरा किए जाने की आशा थी। 1972-73 में वास्तविक संग्रहण 0.72 करोड़ ८० था।

51. धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन किए गए कर निधारणों की पहली सितम्बर, 1972 से 31 अगस्त, 1973 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीका के दौरान निम्नलिखित कर संबंधी अवनिर्धारण और अविनिर्धारण देखने में आए:—

1. कर के परिकलन में और निवल धन की संगणना में गलतियों के कारण अव-निर्धारण
2. अनियमित/अधिक स्वीकृतियों और छूट देने के कारण अवनिर्धारण
3. परिसंपत्तियों के गलत मूल्यांकन के कारण अव-निर्धारण

4. अतिरिक्त धन-कर लगाने में चूक।
5. कर निर्धारण से छूटने वाला धन।
6. आय-विवरणियां देर से प्रस्तुत करने के लिए अर्थ दण्ड न लगाया जाना अथवा बलत लगाया जाना।

उपर्युक्त गलतियों के कुछ दृष्टान्त निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं:

52 (क). कर के परिकलन में गलतियों के कारण अवनिर्धारण

(i) वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1971 द्वारा किए गए संशोधन से पूर्व विद्यमान धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन किसी व्यक्ति के निवल धन के प्रथम 1 लाख रु० और किसी हिन्दू अविभाजित परिवार के निवल धन के 2 लाख रु० पर कोई कर उद्घाण नहीं होता है। प्रारम्भिक छूट सीमा की अनुमति प्रदान करने में की गई गलतियां लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1969-70 के पैरा 62 (iii) (क) (i) और लेखा परीक्षा रिपोर्ट 1971-72 के पैरा 39 (i) में बताई गई थीं। उसी प्रकार के कुछ और मामले रिपोर्टधीन वर्ष में ध्यान में आए हैं।

(क) एक मामले में कर-निर्धारण वर्षों 1970-71 और 1971-72 के लिए फरवरी 1973 में दिए गए सुधार संबंधी आदेशों में प्रारम्भिक छूट की दो बार अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप 10,601 रु० का कुल कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने यह गलती स्वीकार कर ली है।

(ख) पांच अन्य मामलों में, जहां प्रारम्भिक छूट दो बार प्रदान की गई थी, एक बार निवल धन निकालने के समय और पुनः कर के परिकलन के समय, 8,758 रु० का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने सभी मामलों में गलतियां स्वीकार कर ली हैं।

(ii) लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1970-71 के पैरा 70 (क) और लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1971-72 के पैरा 39 (iii) द्वारा ऐसे मामले ध्यान में लाए गए थे जहां सम्बद्ध कर-निर्धारण वर्ष के लिए कर की दरों में संशोधन के बावजूद ऐसी दरों के हिसाब से कर परिकलित किया गया जो पूर्ववर्ती वर्षों के लिए लागू थीं। इसी प्रकार के मामले रिपोर्टधीन वर्ष में ध्यान में आए हैं। कुछ मामलों के संक्षिप्त व्यारे नीचे दिए गए हैं:—

(क) कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 से 10 लाख रु० से अधिक निवल धन के सभी खण्डों (स्लेट्ज) के संबंध में धन कर की दरों में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी। दो मामलों में जहां कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिये पहले कर-निर्धारण वर्ष के लिए लागू निम्न दरों के हिसाब से कर लगाया गया था, वहां कुल 12,265 रु० का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने ये गलतियां स्वीकार कर ली हैं।

(ख) कर-निधारण वर्ष 1971-72 के लिए दो अन्य मामलों में कर-निधारण वर्ष 1971-72 के लिए लागू दरों के बजाए कर-निधारण वर्ष 1970-71 के लिए लागू दरों के हिसाब से कर परिकलित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 4,015 रुपये का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने गलतियां स्वीकार कर ली हैं।

(iii) कुछ दृष्टान्त जिनमें कर की दर सूची ठीक रूप से नहीं लागू की गई, नीचे दिए गए हैं—

(क) एक मामले में कर-निधारण वर्षों 1961-62 से 1963-64 में से प्रत्येक वर्ष के लिए 6,54,000 रुपये के निवल धन पर मूल छूट के रूप में 2 लाख रुपये की बजाए गलती से 1 लाख रुपये की अनुमति दी गई। निम्न मूल छूट की अनुमति प्रदान करने के बावजूद ठीक रूप से प्रभार्य 4,540 रुपये के कर की तुलना में 2,540 रुपये का कर लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष के लिए 2,000 रुपये के कर का अवधारणा हुआ और कुल अवधारणा 6,000 रुपये हुआ। मंत्रालय ने यह गलती स्वीकार कर ली है।

(ख) दो मामलों में 1970-71 और 1971-72 के दोनों कर-निधारण वर्षों के लिए (निवल धन प्रत्येक कर-निधारण वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक था) कर खण्ड दरों (स्लेव रेट्स) के बजाए कर-निधारण वर्ष 1970-71 के लिए 0.5 प्रतिशत और 1971-72 के लिए एक प्रतिशत की समान दर लगाकर प्रभारित किया गया।

एक क्षेत्र (वार्ड) में निर्धारित तीन अन्य मामलों में 1970-71 के लिए कर खण्ड (स्लैब) दरों की बजाए 0.5 प्रतिशत की समान दर के हिसाब से प्रभारित किया गया।

इन पांच मामलों में कुल 28,560 रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। मंत्रालय ने दो मामलों में गलती स्वीकार कर ली है, शेष तीन मामलों में कर निधारण अधील में रह कर दिए गए बताए गए हैं।

(ग) कर-निधारण वर्ष 1972-73 से एक एकीकृत दर दांचा लागू किया गया है जो व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवारों को एक समान लागू होता है, व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवारों के मामले में कमशः 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये की प्रारम्भिक छूट भी उन मामलों में उपलब्ध होनी चाही रही है। जहां निवल धन इन सीमाओं से अधिक होता है।

सात मामलों में जो छह आयुक्तों के कार्यभार के अंतर्गत आते हैं, कर-निधारण वर्ष 1972-73 के लिए प्रारम्भिक छूट प्रदान करने के कारण 8,332 रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। मंत्रालय ने सभी मामलों में गलती स्वीकार कर ली है।

(ख) निवल धन की संगणना में गलतियाँ

(i) 1967-68 के लिए निर्धारिती के निवल कर योग्य धन के जोड़ने में एक गलती के कारण उसे विवरणी में 8,10 लाख ₹ के बजाए 6,95 लाख ₹ दिखाया गया। उसी मामले में कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए जोड़ निकालते समय क्रमशः 2,63,000 ₹ और 11,487 ₹ की दो मर्द निर्धारिती द्वारा छोड़ दी गई। इसके परिणामस्वरूप उक्त दो वर्षों के लिए 3,894 ₹ के धन कर का अवप्रभार हुआ। जोड़ की जांच न करने की चूक को मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है और सूचित किया है कि 3,894 ₹ की अतिरिक्त मांग संग्रहीत कर ली गई है।

(ii) कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए एक निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी में दिखाए गए कुल धन में, एक संयुक्त संपत्ति के आधे हिस्से के रूप में, 9,07,274 ₹ की राशि शामिल थी। तथापि, कर निर्धारण आदेश में इसके आधे अर्थात् 4,53,637 ₹ पर ही कर लगाया गया।

(iii) एक मामले में कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए कर-निर्धारण आदेश में जोड़ करने में एक गलती के कारण कुल निवल धन में 3,51,900 ₹ के मूल्य की अचल सम्पत्ति शामिल करने में चूक हो गई। मंत्रालय ने यह चूक स्वीकार कर ली है और यह सूचित किया है कि 6,580 ₹ की अतिरिक्त मांग संग्रहीत कर ली गई है।

5.3. अनियमित/अधिक राहत और छूट के कारण अवनिर्धारण

(i) धन-कर अधिनियम, 1957 (वित्त अधिनियम, 1970 द्वारा संशोधित) के उप-बन्धों के अंतर्गत 1.50 लाख ₹ की सीमा तक शेरों और प्रतिभूतियों में कर निवेशों का मूल्य निर्धार्य धन में शामिल नहीं किया जाता। तथापि जिन मामलों में किसी निर्धारिती द्वारा पहली मार्च 1970 से पहले की किसी तिथि से निरंतर रखे गए जिसना बचत पत्रों, पंद्रह वर्षीय वार्षिकी पत्रों और बारह वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा पत्रों आदि का कुल मूल्य ही 1.50 लाख ₹ से अधिक हो जाता है, वहाँ छूट की सीमा को ऐसे पत्रों के मूल्य की सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए।

(क) एक मामले में जहाँ 1,66,856 ₹ मूल्य के विशिष्ट प्रकार के निवेश ये और निर्धारिती के पास 1.50 लाख ₹ मूल्य से अधिक के अन्य निवेश भी थे, वहाँ छूट की अनुमति 1,66,856 ₹ तक सीमित करने के बजाए 3,15,100 ₹ पर दी गई। इसके परिणामस्वरूप 1,48,244 ₹ के धन का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 5,850 ₹ का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने यह गलती स्वीकार कर ली है और यह सूचित किया है कि 5,580 ₹ की अतिरिक्त मांग की गई है। वसूली के संबंध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

तीन अन्य मामलों में ऐसे निवेश के मूल्य पर छूट की अनुमति, विशिष्ट निवेशों के मूल्य अथवा 1.50 लाख ₹०, दोनों में से जो भी अधिक हो, तक सीमित करने के बजाए 1.50 लाख ₹० की अनुमत छूट के अतिरिक्त, दो गई। इसके परिणामस्वरूप 4,49,875 ₹० के धन का अवनिर्धारण हुआ और उसके फलस्वरूप 11,121 ₹० का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने इन सभी तीन मामलों में गलतियों को स्वीकार कर लिया है और यह सूचित किया है कि दो मामलों में 9,923 ₹० की अतिरिक्त मांग की गई है। वसूली के संबंध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ख) एक मामले में कर-निर्धारण वर्षों 1971-72 और 1972-73 के लिए छूट को 1,90,000 ₹० जो पहली मार्च, 1970 से पहले की किसी तिथि से लगातार रखे गए निर्दिष्ट निवेशों का कुल मूल्य था, तक सीमित करने के बजाए क्रमशः 3,38,747 ₹० और 3,86,627 ₹० की राशि के निवेशों के संबंध में छूट अनुमत की गई। इसके परिणामस्वरूप कर निर्धारण वर्ष 1971-72 में 1,48,747 ₹० और कर-निर्धारण वर्ष 1972-73 में 1,96,627 ₹० के धन का अवनिर्धारण हुआ, जिसके फलस्वरूप 3,397 ₹० का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने यह गलती स्वीकार कर ली है। कर की वसूली के संबंध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ii) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) (viii) को वित्त अधिनियम (सं० 2) की धारा 32 द्वारा पहली अप्रैल, 1963 से पूर्व व्यापी प्रभाव सहित संशोधित किया गया और व्यक्तिगत आभूषणों का मूल्य, जो उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अंतर्गत धन-कर से मुक्त था, निवल धन में शामिल करने योग्य हो गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ने, अक्टूबर 1971 में जारी किए गए अपने कार्यकारी अनुदेशों में निर्धारण अधिकारियों को यह निदेश दिया कि कर-निर्धारण वर्ष 1963-64 से लेकर आगे के उन सभी कर-निर्धारणों पर पुनः कार्रवाई की जाए जहाँ आभूषणों को, निर्धारिती के कुल धन में धन-कर अधिनियम के संशोधन से पूर्व या तो निर्धारण करते समय धन-कर अधिकारी ने स्वयं या अपीलीय प्राधिकारियों के आदेशों के अंतर्गत, शामिल नहीं किया गया था। नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे कई मामले देखने में आए जहाँ इन अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था। कुछ दृष्टान्त नीचे दिए गए हैं—

(क) कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 और 1969-70 के लिए एक व्यक्ति के निवल धन में 4,50,000 ₹० मूल्य के आभूषण शामिल थे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में, कि आभूषणों का मूल्य निवल धन से निकाल दिया जाए, कर निर्धारणों को पहली मार्च 1971 को संशोधित किया गया और 30 मार्च, 1971 को 4,160 ₹० की परिणामी वापसी निर्धारिती की गई। उक्त अधिनियम के संशोधन के पश्चात् कर निर्धारणों में सुधार करके छूट वापस ली जानी चाहिए थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 4,160 ₹० का कर कम लगाया गया।

मंत्रालय ने यह गलती स्वीकार कर ली है और यह सूचित किया है कि 4,160 रु. की अतिरिक्त मांग की गई है। संग्रहण के संबंध में रिपोर्ट प्रतोक्षित है।

(ब) एक अन्य मामले में जहाँ कर निर्धारण वर्षों 1968-69, 1970-71 और 1971-72 के लिए वित्त (सं० २) अधिनियम 1971 के लागू होने के बाद भी कर निर्धारण किए गए थे, वहाँ सभी कर निर्धारणों में धन-कर अधिकारी द्वारा 81,488 रु. मूल्य के व्यक्तिगत आभूषणों पर छूट अनुमत की गई। इसके परिणामस्वरूप 2,385 रु. का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि कर निर्धारणों पर पुनः कार्यवाही की जा रही है। गलती शोधन तथा वसूली से संबंधित रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

57 अन्य ऐसे मामले ध्यान में आए जो चार आयुक्तों के कार्य-भारों के अन्तर्गत आते हैं जहाँ छूट वापस नहीं ली गई जिसके फल-स्वरूप 21,232 रु. का अवप्रभाव हुआ। मंत्रालय ने 21 मामलों में गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि 10,332 रु. की अतिरिक्त मांग की गई है; येष 36 मामलों में भी गलती को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

(iii) धन-कर अधिनियम 1957 के अंतर्गत नई ओडोगिक कम्पनियों के शेयरों का ऐसा मूल्य, जो 1 अप्रैल, 1964 से 31 मई, 1971 के बीच इकिवटी शेयर के किए गए प्रारम्भिक निर्गम का अंश हो, वह कम्पनी द्वारा अपने संचालनों को आरम्भ करने की तिथि के अगले कर निर्धारण वर्ष से लेकर पांच उत्तरोत्तर वर्षों की अवधि के लिए धन-कर से मुक्त होता है।

(क) एक मामले में सात कर निर्धारण वर्षों के लिए छूट अनुमत की गई जिसके परिणामस्वरूप छठे कर निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए 1,25,000 रु. और सातवें कर निर्धारण वर्ष (1971-72) के लिए 1,37,750 रु. के धन का अवनिर्धारण हुआ। कम लगाया गया कर 8,955 रु. था। मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि 8,955 रु. की अतिरिक्त मांग की गई है।

(ब) एक अन्य मामले में जहाँ एक कम्पनी ने प्रारम्भिक निर्गम 4 सितम्बर 1961 की करने के पश्चात् 22 अक्टूबर, 1964 को एक और निर्गम किया, वहाँ एक निर्धारिती को आगे के निर्गमों पर कर निर्धारण वर्षों 1966-67 से 1970-71 के लिए छूट अनुमत की गई। इस अनियमित छूट के फलस्वरूप 14,72,050 रु. के धन का अवनिर्धारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप 13,426 रु. का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने यह गलती स्वीकार कर ली है।

(ग) सबह अन्य मामलों में] यद्यपि इविवटी शेयर पूँजी का प्रारम्भिक निर्गम 31 मार्च 1964 से पहले किया गया था, छूट अनुमत की गई। इसके परिणामस्वरूप 3,59,369 रु० का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने एक मामले में गलती स्वीकार कर ली है और बताया है कि शेष 16 मामले जांचाधीन हैं।

(iv) 1 अप्रैल, 1971 से किए गए संशोधन से पूर्व लागू धन-कर अधिनियम 1957 के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा पूर्णतया उसके निवास स्थान के रूप में उपयोग किए गए किसी मकान अथवा किसी मकान के भाग के संबंध में छूट मकान के पूरे मूल्य तक तब उपलब्ध होती थी यदि मकान ऐसे स्थान पर स्थित हो जिसकी जनसंख्या 10,000 से अधिक न हो और केवल 1 लाख रु० तक यदि मकान शहरी इलाके में स्थित हो। तथापि, यह भिन्नता कर निर्धारण वर्ष 1971-72 से समाप्त कर दी गई और अब किसी स्थान की जनसंख्या का ध्यान किए बिना उपलब्ध छूट केवल 1 लाख रु० की है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि कृषि भूमि के संबंध में 1.50 लाख रु० की सीमा तक एक पृथक छूट उपलब्ध है, तथापि अधिनियम में यह व्यवस्था है कि इन दोनों रियायतों का कुल मूल्य 1.50 लाख रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

निम्नलिखित मामलों में अनुमत छूट अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं थी।

(क) 1967-68 के लिए एक निर्धारिती की अचल सम्पत्ति (भूमि और भवन) का मूल्य अपील में दिए गए आदेशों के अनुसार 2,24,000 रु० निर्धारित किया गया (14,000 रु० की निवल किराया आय का 16 गुना) और कर निर्धारण वर्षों 1968-69 से 1971-72 के लिए वही आधार अपनाया गया। तथापि, तदनुरूपी अवधि के लिए निर्धारिती के आयकर निर्धारण अभिलेखों से पता चला कि किराया-आय, जिसके आधार पर अचल सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित किया गया था, मकान के केवल किराये पर दिए हुए भाग से सम्बद्ध था और इसमें निर्धारिती द्वारा निवास स्थान के रूप में उपयोग किए गए भाग का किराया-मूल्य शामिल नहीं था। इसके बावजूद प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए स्वयं के कठजे में मकान के लिए 1 लाख रु० की छूट अनुमत की गई जिसके परिणामस्वरूप चार वर्षों के लिए 3,97,486 रु० के धन का कुल अवनिर्धारण हुआ जिसमें 2,483 रु० का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है। गलती सुधारने तथा कर की वसूली के संबंध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

एक अन्य मामले में, जहां एक मकान के संबंध में छूट अनुमत की गई थी जो आयकर निर्धारणों के प्रयोजन के लिए दिए गए निर्धारिती के कथन अनुसार उसके द्वारा निवास स्थान के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा रहा था, वहां कर निर्धारण वर्षों 1967-68 से 1969-70 के लिए 1,500 रु० का कर कम लगाया गया।

मंत्रालय ने यह बताते हुए आपत्ति स्वीकार नहीं की है कि निर्धारिती द्वारा सत्यनिष्ठा से किए जा चुके प्रतिज्ञान के अनुसार सम्बद्ध वर्षों के दौरान वह सम्पत्ति केवल अप्रासंगिक रूप से ही उसके कब्जे में थी।

(ब) कर निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए एक व्यक्ति का धन 6,55,119 रु० निर्धारित किया गया जो अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य 1.50 लाख रु० की अधिकतम छूट की तुलना में, आवासीय गृह और कृषि भूमि के कारण 3.50 लाख रु० की कटौती के पश्चात् परिकलित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 2 लाख रु० के धन का अवनिर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप 1,976 रु० का कर कम लगाया गया।

एक अन्य मामले में जुलाई 1972 में एक कर निर्धारण में सुधार करते समय कर निर्धारण अधिकारी ने 1.50 लाख रु० की सीमा लगाए विना आवासीय गृह के लिए 1 लाख रु० की और कृषि भूमि के लिए 1.50 लाख रु० की पूर्ण कटौती अनुमत की। इसके परिणामस्वरूप 1 लाख रु० के धन का अवनिर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने दोनों मामलों में गलतियां स्वीकार कर ली हैं। 2,471 रु० की अतिरिक्त मांग की गई है जिसमें से 495 रु० की राशि संग्रहीत कर ली गई है।

(v) धन कर अधिनियम 1957 के अंतर्गत निवल धन परिकलित करते समय कोई झण, यदि वह किसी ऐसी सम्पत्ति पर प्राप्त किया जाता है अथवा किसी ऐसी सम्पत्ति के संबंध में उठाया गया है जिसके संबंध में धन-कर देय नहीं है, कटौती योग्य नहीं होता है। किसी बीमा पालिसी तथा स्वर्ण बंध पत्रों (बाण्डों) में अधिकार अथवा हित धन कर से पूर्णतया मुक्त हैं और इसलिए उनके संबंध में उठाये गये अथवा उन पर प्राप्त किए गए झण कटौती योग्य नहीं होते हैं।

(क) पांच मामलों में जीवन बीमा पालिसियों पर प्राप्त किए 6,72,102 रु० की राशि के कर्जे गलत रूप से कटौती के रूप में अनुमत किए गए। अवनिर्धारित कर 13,125 रु० था।

मंत्रालय ने इन सभी मामलों में गलती स्वीकार कर ली है।

(ब) कर निर्धारण वर्ष 1969-70 तक कृषि भूमि धन-कर से पूर्णतया मुक्त थी परन्तु अब वह उसके मूल्य के प्रथम 1.50 लाख रु० को छोड़कर, कर योग्य है।

कर निर्धारण वर्षों 1966-67 और 1967-68 के लिए एक व्यक्ति के कर निर्धारण में 41,100 रुपये और 30,500 रुपये की दो राशियां देयताओं के रूप में अनुमत की गईं। पहले वर्षों के कर निर्धारणों में यह देखा गया कि ये देयताएं कृषि भूमि की खरीद से सम्बद्ध थीं और चूंकि कृषि-भूमि धन-कर योग्य नहीं थी, इसलिए उनके संबंध में उठायी गई देयताएं निवल धन से कटीती के रूप में अनुमत नहीं थीं। मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और यह सूचित किया है कि कर-निर्धारण संशोधित कर दिए गए हैं और 1,432 रुपये की अतिरिक्त मांग संग्रहीत कर ली गई है।

54. परिसंघतियों के गलत मूल्यांकन के कारण अव-निर्धारण

(i) कर निर्धारण वर्षों 1968-69 से 1970-71 के लिए एक निर्धारिती का निवल धन परिकलित करते समय उसके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के शेयरों का मूल्य, एक अन्य निर्धारिती के मामले में उसी प्रकार के शेयरों के लिए उन्हीं कर निर्धारण वर्षों के लिए अपनाई गई दर की अपेक्षा न्यूनतर दर से अपनाया गया। जब यह असंघति ध्यान में लाई गई तो विभाग ने कम्पनी के तुलन-पत्र से सुनिश्चित करके शेयरों का मूल-भूत मूल्य लेकर कर निर्धारण संशोधित कर दिए और 2,554 रुपये की मांग की गयी। मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि 2,554 रुपये की अतिरिक्त मांग संग्रहीत कर ली गई है।

(ii) एक मामले में कर निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर अचल सम्पत्ति का मूल्य 2,46,500 रुपये मान लिया गया। तथापि, कर निर्धारण वर्षों 1965-66 से 1967-68 के लिए उसी सम्पत्ति का मूल्य केवल 1 लाख रुपये लिया गया था, यद्यपि कर निर्धारणों को एक ही तारीख को अन्तिम रूप दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप कर निर्धारण वर्षों 1965-66 से 1967-68 में से प्रत्येक में 1,46,500 रुपये धन का अवनिर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप 3,999 रुपये का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि 3,999 रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है। वसूली के संबंध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(iii) धन कर नियमावली के नियम 1-घ, जिसमें अनुदृत इकिवटी शेयर का अवशिष्ट मूल्य सुनिश्चित करने की विधि निर्धारित की गई है, के अंतर्गत देयताओं के ऊपर परिसम्पत्तियों का अविशेष परिकलित करते समय किसी प्रांसंगिक देयता को ध्यान में नहीं लिया जाना है। एक मामले में एक कम्पनी के अनुदृत शेयरों का मूल्य निर्धारित करते समय कर निर्धारण वर्षों 1966-67 और 1968-69 से सम्बद्ध वर्षों के तुलन-पत्रों में उपदान के लिए दिखाए गए प्रावधान को देयता के रूप में लिया गया और उसे परिसम्पत्तियों के मूल्य से घटा दिया गया। क्योंकि अपने कर्मचारियों को उपदान अदा करने की किसी मालिक की देयता विद्यमान देयता नहीं है परन्तु वह केवल एक सम्भाव्य देयता

है जो कुछ घटनाओं के घटित होने पर परिपक्व होती है, इसलिए वह कटौती योग्य नहीं थी। धन कर अधिकारी द्वारा किए गए शेयरों के गलत मूल्य निर्धारण के परिणाम-स्वरूप 5,66,185 रु० के निवल धन का अवनिर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप दो कर निर्धारण वर्षों 1966-67 और 1968-69 के लिए 11,155 रु० का कर कम लगाया गया।

मंत्रालय ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है।

55. अतिरिक्त धन-कर लगाने में चूक

धन-कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत, जिन मामलों में किसी व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के निवल धन में, किसी शहरी देश में स्थित भवन अथवा भूमि (कारोबार के भवन को छोड़कर) अथवा उनमें कोई अधिकार आमिल हों तो शहरी परिसम्पत्तियों के मूल्य पर अतिरिक्त धन-कर उदाग्राह्य होता है। उदाग्रहण का प्रयोजन शहरी परिसम्पत्ति में अत्यधिक निवेश पर प्रतिवंध लगाना था। यह जान लेने पर कि सरकार ने यह मालूम करने के लिए कि यह उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, कोई समीक्षा नहीं की थी, लोक लेखा समिति ने अपनी 88 वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोक सभा) के पैरा 2.60 में इच्छा व्यक्त की थी कि अतिरिक्त धन-कर के माध्यम से प्राप्त किए गए राजस्व और वर्षानुवर्ष में अंतर्ग्रंस्त मामलों की संख्या सुनिश्चित करने के पश्चात् ऐसी समीक्षा की जानी चाहिए। मंत्रालय द्वारा समिति को दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने यह मामला मुझ अर्थिक सलाहकार को भेजा था जिसका विचार है कि यह समीक्षा, शहरी अवल सम्पत्ति अधिकतम सीमा कानूनों के अधिनियमित होने और ऐसी सम्पत्ति पर अतिरिक्त धन-कर का प्रभाव मालूम होने तक, आस्थित रखी जाए।

(i) कुछ ऐसे मामले जहाँ अतिरिक्त धन-कर लगाने में चूक की गई नीचे दिए गए हैं:—

(क) एक निर्धारिती के मामले में जो दिल्ली में स्थित कुछ गृह सम्पत्तियों का मालिक था कर निर्धारण वर्षों 1965-66 से 1969-70 के लिए सम्पत्तियों के संबंध में अतिरिक्त धन-कर लगाए जाने में चूक हो गई जिसके फलस्वरूप 95,164 रु० का कर नहीं लगाया गया। मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि कर निर्धारणों में सुधार कर दिया गया है और 95,164 रु० की अतिरिक्त योग की गई है जिसमें से 59,164 रु० की राशि संग्रहीत कर ली गई है।

(ख) एक अन्य मामले में जहाँ 11,30,000 रु० की मूल्य की शहरी सम्पत्ति बर्बाई में स्थित थी, कर निर्धारण वर्षों 1968-69 और 1969-70 के लिए निर्धारिती पर कोई अतिरिक्त धन-कर नहीं लगाया गया जिसके काल स्वरूप

8,600 रु० का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि अतिरिक्त मांग की गई है और संप्रहीत कर ली गई है।

(ग) एक अन्य कार्य-भार में एक निर्वासिती के निवल धन में कर निर्धारण वर्ष 1965-66 में 10.36 लाख रु० मूल्य की तथा कर-निर्धारण वर्षों 1966-67 से 1968-69 में 10.52 लाख रु० मूल्य की शहरी सम्पत्ति शामिल थी। इस शहरी सम्पत्ति पर 9,938 रु० का अतिरिक्त धन-कर उद्ग्राह्य था जो भूल से नहीं लगाया गया। मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है।

(ii) कर निर्धारण वर्ष 1970-71 तक, अतिरिक्त धन-कर लगाने के प्रयोजन के लिए निवल धन में शामिल शहरी सम्पत्ति के पुर्ण बाजार मूल्य को हिसाब में लिया जाना है, तथा उससे सम्बद्ध क्रहन अथवा देयता के कारण किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि सम्पत्ति पर क्रहन प्रभारित नहीं किया गया हो और ऐसी अवस्था में क्रहन-भार बाजार मूल्य में ही दिखाया जाएगा।

एक मामले में जहां कर निर्धारण वर्ष 1968-69 में 'क' श्रेणी के नगर में स्थित 10.56 लाख रु० के मूल्य की एक शहरी सम्पत्ति से सम्बन्धित 4.15 लाख रु० की एक देयता थी, वहां यह दृष्टिकोण अपनाते हुए कि 2 लाख रु० की प्रारंभिक छूट को हिसाब में लेने के पश्चात शहरी सम्पत्ति का निवल मूल्य छूट सीमा (5 लाख रु०) से कम था, कोई अतिरिक्त धन-कर नहीं लगाया गया। इसी प्रकार इस सम्पत्ति पर 1969-70 के लिए कोई कर नहीं लगाया गया। दो वर्षों के लिए कर का अवनिर्धारण 7,126 रु० था।

मंत्रालय ने यह आपति स्वीकार नहीं की और बताया है कि यह मामला केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के दिनांक 15 अप्रैल 1972 के अनुदेशों के अंतर्गत आता है। तथापि, इन अनुदेशों में केवल यह दिया गया है कि क्रणग्रस्त सम्पत्ति के मामले में उसके भोचन मूल्य को बाजार मूल्य के रूप में लिया जाना है।

56. कर निर्धारण से छूटने वाला धन

(i) धन-कर अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत लोक धर्मार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्य को छोड़कर अन्य किसी प्रयोजन के लिए न्यासाधीन रखी गई परिसम्पत्तियों के मामले में धन-कर ऐसे न्यासधारियों पर लगाया जाना है जिनके पास परिसम्पत्तियाँ होती हैं।

करनिधारण वर्ष 1957-58 से 1971-72 के लिए एक न्यास, जिसके उद्देश्य धर्मार्थ नहीं थे, पर कोई धन-कर नहीं लगाया गया यद्यपि उसकी आय पर विधिवत आय कर लगाया जाता रहा था। इस चूक को ध्यान में लाए जाने पर धन-विवरणियां मंगवाई गईं, करनिधारण पूरे किए गए (मई, 1972) और 40,543 रु० की अतिरिक्त मांग की गई। मंत्रालय ने सूचित किया है कि 40,543 रु० की अतिरिक्त मांग की राशि संगृहीत कर ली गई है।

(ii) प्रत्येक व्यक्ति और हिन्दू अधिभाजित परिवार के निवल धन पर धन-कर उद्देश्य होता है। करनिधारण वर्ष 1960-61 से कम्पनियां धन-कर के लिए निर्धार्य नहीं होती किन्तु किसी ऐसी कम्पनी के मामले में जो भारत से बाहर निगमित हो छूट तभी उपलब्ध होती है यदि भारत में इसका कोई व्यवसाय स्थान हो। किसी विदेशी कम्पनी जिसका व्यवसाय स्थान भारत में नहीं होता वह 'व्यक्ति' की हैसियत के अनुसार निर्धार्य होती है जिस शब्द का न्यायिक रूप से यह अर्थ लिया गया है कि इसमें एक यूनिट बना कर काम करने वाले व्यक्तियों का समूह शामिल है।

एक भारतीय कम्पनी में एक अनिवासी कम्पनी के 100-100 रु० के 4,000 शेयर थे। यद्यपि आयकर अधिनियम के प्रयोजन के लिए इसका करनिधारण 'कम्पनी' की हैसियत में किया गया था, तथापि धन-कर के प्रयोजन के लिए इसे 'व्यक्ति' की हैसियत के अंतर्गत नहीं रखा गया था क्योंकि भारत में इसका कोई व्यवसाय स्थान नहीं था। तथापि, विभाग ने निर्धारिती द्वारा भारत में धारित शेयरों के मूल्य पर 'व्यक्ति' की हैसियत के अंतर्गत धन-कर लगाने पर विचार नहीं किया। इस चूक के फलस्वरूप करनिधारण वर्ष 1965-66 से 1969-70 में 58,49,800 रु० का कुल धन, कर से छूट गया जिसमें 26,975 रु० का धन-कर लगता। करनिधारण वर्ष 1964-65 और 1970-71 में भी इसी प्रकार की चूक देखी गई। मंत्रालय ने बताया है (फरवरी, 1974) कि कम्पनी की गलत हैसियत अपनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(iii) एक निर्धारिती द्वारा किए गए प्रकटीकरण के अनुसार उसने 22 मार्च, 1948 और 19 मितम्बर, 1949 को कमशः 2 लाख रु० और 1 लाख रु० की दो दान राशियों प्राप्त की थीं और दान के रूप में प्राप्त की गई इन राशियों पर 31 मार्च, 1960 तक 1 लाख रु० का व्याज अर्जित किया था। यह बताया गया था कि 4 लाख रु० की कुल राशि दो पार्टियों के पास जमा कराई गई थीं। इस प्रकटीकरण के आवार पर निर्धारिती पर करनिधारण वर्ष 1963-64 के लिए प्रथम बार धन-कर लगाया गया परन्तु पहले वर्षों के लिए कार्यवाही करने के लिए कुछ नहीं किया गया यद्यपि इन वर्षों में उसका धन-कर योग्य भी था। इसके फलस्वरूप

1957-58 से 1962-63 के कर-निर्धारण वर्षों के लिए 10,000 रुपये कर का अवधारणा हुआ।

मंत्रालय ने चूक स्वीकार करली है और सूचित किया कि 1961-62 और 1962-63 के लिए 4,278 रुपये का अतिरिक्त कर संग्रहीत कर लिया गया है। किन्तु मामला कालातीत होने के कारण 1957-58 से 1960-61 के लिए कोई कार्यवाही संभव नहीं है।

(iv) कर-निर्धारण वर्ष 1971-72 में एक निर्धारिती पर पहली बार धन-कर प्रभारित किया गया। यद्यपि पहले तीन वर्षों के लिए निर्धारिती का निवल धन कर योग्य था, तथापि न तो निर्धारिती ने धन-विवरणियां प्रस्तुत की और न ही विभाग द्वारा मांगी गईं।

मंत्रालय ने चूक स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि 1968-69 से 1970-71 के लिए कर-निर्धारण पूरे कर लिए गए हैं और 1,606 रुपये का कर संग्रहीत कर लिया गया है।

57. धन कर विवरणियां देर से प्रस्तुत करने के कारण अर्थदण्ड न लगाया जाना अच्छा गलत लगाया जाना।

यदि कोई निर्धारिती अधिनियम में विहित अवधि के भीतर बिना किसी उचित कारण से धन-कर विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता तो अर्थदण्ड उदग्राह्य हो जाता है। अर्थदण्ड तत्काल लगाए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जुलाई, 1969 में जारी किए गए अपने कार्यकारी अनुदेशों में यह निर्धारित किया था कि जहाँ कहीं मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धन-कर अधिकारी ने अर्थदण्ड न लगाने का निर्णय किया हो, वहाँ अर्थदण्ड के उपबन्धों को लागू न करने के लिए विस्तृत कारण बताते हुए आदेश पत्रक (आर्डर शीट) में एक नोट रखा जाना चाहिए। चूक के प्रत्येक मास के लिए 31 मार्च, 1969 तक अर्थदण्ड की दर 2 प्रतिशत थी जिसे पहली अप्रैल, 1969 से बढ़ाकर चूक के प्रत्येक मास के लिए निवल धन का 0.5 प्रतिशत कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने नवम्बर, 1969 में यह निर्णय दिया कि अर्थदण्ड लगाने के लिए निर्णायक तिथि कर निर्धारण पूरा होने की तिथि होनी चाहिए थी और तदनुसार उन सभी मामलों में जहाँ पहली अप्रैल, 1969 के बाद विवरणियां प्रस्तुत की गई हों और कर-निर्धारण पूरे किए गए हों वहाँ अर्थदण्ड 1 अप्रैल, 1969 से लागू होने वाली बढ़ी हुई दरों पर उदग्राह्य है।

(क) तीन मामलों में जहाँ विवरणियां 1 अप्रैल, 1969 के बाद प्रस्तुत की गई थीं वहाँ समूची अवधि के लिए बढ़ी हुई दरों पर अर्थदण्ड प्रभारित करने की बजाय, अर्थदण्ड 31 मार्च, 1969 तक, 1 अप्रैल, 1969 से पूर्व प्रत्यक्षित पुरानी

दरों पर परिकलित किया गया, और इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अपनाई गई दरों के अनुसार भी अर्थदण्ड की राशि के परिकलन में गलतियां थीं। इन गलतियों के परिणामस्वरूप 2,82,524 रु० का अर्थदण्ड कम लगाया गया।

मंत्रालय ने सूचित किया है कि इन मामलों में, 31 मार्च, 1969 तक पुरानी दरों पर और उसके पश्चात् बढ़ी हुई दरों पर परिकलित करके केवल 57,314 रु० का अर्थदण्ड 'उद्घाष्ट होता है।

(ख) दो अन्य मामलों में जहाँ अर्थदण्ड की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी, इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया था कि धन-कर अधिकारी ने अर्थदण्ड लगाने के विरुद्ध निर्णय दिया था। (इन मामलों में) न्यूनतम उद्घाष्ट अर्थदण्ड 50,236 रु० बनता था। मंत्रालय ने इन दोनों मामलों में चूक स्वीकार कर ली है।

इसके अतिरिक्त एक अन्य मामले में जहाँ 4 मास के विलम्ब की वास्तविक अवधि की बजाय केवल एक मास के लिए अर्थदण्ड लगाया गया था, 5,457 रु० का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि 5,457 रु० की अतिरिक्त मांग कर दी गई है।

5.8. अन्य रूचिकर विषय-कर का अनियमित संग्रहण

कर-निर्धारण वर्ष 1971-72 के लिए एक निर्धारिति ने अपनी धन-विवरणी 27 दिसम्बर, 1971 को प्रस्तुत की जिसमें धन की कुल राशि 6,66,447 रु० दिखाई गई थी और स्व-कर-निर्धारण के आधार पर देय कर के रूप में 1 फरवरी, 1972 को 7150 रु० की राशि अदा की। धन-कर अधिकारी ने 28 मार्च, 1972 को उसे 25,000 रु० का चालान जारी किया और मांगी गई यह राशि स्व-कर-निर्धारण के आधार पर देय थी। मांगा गया कर अगले दिन अदा कर दिया गया। 6,66,500 रु० के कुल धन पर कर-निर्धारण 30 मार्च, 1972 को पूरा किया गया और 24,969 रु० की राशि निर्धारिति को वापसी-योग्य निर्धारित की गई। वापसी आदेश, 12 अप्रैल, 1972 को जारी किया गया।

एक अन्य क्षेत्र (वार्ड) में तीन निर्धारितियों ने धन-कर अधिकारी के निवे-शानुसार 30 मार्च, 1971 को 28,000 रु० की कुल राशि जमा करवाई जबकि उनके प्रति कोई कर देय नहीं था। समूची राशि 2 अप्रैल, 1971 को वापस कर दी गई।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर चालानों का जारी किया जाना और 53,000 रु० का संग्रहण किया जाना, जबकि वास्तव में कोई मांग देय नहीं थी, प्रत्यक्षतः वसूली के आंकड़ों में वृद्धि किए जाने के अभिप्राय; से किया गया था।

मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि अदायगियां करते समय निर्धारितियों के नाम कोई देय राशियां बकाया नहीं थीं।

59. अधिनिर्धारण

(i) कर-निर्धारण वर्ष 1971-72 के लिए एक निर्धारिति ने अपनी धन-विवरणी में चल-सम्पत्तियों का मूल्य 4,11,300 रु० बताया जिसमें 1,62,916 रु० के शेयरों का मूल्य शामिल था। तथापि कर-निर्धारण पूरा करते समय विवरणी में सूचित किए गए 1,62,916 रु० के शेयरों के मूल्य के अतिरिक्त 4,11,300 रु० की समूची राशि अन्य सम्पत्तियों के मूल्य के रूप में ली गई है जिसके परिणामस्वरूप 1,62,916 रु० के धन का अधिनिर्धारण हुआ। कर का अधिक उद्घरण 6,268 रु० बनता था। मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि अधिनिर्धारित कर बकाया मांग के प्रति' समायोजित कर दिया गया है।

(ii) एक मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण ने 7 दिसम्बर, 1965 को आदेश दिए जिसमें वर्ष 1957-58 के लिए कर योग्य धन पर 5,69,420 रु० की कटौती की अनुमति दी गई। अपीलीय सदायक आयुक्त द्वारा 15 जून, 1966 को दिए गए आदेशों में 1958-59, 1959-60 और 1960-61 के तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए अचल सम्पत्ति के मूल्यांकन में 2,01,000 रु० की छूट भी अनुमत की गई। मई, 1973 में लेखा परीक्षा के समय यह पाया गया कि अपीलीय प्राविकारियों के आदेशों को लागू करते लिए कोई कार्यवाई नहीं की गई थी और न ही ये मामले धन-कर अधिकारी के अभिलेखों में अनिश्चित दिखाए गए थे। निर्धारिति को 14,449 रु० की राहत दी जानी चाहिए थी। मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया कि 14,449 रु० की राशि निर्धारिति को वापस कर दी गई है।

(iii) 6 मामलों में स्व-निर्धारण अथवा अनन्तिम निर्धारण पर अदा किए गए कर के लिए क्रैडिट नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 31,387 रु० के कर का अधिक उद्घरण हुआ। मंत्रालय ने सभी 6 मामलों में गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि 31,387 रु० की राशि या तो नकद वापस कर दी गई है या बकाया मांग के प्रति समायोजित कर दी गई है।

दान-कर

60. दान-कर किसी व्यक्ति द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए सभी दान के कुल मूल्य पर उद्घात होता है। सम्पत्ति के सभी अंतरण जो रूपये में अथवा रुपये के मूल्य में विना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त किए जाते हैं, कर-योग्य होते हैं जब तक कि उन्हें अधिनियम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त नहीं होती। दान-कर अधिनियम के लिए 'सम्पत्ति' शब्द का बहुत व्यापक अर्थद लिया गया है और यह न केवल

कृषि भूमि सहित गोचर चल और अचल सम्पत्ति को व्यंजित करता है बल्कि इसमें अन्य महत्वपूर्ण अधिकार और लाभ भी शामिल हैं। इस उदग्रहण का प्रयोजन अन्य कर संविधियों में दोषों का निवारण करना है क्योंकि यह अनुभव किया गया था कि अपने निकट संबंधियों अथवा सहयोगियों को दान के माध्यम से सम्पत्ति का अंतरण न केवल सम्पदा शुल्क परन्तु आयकर और धनकर* से भी बच निकलने का सर्वसामान्य ढंग था।

लोक लेखा समिति ने 1969-70 और 1970 की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार-विमर्श के दौरान अनुभव किया कि बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि-भूमि से संबंधित दान के सभी मामलों पर कर लगा दिया गया है, कोई उपाय नहीं किए थे और समिति ने इस स्थिति की समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया था। तबनुसार 1969-70 और 1970-71 वर्षों के सितम्बर और अक्टूबर के महीनों में पंजीकृत किए गए दान की सरकार द्वारा समीक्षा की गई और यह पाया गया कि 5000 रुपये से अधिक मूल्य की कृषि भूमि के दान के 10,544 मामलों में से 4,590 मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। यह बताया गया है कि 1970-71 से 1972-73 में कृषि भूमि के दान के सभी मामलों के पुनरीक्षण के लिए आदेश दिया गया है।

61. दान-कर अधिनियम 1958 के अतर्गत किए गए कर निधारणों की पहली सितम्बर, 1972 से 31 अगस्त, 1973 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखा-परीक्षा के दौरान निम्न प्रकार के कर के अव-निधारण और अधि-निधारण ध्यान में आए :—

1. कर का गलत परिकलन।
2. दान का गलत मूल्यांकन।
3. दान-कर का न लगाया जाना।
4. कर-निधारण से छोड़ दिए गए दान।

उपर्युक्त प्रकार की गलतियों को दर्शाने वाले कुछ मामले अनुवर्ती पैराग्राफों में दिए गए हैं।

62. कर का गलत परिकलन

किसी व्यक्ति द्वारा किसी वर्ष के दौरान दिए गए दान, दान-कर अधिनियम 1958 की सूची में निर्धारित दरों के हिसाब से कर के लिए निर्धार्य होते हैं। 1969-70 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 63(क) और 1971-72 की लेखा परीक्षा

रिपोर्ट के पैरा 51 में कर के गलत परिकलन के कुछ मामले ध्यान में लाए गए थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान ध्यान में आए कूछ मामले नीचे दिए गए हैं:—

- (i) कर निर्धारण वर्ष 1966-67 के एक मामले में एक निर्धारिती द्वारा दिए गए 3 लाख ₹ के एक दान पर, सूची में निर्धारित दरों के अनुसार ठीक रूप से प्रभार्य 44,000 ₹ के कर की बजाए केवल 25,900 ₹ का कर लगाया गया। इसी प्रकार उसी निर्धारिती के मामले में कर निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए 76,500 ₹ के दान पर 5,400 ₹ की बजाए 4,900 ₹ का कर लगाया गया। इन गलतियों के परिणाम-स्वरूप 18,600 ₹ के कर का अवप्रभार हुआ। मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि कर निर्धारणों में गलती का सुधार कर दिया गया है और 18,600 ₹ का अतिरिक्त कर संगृहीत कर लिया गया है।
- (ii) कर निर्धारण वर्ष 1971-72 से दान पर मूल छूट 10,000 ₹ से घटा कर 5,000 ₹ कर दी गई, इसके अतिरिक्त कर की दर और दान के मूल्य के स्तर के खण्डों (स्लैब्ज) जिन पर ये लागू थीं, को भी और अधिक प्रगामी बना दिया गया। एक मामले में कर निर्धारण वर्ष 1971-72 के लिए जहाँ 62,500 ₹ के एक दान पर कर निर्धारण 1970-71 के लिए लागू पूरानी दरों के हिसाब से कर प्रभारित किया गया था, 1,125 ₹ का कर कम लगाया गया।

मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि, 1,125 ₹ की अतिरिक्त मांग संगृहीत कर ली गई है।

63. दान का गलत मूल्यांकन

एक प्रत्यक्ष कर अधिनियम के अन्तर्गत किए गए कर निर्धारणों का दूसरे प्रत्यक्ष कर अधिनियम, के अन्तर्गत किए गए कर निर्धारणों के साथ समन्वय रखने के कारण 1970 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 71 (v) 1970-71 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 73(ii) और 1971-72 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 40 में कर के अव-निर्धारण के मामले सूचित किए गए थे। रिपोर्टधीन वर्ष में कुछ और मामले ध्यान में आए हैं।

(i) तीन ऐसे मामले, जहाँ दान कर के लिए लिया गया सम्पत्ति का मूल्य बन-कर निर्धारण के लिए लिये गए मूल्य से काफी कम था, नीचे दिए गए हैं:—

(क) एक मुसलमान निर्धारिती द्वारा 1953 में अपने पिता से प्राप्त कुछ सम्पत्तियों में लाभ को हस्तान्तरण पत्र में आजीवन सम्पदा का नाम दिया

गया। तथापि, क्योंकि इसलामी कानून के अन्तर्गत निकाय (कार्पस) में आजीवन सम्पदा का सृजन अधिधिमान्य है और अदाता निकाय का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है। निर्धारिती ने स्वयं अपनी धन-कर विवरणियों में इन सम्पत्तियों पर अपना पूर्ण स्वामित्व दिखाया था। पूर्ण स्वामित्व के तथ्य का उल्लेख 4 जनवरी, 1969 को किए गए हस्तान्तरण पत्र में भी किया गया था जिसके द्वारा उसने ये सम्पत्तियां आगे दान में दे दी थी।

तथापि, दान कर निर्धारण में इस दान को सम्पत्ति में आजीवन सम्पदा के रूप में माना गया और उसका 89,241 रु० मूल्य लगाया गया, यद्यपि सम्पत्तियों के पूर्ण स्वामित्व का मूल्य (1,96,800 रु०) दाता के धन-कर निर्धारणों में शामिल था। इसके परिणामस्वरूप 15,553 रु० का दान-कर कम लगाया गया।

मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि 15,553 रु० की अतिरिक्त मांग प्रस्तुत कर दी गई है।

(ख) एक निर्धारिती ने एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में अपने 62 शेयर 7 अप्रैल, 1969 को (कर निर्धारण वर्ष 1970-71) दान में दिए। दान-कर अधिकारी ने ये शेयर 1901 रु० प्रति शेयर के हिसाब से मूल्यांकित किए जैसा कि निर्धारिती ने अपनी विवरणी में सूचित किया था। किन्तु कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए धन-कर निर्धारण में (मूल्यांकन तिथि 31 मार्च 1969) उन्हीं शेयरों को 2,633 रु० प्रति के हिसाब से मूल्यांकित किया गया था। शेयरों का गलत मूल्य अपनाने के परिणामस्वरूप दान की 45,384 रु० की राशि का अवनिर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप 7,138 रु० का दान-कर कम लगाया गया।

उसी निर्धारिती के मामले में कर निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए 78,345 रु० की कर मांग की विलम्बित अदायगी के लिए 8,600 रु० का ब्याज प्रभारित किया जाना छूट गया था। मंत्रालय ने दोनों गलतियां स्वीकार कर ली हैं। 15,738 रु० के अतिरिक्त कर में से 14,000 रु० की राशि संगृहीत कर ली गई बताई गई है।

(ग) एक अन्य मामले में कर निर्धारण वर्ष 1972-73 के लिए दान-कर निर्धारण में 43 एकड़ भूमि के दान का मूल्यांकन 64,500 रु० किया गया जबकि 1971-72 के धन-कर निर्धारण में उसी सम्पत्ति का मूल्य 86,000 रु० लिया गया था। दान के इस 21,500 रु० के अवमूल्यांकन के परिणाम-स्वरूप 3,225 रु० का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है।

(ii) किसी निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में दिये गए सभी दान का कुल मूल्य सम्बद्ध कर निर्धारण में दान-कर के लिए प्रभार्य होता है। जिन यामलों में किसी निर्धारिती का केवल एक ही आय स्रोत होता है, वहाँ पिछला वर्ष वही होता है जो आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए लिया गया हो। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम के प्रयोजन के लिए पिछला वर्ष आयकर अधिकारी की पूर्व सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

एक निर्धारिती का आय स्रोत केवल व्याज प्राप्तियाँ था और कर निर्धारण वर्ष 1969-70 तक आयकर निर्धारण के लिए पिछला वर्ष प्रति वर्ष 30 जून को समाप्त होने वाले 12 महीनों की अवधि था। चूंकि पिछले वर्ष के परिवर्तन के लिए निर्धारिती द्वारा कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया था और न ही आयकर अधिकारी ने परिवर्तन के लिए सहमति दी थी, इसलिए दान-कर के प्रयोजन के लिए भी पिछला वर्ष 30 जून को समाप्त होने वाली 12 मास की अवधि होना चाहिए था।

निर्धारिती ने दान के रूप में दो राशियाँ दी—45,000 ₹ की एक राशि 15 दिसम्बर, 1969 को और 15,000 ₹ की दूसरी राशि 30 जून 1970 को दी। यद्यपि 30 जून, 1970 को समाप्त होने वाली 12 मास की एक ही अवधि में आने वाले दोनों दान कर-निर्धारण वर्ष 1971-72 में निर्धार्य थे, तथापि निर्धारिती ने दान-कर की दो विवरणियाँ प्रस्तुत की जिसमें पिछला वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाला बताया, और तदनुसार ये दान दो विभिन्न कर निर्धारण वर्षों में निर्धारित किए गए अर्थात् 15 दिसम्बर, 1969 को दिए गए दान के संबंध में 1970-71 और 30 जून 1970 को दिए गए दान के संबंध में 1971-72। इसके परिणामस्वरूप 1,900 ₹ का कर कम लगाया गया।

मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि 1,900 ₹ का अतिरिक्त कर संगृहीत कर लिया गया है।

64. दान-कर का न लगाया जाना

(i) दान-कर रूपये में अथवा रुपये के मूल्य में प्रतिफल के बिना किए गए सम्पत्ति के हस्तांतरण पर उद्ग्राह्य होता है। सम्पत्ति के हस्तांतरण शब्द में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई ऐसा लेन-देन शामिल होता है जो अत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः अपनी सम्पत्ति के मूल्य को कम करने और किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति के मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया हो। जैसा कि उच्चबन्द न्यायालय द्वारा 1963 में (49 आयकर विनियम 107) निर्णय दिया गया था कि यदि दो हस्तांतरण अंतसंम्बद्ध हों अथवा एक ही लेन देन के ऐसे (इस प्रकार

चाग हों कि यह कहा जा सकता है कि कर से बचने के उपाय के रूप में चबकरदार प्रणाली अपनाई गई हो, तो उन्हें एक ही लेन-देन के रूप में माना जा सकता है।

एक अनिवासी व्यक्ति ने 1963 में भारत में एक कम्पनी के साथ सहयोग करार किया। इस करार के अन्तर्गत उसने 5.50 लाख ₹० की आयातित मशीनों की पूर्ति करनी थी, जिसकी धन-व्यवस्था विदेशों में रखे उसके धन में से की जानी थी, और इस पूर्ति के बदले में भारतीय कम्पनी द्वारा भारत में स्थायी रूप से निवास कर रहे उसके मनोनीत व्यक्तियों को 5.50 लाख ₹० मूल्य के शेयर जारी किए जाने थे। अनिवासी व्यक्ति ने पश्चिम जर्मनी में विनिर्माताओं को मशीनों के लिए पूर्ति आदेश दिया। परन्तु जब ये मशीनें समुद्र में मार्गस्थ थीं, उसने दारेसलाम में दान की एक घोषणा निष्पादित करके अपने दो लड़कों और दो भतीजों को 23 अक्टूबर 1964 को यह मशीन दान में डे दी। दान आदाताओं के संविहित न्यायवादी (अटार्नी) को जहाजरानी पोत-परिवहन प्रलेख सौंप कर किया गया और वह (दान) न्यायवादी (अटार्नी) द्वारा उनकी ओर से स्वीकार किया गया। इसके उपरांत प्रलेख आदाताओं को 20 अप्रैल, 1965 को डाक द्वारा भेजे गए। मशीनों की पूर्ति हो जाने पर कम्पनी ने 5.50 लाख ₹० मूल्य के शेयर आदाताओं को जारी किए। यद्यपि वह लेन-देन भारत में पूरा हुआ, जिसके फलस्वरूप नामित व्यक्तियों द्वारा विनाकिसी प्रतिफल के शेयरों का अधिग्रहण किया गया था, तथापि इस पर दान-कर इस आधार पर नहीं लगाया गया कि चूंकि दान के समय दान की विषय-वस्तु (मशीनें) भारत से बाहर थीं इसलिए दान कर अधिनियम 1958 के अधीन कोई कर उद्याहृ नहीं था। इस अनियमित छूट के परिणामस्वरूप 1,09,500 ₹० का कर नहीं लगाया गया।

मंत्रालय ने बताया है कि उनकी राय में दान भारत से बाहर चल सम्पत्ति के रूप में होने से और एक ऐसे अनिवासी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं था, द्वारा दिए जाने के कारण इस मामले में छूट ठीक रूप से अनुमत की गई थी।

(ii) दान-कर अधिनियम 1958 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्ती अथवा पति को दिए गए दान उस विहित सीमा तक (कर निर्धारण वर्ष 1963-64 तक 1 लाख ₹० और उसके बाद 50,000 ₹०) जिसका लाभ दाता के जीवन काल में उठाया जा सकता है, कर मुक्त होते हैं।

एक महिला ने पहली बार 1960 में 1 लाख ₹० का दान जिस पर दान कर से छूट दें थी गई थी अपने तत्कालीन पति को दिया। अपने पति से तलाक लेने के पश्चात् उसने पुनर्विवाह कर लिया और कर निर्धारण वर्ष 1971-72 से सम्बद्ध पिछले वर्ष में 50,000 ₹० का दान अपने दूसरे पति को दिया। परवर्ती दान को भी कर से छूट दे दी गई। इस तथ्य को देखते हुए कि निर्धारिती ने अपने जीवन काल में अनुमत अधिकरतम छूट का लाभ पहले ही उठा लिया था, कर निर्धारण वर्ष 1971-72 में 50,000 ₹०

की छूट नियमित नहीं थी। गलत छूट के परिणामस्वरूप 8,800 रु का दान-कर कम लगाया गया। मंदालय में यह चूक जांच हेतु स्वीकार कर ली है।

(iii) 1969-70 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 63(ख) (ii) (4) और 1971-72 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 49 में ऐसे मामले ध्यान में लाए गए थे जहां कम्पनियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को दिए गए चंदों पर दान-कर नहीं लगाया गया था। इसी प्रकार के दो मामलों में यह पाया गया कि कर निर्धारण वर्ष 1969-70 से सम्बद्ध वर्ष से दिए गए 72,200 रु की कुल राशि के चंदों पर कर नहीं लगाया गया।

एक अन्य मामले में 1962-63 और 1967-68 के वर्षों में एक कम्पनी द्वारा दिए गए बीस बीस हजार रु के चंदे की दो राशियां और इसके अतिरिक्त एक और मामले में 1963-64 में दिए गए 12,750 रु के चंदे पर कर नहीं लगाया गया।

मंदालय ने इन चारों मामलों में हुई चूक स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि प्रथम दो मामलों में 4,328 रु का कर संगृहीत कर लिया गया है। शेष दो मामलों के कालातीत होने के कारण कर निर्धारण वर्षों 1962-63 और 1963-64 के लिए कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है, परन्तु 1967-68 के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

65. कर निर्धारण से छोड़ दिए गए दान

(i) एक निर्धारिती ने जिसकी दहेज सम्पत्ति, 1936 में हुए उसके विवाह के समय 11,111 रु निर्धारित की गई थी दिनांक 31 दिसम्बर, 1959 के एक करार द्वारा बढ़ा कर 2 लाख रु कर दी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था थी कि उक्त दहेज सम्पत्ति दोनों पार्टियों में से किसी की भी मृत्यु द्वारा अथवा कानून द्वारा दूसरे ढंग से विवाह के भंग होने पर प्रतिदेय हो जाएगी, यद्यपि पति अपनी स्वेच्छा से, उससे पूर्व उसको अदा करके चुका सकता था। दहेज सम्पत्ति के आंशिक शोधन में निर्धारिती ने नवम्बर, 1960 और अक्टूबर, 1961 में 15 एकड़ भूमि अपनी पत्नी के नाम हस्तांतरित कर दी जिसका मूल्य 75,000 रु बताया गया। इस भूमि का कुछ भाग जो लगभग 1.5 एकड़ था (कुल दान का लगभग दसवां भाग) कर निर्धारण वर्ष 1961-62 और 1962-63 से सम्बद्ध पिछले वर्षों के दौरान अर्थात् उन्हीं वर्षों में जिसमें उक्त भूमि उसके पति द्वारा उसे हस्तांतरित की गई थीं, 4 रु प्रति वर्ग गज की दर से निर्धारिती की पत्नी द्वारा बेच दिया गया। इस दर से नवम्बर, 1960 और अक्टूबर, 1961 में पति द्वारा हस्तांतरित भूसम्पत्तियों का मूल्य 2,90,400 रु बनता है जबकि हस्तांतरण पद्धों में यह मूल्य 75,000 रु निर्दिष्ट किया गया था।

इसी निर्धारिति के धन-कर निर्धारण, में, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने, यह दृष्टिकोण अपनाते हुए कि यह आस्थगित दहेज सम्पत्ति होने के कारण केवल संभाव्य ऋण था जो भूत्यु अथवा विवाह भंग होने की दशा में ही चुकाया जाना था, निर्णय दिया कि पत्नी को भूसम्पत्तियों का हस्तांतरण पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त करने की अपेक्षा किसी अन्य दृष्टि से किया गया था। इस कानूनी स्थिति को देखते हुए, भूसम्पत्तियों का हस्तांतरण जिसके विषय में यह दावा किया गया था कि दहेज ऋण की आंशिक चुकौती करने के अभिप्राय से ऐसा किया गया था, वास्तव में रूपये में अथवा रूपये के मूल्य में विना प्रतिफल के किया गया था और वह दान के अन्तर्गत आता था। इस लेन-देन को दान न माने जाने की चूक के परिणामस्वरूप 9,424 रु० का कर नहीं लगाया गया। मंत्रालय ने बताया है कि दान-कर के न लगाए जाने से संबद्ध चूक जांचाधीन है।

(ii) एक निर्धारिति के धन-कर अभिलेखों से यह देखा गया कि 9 जनवरी, 1965 को उसने 76,250 रु० मूल्य की कुछ गृह सम्पत्तियों का अपनी पत्नी के नाम हस्तांतरण किया। उसी वित्त वर्ष के दौरान उसने 16,000 रु० का एक मकान अपनी पत्नी के नाम और 12,500 रु० का एक अन्य मकान अपने दो अवयस्क बेटों के नाम खरीदा। यद्यपि इन लेन-देनों पर दान-कर लागू होता था, तथापि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई और इस चूक के परिणामस्वरूप 5,113 रु० का कर नहीं लगाया गया। मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि 5,113 रु० की अतिरिक्त मांग की गई है। वसूली संबंधी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(iii) धर्मार्थ प्रयोजन के लिए स्थापित किसी संस्था अथवा निधि को दिए गए दान के लिए छूट केवल तभी प्राप्त होती है यदि संस्था अथवा निधि आयकर अधिनियम की धारा 80 छ में निर्धारित शर्तों को पूरी करती हो, इन शर्तों में से एक यह है कि निधि की आय आयकर से मुक्त हो।

कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 से संबद्ध लेखा वर्ष के दौरान एक निर्धारिति ने एक न्यास स्थापित करने के लिए 1,21,000 रु० का दान दिया। यद्यपि न्यास की आय आयकर से मुक्त नहीं थी तथापि इस दान पर कोई दान-कर नहीं लगाया गया। दान कर लगाने में चूक के परिणामस्वरूप 10,750 रु० का कर नहीं लगाया गया।

मंत्रालय ने बताया है कि यह मामला विचाराधीन है।

(iv) जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई लेन-देन अपनी सम्पत्ति के मूल्य को प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कम करने और किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति के मूल्य में बढ़ि करने के उद्देश्य से किया जाता है तो इसका अर्थ सम्पत्ति का हस्तांतरण होता है जो दान-कर अधिनियम की धारा 2(XXiv) (ब) के आशय के अन्तर्गत आता है। ऐसा हस्तान्तरण यदि रूपए अथवा रूपये के मूल्य में विना प्रतिफल के किया हो तो यह दान-कर

लगाने योग्य दान होता है। तदनुसार जब कोई नया सदस्य जो बिना किसी पूँजी के किसी साझेदारी में सम्मिलित किया जाता है और जिसे विद्यमान साझेदारों के बीच लाभ वितरण अनुपात में परिवर्तन करके कोई हिस्सा दिया जाता है तो नए साझेदार को इस प्रकार विनिहित हिस्से का मूल्य विद्यमान साझेदारों द्वारा उसे दिए गए दान के रूप में समझा जाना चाहिए, जिन के हिस्सों में ऐसा किए जाने से कमी हो जाती है।

एक पंजीकृत फर्म जिसके दो साझेदार थे और जिनमें से प्रत्येक का 50 प्रतिशत हिस्सा था, की साझेदारी में दो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कोई पूँजी निवेशित नहीं की शामिल करके 9 अप्रैल, 1966 को पुनर्गठित की गई। दोनों को 22-22 प्रतिशत हिस्सा विनिहित किया गया और विद्यमान दो साझेदारों के हिस्सों में तदनुस्पष्टी कमी करके 28-28 प्रतिशत किया गया। विद्यमान साझेदारों द्वारा दिए गए दान पर दान-कर अभिरित करने के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी। पूर्वगामी पांच वर्षों में फर्म द्वारा अर्जित औसत लाभ के तीन गुना को 22 प्रतिशत के हिसाब से परिकलित करके प्रत्येक साझेदार द्वारा दिए गए दान का मूल्य 22,860 रु० बनता था और इस दान पर कर न लगाने की चूक के कारण 1,286 रु० का कर नहीं लगाया गया।

मंत्रालय ने गलती केवल सिद्धान्त रूप में स्वीकार की है।

(v) पत्नी को छोड़कर, दाता पर आवित किसी ग्रन्थ व्यक्ति को 10,000 रु० के अधिकतम मूल्य तक बीमा-पालिसियों का दान कर मुक्त होता है। एक मामले में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बेटी के विवाह हेतु ली गई 1 लाख रु० की पालिसी 2 फरवरी, 1968 को उसकी परिपक्वता पर अपनी बेटी को समनुदेशित कर दी गई। यद्यपि 90,000 रु० का यह दान कर योग्य था, तथापि न तो निर्धारिती ने दान-कर विवरणी प्रस्तुत की थी और इस तथ्य के बावजूद कि यह जानकारी आदाता के धन-कर अभिलेखों में उपलब्ध थी न ही विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई। इसके परिणामस्वरूप 6,750 रु० का कर नहीं लगाया गया। मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है। भूल-सुधारने और कर की वसूली से संबंधित रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

66. अधिनिर्धारण

कर-निर्धारण वर्ष 1971-72 से संबद्ध पिछले वर्ष के दौरान दिए गए दान के लिए तीन व्यक्तियों के दान-कर निर्धारण अक्तूबर, 1971 में पूरे किए गए और 5,500 रु० की परिणामिक मांग उनके द्वारा नवम्बर, 1971 में ग्रदा की गई। सभी तीन मामलों में निर्धारिती द्वारा की गई अदायगियों पर ध्यान न देते हुए दान-कर मांगे उनके आयकर निर्धारणों में उनको देय वापसी योग्य राशियों के समायोजन द्वारा दिसम्बर, 1971 में बुन: संग्रहीत कर ली गई।

मंत्रालय ने गलतियां स्वीकार कर ली हैं और सूचित किया है कि वापसियां दी जा चुकी हैं।

सम्पदा शुल्क

67. मृत्यु पर हस्तान्तरित होने वाली सभी सम्पत्तियों पर सम्पदा-शुल्क लगाया जाता है, कुछ सम्पत्तियां यद्यपि वास्तव में हस्तान्तरित नहीं होतीं तथापि मृत्यु पर हस्तान्तरित हो गई समझी जाती हैं, जैसे मृत्यु पर समाप्त होने वाले लाभ अथवा ऐसी सम्पत्ति जिसका मृत्यु के समय निपटान करने के लिए मृत व्यक्ति सक्षम था अथवा ऐसे दान जहां दाता दान में दी गई सम्पत्ति के आधिपत्य और उपयोग से पूर्णतया वर्जित नहीं होता है। पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़कर समस्त भारत में कृषि भूमि भी इस कर के अन्तर्गत आती है क्योंकि इन दोनों राज्यों की विधान सभाओं को छोड़कर शेष सभी राज्यों की विधान सभाओं ने संविधान के अनुच्छेद 252(1) के अधीन प्रस्ताव पारित किए हुए हैं जिसमें कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध किया गया है

68. सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953 के अन्तर्गत किए गए कर-निर्धारणों की 1 सितम्बर, 1972 से 31 अगस्त, 1973 तक की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान निम्न प्रकार के शुल्क संबंधी अवनिर्धारण और अधिनिर्धारण ध्यान में आएः—

- (1) सम्पदा का गलत मूल्यांकन।
- (2) अनियमित राहतें और छूटें।
- (3) कर-निर्धारण से छोड़ दी गई सम्पदा।

उपर्युक्त प्रकार की गलतियों को दर्शाने वाले कुछ मामले निम्नलिखित पैराग्रामों में दिए गए हैं।

69. संपदा का गलत मूल्यांकन

(i) यदि कोई मृत व्यक्ति किसी फर्म में साझीदार रहा हो तो फर्म के सुनाम में उसके हिस्से सहित उसके लाभ के मूल्य को मृत्यु पर हस्तान्तरित होने वाली सम्पत्ति माना जाता है। एक मामले में जहां किसी साझेदार की मृत्यु 25 मार्च, 1969 को हुई, फर्म का सुनाम पूर्वगामी तीन वर्षों के औसत लाभ का दुगुना मूल्यांकित किया गया। क्योंकि औसत 59,762 रु० बनती थी, मृत व्यक्ति के 36 प्रतिशत हिस्से का इस औसत के दुगुने का मूल्य 43,000 बनता था जबकि सम्पदा में शामिल की गई राशि वास्तव में केवल 28,000 रु० थी। इसके परिणामस्वरूप सम्पदा का 15,000 रु० का अवनिर्धारण हुआ जिसके कारण 1,500 रु० का कम शुल्क लगाया गया।

मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि 1,500 रुपये की अतिरिक्त मांग प्रस्तुत कर दी गई है।

(ii) सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953 की धारा 36 में यह निर्धारित है कि शुल्क के लिए प्रभार्य किसी सम्पत्ति का मूल मूल्य वह होना चाहिए जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय खुले बाजार में उस सम्पत्ति के बेचने से प्राप्त होता। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार अनुदृत शेयरों के मामले में बाजार मूल्य, शेयरों का अवशिष्ट मूल्य होगा। एक मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सम्पदा में अन्य वस्तुओं के साथ-साथ एक कम्पनी के 4212 अनुदृत इक्विटी शेयर शामिल थे। सम्पदा के मूल मूल्य में शामिल करने के लिए शेयरों का मूल्य 50 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य के दर से लगाया गया जब कि 31 दिसम्बर, 1957 को कम्पनी के तुलनपत्र के आधार पर शेयरों का अवशिष्ट मूल्य 110 रुपये प्रति शेयर था। एक अन्य निर्धारितों के धन-कर निर्धारण के मामले में विभाग ने स्वयं इस कम्पनी के शेयरों का मूल्य अंकित मूल्य के 2.2 गुना अर्थात् 110 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से लगाया था। इस प्रकार उक्त शेयर 2,52,720 रुपये से अवमूल्यांकित किए गए जिसके परिणामस्वरूप 75,716 रुपये का शुल्क कम लगाया गया।

मंत्रालय ने सूचित किया है कि मामला जांचाधीन है।

70. अनियमित राहतें और छूटें

(i) सम्पदा शुल्क 1953 के अंतर्गत ऐसे रेखा चित्र, चित्र-कला, कला-कृतियां आदि जो मृत व्यक्ति के परिवार में रख ली जाती हैं, और जिन पर कारंवाई का निपटान बोर्ड द्वारा विहित शर्तों के अनुसार किया जाता है, सम्पदा शुल्क से मुक्त हैं। सम्पदा शुल्क नियमों में व्यवस्था है कि इन शर्तों का अनुपालन करने के संबंध में आवश्यक बचत ऐसे व्यक्तियों से ले लिया जाए जिन्हें मामले की परिस्थितियों के अनुसार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड उपयुक्त समझे।

एक अविवाहित व्यक्ति जिसकी 17 फरवरी 1970 को मृत्यु हुई थी के सम्पदा शुल्क निर्धारण में 4,04,950 रुपये के रेखाचित्रों, चित्र कलाओं आदि पर सम्पदा शुल्क से छूट अनुमत की गई यद्यपि उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति एक विवाहित महिला, जो मृतक के परिवार की सदस्य नहीं थी को वसीयत में दी गई थी। चूंकि अधिनियम के अनुसार कलाकृतियां मृतक के परिवार में नहीं रखी गई थीं, इसलिए इस मामले में प्रदान की गई छूट स्वीकार्य नहीं थी। इस अनियमित छूट के परिणामस्वरूप 1,40,573 रुपये का सम्पदा शुल्क कम लगाया गया।

(ii) सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 के अधीन कोई मकान अथवा किसी मकान का भाग जिसका उपयोग केवल मृत व्यक्ति द्वारा अपने निवास स्थान के लिए किया गया

हो, 1 लाख रु० के मूल्य तक शुल्क से मुक्त होता है यदि वह ऐसे स्थान पर स्थिति हो जिसकी जनसंख्या दस हजार से अधिक हो परन्तु यदि यह किसी अन्य स्थान पर स्थित हो तो वह सम्पदा शुल्क से पूर्णतया मुक्त होता है। तथापि यह छूट केवल ऐसी गृह सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वीकार होती है जो मृतक की हो और उसकी मृत्यु पर हस्तांतरित हुई हो न कि किसी सम्पत्ति में लाभ अथवा अधिकार के संबंध में।

एक मामले में किसी मृत व्यक्ति ने दो फ्लैटों की खरीद के लिए जिसका कब्जा उसने 1967 में लिया था गृह-निर्माताओं की एक फर्म को 1,63,630 रु० अदा किए थे। फर्म और मृतक के बीच हुए करार के अनुसार फ्लैट, फर्म द्वारा एक सहकारी समिति को (उसके गठन पर) हस्तांतरित किए जाने थे। चूंकि समिति अप्रैल, 1970 में पंजीकृत हुई, इसलिए उस समय तक फ्लैट फर्म की सम्पत्ति के रूप में रहे। इस प्रकार मृत्यु की तिथि (जून 1969) को सम्पत्ति न तो मृतक की थी और न ही समिति की। इसलिए सम्पदा में गृह-सम्पत्ति शामिल नहीं की जानी थी बल्कि फ्लैट खरीदने के अधिकार का मूल्य शामिल किया जाता था। सहायक नियंत्रक सम्पदा शुल्क ने कर निर्धारण में फ्लैटों का मूल्य शामिल किया और उसके साथ साथ यह मान कर कि सम्पत्ति का उपयोग मृतक ने निवास स्थान के रूप में किया था, 1 लाख रु० की छूट अनुमत कर दी। इसके परिणामस्वरूप 50,000 रु० का शुल्क कम लगाया गया। मंत्रालय ने यह बताते हुए आपत्ति स्वीकार नहीं की कि यदि निर्धारिती का फ्लैट में कोई ऐसा लाभ था जो सम्पदा में शामिल करने योग्य था, तो छूट प्रदान करने से इनकार नहीं किया जा सकता था।

71. कर निर्धारण से छोड़ दी गई संपदा

(i) सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 के अंतर्गत ऐसी सम्पत्ति जिसमें मृतक अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लाभ मृत्यु हो जाने पर समाप्त हो जाता हो वह मृत्यु पर उस सीमा तक हस्तांतरित समझा जाता है जिस सीमा तक ऐसे लाभ की समाप्ति द्वारा कोई लाभ उपचित् अथवा उद्भूत होता है।

एक महिला जिसकी मृत्यु मई 1969 में हुई थी, का उससे पूर्व मृत पति की सम्पदा से आय में आजीवन लाभ था और यह लाभ, धन कर प्रयोजनों के लिए, 6,11,845 रु० मूल्यांकित किया गया था। तथापि, सम्पदा के मूल मूल्य में इस लाभ को शामिल किए जाने में चुक हो गई जिसके परिणामस्वरूप 1,85,888 रु० का शुल्क कम लगाया गया। मंत्रालय ने बताया है कि यह मामला जांचाधीन है।

(ii) एक मृत व्यक्ति (जिसकी मृत्यु 8-4-64 को हुई) के सम्पदा शुल्क निर्धारण में उसके स्वामित्व व्यापार, जिसके लिए उसने अपने जीवन काल में विक्रय करार किया हुआ था, का मूल्य व्यापार की परिसम्पत्तियों और देयताओं के आधार पर 4,26,192 रु० लिया गया। विक्रय हेतु करार के लिए दिनांक 4 नवम्बर 1966 को दिए गए

मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार उस व्यापार का मूल्य 4,96,710 रु० था। यद्यपि निर्णय दिए जाने के पश्चात् अपीलीय आदेशों को लागू करने के लिए सम्पदा शुल्क निर्धारण तीन बार संशोधित किया गया था, तथापि इस तथ्य के बावजूद में कि लेखादेय व्यक्ति ने यह वचन दिया हुआ था कि यदि विक्रय करार पर प्राप्त राशि विवरणी में दर्शाई गई राशि से अधिक हुई तो वह उस अंतर पर सम्पदा शुल्क अदा करेगा, मध्यस्थ निर्णय के अनुसार व्यापार के संशोधित मूल्य को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके परिणामस्वरूप 70,158 रु० की सम्पदा कर निर्धारण (4,96,710 रु० - 4,26,192 रु०) से छूट गई और जिसके फलस्वरूप 28,207 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

मंत्रालय ने सूचित किया है कि मामला विचाराधीन है।

(iii) एक व्यक्ति, जिसकी 15 फरवरी 1967 को मृत्यु हुई थी, का एक फर्म में 1/8 वां हिस्सा था। फर्म अबल सम्पत्ति की मालिक थी जिसका सरकार द्वारा 1964 में अधिग्रहण कर लिया गया था और फर्म को 13,51,081 रु० की क्षतिपूर्ति 16 नवम्बर 1966 को अदा की गई थी। क्षतिपूर्ति की राशि में मृतक का हिस्सा सम्पदा के निवल भूल मूल्य में शामिल नहीं किया गया था। जोड़ में 1200 रु० की भूल सहित इस गलती के परिणामस्वरूप सम्पदा के मूल मूल्य में 1,70,085 रु० का अवनिर्धारण हुआ, जिसके फलस्वरूप 50,725 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

मंत्रालय ने बताया कि क्षतिपूर्ति में उक्त हिस्सा शामिल किए जाने का प्रश्न जांचाधीन है क्योंकि लेखादेय व्यक्तियों ने बताया है कि मृतक द्वारा अपने जीवन काल में हीं वह राशि प्राप्त और व्यय की गई थी।

(iv) एक मृत व्यक्ति जिसकी मृत्यु 17 फरवरी 1966 को हुई थी, की सम्पदा का मूल मूल्य लेखादेय व्यक्ति द्वारा 7,50,943 रु० घोषित किया गया था। मृतक ने 84,139 रु० की बीमा पालिसियां भी ले रखी थीं जो विवाहित स्त्रियों के सम्पत्ति अधिनियम के अधीन समनुदेशित की गई थीं। इन पालिसियों का कर निर्धारण मृत्यु पर हस्तांतरित होने वाली एक पृथक सम्पदा के रूप में किया जाना था। इन दो सम्पदाओं का अनन्तिम कर निर्धारण विधिवत् किया गया था, परन्तु नियमित कर निर्धारण में, यद्यपि सम्पदा का मूल्य क्रमशः 8,41,665 रु० और 84,139 रु० परिकलित किया गया था, तथापि 84,139 रु० की सम्पदा पर शुल्क प्रभारित करने में चूक हो गई। इसके फलस्वरूप 1366 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

मंत्रालय ने चूक स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि अतिरिक्त मांग संगृहीत कर ली गई है।

7.2. अन्य रचिकर विषय

सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 37 में यह विहित है कि किसी ऐसी निजी कम्पनी, जिसमें हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया हो, में शेयरों का मूल्य “कम्पनी

की कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य को ध्यान में रखकर” सुनिश्चित किया जाता है। जब मूल्य इस प्रकार सुनिश्चित न किया जा सकता हो, केवल उसी स्थिति में उक्त धारा में यह निर्धारित किया गया है, कि शेयरों के मूल्य उस राशि के हिसाब से अनुमानित किया जाए जो उनको खुले बाजार में बेचने से प्राप्त होगा। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि “कम्पनी की कुल परिसम्पत्तियों को ध्यान में रखते हुए मूल्य” का अर्थ अवशिष्ट मूल्य होता है अर्थात् देयताओं की अपेक्षा परिसम्पत्तियों के अधिशेष को प्रदत्त पूँजी से विभक्त करके निकाला गया मूल्य। बोर्ड द्वारा 1965 में यह भी स्पष्ट किया गया था कि अवशिष्ट मूल्य प्रणाली द्वारा शेयरों का मूल्य निर्धारित करते समय कम्पनी की परिसम्पत्तियों को बाजार मूल्य को और न कि खाता मूल्य को ध्यान में रखा जाय।

1967 में बोर्ड ने धन-कर अधिनियम के अधीन अनुदृढ़त इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन के लिए एक नया नियम बनाया। इस नियम में यह व्यवस्था की गई कि शेयरों के अवशिष्ट मूल्य का निर्धारण खाता मूल्य के आधार पर न कि कम्पनी की परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। स्पष्टतया, यह नियम, धन-कर अधिनियम जिसमें “व्यवसाय के तुलनपत्र को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर व्यवसाय की परिसम्पत्तियों का निवल मूल्य” के निर्धारण के लिए नियम बनाये जाने की व्यवस्था पर आधारित था। उपरोक्त दो अधिनियमों की सम्बद्ध शब्दावली में स्पष्ट अंतर होने के बावजूद बोर्ड ने मार्च 1968 में कार्यकारी अनुदेशों द्वारा धन-कर अधिनियम के अधीन बनाए गए उक्त नियम को सम्पदा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सम्पदा शुल्क के प्रयोजनों के लिए ऐसे शेयरों के मूल्यांकन पर भी लागू कर दिया।

लेखापरीक्षा द्वारा अप्रैल, 1972 में यह ध्यान दिलाया गया था कि सम्पदा शुल्क अधिनियम की भाषा धन-कर अधिनियम की भाषा से नितान्त भिन्न होने के कारण, धन-कर अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम को, कार्यकारी, अनुदेशों द्वारा सम्पदा शुल्क अधिनियम पर लागू करना वैध प्रतीत नहीं होगा। परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य के बजाए उनके खाता मूल्य के आधार पर मूल्य लेने से असंगत परिणाम निकल सकते हैं जिसके फलस्वरूप किसी समय अवमूल्यांकन हो सकता है और फलतः राजस्व की हानि।

यह भी ध्यान दिलाया गया था कि किसी ऐसे मामले में जहां दो निजी कम्पनियां एक दूसरे के शेयर धारण करती हैं वहां अवशिष्ट मूल्य प्रणाली द्वारा उन शेयरों के मूल्यांकन से समस्या उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि एक कम्पनी के उपयुक्त शेयरों का अवशिष्ट मूल्य दूसरी कंपनी के शेयरों के अवशिष्ट मूल्य पर निर्भर होगा जिससे नियंत्रक सम्पदा शुल्क प्रथम कम्पनी का अवशिष्ट मूल्य निकालने के लिए बाध्य हो जाएगा और वह सम्भव भी नहीं है क्योंकि वह मूल्य आगे चल कर दूसरी कम्पनी के शेयरों के मूल्य पर निर्भर

होंगा। यह सुझाव दिया गया था कि इन कठिनाइयों को देखते हुए बोर्ड के सम्पदा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत कोई न्यायसंगत नियम (फार्मूला) बनाना चाहिए।

अभी तक कोई नियम (फार्मूला) नहीं बनाया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है।

73. अधिनिधरण

सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 के अधीन अनन्तिम कर निर्धारण के प्रति अदा की गई कोई भी राशि, नियमित कर निर्धारण हेतु अदा की गई राशि समझी जाती है और अंतिम मांग प्रस्तुत किए जाने के समय इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए।

एक मामले में जहां 1,57,782 ₹ की सम्पूर्ण अनन्तिम मांग लेखादेय व्यक्ति द्वारा अदा की गई थी, नियमित कर निर्धारण में केवल 1,38,256 ₹ का क्रेडिट दिया गया था।

मंत्रालय ने गलती स्वीकार कर ली है और सूचित किया है कि 19,526 ₹ का और क्रेडिट दे दिया गया है।

वी. गौरी शंकर

नई दिल्ली :

दिनांक

(वी० गौरी शंकर)

निदेशक प्राप्ति लेखापरीक्षा

प्रतिहस्ताक्षरित

अदीन्दु बक्सी

(अदीन्दु बक्सी)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली :

दिनांक

आह्वानक ३३६०५७
(Call No.) Aut 25

अवाप्ति स०

(Accn. No.)

लेखक

Author

श्रीर्षक

શાખા

2410

.79.

प्राचीन कैनिंग्सक महालेसा
परीचयक कवि निपाट 1972-2
कैतु 1.